खण्ड-466, अंक-4
मंगलवार, 15 कार्तिक, शक संवत् 1929
(6 नवम्बर, 2007 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2007)

खण्ड 466 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
श्री मुख्तार अंसारी द्वारा अपना व्यक्तिगत मामला लिए जाने की मांग ...	1
प्रश्नोत्तर	1-93
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	94-95
गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत अमना सिंह सती मां के धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
लखनऊ मध्य में अशुद्ध पेय जलापूर्ति के कारण फैली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96-97
दिनांक 1-9-1998 से पूर्व कब्जा अन्तरण अनुबन्ध पत्रों के विक्रय-पत्र निष्पादित न होने पर प्राप्त रिफण्ड आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97
सीतापुर में मेजर ध्यानचन्द्र स्टेडियम के अधूरे कार्य को तत्काल धन देकर पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	97-98
जनता इण्टर कालेज बाबरी मुजफ्फरनगर की प्रबन्ध समिति द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्यों को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
मुजफ्फरनगर के ग्राम बिजोपुर एवं ग्राम-पंजीठ में निर्मित 33/11 विद्युत उपकेन्द्रों द्वारा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98-99
आजमगढ़ के शहरी इलाकों में क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
सिद्धार्थनगर के बांसी क्षेत्रान्तर्गत नियमित एवं समयबद्ध तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	99-100
बलरामपुर के तुलसीपुर एवं गैंसड़ी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराने एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	100

विषय	पृष्ठ-संख्या
कानपुर छावनी क्षेत्रान्तर्गत ओमपुरवा शिव पार्क स्थित ट्यूबवेल एवं सुतरखाना स्थित ट्यूबवेल को रि-बोर कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	101
प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत श्री चन्द्रभूषण शाह जी महाराज राजकीय कन्या इण्टर कालेज आसपुर देवसरा एवं श्री राम अजोर चौरसिया राजकीय कन्या इण्टर कालेज पट्टी में सभी विषयों के अपेक्षित अध्यापक तैनात करने एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति कर पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101
वाराणसी के कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत शहरी इलाकों में दूषित पेयजलापूर्ति की समस्या का निदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	101-102
लखनऊ कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत नटखेड़ा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
प्रदेश के कोल/आदिवासी जाति को अनुसूचित जनजाति से हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	102-103
सहारनपुर के मुजफ्फराबाद क्षेत्रान्तर्गत पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेयजल योजनाओं का वोल्टेज स्टेब्लाइजर एवं जनरेटर की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	103
बांदा के तिन्दवारी क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में राज्य वित्त सेक्टर योजना एवं बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत अधूरी सड़कों को हाटमिक्स प्लान्ट से बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103-104
बुलन्दशहर के स्याना क्षेत्रान्तर्गत बस दुर्घटना में श्री मनोज कुमार की हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
कुशीनगर के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को इन्दिरा आवास आवंटन में की जा रही धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104

विषय	पृष्ठ-संख्या
देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत गौरी बाजार विकास खण्ड एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर के अन्दर अवैध रूप से आवंटित दुकानों को जांच कराकर निरस्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	105
जनपद झांसी स्थित ऐतिहासिक आतियाताल का पर्यटन विकास की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105-106
मैनपुरी क्षेत्रान्तर्गत शासनादेश के अनुरूप विद्युत आपूर्ति एवं रोस्टिंग करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
इलाहाबाद में आवास विभाग द्वारा जारी वर्ष 2002 के शासनादेश को निरस्त कर राजस्व क्षति के मामले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106-107
लखीमपुर शहर में मरघट स्थल पर उल्ल नदी पर एक्सटेंशन तटबन्ध बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	107
कुशीनगर के फाजिलनगर क्षेत्रान्तर्गत आशा किरण कार्यकत्रियों को मानदेय किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	107
गोरखपुर महायोजना 2021 को स्वीकृति देते समय कतिपय कालोनियों की स्वीकृति न किये जाने से लाखों नागरिकों का जीवन प्रभावित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
ग्राम उरुआपुर जनपद बरेली की तीन महिलाओं की रेलगाड़ी से हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिवार के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108-109
इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत मियां का पूरा बाजार एवं सलारगंज में विद्युत तार जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
शाहजहांपुर के ग्राम रामपुर कलां में निर्मित हो रहे 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र के रुके निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
आगरा ट्रांसपोर्ट नगर के प्रमुख मार्गों का निर्माण एवं जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	110

विषय	पृष्ठ-संख्या
सीतापुर के बेहटा क्षेत्रान्तर्गत तहसील बिसवां एवं तहसील लहरपुर के घाघरा नदी की कटान से प्रभावित गांवों के लोगों को समुचित सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110-111
शाहजहांपुर नगरपालिका की सीमान्तर्गत कतिपय नालों की तली झाड़ सफाई करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	111
नियम-301 की अस्वीकृत सूचना को लिए जाने का अनुरोध ...	111-112
गत सत्र की नियम-301 की सूचनाओं का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण	112
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	113
श्री राम विशुन आजाद द्वारा अपनी अस्वीकृत नियम-301 की सूचना को उठाने का प्रयास	113-114
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	114
नियम-300 की सूचनाओं की गम्भीरता बनाये रखने का अनुरोध ...	115
उत्तर प्रदेश विधान सभा के 90 दिनों के उपवेशन दो माह के अन्तराल पर कम से कम 10 कार्यकारी दिवसों के लिए सत्र बुलाए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	115-118
उत्तर प्रदेश विधान सभा में लोक सभा की भांति विभागों से सम्बन्धित स्थाई समितियों के गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	118-121
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	121
लखीमपुर खीरी की कोतवाली गोला गोकरन नाथ तथा थाना हैदराबाद में श्री अरविन्द गिरि के विरुद्ध असत्य एवं आधारहीन मुकदमें दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	121-125
ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विधायकों के लिए क्रय कराये जाने वाले लैपटाप की खरीद में अनियमिततायें होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	125-126
पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनेक स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत गत वर्ष प्रवेश लेकर कोर्स पूरा करने के बावजूद अनेक छात्रों को परीक्षा से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	126-128

विषय	पृष्ठ-संख्या
ग्रामीण क्षेत्रों की भांति नगरीय क्षेत्र के विधायकों को पेयजल के लिए हैण्डपम्प स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न... ...	128-130
सूचना विभाग द्वारा 1857 के शहीदों के विषय में प्रकाशित पुस्तक में गोण्डा के अमर शहीद राजा देवी वरवश सिंह तथा सिपाही फजल अली का नाम सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	130-131
जनपद कुशीनगर में सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ गरीबों व श्रमिकों तक न पहुंच पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न... ...	131-132
जौनपुर की तहसील केराकत के ग्राम पूरब पट्टी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 छोटई यादव के आश्रितों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	132
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	133
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	133
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) (संशोधन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	133
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	133
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	133-134
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	134
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	134
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	134

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (पांचवा संशोधन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	134
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	134-135
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	135
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	135
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	135
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)...	135
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (अनर्हता का हटाया जाना और अनर्हता और सदस्यता से सम्बन्धित विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	135-136
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)...	136
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत(अध्यक्ष या प्रमुख आदि के पद की शपथ) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	136
उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (सदस्यता से सम्बन्धित विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई)	136
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	136-138
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	138
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	138

विषय	पृष्ठ-संख्या
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो-दो सदस्यों के निर्वाचन के स्थान पर नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	139
उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ...	139-140
फैजाबाद में एक छात्रा की हत्या में प्रदेश के एक राज्य मंत्री तथा उनके ड्राइवर की संलिप्तता विषयक नियम-311 की सूचना को सुने जाने की मांग (जारी)	140-141
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	141-142
फैजाबाद में एक छात्रा की हत्या में प्रदेश के एक राज्य मंत्री तथा उनके ड्राइवर की संलिप्तता विषयक नियम-311 की सूचना को सुने जाने की मांग ...	142-143
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	143-162
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	162
उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 (संकल्प अस्वीकृत एवं विधेयक पारित)	162-164
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007 कें अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 (संकल्प अस्वीकृत एवं विधेयक पारित) ...	164-183
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित)...	183
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	183-188
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	188-189
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित)	190-192
उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 (पारित)	192-198

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	198-199
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित)...	200-201
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित)	201-202
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित)	202-203
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	203-204
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित)	204-205
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	206-210
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	210-215
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार) (संशोधित रूप में पारित)...	215-217
उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	217-218
प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु सामान्य नीति बनाए जाने तथा बिना किसी भेद-भाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	218
उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी) ...	218
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	218-220
झांसी में बेसिक प्राइमरी पाठशाला गुरुद्वारा प्रेम नगर की दीवारे एवं छत क्षतिग्रस्त होने व मूलभूत सुविधायें न होने के सम्बन्ध में प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	220-221
कानपुर स्थित एयर पोर्ट स्टेशन चकेरी के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	221

विषय	पृष्ठ-संख्या
शाहजहांपुर नगर में विसरात घाट पर निर्माणाधीन अधूरे पुल का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	222
जनपद कुशीनगर के सेवरही विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006-07 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ट्रान्सफार्मर बदलने हेतु जारी विधायक निधि के बाद भी कार्य संपादित न कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य..	222
जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत लालगंज सांगीपुर एवं संग्रामगढ़ में शासन की घोषणा के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	223
प्रदेश में चकबन्दी विभाग द्वारा मानक के अनुरूप जनपदों में फील्ड स्टाफ की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री धनन्जय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	223
जनपद आजमगढ़ स्थित मोहम्मदपुर खरिहा होते हुए निजामाबाद की गड्ढायुक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अंगद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	223
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में डेंगू की रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाए जाने विषयक दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के सम्बन्ध मे श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी) ...	223-224
नियम-51 की सूचना की स्वीकृत की जानकारी	224
सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव	224
राष्ट्र-गान	224
नत्थी	225-227

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 06 नवम्बर, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य 365

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली

अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खा, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़

जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़

बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह	
"राजा भइया, कुंवर", श्री	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी

राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया

अप्रकाशित

शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैयदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
रिक्त	मनोनीत
रिक्त	हरदोई

नोट–लोक निर्माण, आबकारी, सिंचाई, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुख्तार अंसारी द्वारा अपना व्यक्तिगत मामला लिए जाने की मांग

श्री मुख्तार अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो हम बैठे हैं। कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई, व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री मुख्तार अंसारी-

मेरा व्यक्तिगत मामला है।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 आयेगा तो उस समय आप अपनी बात कह लीजिएगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सार्वजनिक क्षेत्रों की बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु कार्य-योजना

**1-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों की बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु कोई कार्य-योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को रूग्ण/बीमार, रूग्ण औद्योगिक कम्पनीज (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के तहत गठित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा घोषित किया जाता है और ऐसी रूग्ण घोषित औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन की कार्यवाही भी बीआईएफआर के निर्देशों के अनुसार की जाती है जो प्रत्येक रूग्ण घोषित इकाई के लिए पृथक-पृथक होती है।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाम ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें कपड़े की मिलें भी हैं। मेरे जनपद मेरठ में एक परतापुर कताई मिल है और तमाम ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जो बन्द पड़ी हुई हैं, पिछले दो सालों से वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनके परिवार का पालन-पोषण करने के लिए उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। स्थिति यह है कि वह आज भूखों मरने की कगार पर हैं जो उत्तर आया, मंत्री जी ने बी0आई0एफ0आर0 की बात कही, बी0आई0एफ0आर0 एक प्रोसीजर है, वह लिखकर भेजते हैं प्रदेश सरकार के लिए उसके जीर्णोद्धार के लिए उसको चालू करने के लिए। लेकिन व्यवस्था सरकार को ही करनी है, उनके पास कोई पैसा या बजट नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिये।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो इकाइयां पिछले कई वर्षों से बन्द पड़ी हुई हैं, उनमें काम कर रहे श्रमिकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है जिससे उनका व उनके परिवार का भरण-पोषण नहीं हो पा रहा है। उनको चालू करने के लिए सरकार को लिखा गया है, लेकिन पैसे की व्यवस्था सरकार को करनी है। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो ऐसी इकाइयां हैं उनको चलाने के लिए बजट में पैसे का प्राविधान किया गया है ?

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है, बी0आई0एफ0आर0 को जो संदर्भित किया जाता है, वहां से जो इकाइयां रूग्ण घोषित होती है उनका एक पैकेज बनाया जाता है वह पैकेज वित्तीय संस्था बैंक के आपरेटिंग एजेन्सी द्वारा स्वीकृत किया जाता है और आपरेटिंग एजेन्सी द्वारा तैयार की गयी पुनर्वास स्कीम के उपयुक्त या वाइवल पाये जाने पर बी0आई0एफ0आर0 द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इस सम्बन्ध में बी0आई0एफ0आर0 द्वारा जो निर्देश दिये जाते हैं उसी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है। अभी तक जो निर्देश सरकार को प्राप्त हुये हैं, सभी पेंडिंग चल रहे हैं अभी कोई ऐसा निर्देश नहीं आया है कि राज्य सरकार कार्यवाही करने पर विचार करे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बन्द औद्योगिक इकाइयों को चलाने के लिए जो यूनिट्स बी0आई0एफ0आर0 में जाती है उनका प्रस्ताव प्रदेश सरकार से संबंधित विभागों को जाता है और सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि इनको मिल चलाने के लिए अब ये-ये सुविधायें दी जायं तो मिल चल सकती हैं। कई ऐसी मिलें हैं, उदाहरण के लिए मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कानपुर में एल0एम0एल0 और डंकन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड इस वक्त बी0आई0एफ0आर0 में आ गयी है और सरकार द्वारा जो इनको जो भी अपेक्षित राहत और सुविधायें दे दी गयीं, सरकार द्वारा सुविधायें देने के बाद, उस पैसे को जो डकारने के बाद फिर वह बंद हो जाती हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जो बी0आई0एफ0आर0 की संस्तुतियों के अनुरूप लाभ ले चुके हैं और लाभ लेने के बाद भी मिल नहीं चला रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी और यदि ऐसी मिलों को दुबारा चलाने की व्यवस्था हो तो उसको कैसे चलाया जायेगा ? संसदीय कार्य मंत्री जी विद्वान हैं वह इस बात को जानते हैं।

श्री जगदीश नारायण राय-

महाना जी, आपका प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। फिर भी आपने जो बात कही है उसको संज्ञान में लेकर राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन जो इकाइयां हैं उनके बारे में अगर विचार करेंगे तो आपको बता देंगे।

श्री सतीश महाना-

राज्य सरकार ने ऐसी इकाइयों को चलाने के लिए अगर उनकी बिजली का बिल बकाया था तो उसको छोड़ दिया। ऐसे मिल मालिकों ने मिल को चलाने के लिए छूट भी ले ली, पैसा भी ले लिया उसके बाद भी मिल नहीं चलाई। मेरा कहना है कि आपकी कोशिश से मिल चल जाने से गरीब

मजदूरों को लाभ हो जाएगा। मेरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने उसका लाभ लेने के बाद भी मिल को नहीं चलाया उन मिलों को चलाने की क्या कोई व्यवस्था की जायेगी और उनमें काम करने वाले मजदूरों को फिर नौकरी दी जायेगी ? यदि नहीं तो जिन्होंने उसका लाभ ले लिया लेकिन मिल नहीं चलाई तो ऐसे मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रश्न ही देख लें प्रश्न राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के सम्बन्ध में है महाना जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है इसके लिए वह दूसरा प्रश्न लगा दें।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, इसके लिए एक अलग से प्रश्न लगा दीजिए।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने हेतु कार्य-योजना

*1-श्री हुकुम सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लगातार गिरते स्तर पर चिन्ता व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय विशिष्ट संस्थान का दर्जा पाने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय के स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने काई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त कार्य-योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

1-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ऐसी कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उत्तर में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ऐसी कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस उत्तर को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आपके पास कोई सूचनाधिकारी ही नहीं है न कोई सूचना विभाग है। अगस्त के महीने में आयोग के अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से यह टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी की आपको जानकारी ही नहीं मिली। आपने लिखित रूप से कहा कि प्रश्न नहीं उठता है लेकिन उसी में ही प्रश्न उठता है। मंत्री जी इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

अध्यक्ष जी, जून के महीने में हम स्वयं दिल्ली गए थे और वहां पर चेयरमैन यू0जी0सी0 से मिले थे। हमारे निमंत्रण पर ही यू0जी0सी0 के चेयरमैन पहली अगस्त को लखनऊ आए हुए थे। प्रेस

से चर्चा के दौरान उन्होंने यह बात कही थी उन्होंने यह नहीं कहा कि कोई मानक पर नहीं है उन्होंने कहा कि बंगलौर में जो परीक्षण होता है उस पर अभी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय नहीं रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा। मंत्री जी ने कहा कि लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई तो मैंने प्रश्न में लिखित सूचना की बात तो कही नहीं है। राकेश जी बहुत योग्य मंत्री है। छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं उनसे स्नेह भी करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं जब आपको इस बात की जानकारी थी फिर उसका उल्लेख उत्तर में क्यों नहीं किया। जब उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत वर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां की कोई भी शैक्षणिक संस्था विशिष्ट संस्थान की श्रेणी में नहीं आती है तो इसके लिए चिन्ता करनी चाहिए कि नहीं क्या इसके लिए आपने कोई कार्य-योजना बनाई है ताकि उत्तर प्रदेश की भी कोई शैक्षणिक संस्था उस श्रेणी में आ जाय, यह तो प्रयास होना चाहिए ? इसमें आपके दोष की बात नहीं है न ही इसके लिए अकेले आप जिम्मेदार हैं आप तो पांच महीनों से ही मंत्री हैं। मैंने सवाल प्रदेश के हित में पूछा कि कोई कार्य-योजना बनाई है कि नहीं। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान विशिष्ट संस्थान की श्रेणी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए और अगर उससे सहमत हैं तो उसकी क्या कार्य-योजना बनी ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, हुकुम सिंह जी ने अभी जो कहा उससे हम सहमत हैं। यह चिन्ता की बात है इसलिए इसकी कार्य-योजना बना रहे हैं और कार्य-योजना बनाने के लिये दो बार कुलपतियों का सम्मेलन हो चुका है। महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठकें की जा चुकी हैं। उस मानक को तैयार करने के लिये यू0जी0सी0 की टीम को दोबारा आमंत्रित किया गया है। यह प्रयास किया जा रहा है कि उन मानकों के अनुरूप उस गुणवत्ता पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय लाये जायं। इसकी कार्य-योजना तैयार हो रही है। आप चाहेंगे तो उसका विवरण आपको दिया जा सकता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, विशिष्ट संस्थान बनाने के जो मानक हैं कम से कम वे सदन के सामने तो आ जाने चाहिए ? क्या-क्या मानक हैं और किन-किन मानकों पर निर्णय लिया जा चुका है ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, इन चार महीनों में जैसे डीम्ड विश्वविद्यालय या प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय या ऑटोनामस को यू0जी0सी0 के नार्म के लिये जाने के लिये पिछले महीने निर्देश जारी किये गये हैं जो मानक पर खरे उतरेंगे उनको विशिष्ट संस्थान का दर्जा दिया जायेगा। माननीय हुकुम सिंह जी विश्वविद्यालय के मानकों के बारे में चिन्ता जाहिर कर रहे हैं तो उस बारे में मैंने बताया कि कार्य योजना का एक कैलेन्डर यूनीवर्सिटी का बना दिया गया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक छोटा सा सवाल था। जवाब नहीं आया है। मेरा कहना है कि वे मानक क्या है ? कम से कम यह तो पता चल जाय ? मैंने यह पूछा था कि मानकों की जानकारी हो जाय।

मान्यवर, मानकों की जानकारी होगी तब ही तो उस पर कार्यवाही हो पायेगी। (नेता प्रतिपक्ष के आने पर माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई) मान्यवर, यह तो बड़ी खुशी की बात है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों पहली बार बैठे हैं अच्छा लग रहा है। मान्यवर मैं यह सवाल पूछना चाह रहा था की वे क्या मानक हैं जिनके अनुरूप खरा उतरने पर विशिष्ट संस्थान का दर्जा मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष-

मैं यह कह रहा था कि मंत्री जी ने बीच में संकेत दिया है। उन्होंने बताया कि कुछ मानक और कार्य-योजना के बारे में यू0जी0सी0 ऐसे लोगों से बात कर रहा है और वह तैयार होगी तो उसका कैलेण्डर आपको उपलब्ध करा देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, किसी काम के लिये दो बातें होती हैं। पहले किसी चीज का स्टैण्डर्ड तय होता है कि यहां तक जाना है और उसके बाद उस तक पहुंचने की कार्य योजना तैयार होती है। पहले कार्य-योजना तैयार नहीं होगी। पहले तो उसके मानक निर्धारित होंगे और यह मानक यू0जी0सी0 को आमंत्रित करने के पहले तैयार करनी पड़ेगी। आज की तिथि में मानक निर्धारित नहीं होंगे तो कार्य-योजना कैसे तैयार होगी ? पहले मानकों का तो निर्धारण कर लें।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, कोई एक मानक तो होता नहीं है। पचास मानक होते हैं। हमारे यहां विश्वविद्यालय पुराने तो सैकड़ों साल के हैं और लगभग 375 महाविद्यालय ऐसे हैं जो अशासकीय कहे जाते हैं उनको अपग्रेड करने के लिये यू0जी0सी0 का मानक है और उसके आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाता है तब उसके बाद इनको अपग्रेड करने की कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो बात आ गई हुकुम सिंह जी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बात साफ तो हुई नहीं। आप कहेंगे तो मैं बैठ जाता हूं। सीधा प्रश्न यह है कि महाविद्यालयों के सम्बद्धीकरण की बात नहीं है। मेरा प्रश्न विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है। विश्वविद्यालय बहुत संख्या में नहीं है, कम है। इनको विशिष्ट श्रेणी में लाने के लिये मानक क्या हैं ? आपके पास 400 हों 1000 हों। मैंने तो बस इनको विशिष्ट संस्थान की श्रेणी में लाने के लिये यू0जी0सी0 ने जो मानक निर्धारित किये हैं, वह जानना चाहा है।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय हुकुम सिंह जी सारे विश्वविद्यालय पुराने हैं। 11 राज्य विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय ओपेन यूनीवर्सिटी है। इन बारह विश्वविद्यालय के यू0जी0सी0 के अपने नार्म्स हैं। आप हमसे जानना चाहें कि हम इसको अपग्रेड करने के लिये क्या कर रहे हैं तो हम आपको दो-चार जरूर बता सकते हैं। लेकिन इसकी सूचना आपने अलग से मांगी नहीं थी। दूसरी बात इन सारे विश्वविद्यालय में नये कोर्स चालू किए जा रहे हैं मैनेजमेन्ट के कोर्स लाए जा रहे हैं जो नई शिक्षा पद्धति के कोर्सेज हैं उनको प्रारम्भ किया जा रहा है। तीसरी बात जो यू0जी0सी0 समय-समय पर

परिवर्तन करती रहती हैं उसके अनुसार मानक जाता है विश्वविद्यालयों को, हमारा शासन का जितना निर्देश और जितना हस्तक्षेप है उतना उनको निर्देश दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आपके साथ उनका भावनात्मक लगाव है नहीं तो प्रश्न नहीं उठता था लेकिन इतना भावनात्मक लगाव हो गया कि यहां तक कह दिया कि यू0जी0सी0 के नार्म्स के आधार पर होता है।

श्री हुकुम सिंह-

आपकी योग्यता से तो हम प्रभावित हैं। कोई उत्तर दे या न दे लेकिन जिस प्रकार से आप संतुष्ट कर देते हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस तरह से आप सभी सदस्यों को संरक्षण देते हैं उसके लिए भी आपकी प्रशंसा होती है इसलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि जो हालत है विश्वविद्यालय की वह बड़ी दयनीय हालत है। आप सरकारी ग्रान्ट नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यू0जी0सी0 के मानकों के अनुरूप सबसे कम ग्रान्ट उत्तर प्रदेश में आती है क्योंकि उस स्तर के यह नहीं हो पाए। चिन्ता आपकी वहां होनी चाहिए थी।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय सदस्य ने जो पूछा उसका उत्तर मा0 मंत्री जी ने दिया अब दूसरे सदस्यों को अवसर दें आगे का प्रश्न ले लें।

श्री अध्यक्ष-

यह ठीक है माननीय सदस्य कह चुके हैं। मा0 मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं।

श्री हुकुम सिंह-

आपने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है।

श्री अध्यक्ष-

यू0जी0सी0 के मानक के बारे में उन्होंने बता दिया अब हो गया।

श्री हुकुम सिंह-

बस एक प्रश्न करके खत्म करूंगा। श्रीमन् इन विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मानकों पर खरे उतर जाएं। इसके लिए आप इनकी आर्थिक ग्रान्ट बढ़ायेंगे या नहीं बढ़ायेंगे। दूसरी बात आपको यह भी जानकारी होगी कि विशेष श्रेणी में आने वाले आई0आई0एम0 है आई0आईटी0 है। इनके अनुरूप आने का हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रयास होने के लिए आर्थिक सहायता बढ़ानी चाहिए। तो क्या आप इन विश्वविद्यालयों के अनुदान की राशि बढ़ायेंगे।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, पहला तो जैसा हमने शुरू में भी कहा कि बंगलौर की एक संस्था है जो मानकों का निर्धारण करके ग्रेडिंग करती है। माननीय हुकुम सिंह जी ने आई0आई0एम0 की चर्चा की जहां 150 के करीब लड़के पढ़ते हैं। करोड़ों रुपया खर्चा होता है और हमारे यहां 20-25 हजार लड़का पढ़ता है। उसकी तुलना बिल्कुल उचित नहीं है। आई0आई0एम0 में करोड़ में एक छात्र तैयार करते हैं। 60 सीटें उनकी होती हैं और हमारे विश्वविद्यालय में 20-25 हजार छात्र-छात्रायें पढ़ते हैं। [illegible]

लिए सभी विश्वविद्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने की व्यवस्था की है ताकि मार्कशीट आदि निकल सके ताकि जो एक स्तर की कमी है वह न रहे। ग्रान्ट बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। जो विश्वविद्यालय अपना ग्रान्ट खर्च कर देते हैं उनको भी समय-समय पर दिया जाता है।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले निर्धनों को हृदय रोग, कैंसर व किडनी के रोगों का सम्पूर्ण उपचार सरकारी खर्चे पर करने की मांग

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के गरीबी-रेखा के नीचे के निर्धनों को हृदय रोग तथा कैंसर व किडनी के घातक रोगों का सम्पूर्ण उपचार सरकारी खर्चे पर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

हृदय रोग, कैंसर व किडनी के घातक रोगों का उपचार विभिन्न सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधा के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के निर्धनों को उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी चिकित्सालयों के बाहर उपचार का खर्च वहन करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

यद्यपि सरकार द्वारा अपने चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है, निजी चिकित्सालयों में किए गये सभी चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से दो बातों की जानकारी करना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 26 परसेंट से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे निवास करते हैं। यह प्रश्न उन लोगों से जुड़ा हुआ है, सीधा-सीधा जिसके घर में जानलेवा बीमारी है, हृदय रोग, कैंसर, किडनी या लीवर ट्रांसप्लांटेशन जैसी समस्या अगर किसी के घर आती है, उसके घर में रोना धोना मचता है। आम आदमी के लिए यह इतनी बड़ी मुसीबत है और इलाज करवा पाना और सरकारी अस्पतालों की इतना धन होता नहीं है, दवाओं के लिए, जिससे उसका इलाज हो सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि वर्तमान सरकार जब से सत्ता में आई है क्योंकि मैंने मुख्य मंत्री जी के कई बयान अखबारों में पढ़े हैं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अस्पताल खोले जायेंगे, खासतौर से गरीबों के लिए खोले जायेंगे, हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन कम से कम ऐसी जानलेवा बीमारियों के लिए किस-किस अस्पताल में कितन-कितने लोगों को इलाज करने की सुविधा दी गयी, इन पांच महीनों में कितने लोगों का इलाज अब तक हुआ है ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने बताया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, व्यवस्था तो है कि क्लोरोक्वीन की गोलियां दे दें, बी0पी0एल0 का कार्ड बना हो, वह जाकर दिखा दें और अपना एक्सरे फ्री करा लें लेकिन मान्यवर, जो जानलेवा बीमारियां हैं, जिसके घर में हो जाती हैं उसके बर्तन बिक जाते हैं उसके बाद सिवाय रोने के दूसरा कोई चारा नहीं रहता

है। चाहे इन्श्योरेन्स के माध्यम से, चाहे किसी भी तरीके से सरकार को इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि आखिर इस समस्या का इलाज क्या है ? बाई पास सर्जरी में लगभग डेढ़ लाख रुपये खर्च होता है, 20 लाख रुपये खर्च होता है, कैंसर में, 24 लाख रुपया खर्च होता है, किडनी ट्रान्सप्लांटेशन में और जो डेंगू की बीमारी है, उसका एक-एक इंजेक्शन 15-15 हजार का आता है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब, आप प्रश्न उपस्थित करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि वर्तमान सरकार के आने से लेकर अब तक कितने लोगों के कैंसर का इलाज और जो बाईपास सर्जरी हुई है जो उत्तर आया है वह संतोषजनक नहीं है। यदि यह संतोषजनक होता तो मैं सदन का समय खराब नहीं करता, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आप संतोषजनक माहौल में खड़े तो रहें।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 खन्ना जी को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, आदरणीया मुख्य मंत्री जी की प्रायरटी पर चिकित्सा है और उसके प्रति हमारा विभाग बहुत गम्भीर है। सरकार ने नैफोटिक जो किडनी का जिक्र इन्होंने किया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज डाइलिसिस होती है। डाइलिसिस यूनिट हमारे पास चिकित्सकों का अभाव है। हम लोग लोक सेवा आयोग को भेजते हैं, न उपलब्ध होने के बावजूद भी जो संसाधन हमारे पास हैं, डाक्टर्स हैं, हमने 6 जगहों पर डाइलिसिस यूनिट खोले हैं, कैनी चिकित्सालय, बस्ती, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ जिला चिकित्सालय, मेरठ, जिला चिकित्सालय, बरेली एस0एस0पी0जी0 हास्पिटल, वाराणसी और पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, अलीगढ़ जहां पर डाइलिसिस की व्यवस्था है। कैंसर के इलाज की जो बात इन्होंने कही है, क्योंकि इसका इलाज बहुत मंहगा है, इसके बावजूद भी, चिकित्सा शिक्षा विभाग हमारे अधीन नहीं है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के अधीन है, वहां पर कैंसर के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था की जाती है। हृदय रोग जिसका इन्होंने जिक्र किया है, उस पर हमारे पास पूरे प्रदेश में मात्र 41 कार्डियोलजिस्ट हैं। संविदा पर हम लोगों ने चिकित्सकों की भर्ती प्रारम्भ की थी परन्तु कोर्ट का स्टे हो जाने के कारण हम भर्ती नहीं कर पाये हैं। हमने अधियाचन भेजा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन सभी बीमारियों में, यह मा0 सदस्य भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसमें व्यय बहुत ज्यादा होता है।

मान्यवर, हर व्यक्ति स्पेशलाइजेशन की ओर जाना चाहता है। निजी क्षेत्र में हम नर्सिंग होम के लिए मानक तैयार करने जा रहे हैं ताकि सस्ती चिकित्सा वहां पर उपलब्ध हो सके और सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध हो सके।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार में एक व्यवस्था बनायी थी कि जो जानलेवा बीमारियां हैं और जिनका इलाज जिले में नहीं किया जा सकता है या वहां पर दवा नहीं है

तो इस सम्बन्ध में पिछली सरकार ने निर्णय लिया था कि जो लोग ऐसी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं तो उनकी जिलों से रिपोर्ट पी0जी0आई0 को जाती थी और वहां के डाक्टर उसके इलाज के इस्टीमेट बनाकर शासन को भेजते थे कि इसमें इतना पैसा लगेगा और उतना पैसा आवेदन देने के बाद शासन उस आदमी के इलाज के लिए दे देता था तो क्या वह व्यवस्था आज भी लागू है या नहीं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हृदय रोग और कैंसर के इलाज के लिए मंहगा इलाज है। इसके बावजूद भी प्रदेश के जितने भी मेडिकल कालेज हैं और विशेष रूप से कानपुर का जे0के0 कैंसर संस्थान और कार्डियोलाजी संस्थान में इसकी व्यवस्था की गयी है और बी0पी0एल0 के नीचे के जो लोग हैं उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है। माननीय सदस्य ने कहा कि एस0जी0पी0जी0आई0 या अन्य संस्थानों द्वारा जो इस्टीमेट बनाया जाता है उसमें शासन से क्या व्यवस्था की जाती है तो मान्यवर, उसमें गुणदोष के आधार पर मुख्य मंत्री राहत कोष से जहां आवश्यकता होती है उसके लिए सहायता दिए जाने का प्राविधान पहले से ही उपलब्ध है और उसकी जांच कराने के उपरान्त ऐसा किया जाता है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जैसाकि अभी बताया गया कि इन बीमारियों के इलाज पर 20-25 लाख रुपये का खर्च आता है और सबका इलाज हो जाए ऐसा सम्भव हो नहीं सकता। आम आदमी बीमा योजना केन्द्र सरकार के द्वारा चलायी गयी और देश के प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर को बिना लागत के बिना प्रीमियम के बीमा किया गया। कृषि के लिए कृषि बीमा योजना है, पशुधन में पशुधन बीमा योजना है तो क्या यह सरकार आम आदमियों की गम्भीर बीमारियों के इलाज हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जरूर करेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी अनुपूरक का उत्तर देते हुए एक सूचना दी थी। हालांकि वह प्रश्न में नहीं था, आवश्यक भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास चिकित्सकों की बड़ी कमी है। लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है, कोर्ट का स्टे है। लेकिन उनके अनुपूरक के उत्तर में जो अनुपूरक बनता है वह मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैंसर, किडनी और हृदय रोग के इलाज के लिए आपको सुपर स्पेशियलिटी की सुविधाएं और स्पेशलिस्ट डाक्टरों की आवश्यकता होती है। आपने रिक्रूटमेंट के लिए लोक सेवा आयोग को जो अधियाचन भेजा है उसमें सुपर स्पेशियालिटी के डाक्टरों की नियुक्ति की बात नहीं है। तो क्या आप अपनी सूचना को संशोधित करना चाहेंगे या यह जो सामान्य डाक्टरों का रिक्रूटमेंट करेंगे उन्हीं से कैंसर और किडनी का इलाज करेंगे। आपने कहा कि मुख्य मंत्री राहत कोष से इलाज के लिए धन दिये जाने की व्यवस्था है। मान्यवर, पिछली सरकार में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे जो जितना धन गरीबों के इलाज के लिए दिया गया है वह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपने आप में मिसाल है। तो आपने

पिछले 6 महीने में गरीबों के इलाज के लिए मुख्य मंत्री राहत कोष से विवेकाधीन कोष से कितना पैसा दिया है। यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से हटकर है इसमें सूचना की आवश्यकता होगी। अगर मंत्री जी को जानकारी है तो दे सकते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को अवसर दे दें वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वैसे तो यह मूल प्रश्न से हटकर है इसमें सूचना की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद भी जानकारी देना चाहता हूं। मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिसमें प्रदेश में सुपर स्पेशिलिटी के प्राइवेट सेक्टर में प्रदेश सरकार का सहयोग होगा, उसके आधार पर हास्पिटल बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि तीस प्रतिशत गरीबों के इलाज की व्यवस्था की गयी है। यह सरकार गरीबों के प्रति चिन्तित है और उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन को भर्ती के लिए भेजा हुआ है, तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या मेडिकल आफिसर्स, जिनके लिए भेजा है, उन्हीं से किडनी और कैन्सर का इलाज करायेंगे ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष-

इसमें सूचना एकत्र करने की जरूरत है।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, सुपर स्पेशियलिटी के डाक्टर्स नहीं हैं और इन्हीं से ट्रीट करा रहे हैं यह मुझे मालूम है। मैंने इसलिए बताया कि गम्भीर बीमारी पर चर्चा हो रही है, हालांकि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि यह चिकित्सा शिक्षा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का विभाग है और मेरा उनसे कोआरडिनेशन है, इसलिए मुझे जानकारी थी। नियुक्ति के लिए अधियाचन चिकित्सा शिक्षा मंत्री दे चुके हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा, उन्होंने कहा कि डायलिसिस मशीन की एस0एस0पी0जी0 वाराणसी में व्यवस्था है, तो मैं बताना चाहूंगा कि विभाग तो था लेकिन कोई मशीन नहीं थी। मैंने पिछले साल अपनी विधायक निधि से डायलिसिस मशीन उपलब्ध करवायी है। आज जो विशेषज्ञ डाक्टर्स हैं उनकी वहां व्यवस्था कराने की और मौके को देखते हुए अतिरिक्त डायलिसिस मशीन भी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी तो क्या माननीय मंत्री जी इसका आश्वासन देंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, बिल्कुल करा देंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न पर जानकारी चाहूंगा। जो प्रदेश में सात सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल खोलने की बात कही गयी है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कौन-कौन हास्पिटल प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर बना रहे हैं। यह किन-किन जिलों में खुल रहे हैं और किसके माध्यम से खुल रहे हैं ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय महाना जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसकी एक बैठक जो हिन्दुस्तान के बड़े अस्पताल हैं, निजी क्षेत्र में निवेश के लिए एक बैठक दिल्ली में हुई थी जिसमें सभी बड़े-बड़े अस्पतालों ने शिरकत की थी। हम लोगों ने अपनी नीति उन्हें बताई, गरीबों के लिए हम क्या चाहते हैं वह हमने बताया, उसके बदले हम उनको क्या सहायता प्रदान करेंगे यह उनको बताया, उनकी तरफ से अभी जवाब आना बाकी है, हम लोग निरन्तर उनके सम्पर्क में हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सात जगह का जिक्र किया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि वह सात जगह कौन-कौन सी हैं ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब कुछ नहीं, माननीय सुरेश खन्ना जी आप पूछिये, आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अनिश्चित बात को ऐसे कहा गया, जैसे बड़ा सुनिश्चित हो, सात जगहों पर खोले जायेंगे कह दिया, जबकि अभी एक बैठक ही हुई है एक ही बैठक में यह पूरी तरह से सुनिश्चित हो गये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश सिंह आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने कहा संख्या बता दिया अभी उसके लिये बैठक हो रही है कि कहां-कहां खोले जायेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मेरा मानना केवल इतना था मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने पहला उत्तर बहुत संतोष के नजदीक दिया एक आश जगी। दूसरे मंत्री जी ने कहा कि अभी पहली बैठक हुई है और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा गया है तो सात जगह निश्चित कहां हुई ? उस हिसाब से तो अभी कुछ भी निश्चित नहीं हुआ, इसलिये पहले जरा इसको स्पष्ट कर दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जगह निश्चित है और उन जगहों पर प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करने के लिये बैठक हुई है। जगह मैं बता दे रहा हूं। जगह है-लखनऊ में है, आगरा में, आजमगढ़ में, बिजनौर में, जालौन में, सहारनपुर में और अम्बेडकर नगर में।

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना साहब अब आप बैठ जायें। माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने सारी स्थिति स्पष्ट करवा ली, अब कुछ नहीं रह गया है। अब मैं प्रश्न संख्या-3 ले रहा हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-3 पुकारे जाने पर एवं माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़े जाने के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने बोलने के लिये हमारा नाम पुकारा था, लेकिन माननीय मंत्री जी आगे बढ़ गये और प्रश्न संख्या-3 का उत्तर पढ़ने लगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको बोलने के लिये कहा था, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है और सारी स्थिति भी स्पष्ट हो गयी है, इसलिये अगला प्रश्न ले लिया गया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रश्नों के समय में व्यवस्था के प्रश्न नहीं उठाये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा चलिये, खन्ना साहब, बहुत संक्षेप में अपनी बात कह लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं सदन का कोई समय खराब नहीं करता हूं और न ही बिना वजह बोलता हूं, लेकिन मैं जो जानकारी चाहता हूं, उससे पूरे प्रदेश की जनता को लाभ होगा और खासतौर से इस सरकार की नीति जन-जन तक पहुंच जायेगी। मान्यवर, केवल एक बात पूछना चाहता हूं, आपका बयान स्वागत योग्य है, आपने कहा कि हम बीमा योजना के बारे में विचार करेंगे, लेकिन जब तक वह बीमा योजना का स्पेशलाइजेशन होगा तक तक क्या जानलेवा बीमारियों से ग्रसित जो लोग होंगे, ऐसे बी0पी0एल0 के लोग, उनको क्या कोई सर्टेन एमाउण्ट, जैसे बाईपास सर्जरी में डेढ़ लाख रुपया खर्च होता है, कैंसर में दो लाख तो कोई ऐसा सर्टेन एमाउण्ट यह सरकार, उन लोगों को देगी और उसके लिये क्या बजट में या अनुपूरक में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था करेगी, मान्यवर, बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है ताकि उन गरीबों को फायदा मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया, माननीय खन्ना जी, बैठ जायें। माननीय मंत्री जी, अभी आपने एक व्यवस्था दे दिया कि कुछ विवेकाधीन से माननीय मुख्य मंत्री जी देते हैं, ऐसे लोगों के लिये आपने कहा कि मैं कार्य-योजना बना रहा हूं, जहां-जहां हास्पिटल खोले हैं। तो क्या इनके लिये कुछ ऐसी और कार्य-योजना जो बना रहे हैं, इस पर विचार करेंगे।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, सुझाव सार्थक है, प्रदेश हित में भी है, इनकी भावनाओं को देखते हुए इस पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश में नर्सिंग संस्थानों द्वारा अवशिष्ट पदार्थों के फैलाव को रोकने की योजना

*3-श्री उदयभान करवरिया-

क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी नर्सिंग संस्थानों के द्वारा अवशिष्ट पदार्थों के फैलाव को रोकने व पारिस्थितिकी तंत्र को इसके प्रभाव से बचाने के लिये सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

नर्सिंग संस्थानों के द्वारा निकले हुए अवशिष्ट पदार्थों के फैलाव को रोकने व पारिस्थितिकी तंत्र को उसके प्रभाव से बचाने के लिये विश्व बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से पूरे प्रदेश में सरकारी तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता के आधार पर कुल 10 कॉमन वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी संयंत्र लगाये जाने हेतु उ0 प्र0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना द्वारा अनुबन्ध किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्राइवेट नर्सिंग होम में निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के लिये ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि 'कुल 10 कॉमन वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी संयंत्र लगाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना द्वारा अनुबंध किया जा चुका है।' इसका डिटेल भी उत्तर में आना चाहिए था। मान्यवर, यह प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है आप किसी भी सड़क से गुजरिये, चाहे टाउन एरिया हो, बड़ा कस्बा हो, अरबन एरिया का भाग हो, आज नर्सिंग होम सब जगह स्थापित हैं। शहरों में तो प्राइवेट नर्सिंग होम की भरमार है। अब तो बड़े गांवों में भी प्राइवेट नर्सिंग होम खुल रहे हैं या खुल गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न उपस्थित करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इतना बड़ा प्रदेश है और नर्सिंग होम की संख्या को देखते हुए कुल 10 ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाने की बात करना यह समझ से परे है। एक तो उनके स्थान बता दें जहां के लिये यह अनुबंध हुआ है। दूसरा यह भी बता दें कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सिंग होम स्थापित हैं वहां के अवशिष्ट पदार्थों के ट्रीटमेन्ट के लिये कोई योजना ला रहे हैं।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, जो 10 स्थानों की बात है, उसमें मेरठ, झांसी, गोण्डा, आगरा-अलीगढ़ यह कम्बांइण्ड हैं, बरेली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। यह जो 10 जगह बतायी गयी हैं यह एक पाइलेट प्रोजेक्ट है। इसके बाद हम पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं।

मान्यवर, जो नर्सिंग होम बनता है उसका निश्चित रूप से यह भी दायित्व होता है कि वह इसकी व्यवस्था करे। आप औद्योगिक क्षेत्रों को देख लें उनको प्रदूषण से बचाव के लिए पर्यावरण की रक्षा के लिये अपने यहां ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है। इसी तरह से हम नर्सिंग होम के लिये भी बहुत जल्दी ही ऐसी बात करेंगे। इसमें हाईकोर्ट के भी डाइरेक्शन हैं और भारत सरकार के सुझाव भी हैं, हम लोग निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में मानक लायेंगे ताकि वह नर्सिंग होम अनुशासन की परिधि में रहते हुए उन मानकों के पालन का काम कर सकें। मान्यवर, जो अवशिष्ट पदार्थों के फैलाव को रोकने की बात है यह उनका भी दायित्व है और सरकार भी निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में अपना काम करेगी।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, आपने कोई सर्वे कराया है जिससे यह पता चल सके कि कुल कितने अवशिष्ट पदार्थ के निकलने का काम होता है और उसमें से कितने वेस्ट मेटीरियल का ट्रीटमेंट कराने की योजना बनायी गयी है। मान्यवर, कुछ प्राइवेट तौर पर संस्थायें हैं जो इन्हें इकट्ठा करने का काम कर रही हैं। जनपद सहारनपुर में एक ऐसी प्राइवेट संस्था है जो इसको इकट्ठा करके ट्रीट करने का काम करने की बात करती है परन्तु वह उसे ले जाकर जंगल में फेंक आती है तो ऐसी संस्थाओं पर अंकुश लगाने का काम करेंगे ? आपने कहा कि एक योजना बनायेंगे जिसमें इन नर्सिंग होम के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी होगा। इसमें एक इन्सीलेटर होता है जो इसमें प्रयुक्त होता है क्या उसका प्रयोग अनिवार्य रूप से नर्सिंग होम में कराने का काम करेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

यह मान्यवर, सर्वे हुआ है और उसके बाद ही यह स्थान चुने गये हैं। निश्चित रूप से जब मानक हम निर्धारित कर देंगे जब जिम्मेदारी उनके ऊपर निर्धारित हो जायेगी तो निश्चित रूप से उस दिशा में उनको भी प्रयास करना पड़ेगा।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुल कितना उत्पादित होता है और उसमें कितने को ट्रीट करने की आपकी कार्य-योजना है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्पादन 100 टन हो और ट्रीट 20 टन का हो तो 80 टन वेस्ट वैसे ही बचा रह जाये ?

श्री अध्यक्ष-

इतना डिस्बैलेन्स नहीं करेंगे।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, उनकी संख्या कितनी है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो प्रश्न से हटकर पूछ रहे हैं, प्रश्न की परिधि में आयें तो ठीक है।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो नीति बनाई जा रही है उसमें कितनी संख्या निकलती है, कितने नर्सिंग होम हैं जिनके अवशिष्ट पदार्थों को ट्रीट करने की योजना सरकार बना रही है ?

श्री अध्यक्ष-

यही इमरान जी ने पूछा था जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं ट्रीटमेन्ट प्लांट लगा रहा हूं, उसको स्पष्ट किया था। आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जवाब आया है उसमें लिखा हुआ है कि नर्सिंग संस्थानों के द्वारा निकले हुए अवशिष्ट पदार्थों के फैलाव को रोकने व पारिस्थितिकी तंत्र को उसके प्रभाव से बचाने के लिए पूरे प्रदेश में सरकारी तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता के आधार पर कुल 10 कॉमन वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी संयंत्र लगाये जायेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी जो अस्पताल हमारे हैं जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं, मेडिकल कालेजेज हैं उनमें क्या इन्सीलेटर की फैसिलिटी उपलब्ध करा दी गयी है ? क्या यह जो 10 पायलेट प्रोजेक्ट के तहत चयन किया है स्थान, उन स्थानों पर जो ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे उनका कवरेज जैसे फर्ज कीजिए गोरखपुर में आपने लगाया तो क्या उस इन्सीलेटर में गोरखपुर के अगल बगल के जिले के जो कचड़े हैं अवशिष्ट है उनका ट्रान्सपोर्ट करके वहां पर उसको इन्सीनेट करने की सुविधा है ? इससे कौन-कौन से सरकारी और निजी अस्पताल कवर किये जायेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, जिलों की बात की है और जिलों में जो भी चिकित्सालय आयेंगे चाहे सरकारी हों या गैर सरकारी सबका ट्रीटमेन्ट किया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले से ही बड़े शहरों के लिए व्यवस्था की गयी थी कबाल टाउन्स के लिए कि नगर निगमों का यह दायित्व होगा कि जितने भी नर्सिंग होम्स हैं उनके वेस्टेज को वह उठाकर ले जायेंगे और उसके लिए एक खास रकम तय की गयी थी कि इतना होगा तो इतना देना पड़ेगा वह व्यवस्था लागू है या नहीं है और है तो उसे और प्रभावी करने पर विचार करेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

आदरणीय माननीय सदस्य जी, यह नगर विकास विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह प्रश्न नगर विकास विभाग से सम्बन्धित नहीं है बल्कि स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है। वेस्टेज तो आपका हुआ, नगर निगम उठाकर लेकर जायेगा। आपको कोई जानकारी है उसके बारे में ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

आप लिखकर दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो वेस्टेज थी उसको कलेक्ट करके, स्टोर करके नष्ट करने की एक व्यवस्था रही है, यह नगर निगमों में था और स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित था। क्या वह व्यवस्था आलरेडी रहेगी तथा इसको उत्कृष्ट करने के लिये क्या आप विचार कर रहे हैं ? यह माननीय आजम खां साहब जानना चाहते हैं।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जैसा कि माननीय सदस्य जी ने जानना चाहा है जो भी पिछली व्यवस्था रही है, वह व्यवस्था बदली नहीं गयी है, वह व्यवस्था सुचारु रूप से जारी है और उसको और सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में कदम उठाये जायेंगे।

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्राइवेट नर्सिंग होम हैं इनको हम किसी नियम में बांधने के लिये शासनादेश लाना चाहते हैं, इनको नियमों में बांधना चाहते हैं। ताकि इनका जो वेस्ट निकलता है, उसका यह ट्रीटमेंट प्लान्ट लगायें और उसका यह ट्रीटमेंट करें ताकि यह वेस्ट बाहर न फैले। यह तो मान्यवर, इनके हाथ की बात है। यह चाहें तो आज उसका नियम बना दें, चाहें तो कल बना दें। मान्यवर, इसमें इनको कितना समय लग जायेगा और कितने समय के अन्दर प्राइवेट नर्सिंग होम के लिये यह नियमावली बन जायेगी। जो नये खुलेंगे, वह तो इसकी परिधि में आ जायेंगे लेकिन जो मौजूदा प्राइवेट नर्सिंग होम्स चल रहे हैं, उनके यहां कितने समयबद्ध कार्यक्रम के तहत ट्रीटमेंट प्लान्ट लग जाये क्या इसकी कोई समयसीमा तय की गयी है, इसका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष-

इसका जवाब तो जी हां में आ गया है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, हम समय सीमा जानना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपना पूरा उत्तर दे दिया है। जो यह नर्सिंग होम से सम्बन्धित नियम बनाने की बात है उसके लिये 3 महीने की जरूरत पड़ेगी।

प्रदेश में नकली दवाइयों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने की मांग

*4-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि नकली दवाइयों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश न लग पाने से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है ? क्या यह भी सही है कि अनर्ह अधिकारियों द्वारा अन्धाधुन्ध लाइसेन्स जारी करने एवं योग्य ड्रग इन्सपेक्टरों एवं आवश्यक लैब की कमी के कारण इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नकली दवाओं पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु कोई कारगर उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

नकली दवाओं के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु शासन द्वारा कड़े कदम उठाये गये हैं। नकली दवाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जुलाई, 2007 से 30 सितम्बर, 2007 तक प्रदेश में विशेष छापामार अभियान चलाया गया। इस अभियान में कुल 1381 छापे मारे गये, 28 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, 25 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया और कुल 2546 नमूने लिये गये। इन नमूनों में जांचोपरान्त नकली/अधोमानक पाये गये प्रकरणों में मुकदमें योजित करा दिये गये हैं।

प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप अर्ह औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा ही लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में कार्यरत सभी औषधि निरीक्षकों की योग्यता औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तद्विषयक नियमावली, 1945 के अनुसार है। औषधि निरीक्षकों की संख्या तथा प्रयोगशाला की विश्लेषण क्षमता कार्यभार की तुलना में कम है। शासन नकली दवाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु कृत संकल्प है।

नकली दवाओं पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु जुलाई, 2007 से 30 सितम्बर, 2007 तक प्रदेश में विशेष छापामार अभियान चलाया गया। नकली दवाओं के निर्माण एवं बिक्री में लिप्त व्यवसायियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गयी है। प्रदेश के दवा व्यवसाय की बाहुलता वाले 12 जनपदों में अक्टूबर, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक विशेष छापामार अभियान चलाया जा रहा है। औषधि निरीक्षक एवं प्रयोगशालाओं की क्षमता वृद्धि की कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, यह प्रश्न जनस्वास्थ्य और जनजीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर है। मैंने यह जानना चाहा था और इस पर बल देना चाहा था कि नकली दवाइयां बनाने, बेचने और इस कारोबार में जो भी लोग लगे हुए हैं, उन पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस पर अंकुश लगाने के लिए जहां ईमानदार लोगों की और पर्याप्त हैण्ड्स की आवश्यकता है, वहीं सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि जितने लोगों की आवश्यकता है, उसके अनुसार लोग कम हैं और प्रयोगशालाएं भी कम हैं और उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। जैसा कि मैंने देखा कि यूपीकोका में भी जो उपबन्ध किये गये हैं उनमें भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान है जो कि स्वागत योग्य है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने एक तरफ तो कमी को स्वीकार किया है और अन्त में यह भी कहा है कि कार्रवाई विचाराधीन है तो मान्यवर, मेरा विचार है कि कार्रवाई विचाराधीन तो नहीं होनी चाहिए बल्कि आपको यह बताना चाहिए कि इतने दिनों के अन्दर हम इस व्यवस्था को लागू कर देंगे, इसे मैं जानना चाहूंगा। मैं यह भी मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 12 जिलों को आपने चिन्हित किया है, वह जिले कौन-कौन से हैं तथा जो आपने कहा है कि दवा व्यवसाय की बहुलता वाले जिलों को चिन्हित किया है और अक्टूबर, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक विशेष छापामार अभियान चलाया जा रहा है, तो इस पीरियड में आपकी उपलब्धि क्या रही है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि औषधि नियंत्रक संगठन को सुदृढ़ करने के लिए आज ही मुख्य सचिव के यहां एक बैठक है जिसमें हम औषधि नियंत्रकों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में 47 कार्यरत हैं, 70 की आवश्यकता है और इसमें से तीन लोग निलम्बित हैं। हमने जो 12 जनपद चिन्हित किये हैं उसमें कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर तथा वाराणसी है। इन जनपदों में नकली दवाओं का कारोबार जैसी कि हमारे पास सूचनाएं थीं बहुत जबर्दस्त रूप से चल रहा था। निश्चित रूप से यह पहली बार हुआ है जब इस दिशा में जो कदम उठाये गये हैं, वह बहुत सख्त उठाये गये हैं। चूंकि यह सीधे जीवन से जुड़ा प्रश्न है इसलिए जो भी ऐसा करते हुए पाया जायेगा निश्चित रूप से दण्ड का पात्र होगा और बख्शा नहीं जाएगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो छापामारी के सम्बन्ध में परिणाम बताया है, वह जुलाई, 2007 से 30 सितम्बर तक का है, मैंने यह जानना चाहा कि उसके बाद अब तक का क्या परिणाम है, आपने कितने छापे मारे, कितने लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की, यह बताने की कृपा करें ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, कार्रवाई अभी रुकी नहीं है, कार्रवाई निश्चित रूप से प्रारम्भ है, कार्रवाई चल रही है और संख्या की सूचना आपको दे दी जायेगी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने अपने उत्तर के पैरा-3 की आखिरी लाइन में कहा है कि औषधि निरीक्षक और प्रयोगशालाओं की क्षमता वृद्धि की कार्रवाई विचाराधीन है। मैं इस सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि नकली दवाओं के परीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी प्रयोगशालायें हैं और ये प्रयोगशालायें कहां-कहां हैं और क्या सरकार और अधिक प्रयोगशालायें बनाने पर विचार करेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, वर्तमान में एक प्रयोगशाला है जो लखनऊ में है और इसकी संख्या को निश्चित रूप से बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं तथा कार्यवाही सुनिश्चित हो चुकी है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, नकली दवाओं के निर्माण एवं बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जो सैम्पुल भरे गये वह जांच के लिए कहां भेजे गये थे ? हम लोगों की सूचना है कि प्रदेश की कोई प्रयोगशाला काम नहीं कर रही है और इन सैम्पुल्स को जांच के लिए कोलकाता भेजा जाता है। कोलकाता की प्रयोगशाला ने जांच करने से मना कर दिया है और बिना जांच के सैम्पुल्स वापस चली आती हैं। अब सवाल यह है कि आप जांच करवा नहीं रहे हैं तो छापे क्यों मरवा रहे हैं ? क्या जांच की कोई रिपोर्ट आयी है अगर है तो 2546 नमूनों में क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, यह रिपोर्ट बड़ी विस्तृत है। आपको लिखकर दे दी जायेगी। कुल छापे डाले गये 1381, कुल लिये गये नमूनों की संख्या 2546 और 28 व्यक्ति गिरफ्तार हुए तथा 25 प्रकरणों में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया। विश्लेषित नमूनों की संख्या 254 है। नकली पाये गये नमूनों की संख्या 9 है, निरस्त किये गये निर्माण लाइसेन्सों की संख्या 8 है और अभियान से पूर्व प्रकरण में दायर किये गये वादों की संख्या 5 है।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जुलाई, 2007 से 30 सितम्बर, 2007 तक ...

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जन-स्वास्थ्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर यह सरकार केवल सदन को गुमराह कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है और अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने में असफल है, इसलिए इसके विरोध में मैं अपने दल के माननीय सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी अपने दल के माननीय सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार कर गये)

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जुलाई, 2007 से 30 सितम्बर, 2007 तक कितने नमूने जांच के लिए भेजे गये ? जांच में कम से कम कितना समय लगता है और कितने नमूने बगैर परिणाम के रह गये हैं, वह संख्या बताने का कष्ट करें ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसका पूरा उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप इसका उत्तर देखिये, प्रथम प्रस्तर में पूरी बात बता दी गयी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अनूप गुप्ता जी अपनी बात कहना चाह रहे थे, आपने अनुमति भी दी लेकिन इनकी बात नहीं आ पायी। उस समय नर्सिंग होम की बात चल रही थी और यह प्रश्न पूछना चाह रहे थे। मान्यवर, सीतापुर के श्री सुरेश कुमार गुप्ता नाम के व्यक्ति द्वारा तीन लाख सत्तर हजार रुपया मेयो मेडिकल सेण्टर, लखनऊ मे देने के बावजूद उनकी लाश को रोके रखा गया है। क्या आप उसकी लाश दिलवा देंगे, केवल इतना सा प्रश्न है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए किसी नियम में लिखित रूप से दे दीजिए, मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

लाश भी नियमों के अन्तर्गत उठाई जाएगी। इतने बड़े खजाने की बात संसदीय कार्य मंत्री जी कर रहे हैं लेकिन एक गरीब मजदूर की लाश पड़ी हुई है उसके लिए भी लिखा-पढ़ी की जाएगी, नियमों में पढ़कर बताएं तब लाश उठेगी। हम सरकार के सामने एक ज्वलंत स्थिति रख रहे हैं बताएं उसकी लाश को दिलवाने में मंत्री जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे या सरकार उस पैसे को देगी। यहां पर कहा जा रहा है कि इसके लिए लिखा पढ़ी कीजिए, सुबह नौ बजे इस प्रश्न को लगाइए इससे तो सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है। एक माननीय सदस्य यह स्थिति उठा रहे हैं उस पर सरकार का दृष्टिकोण यह है कि लाश पड़ी रहे। संसदीय कार्य मंत्री जी नियम की बात करेंगे तो आखिर मानवता भी कोई चीज है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह लोग स्वयं कितने चिन्तित हैं कि सुबह से सदन चल रहा है लेकिन इस समय इस प्रश्न को उठा रहे हैं। केवल वाह-वाही लूटने के लिए उन्होंने यह प्रश्न किया है। अगर गरीबों के प्रति यह चिन्तित होते तो सदन के पहले ही यह प्रश्न उठाते।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह टेक्निकल मामला नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रश्न यह चल रहा था कि नकली दवाइयों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश न लग पाने से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उसी के मध्य अगर कोई दूसरा प्रश्न उठाया जाएगा तो उसके लिए सरकार को सूचना की आवश्यकता होगी। सूचना प्राप्ति के बाद ही कोई उत्तर दिया जाएगा बिना सूचना के क्या उत्तर दिया जाय ?

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, सदन की परम्परा रही है कि अगर कोई गम्भीर सूचना सदन को दी जाती है तो वह किसी भी वक्त दी जा सकती है। इसके लिए नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। यह सदन परम्पराओं से चलता है। अगर अचानक कोई गम्भीर बात उठती है तो उसके लिए यह कह देंगे कि आपने पहले क्यों नहीं दी ? मानवता भी होती है। हमने तो अखबारों में पढ़कर सहायता दी है। अगर हमने सुबह अखबार में पढ़ा कि गांव में कोई बीमार पड़ा हुआ है उसको कोई देखने वाला नहीं है तो हमने उसको सहायता देने का काम किया। दो बच्चों के बारे में अखबार में पढ़कर सबेरे ही टेलीफोन करके बुलवाया और पैसा दिया। यह होती है मानवता लेकिन यह सरकार संवेदनहीन है। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि वाहवाही लूटने के लिए हम ऐसा कह रहे हैं इसमें हम क्या वाहवाही लूटेंगे। गम्भीरता से बात करनी चाहिए मनमाने तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए। बहुत गरीबों की बात करते हैं। आपको सूचना दी गई है कि वहां लाश पड़ी है।

श्री लालजी वर्मा-

अध्यक्ष जी, इस समय प्रश्न प्रहर चल रहा है। प्रश्नों के सम्बन्ध में जो सूचनाएं हैं उन पर जवाब दिया जा रहा है। अचानक कोई सूचना आती है तो उस सूचना का जवाब देने के लिए समय

की आवश्यकता होगी। जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उत्तर दिया जा सकता है। जब सदन बैठता है उस समय सदस्य अगर उठाना चाहते तो वह उठा सकते थे। इसके अलावा 12.20 बजे जब प्रश्न प्रहर समाप्त होता है उस समय भी उठा सकते हैं।

आप अगर प्रश्न पूछ कुछ रहे हैं तो उत्तर कुछ और नहीं दिया जा सकता है। नियमों में क्या है ? प्रश्नों से सम्बन्धित प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। सरकार गरीबों की हितैषी है और उनके हित के लिये हर संभव कार्यवाही करने के लिये तत्पर है इसमे कोई दो राय नहीं है। उनके प्रति सम्वेदनशील और गम्भीर है और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी की जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, लाश दिलवा दीजिये।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या-5 पुकारे जाने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, या तो कह दें कि 12.20 के बाद यह उसके बारे में जानकारी करके सूचना दे देंगे और उस पर कार्यवाही करा लेंगे। अगर कार्यवाही नहीं करा सकते हैं तो हम समाजवादी पार्टी जो शेष डेढ़ लाख बचा है वह दे देंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने पहले ही कहा कि सूचना प्राप्त करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आवश्यक कार्यवाही क्या होती है ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इस सदन में परम्परा रही है और बहुत बार होता रहा है कि माननीय सदस्य ने ऐसी कोई सूचना दी है तो उसकी गम्भीरता को मानते हुए कार्यवाही की गई है।

प्रदेश में सिन्थेटिक मावा व दूध की सामग्री की रोकथाम हेतु कार्यवाही

*5-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिन्थेटिक मावा व दूध तथा इससे निर्मित अन्य दुग्ध सामग्री की रोकथाम हेतु सरकार की कोई कार्य योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

भारत सरकार के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954/रूल्स 1955 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में सिन्थेटिक मावा व दूध तथा इससे निर्मित अन्य दुग्ध सामग्री की रोकथाम हेतु कार्यवाही सम्पन्न करायी जाती है।

प्रत्येक मण्डल/जनपद में तैनात स्वास्थ्य विभाग के मुख्य खाद्य निरीक्षकों/खाद्य निरीक्षकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगर विकास विभाग के खाद्य निरीक्षकों द्वारा शहरी क्षेत्रों में दूध की निर्माण इकाइयों एवं सम्बन्धित डेरियों, कलेक्शन केन्द्रों तथा टैंकरों की विशेष साप्ताहिक जांच व संदिग्ध पाये जाने पर नमूना संग्रह तथा पुलिस की सहायता से विशेष छापामार अभियान चलाया जाता है।

दुग्ध एवं उससे निर्मित खाद्य पदार्थों का नमूना संग्रह कर जांच हेतु राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। नमूना अपमिश्रित पाये जाने पर दोषी निर्माता/विक्रेता के विरुद्ध अभियोजन दायर करने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के अस्पतालों में बाढ़ पीड़ितों के लिए दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था

*6-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अस्पतालों में एलोपैथिक दवाओं की कमी के कारण बाढ़ से प्रभावित लोगों को काफी परेशानी हो रही है ? क्या सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए दवाओं की समुचित व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जी नहीं।

बाढ़ पीड़ितों के लिए दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लालजी यादव-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिद्धार्थनगर जिला चिकित्सालय में इन्सेफलाइटिस और डेंगू के मरीज गोरखपुर मेडिकल कालेज रिफर नहीं किये जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में बाढ़ के कारण इस तरह की बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिये आज की तारीख में दवा उपलब्ध है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर की जनसंख्या और वहां पर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए चिकित्सालयों में एलोपैथिक दवायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई हैं। कहीं कोई कमी नहीं है। सी0एम0ओ0 को वर्ष 2007-08 में एलोपैथिक दवाओं के लिये 13-6-2007 को 18,37,927 रुपये दिया गया है तथा जिला चिकित्सालय को 10,51,126 रुपये दिया गया है। भारत सरकार की एक टीम आई थी जिसने 24 अगस्त से 27 अगस्त तक यहां बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया और उसने आंकलन करने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इस ओर किये गये कार्यों की सराहना की है। निश्चित रूप से सिद्धार्थनगर में बजट और दवा की कोई कमी नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिद्धार्थनगर जनपद की जनसंख्या के हिसाब से और मरीजों के हिसाब से जो धन आपने बताया कि

इतना दिया गया है क्या वह पर्याप्त है ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल मलेरिया ही नहीं, मस्तिष्क ज्वर ही नहीं, कॉलरा का भी भीषण प्रकोप हो रहा है।

मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से आपके अधिकारियों से सम्पर्क किया। वहां ग्लूकोज तक नहीं है। ग्लूकोज के लिए लोग प्राइवेट दुकानों पर जा रहे हैं वहां कालरा का भीषण प्रकोप है ग्लूकोज लोग प्राइवेट लाकर मरीजों को चढ़वा रहे हैं। मैंने जब वहां के अधिकारियों से पूछा कि दवायें क्यों नहीं हैं तो उन्होंने कहा कि रेट कान्ट्रेक्ट हुआ नहीं, खरीदा नहीं गया। कारपोरेशन को खरीदना था इसलिए दवायें उपलब्ध नहीं है। कान्टेन्जेंसी में कोई पैसा उपलब्ध नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कि एक टीम भेजकर जांच करा लें कि वहां कितनी दवायें हैं। अगर ग्लूकोज तक उपलब्ध नहीं है तो कौन सी दवायें हैं। आप एक टीम बनाकर भेज दें। सैकड़ों आदमी मेरे क्षेत्र में मर गए हैं और मैंने खुद ग्लूकोज की व्यवस्था कराई है। मैंने सी0एम0ओ0 और इनके उच्च अधिकारियों से बात की है सबने कहा व्यवस्था करा रहा हूं। लेकिन वहां जिला मुख्यालय पर दवा है नहीं। वह कहते हैं रेट कान्ट्रेक्ट नहीं है, कारपोरेशन खरीदेगा हमारे पास पैसा नहीं है। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया वहां ग्लूकोज के लिए उस क्षेत्र को दिया है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, ग्लूकोस के लिए अलग मद नहीं होता है जितना पैसा उपलब्ध कराया गया है वह हमने बता दिया है। गोरखपुर मैं स्वयं गया था वहां पूरे मण्डल के जितने भी सी0एम0ओ0 थे उनको बुलाया गया था। सब लोग उस बैठक में आए थे, वहां स्पष्ट प्रश्न पूछा था किसी ने भी दवा की कमी नहीं बताई। सारे जनपद के सी0एम0ओ0 ने और सी0एम0एस0 ने बताया था कमिश्नर मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गोरखपुर मौजूद थे वहां किसी ने किसी प्रकार की कमी नहीं बताई।

श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से एक सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं सिद्धार्थनगर में सी0एच0सी और सारे अस्पतालों में सब दवायें उपलब्ध हैं अगर दवायें उपलब्ध हैं तो सिद्धार्थनगर के मरीजों को गोरखपुर क्यों स्थानान्तरित किया जा रहा है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि किटिकल कैब यूनिट जहां तक मस्तिष्क ज्वर के मरीज जो गम्भीर रूप से बीमार होते हैं उनका इलाज होता है वह गोरखपुर बी0आर0डी0 कालेज में है। मस्तिष्क ज्वर जिन्हें हो जाता है उनका इलाज एक चरण होता है अगर नहीं क्योर हो पाता है तो उनको रिफर इसलिए कर दिया जाता है कि उनका इलाज सुचारु रूप से हो सके।

श्री उदयराज-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने मस्तिष्क ज्वर के मरीज अब तक सिद्धार्थनगर से गोरखपुर ट्रांसफर किए गए हैं। मा0 मंत्री जी ने कहा है कि मस्तिष्क ज्वर से सम्बन्धित मरीजों का ट्रीटमेन्ट वहां संभव नहीं है इसलिए गोरखपुर भेजा गया है। कितने मरीज भेजे गये हैं यह मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें तो सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है।

सोलंकी साहब प्रश्नों का समय खत्म हो गया है।

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी आप किन नियमों में बोल रहे हैं, इनकी बात नहीं नोट की जाय।

प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की नीति

*7-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश के कितने प्रतिशत नागरिकों को प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाता है ? क्या सरकार ने अपने संसाधनों से प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों व निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

जी हां।

वर्तमान में प्रदेश में सरकारी संसाधनों द्वारा प्रदेश वासियों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सेवाओं की योजना व विवरण निम्नवत् है :-

1-राजकीय जिला चिकित्सालय	55
2-राजकीय जिला महिला चिकित्सालय	58
3-जिला स्तरीय चिकित्सालय (पुरुष/महिला)	11
4-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	426
5-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3089
6-उप केन्द्र	20521

उपर्युक्त के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 2007-2008 के बजट में मण्डल मुख्यालयों पर 300 शैय्या के संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु रु0 20.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार चिकित्सालयों में रोगी आश्रय स्थल, जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था तथा ब्लड बैंक के भवनों के निर्माण आदि की व्यवस्था बजट में कराई गई है।

साथ ही प्रदेश के मण्डलीय स्तर पर जिला चिकित्सालयों में क्षेत्रीय निदान केन्द्रों की स्थापना की गयी है जिनको विशिष्ट उपकरणों से सुसज्जित करते हुए जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड इलाहाबाद द्वारा चयनित प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ताओं का समायोजन कराये जाने की मांग

*8-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा सन् 2001 से सन् 2005 तक चयनित प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ताओं का समायोजन अभी तक किसी विद्यालय में नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ताओं का समायोजन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्रा)-

जी हां।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा चयनित अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से पैनल भेजे जाने के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके हैं, उनके समायोजन हेतु चयन बोर्ड नियमावली की धारा-13 में समायोजन की व्यवस्था की गयी है, जिसमें समायोजन का अधिकार चयन बोर्ड में निहित है। वर्तमान में चयन बोर्ड अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण समायोजन में वैधानिक कठिनाई है। चयन बोर्ड अध्यक्ष पद पर शीघ्र ही नियुक्ति कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में गिरते भू-जल स्तर को रोकने के उपाय

*9-श्री राजाराम त्यागी-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में लगातार गिरते भू-जल स्तर को रोकने के लिए सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लखीराम नागर)-

जी हां, गिरते हुए भू-जल स्तर के दृष्टिगत वर्षा जल संरक्षण एवं भू-जल रिचार्ज हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, जल निगम, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों के जीर्णोद्धार/निर्माण, चेकडैम का निर्माण आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

उक्त के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "आदर्श जलाशय योजना" भी आरम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

*10-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ में गिरते भू-जल स्तर के रोकने के उपाय

*11-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लघु सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में वर्ष 1991 से अब तक भू-गर्भ जल में गिरावट प्रतिवर्ष लगभग 85 सेंटीमीटर तक हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भू-गर्भ जल स्तर को रोकने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाखीराम नागर-

जी हां, विगत वर्षों में लखनऊ शहर में भू-जल स्तर में गिरावट दृष्टिगोचर हुई है।

भूगर्भ जल स्तर को रोकने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज योजना के अन्तर्गत बहु आयामी रणनीति पूरे प्रदेश के लिए अपनायी जा रही है जिसमें लखनऊ जनपद भी सम्मिलित है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भू-जल संवर्द्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं।

उक्त के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 करोड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 200 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रुफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 200 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में ग्रुप रिचार्ज स्कीम स्थापित कराने का प्राविधान भी किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में निर्मित होने वाली आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सीवेज नेटवर्क के साथ-साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल रिचार्ज हेतु पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जायेगा।

(5) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत, जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनमें अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागतम जल स्रोतों की सफाई के निर्देश दिये गये हैं।

(7) भू-गर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जन मानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में भू-गर्भ जल दिवस शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(8) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "आदर्श जलाशय योजना" आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर के सुधार हेतु कार्ययोजना

*12-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गिरते भू-गर्भ जल स्तर के सुधार हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

गिरते हुए भू-जल स्तर की समस्या के निदान हेतु प्रदेश में बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अन्तर्गत भू-जल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं। इसमें तालाबों के जीर्णोद्धार/निर्माण, चेकडैम का निर्माण, रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना आदि योजनायें सम्मिलित हैं।

उक्त के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज किये जाने के नीतिगत निर्णय लिये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश एवं व्यवस्थायें/प्राविधान किये गये हैं :-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भू-जलरिचार्ज की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार एवं नये तालाबों के निर्माण कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(ii) शासन द्वारा यह व्यवस्था भी की गयी है कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(iii) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(iv) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(v) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(vi) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्ग मी0 अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेटिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 200 वर्गमी0 के कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 200 वर्गमी0 अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा। पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में

निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(vii) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(viii) प्रदेश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिंग कार्यक्रमों व योजनाओं की नियमित समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों की 'कार्यकारी समिति' का गठन किया गया है।

(ix) प्रत्येक जनपद हेतु वर्षा जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज योजनाओं तकनीकी समन्वय तथा प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय 'तकनीकी समन्वय समिति' का गठन किया गया है।

(x) भू-गर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जन मानस में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 10 जून को "भू-गर्भ जल दिवस" शासकीय दिवस के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(xi) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "आदर्श जलाशय योजना" आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर में विद्यालय विहीन ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की योजना

*13-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद फतेहपुर में प्राथमिक विद्यालय विहीन ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में मानक के अनुसार 9 ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है। इनमें से वर्ष 2007-08 में 2 ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है ?

वर्ष 2007-08 में 2 ग्रामों भोलापुर तारापुर तथा राराचांदपुर में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु स्थल चयन किया जा चुका है। शेष ग्रामों में विद्यालय खोलने हेतु आगामी वर्षों में कार्य योजना भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा व मेरठ मण्डल में आलू पर आधारित इकाई लगाने की योजना

*14-डा0 अनिल चौधरी-

क्या खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा व मेरठ मण्डल आलू पर आधारित इकाई लगाने की शासन की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री आनन्द सेन यादव)-

खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उत्पादकों/निदेशकों को इकाई/उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभाग द्वारा स्वयं कोई उद्योग लगाने की योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत दाइयों को मानदेय देने पर विचार

*15-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत दाइयों को सरकार मानदेय देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित आर0सी0एच0 (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य) कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार कल्याण विभाग के मुख्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों में तैनात दाईयों को प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

*16-श्री उदयराज यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए बी0एड0 तथा विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 में चयन/प्रशिक्षण के उपरान्त शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

प्रक्रिया पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में एन0आई0सी0 एवं वित्त तथा लेखाधिकारी (बेसिक) कार्यालयों में सम्बद्ध अध्यापकों के सम्बन्ध में जानकारी

1-श्री लल्लू सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एन0आई0सी0 एवं वित्त तथा लेखाधिकारी (बेसिक) कार्यालयों में कितने अध्यापक सम्बद्ध हैं ? क्या इन कार्यालयों में शिक्षकों का सम्बद्धीकरण नियमानुकूल है ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी तथा शिक्षकों का सम्बद्धीकरण समाप्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रदेश के जनपदों में वर्तमान में कोई शिक्षक सम्बद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय गोण्डा में सम्बद्ध फार्मेसिस्ट को समाप्त करने की मांग

2-श्री सुखलाल-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय गोण्डा में कितने फार्मेसिस्ट सम्बद्ध हैं ? क्या शासनादेश के प्रतिकूल सम्बद्धीकरण को समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जिला चिकित्सालय, गोण्डा में 03 एवं महिला चिकित्सालय, गोण्डा में 01 फार्मेसिस्ट सम्बद्ध थे।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा के आदेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2007 द्वारा उक्त फार्मेसिस्टों के सम्बद्धीकरण को समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने के लिये मानक

3-डा0 अनिल चौधरी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने हेतु राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने के लिये क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ? क्या सरकार यह बतायेगी कि जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रदेश की वर्तमान अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना में महाविद्यालय स्थापित करने को बढ़ावा देने की शासकीय नीति है। जनपद में राजकीय महाविद्यालय सिकन्दराराऊ (हाथरस) पूर्व से संचालित है तथा मुख्यालय पर 03 अशासकीय एवं जिले में 12 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय पूर्व से संचालित हैं।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी में बालिकाओं हेतु डिग्री कालेज स्थापित करने की मांग

4-श्री लालजी यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांसी विधान सभा क्षेत्र जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील मुख्यालय पर बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कालेज स्थापना की सरकार के पास कोई कार्य योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

बांसी तहसील मुख्यालय पर सहशिक्षा का रजन सेन महाविद्यालय बांसी सिद्धार्थनगर संचालित है।

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों की पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी व प्रधानाध्यापकों के पद हेतु बैकलाग की कार्यवाही

5-श्री पूरन प्रकाश-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ब्लाक फरह, गोवर्धन एवं मथुरा की प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी है तथा क्या जिले में अनुसूचित जाति के प्रधानाध्यापकों के पदों पर शासन की नीति के अनुसार आरक्षण पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्राथमिक पाठशालाओं के प्रधानाध्यापकों के पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं, पदोन्नति की प्रक्रिया गतिमान है। बैकलाग युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दे दिये गये हैं। कार्यवाही गतिमान है।

6-चौ0 सत्यपाल सिंह-

[पहले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के खलीक अहमद उस्मानी कन्या इण्टर कालेज पड़रिया तुला खीरी की इण्टर विज्ञान वर्ग की मान्यता की मांग

7-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के खलीक अहमद उस्मानी कन्या इण्टर कालेज, पड़रिया तुला खीरी की इण्टर विज्ञान वर्ग की मान्यता हेतु आवेदन-पत्र लम्बित है ? यदि हां, तो जनहित में सरकार कब तक मान्यता दे देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्नगत विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में संभागीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 17-10-2006 में विचार किया गया। मान्यता समिति द्वारा विद्यालय में विद्यमान कमियों के कारण आवेदित मान्यता हेतु अर्ह नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड रमियां बेहड़ के ग्राम कफारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की जानकारी

8-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड रमियां बेहड़ के ग्राम कफारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय में चिकित्सा कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 31-08-2007 द्वारा प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण हेतु दस माह का समय निर्धारित है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कफारा किराए के भवन में चल रहा है। स्वीकृत भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त उक्त चिकित्सालय में कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय डिग्री कालेज ढिडुई को उच्चीकृत करने की मांग

9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय डिग्री कालेज ढिडुई को उच्चीकृत करते हुए पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं प्रारम्भ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं। वर्तमान में जनपद प्रतापगढ़ में 04 राजकीय महाविद्यालय 07 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं 20 अनानुमोदित/स्ववित्त पोषित संचालित है तथा जिसमें 07 अशासकीय महाविद्यालयों में से 05 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

छात्र संख्या पर्याप्त न होने के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी के प्राइमरी पाठशाला नारंगपुर में निर्मित कक्षों की तकनीकी जांच

10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के प्राइमरी पाठशाला नारंगपुर के नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षों एवं नोही, उमरपुर के मुख्य भवन के निर्माण में की

गयी अनियमितता की समयबद्ध जांच मुख्यालय की तकनीकी समिति से कराने हेतु निर्देश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को दिनांक 19-10-2007 द्वारा तकनीकी जांच के निर्देश भेजे जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामाया नगर (हाथरस) के महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय सिकन्दराराऊ में मानक के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

11-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर (हाथरस) में बी0ए0 प्रथम वर्ष एवं बी0 ए0 द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 इलाहाबाद से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण।

12-श्री यशपाल सिंह चौहान-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालयों की संख्या

13-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में 14 अगस्त, 2007 तक कितने संस्कृत महाविद्यालय संचालित थे ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए मदरसा विद्यालयों की भांति कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

415 संस्कृत महाविद्यालय संचालित थे।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के राजकीय इण्टर कालेज एवं केश कुमारी बालिका राजकीय इण्टर कालेज को दो शिफ्टों में चलाये जाने की योजना

14-श्री अनूप सण्डा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिला मुख्यालय में स्थापित राजकीय इण्टर कालेज एवं केश कुमारी बालिका राजकीय इण्टर कालेज को दो शिफ्टों में चलाने की

कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना विद्यालयों में कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की मांग

15-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महाविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रदेश की कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना में महाविद्यालय स्थापित करने को बढ़ावा देने की शासकीय नीति निर्धारित है। जनपद में एक शासकीय 03 अशासकीय तथा 09 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद द्वारा डा0 आशीष तिवारी, प्रवक्ता की लक्ष्मी यदुनन्दन महाविद्यालय कायमगंज जिला फर्रुखाबाद में नियुक्ति की जांच

16-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या डा0 आशीष तिवारी, प्रवक्ता, लक्ष्मी यदुनन्दन महाविद्यालय कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में अस्थायी तौर पर उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2006-07 हेतु नियुक्त किये गये हैं ? क्या यह सही है कि इनकी नियुक्ति एस0 जी0 आर0 महाविद्यालय, तालग्राम, जिला कन्नौज में भी उसी अवधि में की गयी है ? यदि हां, तो शासन उक्त महाविद्यालय के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय अस्पतालों में विशेषज्ञों की तैनाती की मांग

17-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जनपद के टी0 बी0 सप्रू अस्पताल, (बेली अस्पताल), स्वरूपरानी चिकित्सालय एवं मोतीलाल नेहरू अस्पताल में फिजीशियन,

सर्जन, दन्त विशेषज्ञ, आर्थोपेडिक्स, चर्म रोग विशेषज्ञ, कान-नाक गले विशेषज्ञों आदि की कमी है ? यदि हां, तो उक्त कमी को कब तक दूर कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

टी0 बी0 सप्रू अस्पताल (बेनी अस्पताल), इलाहाबाद में 04 फिजीशियन, 01 दन्त शल्यक, 01 आर्थोसर्जन कार्यरत हैं। उक्त चिकित्सालय में 02 सर्जन, 01 आर्थोसर्जन, 01 चर्मरोग विशेषज्ञ एवं 01 कान-नाक-गला विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त हैं।

मोती लाल नेहरू जिला चिकित्सालय में 01 फिजीशियन, 03 सर्जन, 01 दंत शल्यक, 03 आर्थोपेडिक सर्जन, 01 चर्मरोग विशेषज्ञ व 02 नाक कान गला विशेषज्ञ कार्यरत हैं। उक्त चिकित्सालय में 02 फिजीशियन के पद रिक्त हैं।

स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद, मोती लाल नेहरू, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के अधीन है, जिस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का नियन्त्रण नहीं है।

उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की तैनाती कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के चिकित्सालयों में अनुपस्थित डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही

18-श्री हुकुम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कैराना, शामली व मुजफ्फरनगर के चिकित्सालयों में नियुक्त कुछ डाक्टर लगातार 3 वर्षों से लापता हैं ? यदि हां, तो उक्त डाक्टरों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा अनुपस्थित डाक्टरों के स्थान पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के शिक्षा मित्रों के बकाये मानदेय का भुगतान कराये जाने की मांग

19-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में कार्यरत शिक्षा मित्रों के बकाये मानदेय का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

अवशेष मानदेय का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

20-डा0 धर्मपाल सिंह-

[पहले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

21-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों के वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या इन रिक्त पदों को भरे जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का चयन उ0 प्र0 मा0 शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय इण्टर कालेजों में विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था कराये जाने की मांग

22-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर के आर्या कन्या इण्टर कालेज, आर्या महिला इण्टर कालेज तथा जी0 जी0 आई0 सी0 में कक्षा-9 तथा कक्षा-11 में कितने-कितने सेक्शन हैं तथा एक-एक कक्षा में कितने-कितने बच्चों का प्रवेश हुआ है ? क्या मा0 मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि क्लास रूम में इन बच्चों के बैठने की ठीक प्रकार से व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके बैठने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

आर्य कन्या इण्टर कालेज शाहजहांपुर में कक्षा-9 में चार सेक्शन हैं, जिनमें क्रमशः 65, 65, 96 एवं 93 बच्चे हैं तथा कक्षा-11 में तीन सेक्शन हैं, जिनमें क्रमशः 80, 118 एवं 66 बच्चे हैं। आर्य महिला इण्टर कालेज शाहजहांपुर में कक्षा-9 में दो सेक्शन हैं, जिनमें क्रमशः 68 एवं 71 बच्चे हैं तथा कक्षा-11 में तीन सेक्शन हैं, जिनमें क्रमशः 96, 89 एवं 19 बच्चे हैं। जी0 जी0 आई0 सी0 शाहजहांपुर में कक्षा-9 में चार सेक्शन हैं, जिनमें क्रमशः 137, 135, 80, एवं 137 बच्चे हैं तथा कक्षा-11 में चार सेक्शन हैं, जिनमें क्रमशः 116, 113, 80 एवं 78 बच्चे हैं।

आर्य कन्या इण्टर कालेज तथा आर्य महिला इण्टर कालेज में अध्ययनरत सभी छात्राओं के बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था है। राजकीय कन्या इण्टर कालेज में शिक्षण कक्ष छोटे होने के कारण छात्रायें कक्ष में पर्याप्त संख्या में बैठ नहीं पाती।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक रहित विद्यालयों की जानकारी

23-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक रहित हैं ? सरकार ने इस संदर्भ में क्या नीति निर्धारित की है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कोई विद्यालय शिक्षक रहित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भवन विहीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या

24-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास अपने भवन नहीं हैं ? क्या सरकार द्वारा ऐसे सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भवन बनाकर उपलब्ध कराने की कोई योजना बनायी गयी है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रदेश में 1409 प्राथमिक, विद्यालय तथा 143 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास अपने भवन नहीं हैं। इनमें से 1210 प्राथमिक विद्यालय तथा 93 उच्च प्राथमिक विद्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं।

जी नहीं। सर्वे कराकर भूमि की उपलब्धता के आधार पर रणनीति तैयार की जायेगी।

जनपद हाथरस में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

25-डा0 अनिल चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस जनपद के चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों की कमी के कारण नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं, जनपद हाथरस में चिकित्सा अधिकारियों के 102 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष कार्यरत 57 चिकित्सा अधिकारियों से आम जनता को यथा सम्भव चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु वर्ष 2006-07 में लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित अधियाचन के आधार पर आयोग द्वारा कुल 1645 चिकित्साधिकारियों के चयन की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी थी। लोक सेवा आयोग से प्राप्त उक्त संस्तुति के आधार पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों सहित जनपद हाथरस में भी चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तैनाती की गयी है। चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए जनपद हाथरस में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विद्यालयों में यौन शिक्षा दिये जाने का निर्णय

26-श्री मदन भैया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने विद्यालयों में यौन शिक्षा दिये जाने सम्बन्धी कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इसका उद्देश्य एवं औचित्य क्या है ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

इसका उद्देश्य एड्स जैसे गम्भीर रोग एवं उसके रोक-थाम की जानकारी देना था। कतिपय प्रकाशकों द्वारा इस बारे में आपत्तिजनक पाठ्य सामग्री प्रकाशित किये जाने के कारण सम्बन्धित शासनादेश को सम्प्रति वापस ले लिया गया है।

जनपद इलाहाबाद की भूमि विकास बैंक की शाखा जसरा को हटाकर अन्यत्र खोले जाने की योजना

27-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद की भूमि विकास बैंक की शाखा जसरा को हटाकर कहीं अन्यत्र खोले जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जी हां।

बैंक अपनी शाखा के स्थान का चयन व्यवसाय एवं कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही निश्चित करता है।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर के प्राइमरी जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षक विहीन विद्यालयों में तैनाती सम्बन्धी जानकारी

28-श्री संजय कपूर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर के अन्तर्गत आने वाले प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर के प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों में 01 अक्टूबर, 2007 से एक-एक अध्यापक तैनात है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में दो-दो शिक्षा मित्र पूर्व से कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर की प्राइमरी जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण

29-श्री संजय कपूर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर के अन्तर्गत आने वाले प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा कितना धन आवंटित किया गया है ? आवंटित धन से कितने भवनों का

निर्माण होना था तथा कितने भवनों का निर्माण हुआ है ? शेष भवनों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर के अन्तर्गत 06 प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु रु0 23.97 लाख तथा 07 उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु रु0 36.96 लाख धन आवंटित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में 03 प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु रु0 12.54 लाख तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु रु0 54.00 लाख स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष्य प्रथम किश्त के रूप में प्राथमिक विद्यालयों हेतु रु0 6.27 लाख तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु रु0 27.00 लाख की धनराशि जनपद को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

वर्ष 2006-07 के समस्त 06 प्राथमिक विद्यालय तथा सभी 07 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। वर्ष 2007-08 के 03 प्राथमिक विद्यालय तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्थल चयनोपरान्त धनराशि जनपद स्तर से ग्राम शिक्षा समिति को स्थानान्तरित की जा रही है।

चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ में कतिपय कर्मचारियों की नियुक्ति का कथित प्रकरण

30-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ में वर्ष 2004-05 से अब तक तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी सहित दैनिक वेतन भोगी कौन-कौन से कर्मचारी नियुक्त किये गये और उनका आधार क्या था ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जिला सहकारी बैंक लि0 प्रतापगढ़ में वर्ष 2004-05 से अब तक तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी सहित किसी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की मांग

31-श्री अनूप संडा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालयों में अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त है ? यदि नहीं, तो यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

शासनादेश संख्या-2403/पांच-1-07-4(80)/95, दिनांक 17-10-07 द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत लाल राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क उपचार एवं निदान की सुविधा अनुमन्य है।

अन्नपूर्णा योजना सम्प्रति भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की प्राथमिक पाठशाला महतवाना-1 नगर क्षेत्र सण्डीला का अन्यत्र स्थानान्तरित कर भवन स्वामी को सौंपे जाने के आदेश

32-श्री शाहिद मंजूर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक पाठशाला महतवाना-1 नगर क्षेत्र सण्डीला, जनपद हरदोई का भवन जो किराये पर है, जर्जर हो जाने के कारण उक्त पाठशाला को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिक पाठशाला महतवाना-1 नगर क्षेत्र सण्डीला, जनपद हरदोई के भवन/भूमि को खाली करके भवन स्वामी को सौंपे जाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

भवन खाली करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णयोपरान्त आदेश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 श्रीमती नसीम बानो मृतक आश्रित को नियुक्ति में छूट प्रदान करने विषयक के पुत्र श्री रेहान खान को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र

33-श्री शाहिद मंजूर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र सं0-बे0शि0प0/187/2006-03, दिनांक 20-4-06 द्वारा विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन, शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ से श्री मो0 रेहान खान पुत्र स्व0 श्रीमती नसीम बानो, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 26-12-92 को हो गयी थी, को मृतक आश्रित की नियुक्ति हेतु आवश्यक छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मृत अध्यापिका के पुत्र की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रकरण कालबाधित होने तथा मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत नियमों को शिथिल करने का कोई ठोस आधार न होने के फलस्वरूप मो0 रेहान खान को सेवायोजित किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील मिलक में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग

34-श्री संजय कपूर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील मिलक क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो मिलक क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं, जनपद-रामपुर में 03 राजकीय महाविद्यालय 03 अनानुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में प्रदेश की कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना में महाविद्यालय स्थापित करने को बढ़ावा देने की शासकीय नीति है।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थित राजकीय महाविद्यालय में बी0ए0 एवं बी0एस0सी0 की कक्षायें खोलने का प्रस्ताव

35-श्री संजय कपूर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थित राजकीय महाविद्यालय में बी0काम0 एवं बी0एस0सी0 की मान्यता न होने के कारण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को उपरोक्त शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजकीय महाविद्यालय में बी0काम0 एवं बी0एस0सी0 की कक्षाओं के संचालन हेतु मान्यता प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जनपद रामपुर में 03 राजकीय महाविद्यालय तथा 03 अनुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित है। उक्त 06 महाविद्यालयों में से जनपद मुख्यालय में स्थित दो स्नातकोत्तर महाविद्यालयों तथा एक अशासकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षायें संचालित हैं। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर रामपुर में बी0काम0 एवं बी0एस0सी0 की कक्षायें खोलने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

परीक्षणाधीन है।

परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर की टाउन एरिया केमरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग

36-श्री संजय कपूर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर की टाउन एरिया केमरी में सी0एच0सी0 खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सी0एच0सी0 कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर की टाउन एरिया केमरी की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 23871 है। टाउन एरिया केमरी से 12 कि0मी0 की दूरी पर 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलासपुर तथा 10 कि0मी0 दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चमरौआ

संचालित है। टाउन एरिया केमरी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ओ0टी0 एवं चार शैय्या का वार्ड सहित पहले से ही चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर की टाउन एरिया केमरी में राजकीय हायर सेकेन्ड्री स्कूल को इण्टरमीडिएट की मान्यता दिये जाने की मांग

37-श्री संजय कपूर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर की केमरी टाउन एरिया के राजकीय हायर सेकेन्ड्री स्कूल को इण्टरमीडिएट की मान्यता दिये जाने का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो मान्यता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक सहकारी विपणन संघ द्वारा जनपद सीतापुर में खादों के वितरण का आवंटन

38-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सरकार यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक सहकारी विपणन संघ को उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायनों के वितरण हेतु अधिकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या सीतापुर जनपद में उपरोक्त संघ द्वारा खादों के वितरण का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द सेन यादव-

जी हां।

जी हां।

यूरिया-6000 मै0 टन

डीएपी-5000 मै0 टन

एनपीके-3000 मै0 टन

दिनांक 29 जून, 2007 को किन्तु अनेकों प्रयासों के बाद भी इफ्को/कृभको द्वारा उर्वरक की आपूर्ति नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में बन्द पड़े प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की मांग

39-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में कितने प्रा0 विद्यालय किन कारणों से बन्द पड़े हैं ? क्या मंत्री जी बन्द पड़े विद्यालयों को खोलने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

कोई भी विद्यालय बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में प्राइमरी स्कूलों के अधूरे पड़े भवनों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने की मांग

40-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर में कितने प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य अधूरा है ? अधूरे भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

वर्ष 2006-07 के 03 प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य अवशेष है।

अधूरे भवनों का निर्माण यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा ?

जनपद आगरा में गिरते जल स्तर को रोकने की कार्यवाही

41-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे गिरा है ? यदि हां, तो इसके समाधान/जल स्तर रोकने के लिये सरकार के पास क्या-क्या योजनायें हैं तथा इन योजनाओं का क्या परिणाम रहा ?

श्री लखीराम नागर-

जी हां।

गिरते भूजल स्तर को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है जिसमें जनपद आगरा भी सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन तालाबों के जीर्णोद्धार, चेकडैम का निर्माण एवं रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य कराये जा रहे हैं।

उक्त के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ाने के उद्देश्य से आदर्श जलाशय योजना भी आरम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत आगरा जनपद में जून, 2007 तक 622 तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार पूर्ण किया जा चुका है।

जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बांसी में बालिकाओं हेतु महिला डिग्री कालेज खोलने की मांग

42-श्री लालजी यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील बांसी मुख्यालय पर महिला महाविद्यालय न होने के कारण बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तहसील मुख्यालय पर महिला डिग्री कालेज खुलवाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं, जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी में सहशिक्षा का एक महाविद्यालय रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी पूर्व से संचालित है, जिसमें कला, विज्ञान, शिक्षा संकाय की कक्षाएं चल रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता। प्रदेश की कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना में महाविद्यालय स्थापित करने को बढ़ावा देने की शासकीय नीति निर्धारित है।

प्रदेश के विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था

43-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्राओं के लिये अलग से शौचालयों की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

दिनांक 30-9-2007 को ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में मात्र 24103 प्राथमिक विद्यालयों तथा 5981 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इस हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत समस्त विद्यालयों में छात्राओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय निर्माण की व्यवस्था जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कुछ महाविद्यालयों को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध करने का आश्वासन

44-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के कुछ महाविद्यालयों को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी को सम्बद्धता क्षेत्राधिकार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आश्वासन संख्या-113/2004 लम्बित है।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का विचाराधीन प्रकरण

45-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील बांसी मुख्यालय पर प्रा0स्वा0 केन्द्र बनाये जाने हेतु वर्ष 2006 में शासन स्तर से स्वीकृति मिल चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार धनराशि आवंटित कर उक्त स्वीकृत प्रा0स्वा0 केन्द्र को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसी जनपद सिद्धार्थनगर की स्थापना का प्रकरण विचाराधीन है।

जनपद सिद्धार्थनगर में किराये पर चल रहे राजकीय इण्टर कालेज बांसी को सरकारी भवन उपलब्ध कराये जाने की मांग

46-श्री लालजी यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, बांसी जनपद सिद्धार्थनगर विगत 15 वर्षों से प्राइवेट भवन में किराये पर चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय हेतु सरकारी भवन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

विद्यालय के भवन निर्माण जनपद की जिला नियोजन समिति की संस्तुति एवं धन की उपलब्धता के आधार पर कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा विश्वविद्यालय के बी0एड0 परीक्षाफल घोषित किये जाने की मांग

47-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय में बी0एड0 परीक्षा वर्ष 2005-2006 का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त परीक्षाफल कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

परीक्षा व्यापक हित में निरस्त कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के महाराजा तेज सिंह जिला चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन चलाने हेतु चिकित्सा कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

48-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या महाराजा तेज सिंह जिला चिकित्सालय मैनपुरी में सी0टी0 स्कैन उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या उसे चलाने के लिये प्रशिक्षित चिकित्सक व अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी नहीं।

इस हेतु आवश्यक पदों के सृजन की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के महाराजा तेज सिंह चिकित्सालय में कैंसर उपचार हेतु चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

49-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या महाराजा तेज सिंह जिला चिकित्सालय मैनपुरी में कैंसर यूनिट स्थापित की गई है ? यदि हां, तो क्या कैंसर के उपचार हेतु डाक्टरों की नियुक्ति कर दी गयी है ? क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपरोक्त यूनिट को किसी कैंसर हास्पिटल से सम्बद्ध करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी नहीं।

कैंसर यूनिट हेतु आवश्यक पदों के सृजन की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के महाराजा तेज सिंह जिला चिकित्सालय में एण्टी रैवीज वैक्सीन उपलब्ध कराये जाने की मांग

50-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महाराजा तेज सिंह जिला चिकित्सालय, मैनपुरी में एन्टी रैवीज वैक्सीन उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या उक्त वैक्सीन मरीजों को निःशुल्क लगाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

एक्जान माण्टेसरी स्कूल, लखनऊ की प्रिंसिपल एवं मैनेजमेंट द्वारा कार्यरत अध्यापिकाओं का उत्पीड़न विषयक-पत्र की जांच

51-श्री सुल्तान बेग-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुखलाल, सदस्य, विधान सभा का आपको सम्बोधित पत्र दिनांक 8-8-07 जो टूड़ियागंज, लखनऊ स्थित एक्जान माण्टेसरी स्कूल की

प्रिंसिपल एवं मैनेजमेंट द्वारा वहां कार्यरत अध्यापिकाओं का उत्पीड़न किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जांच कराई गई। अध्यापिकाओं के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतें निराधार पायी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम न्यू हैदराबाद, लखनऊ में फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाये ठेकेदारों की जांच

52-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 2004 में उ0 प्र0 राज्य भण्डारण निगम, न्यू हैदराबाद, लखनऊ में 48 ठेकेदारों को रजिस्टर्ड किया गया ? क्या यह सत्य है कि उनमें 40 ठेकेदारों ने फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र व ट्रकों के प्रमाण-पत्र दाखिल कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करवाकर कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

57 व्यक्ति हैण्डलिंग एण्ड ट्रांसपोर्टेशन ठेकेदार के रूप में पंजीकृत हुए थे।

जी नहीं।

पंजीकृत व्यक्तियों के विरुद्ध फर्जी प्रमाण-पत्र सम्बन्धी कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस (महामायानगर) के श्री सुरेश कुमार शर्मा अध्यापक उ0 मा0 वि0 खेड़ा बरामई के मृतक आश्रित कोटे से नौकरी की जांच

53-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुरेश कुमार शर्मा सहायक अध्यापक उ0 मा0 वि0 खेड़ा बरामई (मुरसान) जनपद-हाथरस (महामायानगर) द्वारा फर्जी तौर पर मृतक आश्रित कोटे से नौकरी प्राप्त कर लेने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस के सेवा समाप्ति विषयक पत्रांक सं0-5432-38/2002-2003, दिनांक 20-3-03 में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रकरण की जांच की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा में चेकडैम तथा ब्लास्ट कूप निर्माण सम्बन्धी-पत्र

54-श्री उदयभान करवरिया-

क्या लघु सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के तहसील बारा में चेकडैम तथा ब्लास्ट कूप निर्माण के प्रस्ताव सम्बन्धी प्रमुख सचिव लघु सिंचाई को प्रश्नकर्ता का पत्रांक 397482 दिनांक 20-7-2007 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की समस्या के निदान हेतु कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में भयंकर शीत व गर्मी को देखते हुए विद्यालय संचालन की अवधि में परिवर्तन

55-श्री मदन भैया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का कार्य भयंकर शीत को देखते हुए नवम्बर से मार्च तक 10 बजे से 2 बजे तक तथा अप्रैल से अक्टूबर तक भीषण गर्मी के कारण 7 बजे से 12 बजे तक किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सत्र 2007-08 से परिषदीय एवं सहायता/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन की अवधि निम्नवत् निर्धारित की गयी है :---

1-01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक।

2-01 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में महिला चिकित्सालय की स्थापना का विचार

56-श्री राम विशुन आजाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर मुख्यालय पर महिला अस्पताल पूर्व स्वास्थ्य केन्द्र मनकापुर बाजार के भवन में चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ? क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल में डाक्टर एवं अन्य स्टाफ निर्धारित समय पर नहीं बैठते हैं, जिससे मरीजों को असुविधा होती है ? क्या सरकार स्टाफ एवं डाक्टरों को बैठने हेतु निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर मुख्यालय पर महिला चिकित्सालय स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर मुख्यालय पर महिला चिकित्सालय स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

जनपद गोण्डा में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्डों के प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों एवं एकल कक्षों को खोलने हेतु स्वीकृति

57-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किन-किन विकास खण्डों में प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों एवं एकल कक्षों को खोलने हेतु स्वीकृत किया गया ? क्या क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त योजना के अन्तर्गत कितने स्कूलों में झूला एवं साइकिल की आपूर्ति की गयी ? क्या उनकी व्यवस्था मानक के अनुरूप की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां। जनपद गोण्डा में वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में निम्नलिखित विकास खण्डों के प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष स्वीकृत किये गये हैं :--

ब्लाक का नाम	स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा-कक्ष			
	2004-05	2005-06	2006-07	योग
झंझरी	25	135	117	277
पुण्डरी कृपाल	12	89	70	171
रुपईडीह	08	167	116	291
इटियाथोक	04	69	77	150
मुजेहना	10	70	80	160
मनकापुर	14	111	103	228
छपिया	13	86	98	197
बभनजोत	13	94	86	193

ब्लाक का नाम	स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा-कक्ष			
तरबगंज	08	89	91	188
वजीरगंज	25	121	96	242
नवाबगंज	05	111	80	196
बेलसर	09	124	93	226
कर्नलगंज	13	114	106	233
हलधरमऊ	17	105	86	208
परसपुर	11	150	117	278
कटराबाजार	10	127	98	235
नगर क्षेत्र	03	38	16	57
योग	**200**	**1800**	**1530**	**3530**

अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का आवंटन विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 2005-06 में एन0पी0ई0जी0ई0एल0 योजनान्तर्गत 149 मॉडल क्लस्टर विद्यालयों को झूला व साईकिल हेतु ग्राम शिक्षा समितियों में कुल रु0 22500/- प्रति मॉडल क्लस्टर विद्यालय को धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका क्रय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया गया है।

वर्ष 2005-06 में इस मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है।

वर्ष 2006-07 में 166 एन0पी0ई0जी0ई0एल0 आच्छादित क्लस्टर्स के 320 विद्यालयों में प्रति साईकिल रु0 1750/- की दर से 1467 साईकिलों के क्रय हेतु धनराशि प्रेषित की गयी, जिसका क्रय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया गया।

विभाग द्वारा झूले के प्रकार एवं संख्या, स्पेसिफिकेशन निर्धारित किये गये थे, जिनके अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सामग्री का क्रय किया गया है।

अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के पेंशन पुनरीक्षण आदेश निर्गत करने की मांग

58-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004 से नयी पेंशन पुनरीक्षित योजना लागू होने के उपरान्त राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के पेंशन पुनरीक्षण के आदेश शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो सरकार अध्यापकों के पेंशन पुनरीक्षण के आदेश कब तक जारी कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित लाभ पेंशन योजना के स्थान पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना दिनांक 1-4-05 से लागू किये जाने के लिये अधिसूचना दिनांक 28-3-2005 को निर्गत की जा चुकी है। जो बेसिक शिक्षा विभाग पर भी लागू होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के चिकित्सावकाश अवधि के वेतन भुगतान की मांग

59-श्री सुल्तान बेग-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग रायबरेली में 31-8-07 तक कितने शिक्षकों को चिकित्सावकाश की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद भी अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि श्री रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी जो वर्ष 2001 में सेवानिवृत्त हुए हैं के चिकित्सावकाश की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद भी उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद रायबरेली के अन्तर्गत श्री रघुराज प्रसाद द्विवेदी, सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमपुर, राही, रायबरेली को छोड़कर अन्य परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

जी हां।

श्री रघुनाथ द्विवेदी के अवशेष देयक क्रमशः दिनांक 8-12-83 से 18-5-84 तक चिकित्सा अवकाश तथा दिनांक 19-5-84 से 30-6-84 तक ग्रीष्मावकाश का वेतन अवशेष है। भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।

यथाशीघ्र।

जनपद सिद्धार्थनगर में किसानों के धान व गेहूं के मूल्य का कथित बकाया भुगतान

60-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

कया सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2005-2006 एवं 2006-07 में किसानों द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से बेचे गये धान व गेहूं का मूल्य बकाया है। यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों के बकाया धन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में राजकीय हाईस्कूल को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत करने पर विचार

61-श्री संजय कपूर-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-रामपुर की तहसील-बिलासपुर में राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज न होने के कारण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिये दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील बिलासपुर में स्थित राजकीय हाई स्कूल को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के एकल एवं शिक्षकविहीन विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की कार्यवाही

62-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में कितने एकल एवं शिक्षक विहीन प्रा0 व उच्च प्रा0 विद्यालय हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में छात्रों के मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद गोण्डा में 496 प्राथमिक विद्यालय तथा 280 उच्च प्राथमिक विद्यालय एकल अध्यापकीय हैं।

54 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र कार्यरत हैं तथा 08 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति के द्वारा पद स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में गत वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत छात्रों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण

63-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में 2004-05, 05-06 एवं 2006-07 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग छात्र संख्या के अनुरूप की गयी थी ? यदि हां, तो छात्रों की संख्या क्या थी तथा कितने छात्रों को

पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं ? क्या सरकार पाठ्य-पुस्तकों के वितरण में हुई अनियमितता की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

वर्ष 2004-05 (कक्षा 1-8 तक) छात्र सं0 231972, वर्ष 2005-06 (कक्षा 1-8 तक) छात्र सं0 289111, वर्ष 2006-07 (कक्षा 1-8 तक) छात्र सं0 286189, वर्ष 2004-05 (कक्षा 1-8 तक) कुल 231972 छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी। वर्ष 2005-06 (कक्षा 1-8 तक) कुल 289111 छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं। वर्ष 2006-07 (कक्षा 1-8 तक) कुल 286189 छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं।

पाठ्य-पुस्तकों के वितरण में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के ओंकार नगरीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों को सुविधायें लागू करने की मांग

64-श्री राम विशुन आजाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में स्थित ओंकार नगरीय सहकारी बैंक मे पुनरीक्षित वेतनमान अर्जित अवकाश, मेडिकल अवकाश एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ओंकार नगरीय सहकारी बैंक एक सहकारी संस्था है, जो अपने स्वयं के संसाधन से संचालित है। बैंक की प्रबन्ध कमेटी ही अपने कर्मचारियों को उपलब्ध संसाधन के अनुसार सुविधाएं/भुगतान करती है।

जनपद बिजनौर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के स्टेनो श्री फतेन्द्र गुप्ता द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

65-श्री राम विशुन आजाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बिजनौर में कार्यरत स्टेनो श्री फतेन्द्र गुप्ता द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध लगभग 3 वर्ष पूर्व छापा मारा गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक कितनी अनियमितताएं प्रकाश में आयी तथा उन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि वह एक ही स्थान/जनपद पर लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उन्हें वहां से हटाकर जांच कार्यवाही करने तथा दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। जांच कराई गई, परन्तु दोषी नहीं पाये गये। महानिदेशक द्वारा स्थानान्तरण नीति 2007 के अन्तर्गत 20 प्रतिशत में न आने के कारण स्थानान्तरण नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के राजकीय शिक्षक/शिक्षिकाओं को समय से वेतन भुगतान करने की मांग

66-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के राजकीय शिक्षक/शिक्षिकाओं को मार्च, 07 से अद्यतन मासिक वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया गया है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है ? इसके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन भविष्य में समय से वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जनपद बहराइच के राजकीय शिक्षकों/शिक्षिकाओं का मार्च, 2007 से अद्यतन अवधि का वेतन नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, व्यवस्थानुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

67-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जिला सहायक निबन्धक सहकारिता, लखनऊ श्री नारद यादव पर लगाये गये कतिपय आरोपों पर कार्यवाही

68-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नारद यादव द्वारा जिला सहायक निबन्धक सहकारिता, लखनऊ के पद पर कार्यरत रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करके भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी, गबन तथा आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की विस्तृत जांचोपरान्त श्री नारद यादव के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु आरोप-पत्र आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0 प्र0 विभागाध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1777/स्थापना, दिनांक 25-6-2007 को प्रमुख सचिव, सहकारिता उ0 प्र0 शासन को भेजा गया था ? यदि हां, तो आरोप क्या-क्या थे ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

श्री नारद यादव के विरुद्ध कर्तव्यों के प्रति उदासीनता उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के प्राविधानित अधिकारों का प्रयोग न कर दायित्वों का सम्यक् निर्वहन न करने, अधीनस्थ कर्मचारियों पर यथा आवश्यक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण न रखने, शासकीय कार्यों के निस्तारण में शिथिलता बरतने, वांछित परिलेख आदि की सूचनाओं को समय से प्रस्तुत न करने, वसूली कार्यों में रुचि न लेने, जिला सहकारी संघ लि0, लखनऊ की लाटूश रोड स्थित दुकानों, कार्यालय परिसर एवं गोदामों से कपटपूर्ण ढंग से आचरण कर छोड़ने समाचार-पत्रों से सांठ-गांठ करके मु0 3.72 लाख रु0 का अधिक भुगतान करके निर्वाचन कोष को क्षति पहुंचाने आदि के आरोप प्रथम दृष्टया प्रकाश में आये हैं।

प्रथम दृष्टया प्राप्त आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के परिसमापनाधीन अवध सहकारी बैंक लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों के समस्त देयों का भुगतान यथाशीघ्र कराये जाने की मांग

69-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिसमापनाधीन अवध सहकारी बैंक लि0, लखनऊ के कर्मचारियों/अधिकारियों के बकाया वेतन, पी0एफ0 एवं ग्रेच्युटी भुगतान हेतु उनका संयुक्त हस्ताक्षरित प्रत्यावेदन, दिनांक 15-7-07 विभाग के जिला मण्डल एवं प्रदेश स्तरीय अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कर्मियों के बकाया धनराशि का भुगतान शीघ्र करायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

श्री नारद यादव, परिसमापक द्वारा किये गये भुगतानों को अनियमित मानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

संदर्भित परिसमापनाधीन बैंक के कर्मचारियों के अवशेष बकाया धनराशि का भुगतान बैंक की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का अन्तिम रूप से अवधारण हो जाने एवं आडिट हो जाने के उपरान्त नियमानुसार किये जाने का प्राविधान है।

प्रदेश में सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के सदस्यों की संख्या एवं उन पर बकाये धनराशि को वसूले जाने के निर्देश

70-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारी क्रय-विक्रय समितियों में कितने सदस्य हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से कुल कितने सदस्य बकायेदार हैं तथा बकाया धनराशि कितनी है ? क्या बकाया वसूली के लिये कोई ठोस कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

प्रदेश में सहकारी क्रय-विक्रय समितियों में 6,42,278 सदस्य हैं।

उक्त सदस्यों में से 6,008 सदस्य बकायेदार हैं तथा बकाया की धनराशि रु0 333.73 लाख है।

जी हां।

बकाया वसूली हेतु उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं सपठित उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निबन्धकों को कड़े निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की भूमि विकास बैंक की शाखा जसरा को अन्यत्र हटाकर खोले जाने की योजना

71-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद की भूमि विकास बैंक की शाखा जसरा को हटाकर कहीं अन्यत्र खोले जाने की योजना है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

बैंक अपनी शाखा के स्थान का चयन व्यवसाय एवं कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही निश्चित करता है।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ एवं जसरा में प्राइमरी विद्यालयों की संख्या एवं मानकानुसार अध्यापकों की व्यवस्था

72-श्री उदयभान करवरिया-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के प्रथम मंगलवार को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-7 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ एवं जसरा में कितने प्राइमरी विद्यालय हैं ? क्या उपरोक्त दोनों विकास खण्डों के प्रत्येक विद्यालय में मानक पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मानक कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ एवं जसरा में क्रमशः 134 तथा 106 प्राथमिक परिषदीय विद्यालय हैं।

जी नहीं।

विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन प्रक्रिया गतिमान है। प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त मानकानुसार अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी।

प्रदेश में कार्यरत महिला शिक्षा मित्रों को विवाहोपरान्त नौकरी से पृथक कर देने के प्राविधान में परिवर्तन की मांग

73-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कार्यरत महिला शिक्षा मित्रों की विवाह के बाद नौकरी से पृथक कर देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या सरकार इस पर रोक लगाकर शिक्षा मित्रों (महिला) को पुनः बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

विवाहोपरान्त मूल निवास में परिवर्तन के कारण।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0 टी0 कालेज, लखनऊ में डिग्री में कामर्स विषय की मान्यता प्रदान किये जाने की मांग

74-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर स्थित आई0 टी0 कालेज में डिग्री में कामर्स विषय न होने के कारण कामर्स विषय में इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर उक्त विद्यालय की छात्राओं को दूसरे डिग्री कालेजों में दाखिले के लिये जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार आई0टी0 कालेज के डिग्री सेक्शनों में कामर्स विषय पढ़ाये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

कुलसचिव लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 25-04-2006 द्वारा बी0काम0 पाठ्यक्रम संचालन किये जाने हेतु अनापत्ति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त कतिपय कमियां पायी गयी थीं, जिसके संदर्भ में शासन के पत्र दिनांक 24-05-2006 एवं 16-10-2007 द्वारा विश्वविद्यालय से सूचना मांगी गयी है, जो कि अप्राप्त है।

प्रश्नगत सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार अनापत्ति प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद रायबरेली में कार्यरत सहकारी समितियां

75-श्री राजाराम त्यागी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में कितनी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं तथा कितनी बन्द हैं ? क्या सरकार द्वारा बन्द समितियों के संचालन हेतु कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद रायबरेली में 175 सहकारी समितियां (पैक्स) कार्य कर रही हैं तथा 40 सहकारी समितियां बन्द हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

76-श्री राजाराम त्यागी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली के सभी चिकित्सालयों, उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्रों तथा प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर स्वीकृत पदों के अनुसार चिकित्सक, फार्मासिस्ट स्टाफ नर्स एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जिला चिकित्सालय, रायबरेली में चिकित्सकों के कुल 28 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 34 चिकित्सक (06 अधिक) तैनात हैं। चीफ फार्मासिस्ट के 06 पद स्वीकृत हैं तथा सभी भरे हुए हैं। फार्मासिस्ट के 04 पद के सापेक्ष 07 (03 अधिक), सिस्टर के 07 पदों के सापेक्ष 05, स्टाफ नर्स के 34 पदों के सापेक्ष 30, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 53 पद के सापेक्ष 50 तथा स्वीपर के 22 पद के सापेक्ष 21 कर्मचारी तैनात हैं। जिला महिला चिकित्सालय, रायबरेली में चिकित्सकों के 12 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष्ष 15 चिकित्सक (03 अधिक) तैनात हैं। सिस्टर के 04 पद स्वीकृत हैं, जो भरे हुए हैं। उपचारिका के 10 पदों के सापेक्ष 09 तैनात हैं। चीफ फार्मासिस्ट के 04 पद स्वीकृत हैं तथा सभी भरे हुए हैं। फार्मासिस्ट के 02 पदों के सापेक्ष 03 कर्मचारी तैनात हैं तथा लैब टेक्नीशियन के 02 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 33 पद स्वीकृत हैं तथा सभी भरे हुए हैं । मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन चिकित्सकों के 174 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 114 तैनात है। फार्मासिस्ट के 87 पदों के सापेक्ष 71 कर्मचारी तैनात हैं, स्टाफ नर्स के 27 पदों के सापेक्ष 10 तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 1244 पद स्वीकृत हैं जिनके सापेक्ष 931 कर्मचारी तैनात हैं तथा 313 रिक्त चल रहे हैं। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 403 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 361 कार्यरत हैं तथा 42 पद रिक्त चल रहे हैं।

फार्मासिस्ट के रिक्त 768 पदों पर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त के अतिरिक्त पैरामेडिकल संवर्ग के अन्य कर्मचारियों (लैब टेक्नीशियन), एक्सरे टेक्नीशियन, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन एवं फिजियोथिरपिस्ट के रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय में गत वर्ष में श्री सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य छात्रों के रुके परीक्षा परिणाम

77-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महंत दुबे-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सत्र 2005-06 में विद्यार्थी स्नातक महाविद्यालय जगदीशपुर, बरडीहा, जिला-कुशीनगर में

प्रवेश प्राप्त बी0एड0 छात्र सुधीर कुमार गुप्ता अनुक्रमांक 123202 एवं अन्य कई छात्रों जिनका प्रवेश प्रबन्धकीय कोटे से हुआ था, का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उनका परीक्षा परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाटी-

जी हां।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निचलौल, जनपद महराजगंज में चिकित्सा उपकरण एवं चिकित्सक की तैनाती की मांग

78-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महंत सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज के निचलौल बाजार में नवनिर्मित सी0एच0सी0 में आवश्यक चिकित्सा उपकरण एवं डाक्टरों की तैनाती कर दी गई है ? यदि नहीं, तो डाक्टरों की तैनाती एवं चिकित्सा उपकरण कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निचलौल जनपद महाराजगंज की स्थापना का प्रकरण विचाराधीन है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निचलौल जनपद महाराजगंज की स्थापना के उपरान्त आवश्यक चिकित्सा उपकरण एवं डाक्टरों की तैनाती की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की मांग

79-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय आगरा में खोला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निचलौल, जनपद महाराजगंज में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

80-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महाराजगंज की तहसील निचलौल के मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला डाक्टर हेतु अलग से भवन कई वर्ष पूर्व से बनकर तैयार है ? परन्तु उक्त केन्द्र पर कोई महिला चिकित्सक नियुक्त नहीं है ? यदि हां, तो नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निचलौल, जनपद महाराजगंज में महिला चिकित्सक का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

उक्त केन्द्र के परिसर में सिफ्सा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक भवन पूर्ण रूप से निर्मित है जिसमें सिफ्सा कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा/मानदेय के आधार पर महिला चिकित्सक की सेवाएं पूर्व में दी जाती रही हैं। पुनः इस वर्ष मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर संविदा/मानदेय के आधार पर महिला चिकित्सक के नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर नगर के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

81-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर नगर में कितने राजकीय कन्या इण्टर कालेज हैं जिसमें कक्षा-9 व कक्षा-11 के एक-एक सेक्शन में 90-100 लड़कियां हैं, जबकि बैठने की क्षमता मात्र 60-70 की है ? क्या मा0 शिक्षा मंत्री जी इस अव्यवस्था को ठीक करने हेतु डबल शिफ्ट या अन्य उपाय करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रंगनाथ मिश्रा-

जी हां। शाहजहांपुर नगर के केवल एक राजकीय इण्टर कालेज में कक्षा-6 एवं 11 के एक-एक सेक्शन में 60-100 लड़कियां अध्ययनरत हैं।

जी नहीं। इस विद्यालय में डबल शिफ्ट संचालित करने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज के ग्राम शाह आलमपुर के जू0 हाई स्कूल के भवन निर्माण को पूर्ण कराये जाने की मांग

82-श्री आलोक कुमार शाक्य-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अता0प्र0सं0-33 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शाहआलमपुर, ब्लाक सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी के जू0 हाई स्कूल के अधूरे भवन निर्माण कार्य को जे0आर0वाई0 से धन प्राप्त करके पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद मैनपुरी के ग्राम शाहआलमपुर, ब्लाक सुल्तानगंज के जूनियर हाई स्कूल का भवन निर्माण कार्य 60 प्रतिशत धनराशि न मिलने के कारण अपूर्ण है।

प्रकरण में जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जांचोपरान्त तथा अनुमानित व्यय का आंकलन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद हाथरस की सहकारी समितियों पर डी0ए0पी0 खाद उपलब्ध कराने की मांग

83-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हाथरस की सहकारी समितियों पर डी0ए0पी0 उर्वरक की मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चत कराने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक लालगंज के बेलाकलीचपुर प्राथमिक विद्यालय में श्री नन्हकू राम, दलित द्वारा भोजन बनाने का कार्य किया जाना

84-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के लालगंज ब्लाक क्षेत्र के बेलाकलीचपुर प्राथमिक विद्यालय में पूर्व गांव का ही निवासी नन्हकू राम दलित दोपहर का भोजन बनाने का कार्य करता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य ने उसे दलित होने के कारण भोजन बनाने से रोक दिया है ? यदि हां, तो इस मामले पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण विभाग के लिपिक संवर्ग में तदर्थ नियुक्त कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड व पदोन्नति दिये जाने की जांच

85-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण विभाग में वर्ष 1983 में कितने लोगों को लिपिकीय संवर्ग में तदर्थ नियुक्त किया गया था ? क्या यह सही है कि तदर्थ नियुक्ति वाले कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड व पदोन्नति की सुविधा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या तदर्थ नियुक्त कर्मचारी को उक्त लाभ दिये जाने का प्राविधान शासनादेश में है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

महिला कल्याण विभाग का गठन वर्ष 1989 में किया गया है। इसके पूर्व कर्मचारी समाज कल्याण विभाग में नियुक्त थे।

समाज कल्याण विभाग द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त तथा महिला कल्याण निदेशालय के नियंत्रणाधीन वर्तमान में कार्यरत एक कार्मिक को जनपद/मण्डल स्तर पर सेलेक्शन ग्रेड व प्रथम पदोन्नति वेतनमान की सुविधा दी गई है।

तदर्थ नियुक्त कार्मिकों को प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति का प्राविधान शासनादेश में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में नया जिला सहकारी बैंक खोले जाने की मांग

86-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि केवल महराजगंज जनपद के लिये अलग से जिला सहकारी बैंक खोले जाने के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों एवं जनता की मांग के संदर्भ में जनपद महराजगंज में अब तक नया जिला सहकारी बैंक न खोले जाने के क्या कारण हैं ? उक्त जनपद में सहकारी बैंक कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

गोरखपुर जिला सहकारी बैंक लि0 दुर्बल श्रेणी का बैंक है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 की धारा 11(1) के अनुरूप न होने के कारण गोरखपुर जिला सहकारी बैंक लि0 को विभाजित कर जनपद महराजगंज में पृथक जिला सहकारी बैंक का गठन कराये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरे जाने के निर्देश

87-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एलोपैथिक शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ-2, सर्जन-2, फिजीशियन-1, आर्थोपेडिक सर्जन-1, पैथालाजिस्ट-1 तथा बाल रोग विशेषज्ञ-1 कुल 8 चिकित्सकों के पद खाली हैं तथा महिला चिकित्सालय में भी 10 में से 6 डाक्टरों के तथा कुल 9 नर्सों के पद खाली हैं ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी जनहित में डाक्टरों, नर्सों, टेक्नीशियनों के पदों को शीघ्र ही भरने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में ई0एन0टी0 सर्जन का 01 पद स्वीकृत है, जिस पर चिकित्सक कार्यरत है, किन्तु सर्जन के 02 पद स्वीकृत हैं, जो रिक्त हैं। फिजीशियन के 02 पद स्वीकृत हैं, जो भरे हैं। आर्थोपेडिक सर्जन के 02 स्वीकृत पद के सापेक्ष 01 पद रिक्त है, पैथालाजिस्ट के 02 स्वीकृत पद के सापेक्ष 01 पद रिक्त है तथा बाल रोग विशेषज्ञ के 02 स्वीकृत पद रिक्त हैं। जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में चिकित्सकों के स्वीकृत 10 पदों के सापेक्ष 06 पद रिक्त हैं। उपचारिकाओं के स्वीकृत 22 पदों के सापेक्ष 02 पद रिक्त हैं।

उक्त चिकित्सालय में उपलब्धता के अनुसार चिकित्सक तैनात हैं। विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद को अधियाचन भेजा गया है। नर्स एवं टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में व्यक्ति की औसत आयु एवं उस पर प्रतिवर्ष व्यय

88-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में व्यक्ति की औसत आयु क्या है तथा प्रति व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिवर्ष कितने रुपये का व्यय निर्धारित है ? क्या प्रदेश में सरकारी चिकित्सक, चिकित्सालय एवं उनमें उपलब्ध बिस्तर जनसंख्या की दृष्टि से समुचित चिकित्सा हेतु पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो उक्त के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

टेक्निकल ग्रुप ऑन पापुलेशन प्रोजेक्शन 2001-2026, आर0 जी0 इण्डिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पुरुष की औसत आयु 64 वर्ष एवं महिला की औसत आयु 64.4 वर्ष है तथा स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष होने वाला व्यय रु0 232.34 अनुमानित है।

प्रदेश में निजी चिकित्सालयों के अतिरिक्त 58 जिला पुरुष चिकित्सालय, 58 जिला महिला चिकित्सालय, 11 जिला संयुक्त चिकित्सालय, 426 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3689 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल कालेज, एस0जी0पी0जी0आई0, होम्योपैथी चिकित्सालय एवं आयुर्वेद चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में इसमें सुधार करके तथा अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराकर चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के प्रा0 स्वा0 केन्द्र मल्लावां में फार्मासिस्ट श्री राजकुमार गुप्ता के स्थानान्तरण को स्थगित करने का औचित्य

89-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के प्रा0 स्वा0 केन्द्र मल्लावां में कार्यरत फार्मासिस्ट श्री राजकुमार गुप्ता का दिनांक 7 फरवरी, 07 के पत्रांक-मु0चि0अ0/फार्मा/स्थाना0/2007/114 के द्वारा प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया था ? यदि हां, तो पुनः स्थानान्तरण स्थगित कर यथावत् बनाये रखने का औचित्य क्या है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

जनपद मेरठ, सहारनपुर तथा बागपत में विधवा पेंशन की सूची की जांच

90-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मेरठ, सहारनपुर तथा बागपत में कितने लोगों को विधवा पेंशन दी जा रही है ? क्या यह सही है कि उक्त जनपदों के जिला प्रोबेशन कार्यालयों में

उपलब्ध पात्र व्यक्तियों की सूची व बैंकों द्वारा भेजी जाने वाली सूची में विधवाओं के नामों में अन्तर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपदों की पात्र विधवाओं की सूची वर्ष 2001 से अब तक की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत जनपद मेरठ में 10968, जनपद सहारनपुर में 10531 तथा जनपद बागपत में 6706 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला प्रोबेशन कार्यालयों में उपलब्ध पात्र व्यक्तियों की सूची तथा बैंकों द्वारा भेजे जाने वाली सूची में विधवाओं के नामों में अन्तर नहीं है तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स, खण्ड विकास अधिकारी व तहसील के माध्यम से छमाही एवं वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाता है।

प्रदेश में दूध में मिलावट की रोकथाम हेतु कृत कार्यवाही

91-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि दूध में यूरिया डिटरजेन्ट तथा साबुन आदि की मिलावट को जनस्वास्थ्य के लिये गम्भीर हानिकारक बताते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा इसकी रोकथाम के लिये ठोस उपाय करने हेतु राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया है ? क्या मिलावट के धन्धे पर रोकथाम के लिये पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और वैज्ञानिकों की मदद से कोई प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक की कार्यवाही के परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां। रिट याचिका संख्या-12175/2007 बिट्टन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20-08-2007 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-4606/पांच-8-2007-53रिट/2007, दिनांक 25-10-2007 द्वारा जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग एवं दुग्ध विकास विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समिति गठित की गयी है।

उक्त समिति प्रदेश में मिलावटी व प्रदूषित खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर नियंत्रण तथा मिलावटी व हानिकारक उत्पाद बनाने और बेचने के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या-3014/पांच-8-2007-87खा0/2006, दिनांक 24 सितम्बर, 2007 समस्त जिला अधिकारियों को जारी करते हुए यह निर्देशित किया गया है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें। जनपद स्तर पर स्थानीय अभिसूचना इकाई का सक्रिय सहयोग भी प्राप्त कर गुणवत्तापरक कार्यवाही की जा रही है।

माह जुलाई-सितम्बर, 2007 के मध्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के संग्रहित विश्लेषित एवं अपमिश्रित घोषित किये गये नमूनों का विवरण निम्नवत् है :--

माह	कुल नमूना संग्रह	कुल जांचे गये नमूने	अपमिश्रित घोषित	दायर वादों की संख्या	छापामार अवधि (व्यक्ति जेल गये)
जुलाई, 07	2680	1844	369	118	6
अगस्त, 07	2849	2174	373	144	27
सितम्बर, 07	3026	2325	405	363	10

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के चिकित्साधिकारी डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में प्राप्त प्रशिक्षण सम्बन्धी अवधि का विवरण

92-श्री आलोक कुमार शाक्य-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के छठे बुधवार के तारां0 प्रश्न संख्या-20 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-4666/चिकित्सा-4-1124/90, दिनांक 10-7-92 के अन्तर्गत डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, त्रिलोकपुर, बाराबंकी को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कार्डियोलाजी विभाग में विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो चिकित्सा अनु0-3 के कार्यालय-ज्ञाप-2850/चिकित्सा अनुभाग-3, 2007-1/आश्वासन/2005, दिनांक 3-7-2007 के अनुसार क्या श्री अनिल कुमार, चिकित्साधिकारी ने समयबद्ध विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है ? यदि हां, तो किन-किन इकाइयों में प्रशिक्षण किस-किस अवधि में दिया गया ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी हां।

शासन की स्वीकृति के अनुसार दिनांक 01-08-92 से 31-07-93 की अवधि में कार्डियोलॉजी विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रदेश में घरेलू महिलाओं पर हो रही हिंसा व उत्पीड़न की रोकथाम

93-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घरेलू महिलाओं पर हो रही हिंसा व उत्पीड़न को रोकने के लिये प्रदेश व जिला स्तरीय समितियां बनाने हेतु शासन में कोई प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है तथा इसे कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की मांग

94-डा0 अजय तोमर-

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत जिसमें लगभग 6000 से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक परिवार हैं, में सैनिक बोर्ड कार्यालय स्थापित करने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जमुना निषाद)-

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ब्लाक छपरौली के ग्राम टाण्डा में जिला योजनान्तर्गत प्रा0 स्वा0 केन्द्र को स्वीकृत धनराशि

95-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ब्लाक छपरौली के ग्राम टाण्डा मे वित्तीय वर्ष 2005-06 की जिला योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसके लिये कब तक धन का आवंटन कर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में प्रवक्ताओं के सृजित पद

96-श्री राम विशुन आजाद-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में लेक्चरर के कुल कितने पद सृजित हैं, सृजित पदों में कुल कितने पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं तथा आरक्षित पदों में से कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शासन द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में प्रवक्ता के कुल 07 पद सृजित हैं।

प्रश्नगत सृजित पदों में से प्रवक्ता का 01 पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है तथा उक्त आरक्षित पद रिक्त नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

97-श्री राम विशुन आजाद-

[पहले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री दीपक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री शिव कुमार गुप्ता की मृतक आश्रित पद पर नियुक्ति हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

98-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दीपक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 शिव कुमार गुप्ता, निवासी-मोहम्मदाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद की मृतक आश्रित के पद पर नियुक्ति हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को बे0 शि0 अधि0 फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 30-6-04 को पत्र भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो नियुक्ति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रकरण कालबाधित होने तथा मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत नियमों को शिथिल करने का कोई ठोस आधार न होने के फलस्वरूप श्री दीपक कुमार को सेवायोजित किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

जनपद महामायानगर (हाथरस) की तहसील सिकन्दराराऊ के ग्राम मऊ चिरायल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों एवं स्टाफ की तैनाती की मांग

99-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर (हाथरस) के ग्राम मऊ चिरायल में लगभग 10 वर्ष से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनकर तैयार है परन्तु डाक्टरों तथा स्टाफ की तैनाती न होने के कारण बेकार साबित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों एवं स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर (हाथरस) के ग्राम मऊ चिरायल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक चिकित्साधिकारी संविदा पर तैनात है। नियमित रूप से तैनात चिकित्साधिकारी दिनांक 16-10-2003 से अनुपस्थित चल रहे हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक बी0एच0डब्लू0, एक स्वीपर कम चौकीदार, एक ए0एन0एम0 की तैनाती कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ के विद्यालयों एवं पाठशालाओं में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

100-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में उ0 मा0 विद्यालयों एवं प्राइमरी पाठशालाओं में छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति का मानक क्या है ? क्या तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर (हाथरस) के उ0 मा0 विद्यालयों एवं प्राइमरी पाठशालाओं में मानक के अनुसार अध्यापक तैनात हैं ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ में कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां एकल अध्यापक हैं और कितने ऐसे हैं जहां पर एक भी अध्यापक नहीं नियुक्त है ? क्या सरकार मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्राथमिक विद्यालयों में 40 छात्रों पर एक अध्यापक नियुक्त किये जाने का मानक निर्धारित है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में दो सहायक अध्यापक तथा एक प्रधानाध्यापक का मानक है।

जी नहीं।

विकास क्षेत्र सिकन्दराराऊ में 06 प्राथमिक विद्यालय एकल अध्यापकीय हैं परन्तु इन विद्यालयों में 02 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोई भी एकल अध्यापकीय नहीं हैं, अध्यापक विहीन कोई विद्यालय नहीं है।

जी हां।

शासन की प्राथमिकताओं में से एक यह भी बिन्दु है। अतएव विशिष्ट बी0टी0सी0 के अन्तर्गत चयन की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज की तहसील मुख्यालय निचलौल में महिला चिकित्सक की तैनाती की मांग

101-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद महराजगंज के भारत-नेपाल सीमा पर स्थित तहसील मुख्यालय निचलौल चिकित्सालय में आज तक महिला डाक्टर की नियुक्ति नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो निचलौल में महिला डाक्टर की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

मानक के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है। तहसील मुख्यालय निचलौल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अभी क्रियाशील नहीं है, क्रियाशील होने पर महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

102-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि महराजगंज जनपद के तहसील मुख्यालय निचलौल में राजकीय कन्या इण्टर कालेज न होने की वजह से छात्राओं के पठन-पाठन में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार निचलौल में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जनपद महाराजगंज के तहसील निचलौल के मुख्यालय पर कोई राजकीय कन्या इण्टर कालेज नहीं है, किन्तु तहसील मुख्यालय पर एक अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कालेज तथा 02 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त हाई स्कूल कुल 03 विद्यालय संचालित हैं जिसमें छात्राओं के पठन-पाठन में कोई असुविधा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज की तहसील मुख्यालय निचलौल में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग

103-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद महराजगंज की तहसील मुख्यालय-निचलौल में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

वर्तमान में प्रदेश की कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना में महाविद्यालय स्थापित करने को बढ़ावा देने की शासकीय नीति है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने के प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश

104-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश सी0एम0/वि0को0/एम0/164167, दि0 7-7-07 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

निदेशक, उच्च शिक्षा उ0 प्र0 को प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के पत्र दिनांक 19-9-2007 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में मछली बीज उत्पादन केन्द्र के पुनः संचालन की मांग

105-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मत्स्य उत्पादन मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में मछली बीज उत्पादन केन्द्र को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या विभाग इसे पुनः चालू करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना निषाद-

जी हां।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तहसील महमूदाबाद की भूमि पर बने तालाब को राजा महमूदाबाद को हस्तान्तरित किये जाने के कारण उक्त मत्स्य फार्म में मछली के प्रजनन का कार्य बन्द कर दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

हैचरी के पुनः संचालन पर आने वाली लागत को दृष्टिगत रखते हुए हैचरी का पुनः संचालन लाभप्रद नहीं रहेगा। अतः उक्त हैचरी को पुनः संचालित न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद आगरा में राजकीय महिला इण्टर कालेज खोले जाने का प्रस्ताव

106-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा शहर में बालिकाओं के लिये कोई राजकीय महिला इण्टर कालेज खोला जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में बालिकाओं हेतु राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग

107-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा शहर में बालिकाओं के लिये राजकीय महाविद्यालय प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय कहां पर और कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

राजकीय महिला महाविद्यालय आंवल खेड़ा आगरा नगर निगम क्षेत्र में पूर्व से संचालित है और शहर में बैकुन्ठ देवी कन्या पी0जी0 कालेज तथा भगवती देवी जैन पी0जी0 कालेज पूर्व से संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में प्रदेश की कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना में महाविद्यालय स्थापित करने को बढ़ावा देने की शासकीय नीति है।

आगरा जनपद के शहर एवं देहात क्षेत्र में कुल 02 राजकीय, 07 अशासकीय एवं 44 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

जनपद आगरा के श्री सार्वजनिक इण्टर कालेज, इरादतनगर के प्रधानाचार्य व अन्य अध्यापकों का वेतन निर्धारण एवं अवशेष देयकों के भुगतान की मांग

108-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा का पत्रांक ले0स0/1146-47/06-07, दिनांक 09 मई, 2007 जो श्री सार्वजनिक इण्टर कालेज, इरादतनगर जनपद आगरा के प्रधानाचार्य, अन्य अध्यापकों का वेतन निर्धारण, मूल अवशेष वेतन निर्धारण देयकों की अनुमन्यता/अनुदान तथा भुगतान के सम्बन्ध में है, शिक्षा निदेशक (मा0) शिक्षा अर्थ अनुभाग-1 शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्राप्त देयकों के परीक्षणोंपरान्त पायी गयी कमियों के निराकरण करने हेतु 23-10-2007 को जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा को निदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के प्रा0 स्वा0 केन्द्र गरौठा में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

109-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के गरौठा क्षेत्र के गरौठा नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों की कमी है एवं विगत 8 वर्षों से कोई महिला चिकित्सक नहीं है ? यदि हां, तो महिला चिकित्सक की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गरौठा पर महिला चिकित्सक का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर बेसिक विद्यालय बछौरा के श्री राकेश कुमार, सहायक अध्यापक की मृत्युपरान्त समस्त देयों का भुगतान कराने की मांग

110-श्री रियाज अहमद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राकेश कुमार सहायक अध्यापक, जूनियर बेसिक विद्यालय, बछौरा, परगना-मौरावां, विकास खण्ड हिलौली, जनपद उन्नाव का सेवाकाल में दिनांक 23 फरवरी, 2006 को निधन हो गया था ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित को सेवायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक सेवायोजित किया जायेगा ? क्या देय जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी, बीमा, पेंशन आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं। मृतक आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन ही नहीं किया गया है।

नियमानुसार आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के श्री घिसई राम कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय केशव नगर ग्रांट में सहायक अध्यापक श्री असगर अली की मृत्युपरान्त उनके पुत्र को नियुक्ति की कार्यवाही के निर्देश

111-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के श्री घिसई राम कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय केशव नगर ग्रांट में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत श्री असगर अली की मृत्यु 27-5-2004 को सेवाकाल में हो गयी थी ? क्या मृतक के पुत्र अख्तर अली को उनके पिता के स्थान पर नौकरी दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां। अर्हता होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

यथाशीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के सरदार पटेल महाविद्यालय सोनाई घटवा तहसील करछना के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की मांग

112-श्री उदयभान करवरिया-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरदार पटेल महाविद्यालय सोनाई घटवा तहसील करछना जनपद इलाहाबाद के छात्र/छात्राओं को बी0ए0 प्रथम वर्ष 2005 एवं बी0ए0 द्वितीय वर्ष के छात्रों को वर्ष 2006-07 की छात्रवृत्ति दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2005 में उक्त महाविद्यालय के कोई छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु अर्ह नहीं पाये गये। वर्ष 2006-07 में छात्रवृत्ति हेतु बजट की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

जनपद सीतापुर के राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

113-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रधानाचार्य एवं अन्य अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर में प्राचार्य, प्रवक्ता-अंग्रेजी, प्रवक्ता-वाणिज्य व प्रवक्ता-शारीरिक शिक्षा के एक-एक पद रिक्त हैं।

प्राचार्य पद को भरने की कार्यवाही की जा रही है। प्रवक्ता के रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर राजकीय इण्टर कालेज बासुरा महमूदाबाद में प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

114-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज बासुरा, महमूदाबाद जनपद सीतापुर में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रधानाचार्य व अन्य अध्यापकों के रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्रधानाचार्य के पद पर यथाशीघ्र तैनाती की जायेगी। लोक सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचन के क्रम में संस्तुत अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा। स्नातक के वेतनक्रम के पदों पर चयन की कार्यवाही मा0 न्यायालय उत्तरांचल के आदेश द्वारा अवरुद्ध है इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के राजकीय कन्या इण्टर कालेज महमूदाबाद में प्रधानाचार्य व अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

115-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज महमूदाबाद, सीतापुर में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रधानाचार्य व अन्य अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर अध्यापकों को स्थानान्तरित कर तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

विवरण के अनुसार स्वीकृत पदों के सापेक्ष निम्न पद रिक्त हैं :-

प्रधानाचार्या	-	01
प्रवक्ता	-	06
स्नातक	-	02

प्रधानाचार्या के पद पर यथाशीघ्र तैनाती की जायेगी। प्रवक्ता वेतनक्रम के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा। स्नातक के वेतनक्रम के पदों पर चयन की कार्यवाही मा0 न्यायालय, उत्तरांचल के आदेश द्वारा अवरुद्ध है इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन एवं कैंसर यूनिट की स्थापना

116-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद के जिला अस्पताल में पूर्व में 2005-2006 व 2006-2007 में सी0टी0 स्कैन व कैंसर से सम्बन्धित नई मशीनों के लिये धन आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मशीनों को स्थापित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

सी0टी0 स्कैन की मशीन स्थापित हो चुकी है। कैंसर यूनिट की स्थापना अन्तिम चरण में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद के ग्राम करैया व सरोठ के विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण

117-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सादाबाद जनपद-हाथरस के अम्बेडकर ग्राम करैया व सरोठ के विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण की क्या कोई कार्य योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

वर्ष 1995-96 से वर्ष 2002-03 तक के चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विद्यालयों में चहारदीवारी के निर्माण का प्रस्ताव 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के मान सिंह यादव उ0 मा0 विद्यालय द्वारा फर्जी मान्यता प्राप्त करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

118-श्री उदयभान करवरिया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के मान सिंह यादव उ0 मा0 विद्यालय द्वारा फर्जी रूप से मान्यता प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 501409 दिनांक 28-6-07 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक, कौशाम्बी से स्थलीय जांच करायी जा रही है। आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम गोडइचा में कन्या इण्टर कालेज के निर्माण की मांग

119-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि असेवित वि0 खं0 योजना के अन्तर्गत ग्राम गोडइचा तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर के लिये स्वीकृत कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण में त्रुटिपूर्ण चयन की जांच प्रचलित होने के कारण स्वीकृत धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।

गोरखपुर महानगर में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत की मांग

120-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कितने भवन जर्जर हालत में हैं ? इनका विवरण क्या है तथा इन्हें कब तक बनवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद गोरखपुर महानगर में 06 प्राथमिक विद्यालय तथा 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर हालत में हैं। जिनका विवरण निम्नवत् है :-

प्राथमिक विद्यालय-रायगंज (बालक) विलन्दपुर, अधियारी बाग, मानसरोवर, घोसीपुरवा, महेवा, 25वीं पी0ए0सी0 वाहिनी।

प्रश्नगत प्राथमिक विद्यालय किराये के भवन एवं मंगनी के भवन में होने के कारण निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट में 65 वर्ष से अधिक आयु के प्रोफेसर को हटाये जाने की मांग

121-श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कैम्पस में स्थित इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट में 65 वर्ष से अधिक आयु के डायरेक्टर एपेक की चेयरपरसन तथा कितने अध्यापक नियमित/एडहाक/कान्ट्रेक्ट मानद के रूप में कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त अध्यापकों को हटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट में किसी एपेक के डायरेक्टर को चेयरपरसन के पद पर तैनात नहीं किया गया है। उक्त इंस्टीट्यूट में कुल 05 मानद प्रोफेसर्स, जो 65 वर्ष या 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट में कुल 73 शिक्षक कार्यरत हैं जिनमें से नियमित वेतनमान के अन्तर्गत 43 शिक्षक तथा नियत वेतन में 30 शिक्षक कार्यरत हैं। उक्त के अतिरिक्त तदर्थ एवं संविदा के रूप में कोई शिक्षक कार्यरत नहीं है।

जी नहीं।

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कैम्पस में स्थित इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित है। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन कराया गया था और निदेशक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी के पद पर चयन भी हो गया था किन्तु चयनित अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। प्रोफेसर्स के पदों हेतु निर्धारित मानक के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इंस्टीट्यूट में 65 वर्ष या 65 वर्ष से अधिक आयु के मानद प्रोफेसर्स की तैनाती कर संचालन किया जा रहा है।

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में अन्य विश्वविद्यालयों के समान बैक पेपर परीक्षा शुल्क लागू किये जाने की मांग

122-श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि यू0पी0 टी0यू0 रूहेल खण्ड, विश्वविद्यालय, बरेली तथा उ0 प्र0 के अन्य विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग (बी0टेक0) में 8 बैक पेपर तक की परीक्षा शुल्क मात्र रु0 200/- से रु0 300/- तक ही लिया जाता है जबकि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कैम्पस में स्थित इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट के छात्र/छात्राओं से प्रति बैक पेपर्स परीक्षा शुल्क रु0 3500/-लिया जाता है ? क्या सरकार छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में अन्य विश्वविद्यालयों के समान बैक पेपर परीक्षा शुल्क लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट द्वारा बी0टेक0 के 04 वर्षीय पाठ्यक्रम में 08 सेमेस्टर तक बैक पेपर्स हेतु कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है किन्तु यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित पाठ्यक्रम 04 वर्ष में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी से रु0 3500/-शुल्क लिया जाता है और साथ ही उसे निर्धारित छात्र की भांति कक्षा में पढ़ने व प्रायोगिक कक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।

जी नहीं।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग (बी0टेक0) पाठ्यक्रम जो स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित है जिसमें 08 बैक पेपर्स तक की परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में भिन्नता है इसलिए किसी एक विश्वविद्यालय को आधार बनाकर बैक पेपर्स की परीक्षा शुल्क निर्धारित नहीं की जा सकती है।

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट में कोटा पूर्ण करने की मांग

123-श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कैम्पस में स्थित इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट में सामान्य जाति, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के कितने लेक्चरर्स, रीडर, एसोसिएट/प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष नियमित/एडहाक/कान्ट्रेक्ट/मानद के रूप में कार्यरत हैं ? क्या अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति का उपरोक्त पदों पर आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो आरक्षण कोटा कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कैम्पस में स्थित इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट में कुल 73 शिक्षक कार्यरत हैं जिनमें से नियमित वेतनमान के अन्तर्गत उपाचार्य पद पर 05 सामान्य श्रेणी एवं 02 अनुसूचित जाति के शिक्षक तथा प्रवक्ता पद पर 22 सामान्य श्रेणी, 12 अन्य पिछड़ी जाति एवं 02 अनुसूचित जाति के शिक्षक कार्यरत हैं। नियत वेतन में मानद प्रोफेसर के पद पर 05 सामान्य श्रेणी के शिक्षक तथा प्रवक्ता पद पर 18 सामान्य श्रेणी, 06 अन्य पिछड़ी जाति एवं 01 अनुसूचित जाति के शिक्षक कार्यरत हैं। उक्त के अतिरिक्त तदर्थ एवं संविदा के रूप में कोई शिक्षक कार्यरत नहीं है।

जी नहीं।

यथाशीघ्र। विज्ञापन प्रकाशित कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के ब्लाक बामौर के ग्राम ठर्रो एवं घटियारी में जू0 हाई स्कूल की स्थापना की मांग

124-श्री दीप नारायन सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ठर्रो एवं ग्राम घटियारी ब्लाक बामौर जनपद झांसी में जूनियर हाई स्कूल का निर्माण न होने के कारण इन ग्रामों के बच्चे 9 कि0मी0 दूर पढ़ने के लिये जाते हैं तथा कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में विद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

नवीन जूनियर हाई स्कूल की स्थापना हेतु मानक 800 की जनसंख्या एवं 02 कि0मी0 की दूरी अनिवार्य है। ग्राम घटियारी की आबादी 446 है एवं निकट विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरमायन 03 कि0मी0 है। ग्राम ठर्रो की आबादी 600 है और उक्त ग्राम पूर्व माध्यमिक विद्यालय घनौरा से दूरी 04 कि0मी0 है।

जी नहीं।

ग्राम ठर्रो एवं घटियारी की आबादी 800 के मानक से कम होने के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

125-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[दूसरे गुरुवार के अता0प्र0सं0-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा मण्डल के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार कराये जाने की मांग

126-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा मण्डल के कितने सरकारी माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवन लगभग 100 वर्ष पुराने होने के कारण जर्जर हो चुके हैं ? क्या सरकार इनका जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

आगरा मण्डल के दो विद्यालय, राजकीय इण्टर कालेज आगरा तथा राजकीय इण्टर कालेज, एटा जर्जर हैं।

भूमि की उपलब्धता, विद्यालय भवन के निष्प्रयोज्य होने का सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण-पत्र एवं परिव्यय/बजट की व्यवस्था होने पर विद्यालयों का जीर्णोद्धार कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस रोग के मृतक एवं विकलांग बच्चों हेतु धनराशि एवं मुफ्त मच्छरदानी की व्यवस्था वर्तमान में लागू करने की मांग

127-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 2006 में इंसेफ्लाइटिस रोग से मरे हुये बच्चों का 25 हजार, इस रोग से विकलांग बच्चों को 50 हजार तथा इस रोग से चिन्हित गांवों में मुफ्त मच्छरदानी वितरित की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सुविधा वर्तमान में भी रोगियों को सरकार देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

वर्ष 2005 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक मस्तिष्क ज्वर से मृतक रोगियों के परिवार को रुपये 25 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी थी। इसी प्रकार विकलांग हुये रोगियों को रुपये 50 हजार की आर्थिक सहायता दिनांक 31 मार्च, 2006 तक प्रदान की गयी थी। वर्ष 2005 में पूर्वांचल के 07 अति संवेदनशील जनपदों में मच्छरदानी वितरित की गयी थी।

जी नहीं। उपरोक्त व्यवस्था तात्कालिक व्यवस्था के रूप में की गयी थी।

इन्सेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने हेतु 1 से 15 वर्ष आयु के बच्चों को भारत सरकार की सहायता से चीन निर्मित जे0ई0 वैक्सीन द्वारा टीकाकरण कराया जा रहा है। इन्सेफ्लाइटिस रोग से विकलांग हुए रोगियों के पुनर्वास हेतु स्थायी व्यवस्था के रूप में विकलांग कल्याण विभाग द्वारा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के परिसर में "मनोविकास केन्द्र" की स्थापना की गयी है।

128-डा0 अनिल चौधरी-

[पहले गुरुवार के अता0प्र0सं0-164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर के स्व0 परमेश्वरदीन चौरसिया की मृत्योपरान्त उनके उत्तराधिकारी को समस्त देयों का भुगतान कराये जाने की मांग

129-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 परमेश्वरदीन चौरसिया पुत्र स्व0 मोहन लाल नि0 ग्राम रतसिया तहसील व जनपद लखीमपुर खीरी जो प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर विकास क्षेत्र निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में कार्यरत थे, की मृत्यु दिनांक 24-8-1985 को सेवाकाल में हो गई थी ? क्या यह सत्य है कि मुख्य सचिव महोदय ने अपने पत्र सं0-2934/एम0एस0/एम0/आई0एस0सी0/2007, दिनांक 15 मार्च, 2007 द्वारा स्व0 परमेश्वरदीन चौरसिया सहायक अध्यापक के पारिवारिक सदस्यों से सम्बन्धित तीन उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र दिनांक 19-11-1985, 23-09-2005 एवं 25-01-2006 की जांच सचिव, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जिला अधिकारी, खीरी से कराकर जांच आख्या 31 मार्च, 2007 तक प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया था ? यदि हां, तो क्या मुख्य सचिव के उक्त आदेश के अनुपालन में उक्त तीनों उत्तराधिकार प्रमाण-पत्रों की जांच कराकर वास्तविक उत्तराधिकारी श्रीमती शिवदेवी चौरसिया पत्नी स्व0 परमेश्वरदीन चौरसिया स0अ0 को अवशेष देयों का भुगतान करने, पेंशन देने तथा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित करने के सम्बन्ध में सरकार आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां।

जांच आख्या के अनुसार श्रीमती शिवदेवी चौरसिया एवं उनकी पुत्री उत्तराधिकारी के रूप में पात्र सिद्ध नहीं हुई हैं। अपात्र होने के कारण न तो श्रीमती शिवदेवी चौरसिया को पेंशन देय है और न ही कथित उत्तराधिकारी उनकी पुत्री को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के शासकीय मा0 विद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों को उनके अवशेष देयकों का भुगतान कराये जाने की मांग

130-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के शासकीय मा0 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को जुलाई, 05 से अद्यतन डी0ए0 में समय-समय पर वृद्धि एवं डी0ए0 में 50% मर्जर के अवशेष का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि जनपद के शिक्षकों/शिक्षिकाओं के प्रसूति अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, एल0टी0सी0, चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान आदि के व्यक्तिगत अवशेष देयकों का भुगतान भी लम्बित है ? यदि हां, तो किन अधिकारियों/कर्मचारियों के भुगतान किस तिथि से लम्बित है और क्यों ? क्या सरकार प्रश्नगत समस्त अवशेष देयकों का भुगतान तत्काल करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से प्री-आडिट की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर धनावंटन कर दिया जायेगा।

जी हां।

लम्बित देयकों से सम्बन्धित विद्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संलग्न है जिसमें प्री-आडिट की स्वीकृति प्राप्त होने पर धनावंटन किया जायेगा।

प्री-आडिट की प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात् भुगतान हेतु धनावंटन कर दिया जायेगा।

(सूची के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 225-227 पर।)

प्रदेश में गत वर्षों में दवाओं के भरे गये सैम्पल मानक के विपरीत पाये जाने पर कार्यवाही

131-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-2006 एवं 2006-2007 में प्रदेश में कितने दवाओं के सैम्पल भरे गये हैं तथा इनमें से कितने सैम्पल मानक के विपरीत पाये गये ? सरकार द्वारा इनके दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में वर्ष 2005-06 में 1817 एवं वर्ष 2006-07 में 1475 दवाओं के नमूने लिये गये। वर्ष 2005-06 में कुल 03 नमूने नकली एवं 96 नमूने अधोमानक पाये गये थे। इसी प्रकार वर्ष 2006-07 में कुल 03 नमूने नकली एवं 48 नमूने अधोमानक पाये गये थे।

वर्ष 2005-06 में नकली एवं अधोमानक पाये गये कुल 99 प्रकरणों में से 14 प्रकरणों में वाद दायर किया गया, 13 प्रकरणों में वाद दायर करने के निर्देश दिये गये, 29 प्रकरणों में दूसरे राज्यों को विवेचना एवं कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया गया, 08 प्रकरणों में निर्माण लाइसेन्स निरस्त किया गया तथा 35 प्रकरणों में निर्माता फर्म को लाइसेन्स निलम्बन/निरस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया।

वर्ष 2006-07 में नकली एवं अधोमानक पाये गये कुल 49 प्रकरणों में से 04 प्रकरणों में वाद दायर किया गया, 13 प्रकरणों में वाद दायर करने के निर्देश दिये गये, 13 प्रकरणों में दूसरे राज्यों को विवेचना एवं कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया गया तथा 19 प्रकरणों में निर्माता फर्म को लाइसेन्स निलम्बन/निरस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गत वर्षों में पोलियो के केस का विवरण एवं कारणों की जांच कार्यवाही

132-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2006 एवं वर्ष 2007 में पोलियो के कितने नये केस सामने आये हैं ? क्या सरकार ने इसके कारणों का अध्ययन किया ? क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

प्रदेश में वर्ष 2006 में पोलियो के 548 केस तथा वर्ष 2007 में अब तक 251 केस प्रकाश में आये हैं।

हां, इण्डियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली से कारणों का अध्ययन कराया जा रहा है।

अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गैलेन्ट्री मैडल हासिल करने वाले भूतपूर्व सैनिक/अधिकारियों को वार्षिक नगद राशि बढ़ाने की मांग

133-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे फौजी सिपाही/अधिकारियों को जिन्होंने किसी युद्ध में उत्कृष्ट सेवा के लिये गैलेन्ट्री मैडल हासिल किये हों, को प्रदेश सरकार राज्य स्तर से मिलने वाली वार्षिक नगद राशि अन्य पड़ोसी राज्यों की भांति बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना निषाद-

अन्य पड़ोसी राज्यों से स्थिति स्पष्ट कराई जा रही है।

स्थिति स्पष्ट होने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) का प्रशिक्षण एवं नियुक्ति

134-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) जिनकी ट्रेनिंग वर्ष 1986 से 1991 तक हो चुकी है, की नियुक्ति की जा चुकी है ? यदि हां, तो श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री मलखान सिंह नि0 ग्राम व पो0 मढ़ाहबीपुर तहसील खैर जनपद अलीगढ़ जिन्होंने भी वर्ष 1988-89 में आगरा में ट्रेनिंग की थी, की अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं की गयी है ? नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 23-9-98 एवं दिनांक 7-9-2001 के परिप्रेक्ष्य में जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 1986 से 1991 के मध्य विभागीय मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया था, में से जिनके आवेदन-पत्र निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त हुए थे, की नियुक्ति की जा चुकी है।

श्री सत्यपाल सिंह, पुत्र मलखान सिंह नि0-ग्रा0 व पो0 मढाहबीपुर तहसील खैर जनपद अलीगढ़ का आवेदन-पत्र विज्ञापन दिनांक 23-9-98 एवं दिनांक 7-9-2001 के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत नहीं प्राप्त हुआ था, इस कारण इनको नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है।

वर्तमान में आरक्षित श्रेणी की बिना भरी रिक्तियों से उत्पन्न बैकलाग को पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। श्री सत्यपाल सिंह अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) संवर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में कोई बैकलाग नहीं है, ऐसी स्थिति में श्री सत्यपाल सिंह की नियुक्ति सम्प्रति नहीं की जा सकती है। सामान्य चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित होने पर यदि श्री सत्यपाल सिंह द्वारा आवेदन किया जाता है तो नियमानुसार इनके चयन पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के कितने सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की तैनाती की मांग

135-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बागपत के कितने सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 में मानक के अनुसार चिकित्सक व पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती नहीं है ? यदि हां, तो कब तक चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की तैनाती कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद बागपत के समस्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्साधिकारी मानक के अनुसार तैनात नहीं हैं, किन्तु जनपद बागपत में कोई भी चिकित्सालय चिकित्सक विहीन नहीं है। उपलब्धता के आधार पर यथा सम्भव चिकित्साधिकारियों/पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गयी है।

वर्ष 2005 एवं 2006 में चिकित्साधिकारियों के विशेषज्ञ/सामान्य उपसंवर्ग (पुरुष/महिला) के कुल 2450 रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष 2006-07 में लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा 1645 चिकित्साधिकारियों के चयन कर संस्तुति उपलब्ध करायी गयी जिनको प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैनात किया गया है। इनमें से जनपद बागपत में भी चिकित्सकों की तैनाती उपलब्धता के आधार पर की गयी है।

पैरामेडिकल स्टाफ/स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर चयन हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0 प्र0 लखनऊ को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत की सहकारी समितियों पर डी0ए0पी0 खाद उपलब्ध कराने की योजना

136-डा0 अजय तोमर-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बागपत में सहकारी समितियों पर डी0ए0पी0 उर्वरक मांग के अनुरूप उपलब्ध कराने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल में ब्लड बैंक खोले जाने की मांग

137-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर में ब्लड बैंक की व्यवस्था न होने के कारण गम्भीर मरीजों की आये दिन मौतें होती रहती हैं ? क्या सरकार उक्त अस्पताल में ब्लड बैंक खोले जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

ब्लड बैंक के अभाव में गम्भीर मरीजों की मृत्यु की कोई सूचना संज्ञान में नहीं है।

ब्लड बैंक का भवन निर्मित हो चुका है एवं आवश्यक पदों का सृजन भी किया जा चुका है। ब्लड बैंक को क्रियाशील करने हेतु लाइसेन्स प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महिला अस्पताल बांसी जनपद सिद्धार्थनगर में महिला चिकित्सक की तैनाती की मांग

138-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला अस्पताल, बांसी जनपद सिद्धार्थनगर में कितने महिला चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पदों पर महिला चिकित्सक तैनात हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती करने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

महिला चिकित्सालय, बांसी जनपद सिद्धार्थनगर का अस्तित्व अलग से नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महाविद्यालयों में सांध्यकालीन, प्रातःकालीन कक्षाओं के संचालन हेतु निर्देश एवं वार्षिक शिक्षण शुल्क का निर्धारण

139-श्री उदयराज यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाविद्यालयों में संचालित सांध्यकालीन कक्षाओं तथा प्रातःकालीन कक्षाओं के शिक्षा शुल्क के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गयी है ? क्या सांध्यकालीन कक्षाओं के नाम पर प्रबन्धतंत्र द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षा शुल्क लिया जा रहा है, जबकि कहीं भी सांध्यकालीन कक्षा शिक्षकों के अभाव में संचालित नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई उपाय कर रही है ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत ही सांध्यकालीन कक्षाओं को संचालित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं जिसमें स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रत्येक के लिए रु0 5000/-वार्षिक शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित

महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर रु0 132/-स्नातकोत्तर स्तर पर रु0 180/-तथा बी0एड0 पाठ्यक्रम स्तर पर रु0 216/-वार्षिक शिक्षण शुल्क निर्धारित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रबन्ध तंत्रों द्वारा चलाये जा रहे कालेजों के जर्जर भवनों हेतु धन उपलब्ध कराने का कथित प्रकरण

140-श्री उदयराज यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में प्रबन्ध तंत्रों द्वारा चलाये जा रहे इण्टरमीडिएट कालेजों के जर्जर हो चुके भवनों को चिन्हित करते हुए उनके निर्माण हेतु धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

उ0 प्र0 शिक्षा निदेशालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को सहायक उप शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति की मांग

141-श्री सुखलाल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक (उ0 शि0) उ0 प्र0 ने निदेशालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को सहायक उप शिक्षा निदेशक के राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी) के पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव अ0शा0 पत्रांक शि0नि0 (उ0शि0)/257/2000-101, दिनांक 25-10-2000 शासन को भेजा है ? यदि हां, तो प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? पदोन्नति सम्बन्धी शासनादेश कब तक निर्गत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के विपरीत पैरा मेडिकल स्टाफ की लखनऊ के चिकित्सालयों में तैनाती के विरुद्ध कार्यवाही

142-श्री पूरन प्रकाश-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दि0 10-1-2006 को पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों के विपरीत कितने स्थानान्तरित पैरा मेडिकल संवर्ग कर्मियों को अल्प अवधि की सेवा के उपरान्त पुनः यथावत लखनऊ के

महानगर स्थित चिकित्सालय में तैनात कर दिया गया है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

दो।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के सरदार पटेल महाविद्यालय सोनाई घटवा के छात्र/छात्राओं को गत वर्ष की छात्रवृत्ति दिलाये जाने सम्बन्धी जानकारी

143-श्री उदयभान करवरिया-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरदार पटेल महाविद्यालय सोनाई घटवा तहसील करछना जनपद इलाहाबाद के छात्र/छात्राओं को बी0ए0 प्रथम वर्ष 2005 एवं बी0ए0 द्वितीय वर्ष के छात्रों को वर्ष 2006-07 की छात्रवृत्ति दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2005 में उक्त महाविद्यालय के कोई छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु अर्ह नहीं पाये गये। वर्ष 2006-07 में छात्रवृत्ति हेतु बजट की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पैतृक विभाग वापस किये जाने की मांग

144-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने के क्या नियम हैं ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि वर्तमान में लखनऊ में उक्त निगम में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं तथा उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि कितनी है ? प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी कर चुके अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग में कब तक वापस कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम में लागू सेवा नियमावली में प्राविधान है कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने वाले कर्मचारियों के अनुबन्ध और शर्तें वही होंगी जो कि निगम और सेवायोजक के बीच तय की जायेंगी, जहां से सेवायोजक प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। शासन द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी सेवा शर्तों के अधीन यह प्रतिनियुक्ति होती है।

उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम के अधीन वर्तमान में एक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। उनकी नियुक्ति निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त तीन वर्ष तक इस शर्त पर की गयी है कि प्रथम वर्ष में इनके क्रिया-कलाप की समीक्षा उपरान्त आगे दो वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ायी जायेगी ।

वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं की गयी है।

अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई बांदा के विरुद्ध अनियमितताओं विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र

145-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-7-2007 अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, बांदा को जो वर्ष 2002 से अब तक जनपद-बांदा के समस्त विकास खण्डों में परियोजनावार, तालाब, चेकडेमों, निःशुल्क बोरिंग व अन्य कार्यों में गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाखीराम नागर-

जी हां। संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है, जो अनियमितताओं के सम्बन्ध में नहीं है।

माननीय सदस्य द्वारा वांछित सूचनायें अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रखण्ड, बांदा के पत्र संख्या-992/ल0सिं0/कार्य/07-08/दिनांक 15-10-07 द्वारा विशेष पत्र वाहक के माध्यम से उनके आवास पर दिनांक 16-10-07 को भेजी गयी, जिसकी प्रति जिला विकास अधिकारी जनपद-बांदा को भी पृष्ठांकित है। मा0 सदस्य द्वारा उक्त पत्र प्राप्त नहीं किया गया। मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को अपने स्तर से सूचना मा0 सदस्य को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद हाथरस में चिकित्सा अधिकारियों की कमी को दूर करने के उपाय

146-डा0 अनिल चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हाथरस में चिकित्सा अधिकारियों की कमी के कारण जन स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कमी को दूर करने के लिए कोई प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी, नहीं। जनपद हाथरस में चिकित्साधिकारियों के 102 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 57 चिकित्साधिकारी कार्य कर रहे हैं।

चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को वर्ष 2006-07 में अधियाचन प्रेषित किया गया था, जिसके आधार पर आयोग द्वारा कुल 1645 चिकित्साधिकारियों के चयन की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त संस्तुति के आधार पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों सहित जनपद हाथरस में भी चिकित्साधिकारियों की तैनाती की गयी है। चिकित्साधिकारियों के जो पद अभी भी रिक्त हैं, उन्हें चिकित्सा की उपलब्धता के आधार पर भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सैनिक कल्याण निगम लखनऊ के माध्यम से एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में पेशेन्ट अटैण्डेन्ट के पद से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समस्त देयों का भुगतान

147-श्री उदयराज यादव-

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सैनिक कल्याण निगम लखनऊ के माध्यम से एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में वर्ष 2006 एवं 2007 में पेशेन्ट अटैण्डेन्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना निषाद-

जी हां। वर्ष 2006 व वर्ष 2007 में एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में उ0 प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से लगाये गये पेशेन्ट अटैण्डेन्ट में से कुल 36 पेशेन्ट अटैन्डेन्ट को सेवानिवृत्त किया गया था। इन सभी पेशेन्ट अटैन्डेन्ट के समस्त अंतिम देयकों का भुगतान इनके सेवा मुक्ति के लगभग 60 दिन के अन्दर कर दिया गया है व वर्तमान में इनका कोई भी भुगतान अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सैनिक कल्याण नि0 लि0 लखनऊ के माध्यम से एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों को किये गये भुगतान की जांच

148-श्री उदयराज यादव-

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सैनिक कल्याण नि0 लि0, लखनऊ के माध्यम से एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कार्यरत कर्मचारियों को पी0जी0आई0 द्वारा प्रति कर्मचारी प्रतिमाह कितनी धनराशि वेतन के रूप में निगम को अदा की जा रही है एवं निगम द्वारा कितनी धनराशि प्रति कर्मचारी प्रतिमाह भुगतान की जा रही है ? क्या यह सही है कि कार्यरत कर्मचारियों को कई-कई माह के वेतन का भुगतान रोककर प्रतिमाह की 20 से 25 तारीख तक भुगतान किया जाता है, जबकि भुगतान प्रथम सप्ताह तक हो जाना चाहिए ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर नियमित भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना निषाद-

जी हां।

पी0जी0आई0 द्वारा निगम को प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से रु0 6150.28 का भुगतान किया जाता है तथा निगम द्वारा प्रतिमाह प्रति कर्मचारी लगभग रु0 3700.00 का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें नियमानुसार बोनस ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि के लाभ भी दिये जाते हैं। एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा निगम को प्रति कर्मचारी की दर से जो भुगतान किया जाता है उसमें जोड़कर @ 12.36 प्रतिशत, सेवा प्रभार @ 10.00 प्रतिशत व भविष्य निधि (नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों का अंश यानि कुल 25.61 प्रतिशत) की धनराशि भी सम्मिलित होती है, अतः अवशेष राशि का ही भुगतान पूर्व सैनिकों को किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिकों के वेतन के प्रतिमाह भविष्य निधि की कटौती (कर्मचारी का अंशदान) भी की जाती है।

एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा निगम को वेतन बिलों का भुगतान लगभग 03 माह के विलम्ब से किया जाता है। जब तक निगम में धन की उपलब्धता रहती है तब तक कर्मचारियों को भुगतान समय से किया जाता है किन्तु धन की उपलब्धता न होने की अवस्था में एस0जी0पी0जी0आई0 से भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त ही कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

149-श्री उदयभान करवरिया-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

150-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[पहले बुधवार के अता0प्र0सं0-191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बाराबंकी के महिला चिकित्सालय में रैन बसेरा बनाने की कार्यवाही

151-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बाराबंकी के महिला चिकित्सालय में तीमारदारों हेतु एक रैन बसेरा बनाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक बिछिया के अन्तर्गत ग्राम जगवा के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र चयन प्रक्रिया में धांधली विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र

152-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ब्लाक बिछिया के अन्तर्गत ग्राम जगवा के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र चयन में की गयी धांधली से सम्बन्धित श्रीमती संगीता देवी का शिकायती-पत्र दिनांक 4-7-2007 उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या यह सत्य है कि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बिछिया द्वारा उक्त शिकायत की जांच दिनांक 30-7-2007 को की गयी ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र जांच के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

जी हां।

जांचोपरान्त श्रीमती संगीता देवी निवासी ग्राम जगवा, ग्राम पंचायत तारगांव द्वारा प्राथमिक विद्यालय, तारगांव-II में शिक्षा मित्र के पद पर चयन हेतु अपना आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में ग्राम शिक्षा समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इनका औसत प्रतिशत 54.8% % चयनित अभ्यर्थी श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव के लाब्धांकों का औसत 62.2% से कम होने के कारण इनका चयन नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा, हमीरपुर व चित्रकूट में सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वा0 केन्द्र के निर्माण की गुणवत्ता की जांच

153-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-बांदा में चिकित्सा विभाग हेतु राजकीय निर्माण निगम द्वारा जनपद-बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर में सामुदायिक स्वा0 केन्द्र, प्राथमिक स्वा0 केन्द्र निर्माणाधीन है ? यदि हां. तो उक्त निर्माण की प्रगति क्या है ? क्या मटौन्ध, परपोना सिमोनी, गडरिया, चंदवारा, गोयरा

मुगली में भी प्राथमिक स्वा0 केन्द्र बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? क्या सरकार कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रश्नगत जनपदों में राजकीय निर्माण निगम द्वारा केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण की प्रगति 6 प्रतिशत से 80 प्रतिशत है।

जी हां।

परपोना के स्थान पर परसौड़ा का नाम है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मटौन्ध, गौरा मुगली व करतल हेतु भूमि विवादित है। इन्हें छोड़कर अन्य सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य जून, 2008 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को अपने स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों को देखने की संख्या

154-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्र सं0-निदे0/चि0उ0/सो-3754 दिनांक 14/16-8-07 द्वारा प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि अपने स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रतिदिन अधिकतम केवल 20 नये रोगी और महीने में 500 तथा इसी प्रकार ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी नये मरीजों को देखने की संख्या सीमित कर दी गयी है ? यदि हां, तो इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0 प्र0 के सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 14/16/2007 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा इकाइयों हेतु संशोधित/पुनरीक्षित मानक निर्धारित किए गए हैं। जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 20 नए रोगी प्रतिदिन व 500 नये रोगी प्रतिमाह निर्धारित हैं।

पुनः महानिदेशक, चिकित्सा के पत्र दिनांक 27/10/2007 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित मानक प्रतिदिन अथवा प्रतिमाह "न्यूनतम" है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के ग्राम सभा रघुनाथपुर के ग्राम प्रधान द्वारा प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में अनियमितता की कथित शिकायत

155-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के ग्राम सभा रघुनाथपुर में ग्राम प्रधान द्वारा प्राथमिक विद्यालय का निर्माण ग्राम सभा द्वारा विद्यालय के लिए आरक्षित जमीन पर न कराकर डीहबाबा के नाम से आरक्षित जमीन पर कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता के लिए ग्राम प्रधान/प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में मृतक आश्रित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति

156-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव में वर्ष 2003 से अब तक कितने मृतक आश्रित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हुई ? उन शिक्षकों को शिक्षा गुणवत्ता हेतु प्रशिक्षित कराया गया ? यदि नहीं, तो कब तक प्रशिक्षण कराया जायेगा ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

60 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हुयी है।

जी नहीं।

कार्यवाही गतिमान है।

जनपद रायबरेली के चिकित्सालयों में एन्टी रैबिज वैक्सीन की कमी

157-श्री राजाराम त्यागी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली जनपद के अस्पतालों में एन्टी रैबिज वैक्सीन की कमी है ? यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की प्रा0 पाठशाला सोनबरसा के प्रधानाध्यापक द्वारा राष्ट्रीय झण्डे के अपमान करने के प्रकरण पर कार्यवाही

158-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के प्रा0पाठ0 सोनबरसा क्षेत्र मनकापुर के प्रधानाध्यापक को 15 अगस्त, 07 राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय झण्डे को अपमानित एवं राष्ट्रीय कार्य से लापरवाही करने के आरोप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा द्वारा दिनांक 21-8-07 को निलम्बित किया गया है। यदि हां, तो इस गम्भीर प्रकरण की जांच में दोषी पाये जाने पर अब तक क्या कानूनी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जांच की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में राजकीय बालिका उ0 मा0 विद्यालय भवन का निर्माण

159-श्री सर्वेश सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के तहसील सगड़ी में वर्ष 1994-95 में लगभग एक करोड़ तीस लाख रुपये की लागत से राजकीय बालिका उ0 मा0 विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो अब तक उसमें पठन-पाठन शुरू न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

विद्यालय भवन का निर्माण एजेन्सी द्वारा कराया गया है जो विभाग को अब तक सौंपा नहीं गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक हाथवंत के ग्राम रैपुरा स्थित प्राइमरी पाठशाला में भोजन सामग्री का वितरण

160-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फिरोजाबाद के ब्लाक हाथवंत के गांव रैपुरा स्थित प्राइमरी पाठशाला में आज तक भोजन सामग्री का वितरण न होने के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से फर्जी उपभोग प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर इसके दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं। जिला विद्यालय निरीक्षक, मध्यान्ह भोजन के सम्बन्ध में उपभोग प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के मोहल्ला देवनगर में कन्या प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन का पुनर्निर्माण

161-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-फिरोजाबाद के मोहल्ला देवनगर स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों की सेवा नियमावली के आधार पर पांच सवंर्ग के पद का सृजन एवं संवर्गीय पदों पर इनके नियम विरुद्ध स्थानान्तरण पर कार्यवाही की मांग

162-श्री बैजनाथ दुबे-

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग-1 के पत्र सं0-1723(1)/62-1-99-10 जीडब्लू/95 लखनऊ दिनांक 6 जुलाई, 1999 की अधिसूचना द्वारा भूगर्भ जल विभाग के प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के सेवा नियमावली एवं विभिन्न शासनादेशों द्वारा विभाग में सृजित तकनीकी कार्यों के आधार पर पांच संवर्ग सिविल इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजी0 जियोलॉजी, जियोफिजिक्स एवं वैज्ञानिक संवर्ग के पद सृजित किये गये हैं ? क्या इसी आधार पर श्रेणी दो एवं श्रेणी प्रथम की वरिष्ठता सूची संवर्गवार अलग-अलग शासन द्वारा निर्गत की गयी है ? यदि हां, तो विगत 3 वर्षों में उक्त शासकीय व्यवस्था के विपरीत अधिकारियों को संवर्गवार खण्डों/पदों पर स्थानान्तरण न करके दूसरे गैर संवर्गीय पदों पर स्थानान्तरण किस नीति के अन्तर्गत किया गया है ? क्या सरकार नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जी हां।

जी हां।

सभी स्थानान्तरण विभागीय कार्यों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ के ब्लाक मंगरौरा में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय रामनाथ शिक्षण संस्थान पूरे कोलाहल में चलने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

163-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में प्राथमिक विद्यालय पूरेकोलाहल सूर्यगढ़ जगन्नाथ परिसर से लगा निजी प्रबन्धतंत्र का विद्यालय रामनाथ शिक्षण संस्थान पूरेकोलाहल जो कक्षा एक से दस तक चलाया जा रहा है को बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है ? क्या उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र क-3/271970 दिनांक 20-9-07 प्रमुख सचिव बेसिक एवं पत्र दिनांक 20-9-07 मा0 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

कक्षा 1 से 5 तक की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है। पत्र सं0-क-3/271970 नहीं, वरन् पत्र क-3/271971 दिनांक 20-9-07 प्राप्त हुआ है।

प्रकरण के जांच के निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों पर चिकित्सकों तथा अन्य के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच की कार्यवाही

164-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों पर चिकित्सकों तथा अन्य के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र सं0 ग-3/568214 दिनांक 13-8-07 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रकरण में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के प्रत्र संख्या-1फ/शिकायत/2007/3252ए, दिनांक 23-10-07 द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद को जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अनेकों मण्डलों में सम्वासी/सम्वासनियों हेतु रहने की समुचित व्यवस्था की जानकारी

165-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल, फैजाबाद मण्डल तथा कानपुर मण्डल में संचालित विभाग की संस्थाओं में निरुद्ध सम्वासी/सम्वासनियों के लिये मानक के अनुसार कमरे, शौचालय, स्नानगृह आदि की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डलों में संचालित संस्थाओं में मानक के अनुसार सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-कानपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के नमूनों में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

166-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में अगस्त, सितम्बर, 2007 में प्रयोगशालाओं में जांच के बाद कितने खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिलावट पाई गई एवं दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार कानपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच हेतु अतिरिक्त प्रयोगशाला स्थापित करने पर विचार करेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

कानपुर नगर में माह अगस्त, सितम्बर, 2007 में क्रमशः 45 एवं 113 नमूने संग्रह कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गये। प्रयोगशाला में जांचोपरान्त अब तक प्रेषित रिपोर्टों के आधार पर 10 नमूने अपमिश्रित पाये गये। दोषियों के खिलाफ वाद दायर करने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

वर्तमान में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच हेतु कानपुर नगर में अतिरिक्त सम्भागीय प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं : --

पहली सूचना श्री कालीचरन राजभर की गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत अमना सिंह सत्ती मां के धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ मध्य क्षेत्रान्तर्गत अशुद्ध पेय जलापूर्ति के कारण फैली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अशोक कंसल की दिनांक 01-09-1998 से पूर्व कब्जा अन्तरण वाले अनुबन्ध-पत्रों के विक्रय-पत्र निष्पादित न होने पर प्राप्त रिफण्ड आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की सीतापुर मुख्यालय पर नवनिर्मित मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम के अधूरे कार्य को तत्काल धन देकर पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनता इण्टर कालेज बावरी, मुजफ्फरनगर की प्रबन्ध समिति द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्यों को रोकने के सम्बन्ध में है, छठवी सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बिजोपुर एवं ग्राम पंजीत में निर्मित 33/11 विद्युत उपकेन्द्रों द्वारा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की आजमगढ़ के शहरी इलाकों में क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री लालजी यादव की सिद्धार्थनगर के बांसी क्षेत्रान्तर्गत नियमित एवं समयबद्ध तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री कौशलेन्द्र नाथ योगी की बलरामपुर के तुलसीपुर एवं गैसड़ी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराने एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर छावनी क्षेत्रान्तर्गत ओमपुरवा, शिव पार्क स्थित ट्यूबवेल एवं सुतरखाना स्थित ट्यूबवेल को रि-बोर कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत श्री चन्द्रभूषण शाह जी महाराज राजकीय कन्या इण्टर कालेज आसपुर देवसरा एवं श्री राम अजोर चौरसिया राजकीय कन्या इण्टर कालेज पट्टी में सभी विषयों के अपेक्षित अध्यापक तैनात करने एवं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति कर पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी के कैंट क्षेत्रान्तर्गत शहरी इलाकों में दूषित पेय जलापूर्ति की समस्या का निदान करने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ कैंट क्षेत्रान्तर्गत नटखेड़ा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की प्रदेश के कोल/आदिवासी जाति को अनुसूचित जनजाति से हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री इमरान मसूद की सहारनपुर के मुजफ्फराबाद क्षेत्रान्तर्गत पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेयजल योजनाओं का वोल्टेज स्टेप्लाइजर एवं जनरेटर

की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की बांदा के तिंदवारी क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में राज्य वित्त सेक्टर योजना एवं बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत अधूरी सड़कों को हाट मिक्स प्लान्ट से बनवाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री सुन्दर सिंह की बुलन्दशहर के स्याना क्षेत्रान्तर्गत बस दुर्घटना में श्री मनोज कुमार की हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की कुशीनगर के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को इन्दिरा आवास न देने एवं अपात्र व्यक्तियों को आवास आवंटन में की जा रही धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री प्रमोद सिंह की देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत गौरी बाजार विकास खण्ड एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर के अन्दर अवैध रूप से आवंटित दुकानों को जांच कराकर निरस्त करने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की जनपद झांसी स्थित ऐतिहासिक आतियाताल का पर्यटन विकास की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री अशोक सिंह चौहान की मैनपुरी क्षेत्रान्तर्गत शासनादेश के अनुरूप विद्युत आपूर्ति एवं रोस्टरिंग करने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद में आवास विभाग द्वारा जारी वर्ष 2002 के शासनादेश को निरस्त कर राजस्व क्षति के मामले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना डा0 कौशल किशोर की लखीमपुर शहर में मरघट स्थल पर उल्ल नदी पर एक्सटेंशन तटबन्ध बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री विश्वनाथ की कुशीनगर के फाजिलनगर क्षेत्रान्तर्गत आशा किरण कार्यकत्रियों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महायोजना-2021 को स्वीकृति देते समय कतिपय कालोनियों की स्वीकृति न दिये जाने से लाखों नागरिकों का जीवन प्रभावित होने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री राजेश अग्रवाल की ग्राम उरुआपुर जनपद बरेली की तीन महिलाओं की रेलगाड़ी से हुयी मृत्यु के फलस्वरूप परिवार के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत मियां का पूरा बाजार एवं सलारगंज में विद्युत तार जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री मिथिलेश कुमार की शाहजहांपुर के ग्राम रामपुर कलां में निर्मित हो रहे 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र के रुके निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग जी की आगरा ट्रांसपोर्टनगर के प्रमुख मार्गों का निर्माण एवं जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह जी की सीतापुर के बेहटा क्षेत्रान्तर्गत तहसील बिसवां एवं तहसील लहरपुर के घाघरा नदी की कटान से प्रभावित गांवों के लोगों को समुचित सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की शाहजहांपुर नगरपालिका की सीमान्तर्गत कतिपय नालों की तली झाड़ सफाई करवाने के सम्बन्ध में है। यह सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव तथा डा0 राधामोहन दास अग्रवाल ने अपनी सूचना पढ़ी शेष स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं।)

गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत अमवा सिंह सत्ती मां के धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कालीचरन राजभर-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद, जनपद-गाजीपुर के अन्तर्गत ग्राम-सभा अमवां सिंह जो अमवा सिंह सत्ती मां के स्थान से जाना जाता है। यहां पर अमवा सिंह सत्ती मां के सतीत्व एवं शक्ति से सर्प काटे हुए रोगी आते हैं तथा मत्था टेकते ही ठीक हो जाते हैं। यहां पर रोजाना श्रद्धालुओं की भीड़ हजारों की तादात में मेरे क्षेत्र तथा जनपद-गाजीपुर, मऊ एवं बलिया से भी आते हैं जिसके कारण यह स्थान धार्मिक स्थान के नाम से जाना जाता है।

अतः आपसे आग्रह है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय मांग को ध्यान में रखते हुए अमवा सिंह सत्ती के धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कृपा करें।]

लखनऊ मध्य में अशुद्ध पेयजलापूर्ति के कारण फैली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से उ0 प्र0 की राजधानी लखनऊ में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

उ0 प्र0 की राजधानी लखनऊ बीमारियों की ढेर पर है, शहर के लगभग 120 मोहल्ले संक्रामक रोग के चपेट में हैं। विगत 11 माह में 23 लोगों की मृत्यु संक्रामक रोग से हुई है। शहर के सहादतगंज, यासीनगंज, अम्बरगंज, जयप्रकाश नगर, आजादनगर आदि अनेकों मोहल्ले संक्रामक रोग की चपेट में हैं। 23 लोगों की असामयिक मृत्यु के बाद भी नगर निगम और जल संस्थान प्रशासन ऐसी घटनाओं के प्रति उदासीन है। लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में प्रदूषित जल पीने के कारण संक्रामक रोग फैल रहा है। अनेकों लोग सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। संक्रामक रोग फैलने का मुख्य कारण फैली हुई गन्दगी, दूषित पेयजल की सप्लाई तथा अक्काधीन पाइप लाइन नालियों व नालों से होकर गुजरना जिससे पुरानी पानी की पाइप लाइनों में लीकेज है और अनेक स्थानों पर सीवर और पानी की लाइनें पास-पास होने के कारण दोनों में लीकेज होने के कारण सीवर और पीने का पानी अनेक स्थानों पर मिल जाता है इन बातों की जानकारी होने के बाद भी जल संस्थान के अधिकारी संक्रामक रोग फैलाने वाली पाइप लाइनों को हटाने में विफल हैं। पेयजल की जांच करने के नाम पर लापरवाही बरती जाती है और केवल क्लोरीन की मात्रा की जांच कर ही जल संस्थान अपने कर्तव्यों को इतिश्री समझ लेता है। पानी की गुणवत्ता की जांच किसी प्रयोगशाला में नहीं करायी जाती है। कुछ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समय पूर्व संचारी रोग विभाग ने पानी की जांच में कई विषैले जीवाणु होने की पुष्टि की थी। इसके बाद भी जल संस्थान के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि दूषित जलापूर्ति नहीं हो रही है। यह समस्या लोगों के जीवन से सीधा जुड़ी हुई है।

मैं मध्य विधान सभा क्षेत्र में अशुद्ध पेयजल के कारण फैली हुई संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और इसके लिए जिम्मेदार जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

दिनांक 01-9-1998 से पूर्व कब्जा अन्तरण वाले अनुबन्ध-पत्रों के विक्रय पत्र-निष्पादित न होने पर प्राप्त रिफण्ड आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक कंसल-

[महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1-बी-अनुच्छेद-5 में अचल सम्पत्ति के विक्रय के कब्जा हस्तान्तरण वाले अनुबन्ध-पत्रों पर देय विक्रय-पत्र के 1/2 धनराशि के बराबर स्टाम्प शुल्क को विक्रय-पत्र निष्पादित न होने की दशा में रिफण्ड किये जाने का प्राविधान था किन्तु भारतीय स्टाम्प उ0 प्र0 संशोधन अधिनियम, 1997 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-22/1998) जो दिनांक 31-8-98 के असाधारण गजट भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित हो चुका है तथा दिनांक 1-9-98 से प्रभावी है, के द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-1-बी के अनुच्छेद-5 संशोधन कर दिया गया है तथा पूर्व अनुच्छेद-5 की जगह नया अनुच्छेद-5 प्रतिस्थापित कर दिया गया है। संशोधित अनुच्छेद-5 विक्रय हेतु अनुबन्ध में कब्जा अन्तरण के मामलों में स्टाम्प शुल्क बढ़ा दिया गया है तथा विक्रय-पत्र निष्पादित न होने की दशा में पूर्व प्राविधान के अनुसार विक्रय-पत्र की आधी धनराशि के बराबर दिये गये स्टाम्प शुल्क का रिफण्ड करने का प्राविधान समाप्त कर दिया है।

अतः इस महत्वपूर्ण लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

सीतापुर में मेजर ध्यानचन्द्र स्टेडियम के अधूरे कार्य को तत्काल धन देकर पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अजय कुमार गुप्ता-

मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान [जनपद सीतापुर मुख्यालय पर मेजर ध्यान चन्द्र स्टेडियम जो नवनिर्मित है की तरफ दिलाना चाहता हूं। उक्त स्टेडियम बहुत ही महत्वपूर्ण खेल जगत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के लिए है स्थानीय स्तर पर कोई इस तरह के स्टेडियम न होने से खिलाड़ियों को काफी असुविधा होती है। यह स्टेडियम का कार्य आधा हो चुका है। धनाभाव के कारण आधे कार्य अवरुद्ध पड़े हैं। स्थानीय अधिकारियों से बार-बार धन उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होती है धन के अभाव में कार्य बाधित है। इससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। यह एक जनहित का विषय है और स्टेडियम का अधूरा कार्य तत्काल धन देकर पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

अतः इस जनहित के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल धन उपलब्ध कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनता इण्टर कालेज बावरी मुजफ्फरनगर की प्रबन्ध समिति द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्यों को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अब्दुल वारिस खां-

[जनता इण्टर कालेज बावरी (मु0 नगर) एक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्था है जो जिला मु0 नगर के ग्राम बावरी में स्थित है। बावरी क्षेत्र के आम लोगों, शिक्षा प्रेमियों, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति के लोगों को प्रबन्धतंत्र में सदस्यता प्रदान नहीं की जाती है। इस संस्था के प्रबन्धतंत्र की मनमानी एवं दुर्भावना के चलते चयन बोर्ड/आयोग से चयनित अल्पसंख्यक समुदाय के प्रधानाचार्य श्री ताहिर हसन को हाई कोर्ट इलाहाबाद के आदेशों के बावजूद विद्यालय में कार्य करने से रोककर कई वर्षों से उनका शोषण एवं उत्पीड़न किया जा रहा है। विद्यालय की प्रबन्ध समिति न तो विधि विधान का पालन करती है और न ही विभागीय आदेशों को संज्ञान में लेती है। विद्यार्थियों से मनमानी फीस वसूलना तथा संस्था के खातों का दुरुपयोग करना प्रबन्ध समिति की आदत बन चुकी है। जिला विद्यालय निरीक्षक मु0 नगर को भी इन्होंने अपने अनुचित प्रभाव में ले रखा है।

अतः उपरोक्त जनहित एवं लोकमहत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मुजफ्फरनगर के ग्राम विजोपुर एवं ग्राम पंजीठ में निर्मित 33/11 विद्युत उपकेन्द्रों द्वारा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हुकुम सिंह-

[जनपद मुजफ्फरनगर में विद्युत आपूर्ति का प्रकरण कई बार सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाया जा चुका है। उपकेन्द्र स्थापित होने के बावजूद मशीनों के अभाव में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सभी कृषक विद्युत आपूर्ति के अभाव में सिंचन सुविधा से वंचित है। पावर कारपोरेशन द्वारा तहसील मुजफ्फरनगर के ग्राम विजोपुर एवं ग्राम पंजीठ तहसील कैराना में दो बिजलीघर (33/11) निर्मित कराये, जिन पर करोड़ों रुपया व्यय हुआ। परन्तु एक ओर तो करोड़ों रुपये व्यय करके विद्युत उपग्रह स्थापित किये गये हैं दूसरी ओर ट्रांसफार्मर एवं अन्य उपकरणों के अभाव में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। परिणामस्वरूप निजी नलकूपों का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। सिंचाई का कोई अन्य साधन न होने से हजारों एकड़ फसल बरबाद हो चुकी है एवं कृषक भुखमरी के कगार पर हैं।

यह प्रश्न जनपद के हजारों कृषकों से जुड़ा हुआ है, लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय है, मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि उपरोक्त दोनों विद्युत उपकेन्द्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें।]

आजमगढ़ के शहरी इलाकों में क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय,

आपको अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ के मेरे विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ के शहरी इलाके में सड़क की स्थिति पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है। विशेष रूप से हाफिजपुर बाईपास से हर्रा की चुंगी एवं चौक होते हुए हरवंशपुर तक की सड़क खराब हो चुकी है। जिसका कुछ भाग गड्ढा भर कर मरम्मत की खाना पूर्ति कर दी गयी है। इसी के साथ यह भी अवगत कराना है कि रोडवेज बन्धे से लेकर मऊ मार्ग तक शहर बाई पास भी क्षतिग्रस्त हो गया है जिसको बनाना लोकहित में आवश्यक है। यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा देखी जाती है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इस लोक महत्व के विषय के माध्यम से सदन द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त कार्य को प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।]

सिद्धार्थनगर के बांसी क्षेत्रान्तर्गत नियमित एवं समयबद्ध तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी यादव-

[मान्यवर,

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत तहसील बांसी शहरी नगर पालिका व देहात क्षेत्रों में आये दिन बिजली की कटौती भयंकर रूप से की जा रही है जबकि अन्य क्षेत्रों में बिजली सुचारु रूप से दी जा रही है। यह पक्षपात रवैया अपनाने से बांसी विधान सभा क्षेत्र के निवासियों में घोर असन्तोष व्याप्त है। मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों के संज्ञान में बार-बार लाया गया परन्तु बिजली समस्या से निदान आज तक नहीं मिला। बिजली न आने से देहाती क्षेत्र के सारे नलकूप बन्द पड़े हैं, सिंचाई नहीं हो पा रही है। शहरी क्षेत्र में आने वाले छोटे-छोटे उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। नियमित रूप से और समयबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति बांसी विधान सभा क्षेत्र में की जाय। बिजली कटौती से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए बिजली समस्या का निदान करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

बलरामपुर के तुलसीपुर एवं गैसड़ी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराने एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कौशलेन्द्र नाथ योगी-

[मान्यवर,

जनपद बलरामपुर तुलसीपुर व गैसड़ी विधान सभा क्षेत्र में है जो भी कार्य अमरनाथ ओझा द्वारा कराया जाता था बहुत ही खराब स्थिति में है बार-बार कहने के बावजूद भी इनके कार्यों में कोई सुधार नहीं आ रहा है। इसके पहले भी इसी विधान सभा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं इन्होंने सड़कों को चरागाह बना रखा है लगभग 19 वर्षों से भी अमरनाथ ओझा यहीं पर कार्यरत हैं इनके कार्यों की जांच करके कार्यवाही करने का कष्ट करें बानगी के तौर पर कुछ सड़कों की सूची दी जा रही है परन्तु जांच इनके सभी कार्यों की जावे।

1-देवीपाटन मण्डल सम्पर्क मार्ग पहले कोड की पेन्टिंग बहुत ही खराब ढंग से की गयी। गिट्टी उखड़कर सड़क से बाहर चली गयी है, शंकरगढ़ पत्थर दिखायी दे रहा है।

2-हरैया चौधरीडीह मार्ग का नवीनीकरण का कार्य बहुत ही खराब है, गिट्टी उखड़ गयी है तथा इसी सड़क से नन्द गहरा मार्ग की पेन्टिंग खराब हो गयी है।

3-नैकिनिया से बेली खुर्द मार्ग, परसिया गोसाई मार्ग, विशुनपुर खैरहनिया मार्ग, नैकिनिया से रेहरा मार्ग, पचपकड़ी मार्ग, मुडिला मिर्जापुर मार्ग, रजहेरवा औरहवा मार्ग, मार्ग का कार्य गुणवत्ता के आधार पर नहीं किया गया है इसके अलावा तमाम सड़कों पर इनके निर्माण कार्य चल रहे हैं जिसकी जांच बहुत ही जरूरी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत उपरोक्त सड़कों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

कानपुर छावनी क्षेत्रान्तर्गत ओमपुरवा, शिव पार्क स्थित ट्यूबवेल एवं सुतरखाना स्थित ट्यूबवेल को रि-बोर कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सतीश महाना-

[मान्यवर,

कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से समायोजित है। इसके कुछ भाग में जल संस्थान द्वारा पीने के पानी की सप्लाई वाटर वर्क्स द्वारा की जाती है एवं कुछ बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां पर सीधा वाटर वर्क्स द्वारा पानी उपलब्ध नहीं है वहां ट्यूबवेलों द्वारा एवं हैण्डपम्पों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। ऐसी स्थितियों में एक भी ट्यूबवेल खराब होने से 10 से 20 हजार आबादी के क्षेत्र में जलापूर्ति ठप्प हो जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ओमपुरवा, शिव पार्क स्थित ट्यूबवेल एवं सूतरखाना स्थित ट्यूबवेल विगत छः माह से खराब पड़े हैं इसलिए वहां पर पानी की त्राहि-त्राहि है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त दोनों ट्यूबवेलों को रि-बोर कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की मांग करता हूं।]

प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत श्री चन्द्र भूषण शाहजी महाराज राजकीय कन्या इण्टर कालेज आसपुर देवसरा एवं श्री राम अजोर चौरसिया राजकीय कन्या इण्टर कालेज पट्टी में सभी विषयों के आपेक्षित अध्यापक तैनात करने एवं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति कर पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मोती सिंह-

[महोदय,

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्थापित श्री चन्द्र भूषण शाह जी महाराज राजकीय कन्या इण्टर कालेज आसपुर देवसरा तथा श्री राम अजोर चौरसिया राजकीय कन्या इण्टर कालेज पट्टी में सभी विषयों के सुचारु पठन-पाठन हेतु आपेक्षित अध्यापक तैनात नहीं हैं तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी मानकों के अनुरूप नहीं हैं। भवन की चहारदीवारी, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, पुस्तकालय, विज्ञान वर्ग के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था नहीं है जिससे बालिकाओं को गम्भीर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। भवन विस्तार की दिशा में भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

वाराणसी के कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत शहरी इलाकों में दूषित पेय जलापूर्ति की समस्या का निदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[महोदय,

वाराणसी महानगर के कैन्ट विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले शहरी इलाकों में पीने के पानी का घोर संकट है। नगर निगम का पानी बहुत ही अल्प समय मिलता है और वह भी दुर्गन्धयुक्त व प्रदूषित होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। मोहल्ले के मोहल्ले प्रदूषित पानी के आपूर्ति के कारण संकटग्रस्त व भयातुर हैं। रानीपुर, तुलसीपुर, विरदोपुर, शिवपुरवा, शास्त्री नगर (लल्लापुरा खुर्द) के निवासियों की यह दर्द भरी शिकायत महीनों से है। जनता के मांग पर जहां कहीं जांच हुई सीवर के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जर्जर पाइप लाइन के ऊपर से पीने के पानी का पाइप लाइन जाती हुई पायी गयी है जिससे सीवर का पानी जल निगम के पाइप लाइन के पानी में मिलकर घरों में पहुंच रही है, लेकिन एक सम्पूर्ण जांच द्वारा इस शिकायत को दूर करने का प्रयत्न नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप आज भी विभिन्न मोहल्लों में स्थिति बदतर है। जनहित में उपरोक्त मोहल्लों के जलापूर्ति की पाइप लाइन की समयबद्ध जांच तथा गलत तरीके से बिछायी गयी पाइप लाइन के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत दूषित पेयजल की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूं।]

लखनऊ कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत नटखेड़ा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

आलमबाग चौराहे से वी0आई0पी0 रोड को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बहुत ही क्षतिग्रस्त है। मार्ग पर बड़े-बड़े गढ्ढे हो गये हैं जिससे आवागमन में जनता को बहुत ही कठिनाई हो रही है। आये दिन नागरिक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बरसात में यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है सड़क व नाली का कुछ ही पता ही नहीं चलता है जिस कारण अक्सर दुर्घटनायें होती रहती हैं। अक्सर गढ्ढों की फीलिंग करायी जाती है जो बार-बार उखड़ जाती है जिससे गढ्ढे दुबारा उभर के आ जाते हैं।

अतः जनहित के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य की मांग करते हुये तत्काल उन गढ्ढों को ठीक कराते हुये आलमबाग चौराहे से वी0आई0पी0 रोड को जोड़ने वाले नटखेड़ा रोड की मरम्मत की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश के कोल/आदिवासी जाति को अनुसूचित जनजाति से हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री उदयभान करवरिया-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के कोल/आदिवासी जाति के अधिकारों हेतु महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरी विधान सभा क्षेत्र बाग की जनसंख्या जो निर्वाचन आयोग के परिसीमन में दर्ज है में अनु0 जनजाति की आबादी भी दिखलाई गई है जो कि सीमावर्ती मध्य प्रदेश के कोल जाति के लोग हैं। कोल जाति अनु0 जनजाति में अधिसूचना संख्या 4/1/2002-का02(1)-2005 दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 निर्गत कर शामिल किया गया था किन्तु इसका लाभ एक भी कोल/आदिवासी जाति के सदस्य को प्राप्त नहीं हुआ। किन परिस्थितियों में कोल/आदिवासी जाति को अनु0 जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा है एक विचारणीय बिन्दु है। मात्र 21 माह के अन्तराल में दूसरा सरकारी गजट 04 जुलाई, 2007 को लाकर पुनः कोल जाति को अनु0 जाति में शामिल करने का औचित्य समझ से परे है और किसी भी दशा में उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को ठीक करने में सहायक नहीं है।

अतः इस महत्वपूर्ण लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

सहारनपुर के मुजफ्फराबाद क्षेत्रान्तर्गत पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिये पेयजल योजनाओं का वोल्टेज स्टेप्लाइजर एवं जनरेटर की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री इमरान मसूद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फराबाद जनपद सहारनपुर में पेयजल हेतु जो योजनाएं जल निगम द्वारा संचालित की जा रही हैं, किन्तु विद्युत आपूर्ति नियमित न होने, वोल्टेज की कमी के कारण पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस क्षेत्र की विषम परिस्थितियों के कारण इसके अतिरिक्त पेयजल का और कोई साधन नहीं है। सरकार इस समस्या के समाधान हेतु पेयजल योजनाओं पर तुरन्त वोल्टेज स्टेबलाइजर व जनरेटर की व्यवस्था कराये जिससे गांव में पीने का पानी उपलब्ध हो सके।]

बांदा के तिन्दवारी क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में राज्य वित्त सेक्टर योजना एवं बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत अधूरी सड़कों को हाट-मिक्स प्लान्ट से बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर,

मैं आपका ध्यान लोकहित के विषय की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद बांदा में वर्ष 2005-06 में व 2006-07 में राज्य वित्त सेक्टर योजना बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-दो द्वारा चकला सम्पर्क मार्ग साड़ी-उसरा सम्पर्क मार्ग व हूमीपुरवा सम्पर्क मार्ग तथा अन्य कई सम्पर्क मार्ग स्वीकृत कर बनाये गये हैं तथा निर्माणाधीन है। एक वर्ष से निर्माण कार्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चल रहा है। लेकिन अभी तक अन्तिम कोट नहीं हुआ है। हाट मिक्स प्लान्ट से अन्तिम कोट कराया जाना आवश्यक है जो स्वीकृत है जिससे सड़क खराब न हो सके क्योंकि मानक के अनुसार कार्य न करने के कारण अभी से गिट्टी उखड़ कर सड़क खराब हो रही है।

अतः अनुरोध है कि लोकहित महत्व को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण मंत्री जी से स्वीकृत अधूरी सड़कों को हाट मिक्स प्लान्ट से बनवाने के आदेश देने की कृपा करें।]

बुलन्दशहर के स्याना क्षेत्रान्तर्गत बस दुर्घटना में श्री मनोज कुमार की हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुन्दर सिंह-

[दिनांक 15-10-2007 को मेरी विधान सभा स्याना जनपद-बुलन्दशहर के मनोज कुमार पुत्र नरायन सिंह आयु 28 वर्ष गांव रमपुरा मजरा वैरा फिरोजपुर, थाना कोतवाली-स्याना, जनपद-बुलन्दशहर अपनी पत्नी श्रीमती सविता व दो पुत्र 3 वर्ष, 1 वर्ष को लेकर देवी दर्शन यात्रा को चिन्तपूर्णा देवी बस संख्या-यू0पी0-8-7006 द्वारा स्याना से यात्रा पर जा रहे थे, चिन्तपूर्णा गिरि देवी मन्दिर से पहले बस लगभग 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी जिससे मनोज कुमार की घटना स्थल पर थाना डहरा गोपी, जनपद-कांगड़ा हिमांचल प्रदेश में ही तत्काल ही मृत्यु हो गई तथा पत्नी सविता भी गम्भीर रूप से घायल हो गयीं (हाथ, पैर व गर्दन की हड्डी टूट गयी)।

मनोज कुमार अपने पिता की अकेली संतान था व परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है तथा शासन से अभी तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हो पायी है।

घटना तत्कालिक व लोकमहत्व की है।

अतः मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री अपने विवेकाधीन कोष से दो लाख रुपये परिवार के भरण पोषण हेतु देने की कृपा करेंगे।]

कुशीनगर के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को इन्दिरा आवास आवंटन में की जा रही धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शम्भू चौधरी-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से जनपद कुशीनगर के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को इन्दिरा आवास न देने व अधिकारियों द्वारा गरीबों से धनादोहन, धांधलेबाजी के संदर्भ में सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

कुशीनगर जनपद में वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास न देकर धन उगाही के चक्कर में अपात्र व्यक्तियों को देकर बन्दरबांट किया जा रहा है। पूर्व में सन् 2002 में बी0पी0एल0 की सूची बनी थी किन्तु उस समय अधिकारी ग्राम सभा के प्रधान के वहां एक ही जगह पर बैठकर बी0पी0एल0 की सूची तैयार कर दिये थे जो सरासर गलत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ढंग से 60 प्रतिशत अपात्र व्यक्तियों की सूची तैयार कर लिया गया था और आज के समय में उसी पूर्व की सूची के आधार पर ही इन्दिरा आवास का आवंटन किया जा रहा है जिसमें 60 प्रतिशत पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित हो जा रहे

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय [illegible] की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसकी जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।]

देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत गौरी बाजार विकास खण्ड एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर के अन्दर अवैध रूप से आवंटित दुकानों की जांच कराकर निरस्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रमोद सिंह-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र-185, गौरी बाजार, विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गौरी बाजार, विकास खण्ड एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर के अन्दर शासनादेश दिनांक 29-10-96 का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन जिला विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी ने तीन दुकान का अवैध निर्माण करके आवंटित कर दिया, जबकि शासनादेश दिनांक 7-4-2005 में स्पष्ट वर्णित है कि विकास खण्ड परिसर में दुकान का निर्माण नहीं हो सकता है। उसी आवंटित दुकान में दवा की दुकान खोली गयी है, जबकि शासनादेश 29 अक्टूबर, 1996 का शासनादेश है कि किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर में दवा की दुकान नहीं खोली जा सकती। ग्राम प्रधान संगठन, क्षेत्र पंचायत गौरी बाजार, विकास खण्ड एवं समस्त क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के तत्कालिक अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवैध रूप से आवंटित दुकान एवं दवा की दुकान जांच कराकर निरस्त करने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी स्थित ऐतिहासिक आतियाताल का पर्यटन विकास की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

[मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान जनपद-झांसी स्थित एक ऐतिहासिक तालाब के सौन्दर्यीकरण की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद-झांसी में एक ऐतिहासिक तालाब आतियाताल के नाम से जाना जाता है। पर्यटन विकास की दृष्टि से जिसका सौन्दर्यीकरण होना है। बुन्देलखण्ड विकास पैकेज 2005-06 की योजना के अन्तर्गत आतियाताल पर्यटन कार्य शासनादेश दिनांक 08 फरवरी, 2007 के द्वारा स्वीकृत है, इस योजना की कार्यदायी संस्था नगर निगम झांसी को स्वीकृत धनराशि रु0 147.73 लाख के सापेक्ष अब तक रुपया 44.32 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका उपयोग सौ प्रतिशत किया जा चुका है, इसका उपभोग प्रमाण-पत्र कार्यालय नगर निगम झांसी द्वारा दिनांक 27-02-07 को प्रेषित किया जा चुका है। किन्तु उक्त ऐतिहासिक तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु अवशेष धनराशि अभी तक मुक्त नहीं की जा सकी है, जिससे तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधूरा पड़ा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से उक्त तालाब अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। तालाब का सौन्दर्यीकरण न होने से पर्यटन का भी काफी नुकसान हो रहा है। जनपद झांसी शहर एक ऐतिहासिक शहर के नाम से जाना जाता है। झांसी शहर में स्थित ऐतिहासिक तालाब को देखने के लिए साल भर देश-विदेश के पर्यटक आते हैं, जिससे सरकार को काफी राजस्व प्राप्त होता है। उक्त ऐतिहासिक तालाब का सौन्दर्यीकरण न होने के कारण क्षेत्र की जनता में काफी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः मुझे इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय को सदन में उठाने हेतु अनुज्ञा प्रदान करें।]

मैनपुरी क्षेत्रान्तर्गत शासनादेश के अनुरूप विद्युत आपूर्ति एवं रोस्टिंग करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अशोक सिंह चौहान-

[महोदय,

अनुरोध है कि मैनपुरी विधान सभा के अन्तर्गत एक नगर पालिका मैनपुरी नगर एक टाउन एरिया कुरावली नगर एवं दो विकास क्षेत्र क्रमशः मैनपुरी एवं कुरावली आते हैं। मैनपुरी नगर पालिका क्षेत्र में मुश्किल से 10-11 घण्टे विद्युत की आपूर्ति हो रही है एवं कुरावली नगर एवं दोनों विकास खण्डों में किसानों को 5-6 घण्टे ही बिजली मिल पा रही है। किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। बुवाई का समय है और बिजली की सप्लाई समय से नहीं मिल पा रही है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। रोस्टिंग का निर्धारण नहीं है। पता नहीं बिजली कब आये और कब चली जाये, किसी को पता नहीं।

शासन के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों को 16 घण्टे एवं देहाती क्षेत्रों को 12 घण्टे बिजली दी जानी चाहिए परन्तु निर्देशानुसार भी बिजली नहीं मिल पा रही है।

आपसे अनुरोध है कि शहरी और देहाती क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था शासनादेशानुसार एवं रोस्टिंग शहरी क्षेत्र में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक एवं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का निर्धारण एवं देहाती क्षेत्र को विद्युत सप्लाई आधे दिन एवं आधी रात में करना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासनादेश के अनुसार विद्युत सप्लाई एवं रोस्टिंग को उपरोक्तानुसार करने की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद में आवास विकास द्वारा जारी वर्ष 2002 के शासनादेश को निरस्त कर राजस्व क्षति के मामले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय,

इलाहाबाद स्थित भूमि संख्या-353/1 बेली उपरहार, क्षेत्रफल लगभग 20 हजार मीटर मूल्य लगभग 18 करोड़ रुपये की दोहरी प्रवृष्टि का मामला लगभग 7 वर्षों से चल रहा है। 09-08-2002 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च समिति के निर्णयानुसार सचिव, आवास ने दिनांक 26-10-2002 को अपने विभाग द्वारा जारी फर्जी शासनादेशों दिनांकित 31-12-1982 व

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

22-10-2001 को निरस्त कर दिया किन्तु अत्यधिक राजनैतिक दबाववश तुरन्त 02-11-2002 को उपरोक्त शासनादेश संख्या-2532/9-आ0-4-2002-295 एन/2001 को बिना कोई कारण बताये अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया, जो अभी तक अवैध रूप से जारी है। इसे उपरोक्त भूमि की ही तरह लगभग 600 एकड़ भूमि का भी मामला खटाई में पड़ा है और शासन को अरबों रुपये की क्षति हो रही है। शासन स्तर से घोटाले में मिली भगत प्रतीत होती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को सदन के संज्ञान में लाकर आवास विभाग द्वारा जारी 02-11-2002 के शासनादेश को निरस्त करने तथा भयंकर राजस्व क्षति के मामले की जांच एस0आई0टी0 से कराने की मांग करता हूं।

सधन्यवाद।]

लखीमपुर शहर में मरघट स्थल पर उल्ल नदी पर एक्सटेंशन तटबन्ध बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 कौशल किशोर-

[मान्यवर, हमारी विधान सभा 54 लखीमपुर में शहर लखीमपुर का मरघट उल्ल नदी के किनारे घोसियाना में स्थित है। उल्ल नदी के कटान की वजह से मरघट का काफी हिस्सा कट गया था और मरघट जाने वाली पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है। कटान को रोकने के लिए उल्ल नदी का तटबन्ध सिंचाई विभाग ने गत 2-3 वर्ष पूर्व पत्थरों से बनवा दिया था लेकिन बने हुए तटबन्ध के आगे नदी के कटान वाले शेष भाग का तटबन्ध और बनना आवश्यक है। यदि यह तटबन्ध न बनवाया गया तो मरघट की बाउन्ड्री वाल व मरघट नदी में समा जायेगा। इसकी जरूरत सिंचाई विभाग ने भी महसूस की थी, लेकिन उस समय धनाभाव की वजह से नहीं बन पाया था।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मरघट स्थल पर उल्ल नदी पर तटबन्ध (एक्सटेंशन तटबन्ध) बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

कुशीनगर के फाजिल नगर क्षेत्रान्तर्गत आशा किरण कार्यकत्रियों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्वनाथ-

[दिनांक 2-11-07 को दिन में ग्यारह बजे फाजिल नगर तहसील कसया जनपद कुशीनगर में आशा किरण कार्यकत्रियों द्वारा अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मजबूर होकर सायं तीन बजे राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया। आशाओं पर थानाध्यक्ष पटहरेवा एवं क्षेत्राधिकारी तमकुही राज ने लाठियां बरसायीं एवं बलपूर्वक रास्ता जाम हटाया गया। उक्त घटना में तीन पुरुष और 8-10 की संख्या में औरतें घायल हुयीं। क्षेत्राधिकारी तमकुही ने माइक तोड़ कर फेंक दिया। नेतृत्व कर रहे युवकों एवं युवतियों को चांटा मारा एवं लाठीचार्ज किया।

हमारी मांग है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आशा किरण युवतियों को तत्काल मानदेय दिया जाये एवं क्षेत्राधिकारी तमकुही राज एवं थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा निर्दोष महिलाओं एवं पुरुषों पर किये गये लाठी चार्ज का उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को दण्डित किया जाय।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर महायोजना 2021 को स्वीकृति देते समय कतिपय कालोनियों की स्वीकृति न दिये जाने से लाखों नागरिकों का जीवन प्रभावित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन शासनादेश 400818-3-2007-13महा/2003 दिनांक 2 नवम्बर, 2007 के माध्यम से महायोजना 2021 को शासकीय स्वीकृति दे दी गयी है। स्वीकृति देते समय कतिपय कालोनियों के प्रकरण में अलग से विचार करने की दृष्टि से अनुमति रोक ली गयी है। पूरे महानगर में इस सूचना के गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किये जाने के बाद से भय एवं संशय का माहौल है। विगत दस वर्षों में जी0डी0ए0 के अधिकारियों के सहयोग एवं प्रश्रय से महानगर में निजी कोलोनाइजर ने बहुत सी कालोनियां विकसित की है। स्वयं जी0डी0ए0 ने भी अपनी पांच कालोनियां तथा दो शापिंग काम्पलेक्स विकसित किये हैं। इसमें महानगर के लाखों नागरिकों ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई लगायी है। अब अगर कालोनियां, महायोजना के प्रस्तावित स्वरूप में बिना शासकीय स्वीकृत के बना ली गयी है तो इसके लिए नागरिकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जी0डी0ए0 के भ्रष्ट अधिकारी तथा कोलोनाइजर इसके लिए जिम्मेदार है। शासन द्वारा ऐसी तथाकथित अवैध कालोनियों की सूची न प्रकाशित किये जाने से एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है। एक ओर जहां जनहित में नागरिकों को प्रताड़ित न करके कालोनियों को वैद्यता देना आवश्यक है वहीं दूसरी ओर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के ऐसे सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं कोलोनाइजर को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री जी को जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

ग्राम उरुआपुर, जनपद बरेली की तीन महिलाओं की रेलगाड़ी से हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिवार के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेश अग्रवाल-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

ग्राम उरुआपुर तहसील आंवला जनपद बरेली की कुछ महिलायें दिनांक 26-10-2007 को शरद पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने जा रही थी। गांव के ही पास में आरिल नदी बह रही है उस नदी पर जो पुल बना है वह रेल मार्ग है उस पर से ही आवागमन है। अचानक ही रेलगाड़ी आ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गयी जिसकी आवाज उन महिलाओं को सुनाई नहीं दी और उनमें से 3 महिलाओं की रेलगाड़ी से कटकर मृत्यु हो गयी।

मृतकों में श्रीमती सुदामा देवी पत्नी श्री उजागर सिंह आयु 40 वर्ष, कु0 नीलम पुत्री श्री उजागर सिंह आयु 12 वर्ष, श्रीमती रूप देवी, पत्नी श्री अशोक आयु 40 वर्ष है।

इस मर्मान्तक घटना में जिले से कोई बड़ा अधिकारी नहीं गया और न ही शासन से उनके परिवार वालों को कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गयी। ऐसी दुर्घटना होने पर कमिश्नर अथवा जिलाधिकारी बरेली को पहुंचना चाहिये और मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता शासन से उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रकार की घटना की रोकथाम हेतु शासन को अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिए।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय तात्कालिक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मृतक परिवारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने एवं ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत मियां का पूरा बाजार एवं सलारगंज में विद्युत तार जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जोखू लाल यादव-

[मान्यवर,

आपको अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत मियां का पूरा का बाजार तथा सलारगंज में बिजली के तार जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं जिससे आये दिन दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है। लोगों को विद्युत आपूर्ति भी सही ढंग से नहीं हो पाती है जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

शाहजहांपुर के ग्राम रामपुर कलां में निर्मित हो रहे 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र को रुके निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मिथिलेश कुमार-

[महोदय,

मेरे विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुटार में ग्राम रामपुर कलां 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र बन रहा था जिसका निर्माण कार्य रोक दिया गया है। अधिकारियों से पूछने पर कहा जा रहा है कि धन नहीं दिया जा रहा है जिससे किसानों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा ट्रांसपोर्ट नगर के प्रमुख मार्गों का निर्माण एवं जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से जनपद आगरा ट्रान्सपोर्ट नगर के प्रमुख मार्गों का लगभग 12 वर्षों से निर्माण कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

विगत दस वर्ष से पूर्व आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने ट्रान्सपोर्ट नगर तो बसा दिया लेकिन उसके बाद से आज तक कोई सड़क, नाली, निर्माण नहीं कराया है। उसमें पानी की निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं है हर समय जल भरा रहता है कूड़े के जगह-जगह बड़े-बड़े ढेर हैं सड़कें व नाली गायब, बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, आये दिन गाड़ियां खराब हो जाती है, साक्षात नरक बना हुआ है। ट्रान्सपोर्टर एवं ग्राहक नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वाहन दुर्घटनायें होती रहती हैं। जन मानस में बहुत रोष व्याप्त है। यह सड़कें आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के अन्तर्गत आती हैं। जनहित में इन मार्गों व नालियों का निर्माण आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा कराया जाना चाहिए।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आगरा ट्रान्सपोर्ट नगर के प्रमुख मार्गों एवं जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण अविलम्ब करवाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

सीतापुर के बेहटा क्षेत्रान्तर्गत तहसील बिसवां एवं तहसील लहरपुर के घाघरा नदी की कटान से प्रभावित गांवों के लोगों को समुचित सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह-

मान्यवर,

[जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बेहटा के तहसील बिसवां व तहसील लहरपुर के गांवों घाघरा नदी के कटान से भयंकर रूप से प्रभावित हैं। एक माह पूर्व आये भयंकर बाढ़ से क्षेत्र की जनता सम्भल भी नहीं पायी थी कि घाघरा नदी के कटान से तहसील बिसवां के जटपुरवा के 140 घर द्वारिकी के 12 घर, मल्लापुर के 50 घर काशीपुर के 20 घर व असईपुर के 25 घर तथा कोनी ग्राम के 7 घर नदी में कट गये एवं तहसील लहरपुर के चटेला के 6 घर व रसौली के 10 घर कट गये। प्रभावित लोगों को अभी तक कोई सहायता राशि नहीं दी गयी है। शासन प्रशासन अपने स्तर से कोई कार्यवाही कर रहा है। नाम मात्र के 2000 रुपये के चेक ही प्रशासन द्वारा दिया गया है जबकि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कच्चे मकानों को 6000 व पक्के मकान को 10000 हजार कटान से प्रभावित लोगों को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिये थे। कटान अभी भी जारी है। किसानों को उनके कृषि भूमि का मुआवजा पिछली सरकार में 2000 रुपये प्रति बीघा दिया गया था। यह सरकार उसको भी बन्द कर दिया है इससे जनाक्रोष पैदा हो गया है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल सहायता राशि पूर्ववर्ती सरकार के अनुरूप ही दिये जाने की मांग करता हूं।]

शाहजहांपुर नगरपालिका की सीमान्तर्गत कतिपय नालों की तलीझाड़ सफाई करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर,

शाहजहांपुर नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत आने वाले नाले मो0 भारत द्वाजी वाला नाला, मॉ कटिया टोला से झण्डाकला होता हुआ मुल्ला खेल को जाने वाला नाला, शहीद उद्यान के पश्चिम वाला नाला तथा सिविल लाइन्स के उत्तर वाला नाला व हद्दफ की चौकी वाला नाला की सफाई (तली झाड़) होना आवश्यक है। मुल्ला खेल वाला नाला पर लोग बन्धा बनाकर सिंचाई का कार्य करने लगे हैं जिससे क्षेत्र की जनता को भारी असुविधा हो रही है।

जनहित में नालों की सफाई होना क्षेत्र के लोगों के लिये तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से परम आवश्यक है।

मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से उक्त नालों की सफाई की मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं-श्री अरविन्द गिरि, डा0 आर0ए0 उस्मानी, डा0 पी0के0 राय, श्री राम बिशुन आजाद तथा श्री राम किशुन।

नियम-301 की अस्वीकृत सूचना को लिए जाने का अनुरोध

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, हमने नियम-301 में एक सूचना दी थी जो अस्वीकार हो गयी है, उसे कृपया स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

आप कल दे चुके हैं।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, हमारा निवेदन मान लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

आप नियमों के बारे में जानते हैं। एक हफ्ते में एक ही सूचना देने का प्राविधान है। बहुत हो गया अब आप बैठ जायें।

गत सत्र की नियम-301 की सूचनाओं का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण

श्रीमती कृष्णा राज-

माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी माननीय विधायकगण अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को नियमों के माध्यम से यहां पर उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप किन नियमों के तहत उठा रही हैं। माननीय आजाद जी आप बैठ जायें। एक महिला बोल रही हैं उनका सम्मान करें, उन्हें बोलने दें।

*श्रीमती कृष्णा राज-

मान्यवर, मैं नियम-301 के बारे में बताना चाहती हूं कि हमने पिछले सत्र में दिनांक 27-6-07 में एक सवाल उठाया था अपने क्षेत्र मोहम्मदी के सम्बन्ध में। आपने उस सवाल को ग्राह्य भी किया था लेकिन उसका उत्तर अभी भी अप्राप्त है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि यह उत्तर अभी भी हमें नहीं मिला है। हम यह जानना चाहते हैं कि किस व्यवस्था के तहत हमें उत्तर नहीं दिया गया और जिन्होंने उत्तर नहीं दिया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप इसको दिखवा दीजिए, नियम-301 की सूचना है और उसका जवाब इनको अभी तक नहीं मिला है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री मिथलेश कुमार-

मान्यवर, हमारी भी 301 की सूचना का जवाब अभी तक नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जरा 301 की सूचनाओं को आप दिखवा लीजिएगा।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है, मान्यवर, निश्चित रूप से जो नियमों के अनुसार उत्तर दिया जाना अनिवार्य है, हम इनको दिखवा लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मैं नियम-300 की सूचनाओं को ले रहा हूं। आज दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 11 सूचनायें प्राप्त हुई-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी वर्ष में उत्तर प्रदेश विधान सभा के 90 दिनों के उपवेशनों तथा यथासम्भव दो माह के अन्तराल पर कम से कम 10 कार्यकारी दिवसों के लिए सत्र बुलाये जाने के सम्बन्ध में है।

(माननीय सदस्य श्री राम बिशुन आजाद जी अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम बिशुन आजाद द्वारा अपनी अस्वीकृत नियम-301 की सूचना को उठाने का प्रयास

*श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्वीकृत नवीन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्थल चयन सम्बन्धी बेसिक शिक्षा समिति की एक बैठक 16-08-2007 को गोण्डा में आहूत की गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि निर्धारित तिथि को समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर विद्यालयों के चयन में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला बेसिक अधिकारी गोण्डा को मेरे द्वारा अपने विधान सभा क्षेत्र में विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव दिया था, परन्तु शिक्षा विभाग द्वारा मेरे प्रस्तावों को न लेकर, अन्य सदस्यों के सभी प्रस्तावों को ले लिया गया। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क किया गया परन्तु उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और न ही कोई कार्यवाही की गई, इस सम्बन्ध में मैंने मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा को भी अवगत कराया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। जनपद गोण्डा में जितने भी अधिकांश प्रस्ताव हैं वह मानक के अनुसार नहीं है विशेषकर मेरे क्षेत्र मनकापुर में अपने निहित स्वार्थ में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानक के विपरीत अन्य लोगों से प्रस्ताव लेकर स्कूल खोलने का काम कर रहे हैं। यह मेरे क्षेत्र की जनता के साथ धोखा है, इसकी जांच होना आवश्यक है और मेरे प्रस्ताव पर विचार किया जाय। सत्ता के दबाव में मेरे क्षेत्र को अनदेखा न किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो मेरे द्वारा प्रस्ताव दिये गये है उन पर विचार करने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें। इसी सम्बन्ध में मेरे द्वारा आपको नियम-301 के अन्तर्गत सूचना आज दी थी, परन्तु आप द्वारा किन्हीं कारणवश नहीं लिया गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजाद जी, थोड़ा सा तो परम्परा का पालन करिये। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। चलिये आप दूसरे नियमों में नोटिस दे दीजिए मैं स्वागत करता हूं। आपकी इस सूचना को नियम-301 में नहीं लिया गया है बस। अब इनकी किसी बात को नोट नहीं किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपको ज्यादा बोलना है तो चलिये आप हमारे दफ्तर में आकर बोल लीजिएगा। आपके शरीर में कम्पन हो रहा है, मैं देख रहा हूं इतना तेज मत बोलिये, थोड़ा हल्का बोलिये। बस अब हो गया, अब आप शान्त होकर अपने स्थान पर बैठ जायें।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री उदयराज करवरिया की लोक सभा की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी बजटरी कमेटीज विभागों से सम्बन्धित स्थायी समितियों के गठन के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री अरविन्द गिरि की जनपद-लखीमपुर खीरी की कोतवाली गोलागोकरन नाथ तथा थाना-हैदराबाद में माननीय सदस्य के विरुद्ध असत्य एवं आधारहीन मुकदमें दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह और श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल की ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विधायकों के लिए क्रय कराये जाने वाले लैपटाप की खरीद में अनियमिततायें होने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनेक स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में प्रवेश लेकर कोर्स पूरा करने के बावजूद अनेक छात्रों के परीक्षा से वंचित रहने के सम्बन्ध में है।

छठवीं सूचना श्री सतीश महाना की प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के विधायकों को ग्रामीण क्षेत्रों की भांति पेयजल के लिए हैण्डपम्प स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा वर्ष 1857 के शहीदों के विषय में प्रकाशित पुस्तक में जनपद-गोण्डा के अमर शहीद राजा देवी बक्श सिंह एवं सिपाही फजल अली का नाम भी उक्त पुस्तक में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अजय तोमर, डा0 अनिल चौधरी की जनपद कुशीनगर में प्रदेश सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ वहां की गरीब जनता एवं श्रमिकों तक न पहुंच पाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी, डा0 कौशल किशोर, श्री कृष्ण गोपाल पटेल की जनपद-जौनपुर के थाना व तहसील केराकत के ग्राम पूरब पट्टी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 छोटई यादव के आश्रितों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा में गंगाजल योजना के अन्तर्गत कैलाश मंदिर के पास यमुना नदी पर छोटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की जनपद-महराजगंज के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भवन निर्माण प्रभारियों से अवैध वसूली की जांच एवं निलम्बित कर्मी का निलम्बन समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में है।

नियम-300 की सूचनाओं की गम्भीरता बचाए रखने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

सभी माननीय अन्य सदस्यों से भी मेरा निवेदन है कि नियम-300 के अन्तर्गत सूचनायें देने की जो प्रवृत्ति छोटी-छोटी समस्याओं को जिनको अन्य नियमों में आप दे सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो सूचनाएं आप दे रहे हैं और जो नियम-300 की सूचना की एक ग्रेविटी है और जिन महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी चाहिए उस पर न देकर के अन्य नियमों में दें। इसको आप लोग अपने वरिष्ठ सदस्यों से सीखने की कोशिश करें कि नियम-300 के अन्तर्गत इस तरह की सूचनाएं दे करके उसके महत्व को कम न किया जाय, लेकिन आज जो सूचनाएं आप लोगों ने दी है उन पर आप लोग थोड़ा संक्षिप्त में बता दें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के 90 दिनों के उपवेशन दो माह के अन्तराल पर कम से कम 10 कार्यकारी दिवसों के लिए सत्र बुलाए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा विषय केवल नियम-300 के अन्तर्गत ही उठ सकता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 14 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि "संविधान के अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुये साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, जिसे बजट सेशन कहते हैं, वर्षाकालीन अधिवेशन जिसे मानसून सत्र कहते हैं व शीतकालीन अधिवेशन जिसे विन्टर सेशन कहते हैं और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासम्भव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिये विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा।

मान्यवर, यह पहले नियम था, फिर मेरे अनुरोध पर एक समिति बनी थी जिसकी सिफारिश पर बाद में एक लाइन जोड़ी गयी थी उस समय की कि "यथासंभव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिये विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा।" मान्यवर, यह नियम बड़ा स्पष्ट है, नियमावली बहुत स्पष्ट है। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है। जनप्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं इस विधान सभा में आकर लोक महत्व के सुझाव देते हैं, शासन अपनी नीतियां रखता है। उन नीतियों पर पक्ष विपक्ष के सुझाव भी आ जाते हैं और स्वस्थ संसदीय परम्परा यह भी रही है कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के सदस्यों के जो सुझाव सार्थक होते हैं ग्राह्य करने योग्य होते हैं उनको सरकार अंगीकृत करती है। मान्यवर, आप देखते हैं कि यहां पर माननीय सदस्यगण प्रश्नों के माध्यम से, नियम 300, 301, 56, 51 में जन-समस्याओं को उठाते हैं जो सरकारी अमला है वह भी अपना नजरिया उसके माध्यम से सदन के सामने रखता है।

मान्यवर, जब सदन की बैठकें 90 दिन या उससे अधिक दिनों के लिये हुआ करती थीं तो सदन ठीक 11 बजे बैठता था और 5 बजे नियमानुसार समाप्त हो जाता था। उसमें सब लोग अपनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात रख लेते थे तब लोगों को सदन के वेल में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सब कुछ अनुशासित ढंग से चलता था। लेकिन इधर के वर्षों में यह देखने में आ रहा है कि सदन के उपवेशनों की संख्या कम होती जा रही है जिससे माननीय सदस्यों के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गयी है कि कैसे अपनी बात को रखें। जब दिन कम होते जा रहे हैं तो उनके लिये अवसर भी कम होते जा रहे हैं। मान्यवर पिछले दस वर्षों में उपवेशनों की संख्या पर एक दृष्टि डालें तो पायेंगे कि जो विधान सभा वर्ष में 70 दिन, 80 दिन बैठती थी, उसके 1997 में 25 उपवेशन हुए, 1998 में 35 उपवेशन हुए, 1999 में 36 उपवेशन हुए, 2000 में 36 उपवेशन हुए, 2001 में 32 उपवेशन हुए, 2002 में 30 उपवेशन हुए, 2003 में 15 उपवेशन हुए, 2004 में 28 उपवेशन हुए, 2005 में 53 उपवेशन हुए। इसमें वर्ष 2005 के तीसरे सत्र के 2 जनवरी, 2006 से 29 मार्च, 2006 तक की अवधि के 16 उपवेशनों को सम्मिलित करते हुए की अवधि भी सम्मिलित है। 2007 में आज तक 25 उपवेशन हुए हैं। मान्यवर, आज की जो कार्यसूची है उसमें अन्तिम मद के रूप में जन-गण-मन राष्ट्रीय-गान अंकित है जिससे स्पष्ट है कि आज इस अधिवेशन का अन्तिम दिन है। मान्यवर, सत्र की समाप्ति के बाद गवर्मेन्ट फैसला लेती है और जो वह संस्तुति करती है उसके आधार पर सदन का सत्रावसान हो जाता है तो मान्यवर, अगर आगे इस साल कोई उपवेशन नहीं होते हैं तो यह मानकर चलें कि इस साल 2007 में कुल 25 उपवेशन ही होंगे। यानि जो 90 दिन की बात कही गयी है नियमों में उसका एक तिहाई दिन भी हम नहीं बैठेंगे। इस तरह से मान्यवर, सदस्यों को 1/3 अवसर भी नहीं दिया गया है जो नियमों के अनुसार चलना चाहिये था वह नहीं हो पाया है। मान्यवर, यह कोई परम्परा नहीं है, नियम है। जिन्होंने इन नियमों को बनाया था उन्होंने प्रदेश की आवश्यकता को समझा होगा संविधान की भावनाओं को समझा होगा और यहां की आवश्यकता को समझकर 90 दिन के उपवेशन चलने की व्यवस्था की और इसमें यह भी संशोधन जोड़ दिया कि यथासम्भव दो माह में दस कार्यकारी दिवसों के लिये उपवेशन बुलाये जायेंगे।

मान्यवर, हम लोग जब 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर बैठते हैं तो तमाम समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं और वह बासी भी हो जाती हैं। हम यहां तत्काल महत्व के प्रश्न ही उठा सकते हैं। इस प्रश्न को आज यहां उठाने के पीछे मान्यवर, मकसद यह है कि सरकार से अनुरोध किया जाय कि 31 दिसम्बर से पहले हम लोग एक सप्ताह के लिये पुनः बैठ लें और अगर हर दो माह के अंतराल के नियमानुसार दस दिन के लिये जरूर बैठें तो भी यह 35 दिन का सत्र हो जायेगा इस साल में। मान्यवर, दूसरा अगले वर्षों के लिए हम यह संकल्प लें कि अगर हम 90 दिन नहीं बैठ सकते हैं तो हर दो महीने में 10 दिन बैठने का प्रयास करें तो कम से कम 60 दिन तो हो जायेगा। मेरा यह सिर्फ यह प्रयास है कि इससे हर नये सदस्यों को, पुराने सदस्यों को या हर जनप्रतिनिधि को अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा।

मान्यवर, यह आपकी सहूलियत के लिए भी होगा। मान्यवर, मैं अभी देख रहा था कि कुछ माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाह रहे थे अगर एक दिन और मिला होता उनको उन्हें यह विश्वास होता कि कल भी सत्र चलेगा या एक सप्ताह और चलेगा तो आज इतना न करते आगे उठा देते उसको। अब 301 सप्ताह में एक दिन आ सकती है नियम यह है ही लेकिन जब विधान सभा ही

एक सप्ताह के लिए चल रही है तो फिर उनके सामने कोई और व्यवस्था नहीं है। ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर में जो प्रश्न लगे थे बृहस्पतिवार, शुक्रवार को वह अनुत्तरित रह गये। मान्यवर, मेरा सिर्फ एक ईमानदारी से मकसद, प्रयास, अनुरोध है कि यह विधान सभा का सत्र ज्यादा से ज्यादा चले और उस पुनीत उद्देश्य को, उस पुनीत परम्परा को और उस पवित्र आदर्शों को हम फिर स्थापित करे कि हम इस पंचायत में बैठेंगे अपनी समस्याओं को सुलझायेंगे और गरीबों मजदूरों की जिनकी आवाज उठ नहीं सकती उनकी आवाज को उठायेंगे और इस नियमावली का जिसकी कसम हम खाते हैं कम से कम इसमें दिये गये नियम 14 का अनुपालन करेंगे जब हम खुद ही नियम 14 का अनुपालन नहीं करते हैं तो हम कैसे यह शिक्षा दे सकते हैं ? जब बात नहीं हो पाती है तो लोग वेल में जाते हैं अपनी तरह से बात कहने का प्रयास करते हैं तो मान्यवर, मेरा आशय इस विषय को उठाने का यही था कि यथासम्भव प्रयास किया जाय कि सत्र 90 दिन चले और न चल सके तो प्रत्येक दो माह के अन्तराल पर 60 दिन का अवश्य चले और एक आग्रह के साथ कि दिसम्बर में आइये एक सप्ताह के लिये और बैठें।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने स्वयं ही विभिन्न वर्षों में कितने दिन सत्र चले हैं इसका उल्लेख किया है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहूंगा। मान्यवर, जहां तक इन्होंने कहा 1958 के नियम 14 तथा अनुच्छेद 174 का उल्लंघन हुआ संविधान का। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 174 में है कि राज्यपाल समय-समय पर राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अन्तर नहीं होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 174 का तो कहीं उल्लंघन इसमें है नहीं। दूसरी तरफ नियम 14 का जिक्र इसमें जरूर है कि तीन अधिवेशन अर्थात आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के अधिवेशन होंगे जिसमें यथासम्भव शब्द है, यथासम्भव दो माह के अन्तराल पर कम से कम 10 कार्यकारी दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। मान्यवर, मई, 2007 में सरकार के गठन के पश्चात अब तक विधान सभा के 3 सत्र एवं 23 दिन के उपवेशन हो चुके हैं, आगे भी मान्यवर, अभी आगे भी सदन की बैठक सम्भावित है और दूसरे इसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च के पहले ही बजट भी पास होना है। यह वित्तीय वर्ष का उल्लेख है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह वर्ष से होता है वित्तीय वर्ष से नहीं होता है।

श्री लालजी वर्मा-

साधारतया प्रत्येक वर्ष जहां तक सदन की कार्यवाही का सम्बन्ध है तो मान्यवर, आगे भी सम्भावित है। केवल इतने दिन में ही 23 दिन का हो चुका है और माननीय तिवारी जी ने जो जिक्र किया है उसमें मैंने बता ही दिया है कि 23 दिन के उपवेशन हो चुके हैं। आगे भी सदन पुनः बैठने का प्रस्तावित है, विचारणीय है। मान्यवर, उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित औचित्य का प्रश्न ग्राह्य प्रतीत नहीं होता।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पता नहीं क्या अजीब सी स्थिति बन गयी दुखद है यह कि जब कोई विषय उठाया जाता है तो लगता है जैसे आलोचना हो रही है और हो रही है तो उसको जरूर नकारेंगे। मान्यवर, मेरी इच्छा आलोचना की नहीं है। मेरी इच्छा सुझाव देकर ज्यादा से ज्यादा दिन बैठने की है। अब कैलेण्डर इयर के दिन भी मैंने बता दिये और मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप ही कर रहे हो, यह तो परम्परा ही पड़ गयी है। आइये इस परम्परा को हम सुधारें, मेरे कहने का आशय यही है कि हम ज्यादा दिन बैठें। जब ज्यादा दिन बैठेंगे तो सदस्यों को ज्यादा बोलने का अवसर मिलेगा। जब ज्यादा अवसर मिलेगा तो लोग अपनी बात कह लेंगे। आखिर में हम यहां बैठते क्यों हैं, वह उद्देश्य हमारा पूरा हो जायेगा और जब सबको बोलने का अवसर मिल जायेगा तो फिर अशान्ति भी नहीं होगी। मेरा उद्देश्य यह था, यहां ऐसा लगा जैसे मैं कोई आलोचना कर रहा हूं। मैंने 174 का तो जिक्र ही नहीं किया था मैंने जिक्र किया था नियमावली के नियम 14 का और नियमावली के नियम 14 का उल्लंघन है कि नहीं, यह मुझे आप एक लाइन में बता दें ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले बताया कि आपकी नोटिस में यह है। इस वर्ष नवम्बर माह में विधान सभा सत्र के उपवेशन आधे से भी कम हुये हैं इससे विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 तथा अनुच्छेद-174 का उल्लंघन है तो मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया कि 174 का उल्लंघन तो कदापि नहीं है। मान्यवर, नियमों में यथासम्भव शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके अनुसार आवश्यकतानुसार सदन की बैठक आहूत की जाती है और मान्यवर, यह तो 23 मई से ही पन्द्रहवीं विधान सभा का कार्यकाल प्रारम्भ हुआ है इसलिये मान्यवर, इस बात का स्वागत करना चाहिये कि इतने कम समय में हम 23 दिन बैठ चुके हैं जबकि आपने पूरे-पूरे वर्ष में बताया कि 2006 में 21 दिन, 2004 में 28 दिन, 2003 में 15 दिन, 2001 में 32 दिन, 2000 में 36 दिन तो इस तरह से हमारी इतने कम समय में 23 दिन बैठक हो चुकी है आज को मिलाकर। तो हमारा बिल्कुल उद्देश्य है कि विधान सभा की बैठकें ज्यादा से ज्यादा हो जिससे माननीय सदस्यों का सुझाव भी हमें प्राप्त हो और उनके सुझाव के अनुसार सरकार को, शासन चलाने में आसानी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह सत्र आहूत किया गया है मेरा इस परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि इस सूचना को अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-14 में 174 के अधीन शब्द लिखा हुआ है। मैंने माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है, मैं इसको निरस्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में लोक सभा की भांति विभागों से सम्बन्धित स्थाई समितियों के गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री उदयभान करवरिया जी की है।

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न उठाया है वह भी करीब-करीब तिवारी जी के प्रश्न से मिलता-जुलता है। मान्यवर, जो बात आई कि विधान सभा का सत्र कम समय के लिये बुलाया जाता है, जिस कारण से सभी माननीय सदस्य अपनी बात नहीं रख पाते हैं। यह बात आपने आप में बिल्कुल सही है। मान्यवर, पिछला बजट सत्र चला और स्थितियां-परिस्थितियां इस प्रकार से आई कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश के बजट में हम लोग चर्चा तक नहीं कर पाये। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखे उसमें भी ऐसी स्थिति आई कि कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात नहीं रख सके और उन्होंने अपना लिखित वक्तव्य दिया और वह छापने के लिये दिया गया। मान्यवर, यहां माननीय सदस्यों की बात आनी चाहिये और जब सदस्य अपनी बात को पूरी तौर से कहेगा तो निश्चित तौर से प्रदेश का बजट एक अच्छा बजट होगा और वह प्रदेश के विकास में सहायक होगा। मान्यवर, रात के एक-एक बजे तक, बारह-बारह बजे तक बजट सत्र में कार्यवाही का चलना, इसका अगर हम दिन बढ़ा देते हैं तो समय सीमा के अन्दर एक अच्छा बजट भी प्रस्तुत हो सकता था। मान्यवर, मेरा एक सुझाव इसमें यह था कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट में बजटरी कमेटियां बनाई गयी हैं उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी बजटरी कमेटियां बनाई जायें। यह प्रस्ताव पहले से लम्बित भी है, मैं कोई नई ऐसी बात नहीं उठा रहा हूं कि इसके लिये कोई नया प्रस्ताव या नया संशोधन करना पड़ेगा। अभी तो मान्यवर, जो विभागों के बजट आते हैं उस बजट को कुछ चन्द अधिकारी बैठकर बना देते हैं, उनको यह भी ज्ञान नहीं है कि प्रदेश में किस विभाग के लिये, कितना धन चाहिये और किस प्रकार का बजट आना चाहिये। इसी कारण से हम आज कुछ और संशोधित बजट को पास करा रहे हैं विधान सभा में। इसलिये मान्यवर, अगर बजटरी कमेटी विधान सभा सदस्यों की विधान सभा में बना दी जाय तो बजट सत्र आने के पहले वह कमेटी बैठें। विभिन्न विभागों की कमेटियां रहेंगी। उसमें विधायक सदस्य रहेंगे, कुछ विभाग से सम्बन्धित अधिकारी भी रहेंगे तो शायद उत्तर प्रदेश का बजट और बेहतर और अच्छा हम ला सकते हैं। मान्यवर, पिछली बार जो चर्चाएं चली उसमें देखने को मिला, मान्यवर, जो सदस्यगण अपने क्षेत्र की या प्रदेश में बजट के प्रति अच्छा सुझाव देने के इच्छुक थे, उनकी बातें तक नहीं आ पाई। हम बाहर जाते हैं अपने क्षेत्रों में जब तो यदि हम किसी अधिकारी के पास बैठ गये और कहा कि इस व्यवस्था के लिए, इस योजना के लिए हमें धन चाहिए तो वह कहते हैं कि साहब लखनऊ में बैठ करके बजट तो आप ही बनाते हो, जो बजट आपने बनाया, जो धन आया उसी धन को हम देंगे। मान्यवर, एक तरफ वही चन्द अधिकारी बैठ करके बजट को बनायें और उसके बाद हम विधायकों के ऊपर यह आरोप थोपा जाए तो मान्यवर यह अच्छी बात नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है कि थोड़ा सा सरकार को इसके प्रति उदार होना चाहिए। मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी हैं, उन्हें इसको स्वीकार करना चाहिए कि अगला जो बजट का सत्र आये उस बजट सत्र के पहले हम एक बजेटरी कमेटी बनायेंगे और उस बजेटरी कमेटी के पास पहले बजट जाएगा उसके बाद में विधान सभा में लाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है, आप बैठ जाएं।

श्री उदय भान करवरिया-

मान्यवर, पिछले विधान सभा सत्र में मैंने आडिट रिपोर्ट रखी थी, आडिट रिपोर्ट में समाज कल्याण विभाग का विशेष उल्लेख किया था कि उसमें जो धन उस विभाग के बजट में एलाट किया गया था वह धन पूरा खर्चा ही नहीं हुआ था। मान्यवर, यह खामियां केवल इसीलिए रह जाती हैं क्योंकि हमारे यहां कोई बजेटरी कमेटी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई, आप बैठ जाएं।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जरूर चाहूंगा कि वह इस बात के लिए आश्वासन दें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इससे पूर्व भी इस सम्बन्ध में माननीय दलीय नेताओं की बैठक में विचार किया गया था और इस विषय को समाप्त कर दिया गया था। इसी सम्बन्ध में तत्कालीन मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा श्री राम नरेश यादव की अध्यक्षता में एक अध्ययन समिति गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई थी, उस समय इन समितियों के गठन का औचित्य नहीं पाया गया था। वर्ष 2003 में ऑल इंडिया प्रोसाइडिंग ऑफीसर्स कॉफ्रेंस की स्थायी समिति के कन्वेनर द्वारा पुनः समिति के गठन पर बल दिया गया था। किन्तु उक्त प्रस्ताव तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। दिनांक 03 फरवरी, 2004 को मा0 दलीय नेताओं की बैठक में इस प्रकरण पर पुनः विचार किया गया, उस समय प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा बताया गया था कि इसमें प्रारम्भिक स्टेज पर 1 करोड़ 17 लाख रुपये का खर्च आएगा। तत्कालीन सरकार द्वारा यह कहा गया था कि शुरुआत का है, समितियों पर खर्च होगा यह बाद की बात है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विधान सभा में बजट समिति के गठन पर एक से अधिक बार विचार हो चुका है और उनके गठन का औचित्य नहीं पाया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त बजट समितियों के गठन पर भी 1 करोड़ से अधिक की धनराशि का व्यय अनुमानित है तथा इन समितियों पर और अधिक व्यय की सम्भावना है। मान्यवर, बजेटरी कमेटी के बारे में कई बार भी अभी-अभी मा0 दलीय नेताओं की बैठक में भी चर्चा हुई और इस बात पर आम सहमति बनी कि इससे आम सदस्यों के जो अधिकार हैं, उस पर भी एक तरह से उनको अवसर नहीं मिलेगा और इसलिए इन समितियों के गठन का औचित्य नहीं पाया गया और इसलिए मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह नियम-300 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री उदय भान करवरिया-

मान्यवर, इसमें यह हवाला दे करके बजेटरी कमेटी का गठन नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, बहुत से ऐसे मद हैं, जिसमें अत्यधिक व्यय हो रहा है तो इन समितियों के गठन का मामला प्रदेश के हित में है।

श्री अध्यक्ष-

दलीय नेताओं की बैठक में यह विषय विचाराधीन है, वहां विचार हो रहा है। मैंने श्री करवरिया साहब को तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत ग्राह्य करने योग्य नहीं है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब नीचे की जितनी सूचनाएं हैं, कोई रासुका के सन्दर्भ में है, कोई पद सृजन के सम्बन्ध में है, बहुत पुराने समय की हैं, अगर कोई ऐसी सूचना होती तो हम सुन लेते, इसमें कोई सूचना इस तरह की नहीं है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, है। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को तीन साल के बाद भी।

श्री अध्यक्ष-

उस्मानी साहब, अभी तो मैंने आपको बुलाया भी नहीं। अभी तो मैं कह रहा था कि शेष सूचनाएं इस तरह की हैं। फिर भी मैं अपने नियमों को शिथिल करते हुए आपकी भावनाओं का आदर करता हूं कि मात्र अगर दो-दो मिनट में अपनी बात रख सकें तो रख दें, इससे ज्यादा समय हो जाएगा तो मैं बोलने का मौका नहीं दूंगा। एक भी सूचना नियम-300 में नहीं आ रही है। मैं अरविन्द गिरि जी को बुला रहा हूं।

लखीमपुर खीरी की कोतवाली गोला गोकरननाथ तथा थाना हैदराबाद में श्री अरविन्द गिरि के विरुद्ध असत्य एवं आधारहीन मुकदमें दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री अरविन्द गिरि-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि सम्पूर्ण सदन के संज्ञान में भी है, 27 अक्टूबर, 2007 को एक प्रदर्शन में हजारों-हजार किसान, वह किसान जो गन्ने के बकाया भुगतान के लिए सड़क पर उतरा था, वह छात्र जो अपनी मांगों के लिए उतरा था, वह व्यापारी जो अपनी तमाम बातों को लेकर, 'वैट' लगाये जाने के विरोध में उतरा था, 10-12 हजार की संख्या से अधिक कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, किसी प्रकार की घटना नहीं हुई, वहां इस प्रदेश के पूर्व मंत्री, मा0 सांसद व मा0 विधायकगण, मा0 पूर्व विधायकगण उस सम्मेलन में थे। यह सम्मेलन 10.00 बजे सुबह से लेकर शाम 5.00 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से चला। सम्मेलन के बाद वापस जाते समय एक ट्राली में बैठे हुए कार्यकर्ताओं को रोका जाता है, बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता द्वारा, जो नशे में धुत था और जिसके ऊपर 3 माह पूर्व वन्य जीव अधिनियम के अन्तर्गत चालान हुआ था, जिसके पास हाथी के दांत, गैंडे की सींग, शेर की खाल बरामद हुई। यह सब चीजें ऐसे व्यक्ति के द्वारा पिछले एक महीने में घटित की जा रही है जिसका कोई भी सत्यता से सम्बन्ध नहीं है। ट्राली पर रोके गये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों पर उसने गाली गलौज की, हवाई फायर किया, फायर करने के बाद वहां जब कार्यकर्ता उतरे, वहां पर अधिकारी भी पहुंचे और मैं भी मौके पर पहुंच गया। मैंने उनसे इस बात को कहा कि देखिये आपके ऊपर नाजायज दबाव पड़ेगा, इस व्यक्ति की डाक्टरी कराकर इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन वह कार्यवाही न करके रात में हम लोगों के खिलाफ धारा 395, 307 का मुकदमा कायम किया गया। 24 घण्टे के अन्दर हमारे ऊपर 6 मुकदमें कायम किये गये, 150 कार्यकर्ताओं को उसी दिन निरुद्ध किया गया और कम से कम 1000 कार्यकर्ताओं के ऊपर अलग से कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का प्राविधान किया गया। मुकदमा अपराध संख्या 718 हैदराबाद में कायम किया गया, दिनांक 31-05-2007 को। एक मामूली विवाद था, दो परिवार का विवाद था, उस विवाद को हल कर दिया गया था वहां के वरिष्ट लोगों के साथ बैठ करके, हम भी मौके पर गये, हैदराबाद थाने के एस0 ओ0 भी वहां थे, दोनों के साथ बैठ करके बात हो गयी और उसके बाद सभी लोग अपने घर चले गये, रात में वहां पर हमारे खिलाफ धारा-7 क्रिमिनल ऐक्ट और तमाम धाराओं के अन्तर्गत धारा-147, 148, 149, 453, 323, 504 तमाम धाराओं में मुकदमा कायम कर दिया गया। दोनों पक्षों को मालूम हुआ कि यह गलत मुकदमा कायम किया गया है, दूसरे दिन ही पुलिस अधीक्षक के समक्ष दोनों पक्ष प्रस्तुत हुए, जिनका विवाद था दोनों ने एफीडेविड दिया है कि यह पूरी तरह से गलत मुकदमा लिखाया गया है, दोनों का पत्र है यह हम आपके पास भेज रहे हैं और पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुये उन्होंने पूरी घटना की जांच करायी और जिसको असत्य माना गया और कार्यवाही समाप्त नहीं की गयी बल्कि रोक दी गयी क्योंकि पूरी घटना सत्य से परे थी। इसी के बाद दूसरी घटना होती है मुकदमा अपराध संख्या-679, इसके अन्तर्गत गोला कोतवाली में धारा-7 क्रिमिनल ऐक्ट का मुकदमा कायम किया जाता है इन्हीं सब धाराओं के अन्तर्गत।

श्री अध्यक्ष-

गिरि जी, मैंने दो मिनट का समय दिया था, काफी समय हो गया।

श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर, इसमें हम आपका संरक्षण चाहते हैं, गम्भीर प्रकरण है। मान्यवर, घटना यह है ब्लाक की मीटिंग हो रही है, हमारा किसी प्रकार की घटना का सम्बन्ध नहीं है। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान पढ़कर के कष्ट हुआ कि हम थाने पर, कोतवाली पर घेराव करने गये थे, हम हमला करने गये थे। इतनी असत्य सूचना संसदीय कार्य मंत्री जी को मिली, इससे मैं बहुत आहत हूँ। वर्ष 1996 से आ रहा हूं लेकिन अपने बारे में कभी आवाज नहीं उठायी। पहली बार सदन में अपने लिये खड़े होकर कुछ कह रहा हूं। 24 घण्टे के अन्दर 6 मुकदमें कायम किये गये जिनका मुझसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई मतलब नहीं। मान्यवर, 4 तारीख को ब्लाक के अन्दर मीटिंग होती है मीटिंग में बी0डी0ओ0 कहता है कि जिनके लिए सीटें निर्धारित हैं वह उन्हीं पर बैठ जाएं। उन पर बैठने की बात हुई और कोई बात नहीं हुई वह बैठक से चले गये...

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिए। मैंने दो मिनट का समय दिया।

श्री अरविन्द गिरि-

अध्यक्ष जी यह कितना गम्भीर प्रश्न है वहां पर गोला कोतवाली का कोतवाल अपनी जी0डी0 पर दर्ज करता है कि यह कमरुद्दीन अंसारी, सुरजन लाल वर्मा व 15 अज्ञात के साथ आए एक प्रार्थना-पत्र टाइप शुदा देकर मुकदमा लिखवाने व मेडिकल करवाने के लिए जबरदस्ती दबाव डालने लगे। आपके सत्ता पक्ष की इस समय जो व्यवस्था है इसमें कोतवाल लिख रहा है। इसमें आगे लिखा है कि किसी प्रकार की सत्यता सिद्ध नहीं पाई गयी है।

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप देखिए यह किस प्रकार से नियम 300 में आता है।

श्री अरविन्द गिरि-

अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि मैं 10 वर्षों से विधायक हूं मैंने कभी भी अपनी व्यक्तिगत समस्या को सदन में नहीं रखा है। मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं आपका कोतवाल लिख रहा है कि मेरे खिलाफ बिल्कुल असत्य मुकदमा लिखवाया जा रहा है। बाद में 9 तारीख को लोग वहां पहुंचते हैं और सत्ता पक्ष के दबाव में मुकदमा कायम होता है। इतना ही नहीं यह जो 27 तारीख की घटना है इसमें मुकदमा उनके ऊपर कायम होना चाहिए लेकिन इसके बजाय 395 व 307 का मुकदमा हमारे ऊपर कायम होता है उसकी जांच भी होती है उसकी सत्यता नहीं पायी जाती है मुकदमा 323 में परिवर्तित होता है। जिसके लिए एक माह पहले 500 कार्यकर्ता जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देते हैं कि गन्ना मूल्य का भुगतान कर दें उसके लिए हम वहां गए थे एक माह पहले उसका ज्ञापन दिया और वरिष्ठ लोगों के साथ धरना प्रदर्शन किया। उसके लिए यह कहा जाता है कि हमने कोतवाली पर हमला किया जबकि हम कोतवाली गए थे और हमने कहा था कि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब सारी चीजें सदन में आ गई हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री अरविन्द गिरि-

मैं यहां उपस्थित हूं अगर किसी प्रकार का मुकदमा बनता है तो मुझे गिरफ्तार किया जाय कार्यकर्ताओं को जाने दिया जाय व उनको परेशान न किया जाय। इन सारी चीजों को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं इन सारी चीजों का उल्लेख वहां के समाचार पत्रों ने किया है और इसका बी0डी0ओ0 कैसेट भी है जिसे मैं आपको और संसदीय कार्य मंत्री जी को दिखलाना चाहता हूं। यह सही है कि हम वहां गए और हमने यह कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार न किया जाय हम हाजिर हैं जरूरत हो तो मुझे गिरफ्तार किया जाय। इस पर दरोगा ने मुझसे यह कहा कि हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं यहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कोतवाली में राम नरेश यादव को जो अजान का प्रधान है जिसके यहां बहुत बड़ा मेला चल रहा है उसको गांव से कोतवाली लाया गया हमने मात्र इतना पूछा कि इनको किस लिए लाए हो तो वहां पर उपस्थित दरोगा ने कहा कि यह न मुल्जिम हैं न इनके खिलाफ कोई मुकदमा है।

श्री अध्यक्ष-

आपका पांच मिनट से ज्यादा हो गया है। कृपया समाप्त करें। इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अरविन्द गिरि-

जब हमें यह बताया गया कि न तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है न यह मुल्जिम हैं तो हमने कहा कि फिर इनको जाने दीजिए जब आपको जरूरत होगी यह उपस्थित हो जायेंगे। लेकिन बाद में मुकदमा कायम करा दिया गया। अब यह कहा जा रहा है कि इनके ऊपर 6 मुकदमें कायम हैं तो इनके ऊपर गैंगस्टर व गुण्डा एक्ट लगना चाहिए। मान्यवर, मैं औचित्य के प्रश्न पर चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें।

* श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सदस्य की पीड़ा सुनी लेकिन सिर्फ कह देना और सुन लेना कोई कदम न उठाना इससे बात नहीं बनेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आपकी बात आ गई।

श्री अम्बिका चौधरी-

वरिष्ठ सदस्य ने गम्भीरता से अपनी बात रखी है। उन तथ्यों का आप परीक्षण करवाइए। अगर पीठ से सदस्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी तो कहां होगी ? सरकार की तरफ से तो वैसे ही नंगा नाच प्रदेश में हो रहा है राजनैतिक विद्वेष से कार्यवाही की जा रही है। इस पर आप सरकार को निर्देशित करें कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करे।

* नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

एक वरिष्ठ विधायक का मामला है। जब आपकी ही पुलिस कहती है कि आप पर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और उसके बाद माननीय सदस्य का यह कहना है कि सरकार के दबाव से दोबारा रिपोर्ट लिखी गई। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने एस0पी0 को टेलीफोन किया और कहा कि क्या 395, 307 का मुकदमा सही है ? उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे। उनका उत्तर सही था, सकारात्मक था। उन्होंने काम भी किया और फिर दबाव बढ़ा तो 144 या जो भी अन्य धारा हैं उसमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हमने जमानत करवा ली तो उसके बाद फिर से और धाराएं लगा दी गयीं। मान्यवर, माननीय सदस्यों के साथ इस तरह से जो हो रहा है, इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। अगर कोई सदस्य सदन में कहता तो यह माना जाता है कि वह सही बोल रहे हैं। यह परम्परा रही है और चाहे इधर के सदस्य रहे हों या उधर के सदस्य रहे हों, उनकी बात पर विश्वास किया जाता है। आपके सामने भी होता रहा है। माननीय सदस्य की बात को सही माना जाता रहा है और उस पर कार्यवाही की गई है। माननीय सदस्य ने जो अपनी बात यहां पर रखी है उस पर दोषी अधिकारियों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खिलाफ कार्यवाही की जाय। इस बारे में सदन की एक जांच कमेटी बना दी जाय। दरोगा तो जो लिख देगा वही एस0पी0 मानेगा। नीचे से लेकर ऊपर तक सब वही मानेंगे। जो लेखपाल लिख लेगा वही कलेक्टर कहेगा और सरकार वही जवाब देगी। ऐसे उदाहरण हमने सदन में प्रस्तुत किये हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय आप इसमें हस्तक्षेप करिये और जो मुकदमे लगाये गये हैं वह सारे खत्म कराकर जो दोषी अधिकारी हैं उसके खिलाफ कार्यवाही करायें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं इस बात का खण्डन करता हूं कि शासन स्तर से दबाव डालकर कोई मुकदमा लिखाया गया। सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी या पुलिस प्रशासन ने जो भी कार्यवाही की है, जैसा कि माननीय सदस्य ने यहां पर चर्चा की है, उसका परीक्षण करा लिया जायेगा और नियमानुसार जो भी कार्यवाही करनी होगी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय सदस्य अरविन्द गिरि जी को सुना, नेता प्रतिपक्ष को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये अग्राह्य की जाती है।

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विधायकों के लिए क्रय कराये जाने वाले लैपटाप की खरीद में अनियमिततायें होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अनुग्रह नारायण जी आपकी सूचना कहां 300 में आती है ? मैंने सभी को अग्राह्य कर दिया है। वह तो माननीय सदस्य का व्यक्तिगत था इसलिये उनको सुन लिया। दो मिनट के लिये कहा था इतना समय हो गया। इतने महत्वपूर्ण विधेयक लगे हैं और 56 की भी सूचनायें हैं।

* श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, दो मिनट में कह दूं मान्यवर, सभी माननीय विधायकों को विधायी कार्य करने के लिये विधायक निधि से लैपटाप इश्यू कराया जाता है। पहले शासनादेश हुआ था जो भी वांछित लैपटाप चाहेंगे वो एक सप्ताह के अन्दर दिया जायेगा उसके बाद दूसरा शासनादेश हो गया उसमें यह था कि कुछ विशेष कम्पनियों के दिये जायेंगे। इस शासनादेश में समय सीमा समाप्त कर दी गई। हालत यह है कि सी0डी0ओ0 यू0पी0 इलेक्ट्रानिक कम्पनी के लैपटाप दे रहे हैं जो कि बाजार से 30/40 हजार अधिक कीमत पर दे रहे हैं। इस तरह से विधायक निधि का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें अपमान सुनना पड़ता है कि विधायक लोग अपने हित में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मान्यवर,आप इसकी जांच करवा लें। लैपटाप मिले न मिले लेकिन यह जो अपमान हो रहा है कम से कम वह तो न हो। 7 परसेन्ट कमीशन भी कम्पनी को देना पड़ रहा है।

(एक सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायं। माननीय सदस्य ने सभी माननीय सदस्यों के सन्दर्भ में बात रखी है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस पर विचार करके जनहित में जो भी आवश्यक होगा कार्यवाही की जायेगी। यह नियम-300 में नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, विचार कर लीजियेगा माननीय विधायकों का मामला है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, ग्राम्य विकास मंत्री बैठे हैं इसको देख लीजिएगा एक-एक लैपटाप पर चालीस-चालीस हजार रुपया ज्यादा लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी को एवं श्री नरेश चन्द्र जी को सुना यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनेक स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत गत वर्ष प्रवेश लेकर कोर्स पूरा करने के बावजूद अनेक छात्रों को परीक्षा से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है पूर्वांचल विश्वविद्यालय से लगभग 67 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं और उनसे प्रभावित कई हजार छात्र-छात्रायें हैं। अभी-अभी काफी दिनों के बाद तीन तारीख से 2005-06 के बी0एड0 के जो छात्र सिर्फ 6 महाविद्यालयों से सम्बद्ध हैं उनकी परीक्षा प्रारम्भ की गई है। श्रीमन् मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो बाकी 61 महाविद्यालय हैं उनसे सम्बन्धित बी0एड0 के हजारों छात्र-छात्रायें हैं उनके अभिभावक चिन्ता में हैं उनके सामने अंधकार है। सिर्फ 6 महाविद्यालय के छात्रों की परीक्षा शुरू की गई है तो हम लोगों के भविष्य का क्या होगा ? मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और इसमें व्यवस्था चाहता हूं। उन हजारों छात्र-छात्रायें जिनका भविष्य 2005-06 से जुड़ा हुआ है और जो मैनेजमेन्ट कोटा के तहत इन महाविद्यालयों में प्रवेश ले चुके हैं उनकी बी0एड0 की परीक्षायें भी तुरन्त प्रारम्भ की जाएं।

श्री अध्यक्ष-

कुछ छात्रों की काउन्सलिंग हो चुकी हैं लेकिन उन्हें परीक्षा नहीं देने दी जा रही है।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, इसी विषय पर थोड़ा बोलना चाहते हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो 67 स्कूल हैं उसमें 6 में परीक्षायें शुरू हो गई और 61 महाविद्यालय रह गए हैं। इसमें लखनऊ हाई कोर्ट ने लखनऊ खण्डपीठ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों ने अलग-अलग आदेश दिया कि परीक्षायें सम्पन्न

कराई जायं। 23-5-07 को लखनऊ खण्ड पीठ ने 24-5-07 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश निर्गत किया कि परीक्षायें ली जाएं। हाई कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए शासन ने 14-6-07 को आदेश दिया कि परीक्षायें ली जाएं। परीक्षायें लेने के लिए शासन ने घोषित कर दिया कि 20 अगस्त से परीक्षायें प्रारम्भ कर दी जाएं। बच्चों ने फार्म भर दिया और फीस भी जमा कर दिया। लेकिन अचानक विश्वविद्यालय ने अगस्त महीने में 17 तारीख को परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा कर दी। मुख्य मामला डिग्री कालेज और विश्वविद्यालय के प्रबन्धकों के बीच का है। वह सीटों के बंटवारे का झगड़ा है। कोई भी कारण होगा उचित ही होगा इसके पीछे कारण होगा। लेकिन शासनादेश दो-दो बार जारी किया गया और लागू नहीं हुआ तो क्या सरकार का काम शासनादेश को निर्गत करने का नहीं है। बल्कि उसको लागू कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। अगर सरकार ने दो-दो बार शासनादेश किया और उसका पालन नहीं हुआ तो जरूरी होता है कि सरकार उस ओर ध्यान दे। जहां 61 डिग्री कालेजों के साढ़े 6 हजार बच्चे परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। डेढ़ साल हो गया और डेढ़ साल में एक एजूकेशनल इयर पूरा नहीं हुआ तो यह गम्भीर विषय हो जाता है। यह सदन जानना चाहता है कि सरकार अपने ही आदेश को लागू कराने के लिए कौन से कदम उठा रही है। जिससे जो 6 विशेष प्रकार के डिग्री कालेज हैं उनकी तो परीक्षा हो रही है। बाकी विश्वविद्यालयों में परीक्षा नहीं हो रही है। उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए। आश्चर्य की बात है कि जब कोई सरकार की ओर से या विश्वविद्यालय की ओर से एक यूनीफार्म या सभी डिग्री कालेजों के लिए कोई काम्पेटिटिव परीक्षा आयोजित नहीं की गई और जब डिग्री कालेज एडमीशन लेते हैं, उनमें जब परीक्षा आयोजित नहीं होती है, उन्होंने मेरिट सूची के आधार पर एडमीशन किया है, हर डिग्री कालेज को, बी0एड0 कालेज को पूरी प्रवेश की सूची भेजनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष-

प्रवेश तो हो गया ?

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

प्रवेश हो गए हैं। हाई कोर्ट ने दो-दो बार आदेश दिया है, इसके बावजूद परीक्षा न होना गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष-

इनका कहना है कि 61 ऐसे महाविद्यालय बच गये हैं, उनमें प्रवेश भी हुए, पढ़ाई भी हुई, लेकिन परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि सरकार से कुछ निर्देश भी गये थे। इनका कहना है कि इन महाविद्यालयों को भी सम्मिलित कर लिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक नियम-300 की बात है, यह नियम-300 में तो आता नहीं।

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 में तो नहीं आता।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पाण्डेय जी होते तो सुनते ही नहीं पहले ही अग्राह्य कर देते।

मान्यवर, जहां तक यह सवाल है, विश्वविद्यालय आटोनामस बॉडी है, नियमों के अनुसार जो भी कार्यवाही होगी, दिखवा लिया जायेगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री श्यामदेव राय चौधरी को सुना, संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

ग्रामीण क्षेत्रों की भांति नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों को पेयजल के लिए हैण्डपम्प स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

महाना जी की सूचना तो नियम-300 में आती नहीं है। लेकिन आप समय की पाबन्दी का ध्यान रखेंगे।

* श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस सदन के सभी मा0 सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या यहां पर बताते हैं। कालांतर में जो भी समस्याएं रही हैं, चाहे विधायक निधि का मामला हो या हैण्डपम्प देने का मामला हो, भेद नहीं किया गया। यह घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा पिछले बजट सत्र में की गयी थी, आपकी अनुमति से मैंने हैण्डपम्पों पर चर्चा की थी। समय-समय पर आपके कक्ष में भी गया, आपसे अनुरोध किया, आपने भी प्रयास किया, हम धन्यवाद देते हैं। आप किसी के साथ भेद नहीं करते हैं यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसी विधान सभा के कुछ 20 विधायकों के साथ भेद कर दिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि आपके क्षेत्र में गरीब रहते नहीं, आपके क्षेत्र में पानी की आवश्यकता नहीं है, आपको हैण्डपम्प नहीं दिए जायेंगे। मान्यवर, पिछली बार प्रत्येक शहरी क्षेत्र के लिए हैण्डपम्प देने का विषय उठा था, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी की थी, चाहे नगर विकास विभाग हो या ग्राम्य विकास विभाग, सभी उनके अधीन आते हैं, मुख्य मंत्री जी को नीचे से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि वह ग्राम्य विकास विभाग से करें या नगर विकास से। मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि सभी विधायकों को 225 हैण्डपम्प दिए जायेंगे, लेकिन न नीचे कुछ है, न ऊपर कुछ है।

श्री अध्यक्ष-

यह आप महसूस कर रहे हैं कि ऊपर भी कुछ नहीं, नीचे भी कुछ नहीं ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अभी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका साथ रहेगा तो महसूस करना शुरू कर देंगे। कोई इस तरह का प्राविधान नहीं है कि सभी मा0 विधायकों से पूछकर हैण्डपम्प लगाये जायेंगे। इस तरह की यदि व्यवस्था है तो अलग से शासनादेश जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस तरह की मंशा है कि सभी को मिले, गरीब आदमी शहरों में भी रहता है, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। यदि बड़े शहरों में जहां पानी की आवश्यकता है, जहां पर उसकी आवश्यकता के आधे पानी की ही आपूर्ति हो रही है तो 20 ऐसे सम्मानित सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों, हम जनता को क्या जवाब दें ?

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि सदस्यों में भेद हो तो औचित्य के प्रश्न पर इससे बड़ा क्या औचित्य हो सकता है। मान्यवर, यह औचित्य में आता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार से पूछिये मत कि वह क्या कर रहे हैं, आप निर्देश दे दीजिए कि यह 20 या जितने भी ऐसे विधायक हैं उनके क्षेत्र में भी 225 हैण्डपम्प लगा दिये जायं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय टण्डन जी और माननीय महाना जी बार-बार इस बात को उठाते हैं। मान्यवर, पहले माननीय विधायक जी की सिफारिश पर हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था की गयी थी। मैं भी इस सदन में जब से हूं और मेरे क्षेत्र में भी एक नगरपालिका और एक टाउन एरिया पड़ता है। मैंने भरसक प्रयास किया लेकिन एक भी हैण्डपम्प नहीं लग पाया, क्योंकि नियमों में व्यवस्था नहीं थी। हमने कोई नई परम्परा नहीं डालने का काम किया है। हमने शासन स्तर पर भी पता किया तो बताया गया कि शहरों में सड़क, ओवर हेड टैंक हेतु नगर विकास विभाग से काफी धन जाता है और उससे व्यवस्था की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ओवर हैड टैंक की कोई व्यवस्था कारगर नहीं है। इसके साथ ही भारत सरकार का ग्राम्य विकास विभाग भी हैण्डपम्प के लिए अलग से धन देने की व्यवस्था करता हैं मान्यवर, शहरों में यह माना गया है कि वहां पर जलापूर्ति की व्यवस्था अलग है इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था अलग से करने की व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, यह हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। वह जब विचार रखते हैं तो हम उनसे सीखते हैं, उनका अनुकरण भी करते हैं। मैंने टण्डन जी से कहा कि आप 20 वर्षों का एक भी शासनादेश दिखा दीजिए जिसमें अलग से ऐसा करने का काम किया गया हो तो हम उससे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन अभी तक यह प्राप्त नहीं हो पाया है। मान्यवर, विधायक निधि है। गांव में हमें सड़क बनवानी पड़ती है। हर गांव के लिए अभी तक सड़क नहीं हो पायी है। शहरों में जो माननीय विधायक हैं तो वह विधायक निधि का प्रयोग करके इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगा लें तो इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मान्यवर, यह किसी भी प्रकार से नियम 300 में नहीं आता है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि एक भी ऐसा शासनादेश बता दें। मान्यवर, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि इस बार से पहले हमारे जो नगर निगम क्षेत्र के विधायक हैं यदि उनको पूर्व में हैण्डपम्प मिलता रहा हो तो दे दें, यदि नहीं मिलता रहा हो तो न दें। इसकी घोषणा कर दें कि यदि मिलता रहा हो तो दे दीजिए, नहीं मिलता रहा हो तो नहीं दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने कहा कि जो शासनादेश जारी रहा हो उसकी कापी दे दें तो मैं इसका परीक्षण कराकर इसको देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

तब हो जायेगा। माननीय टण्डन जी सारी बात तो आ गयी है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से कई बार अनुरोध किया कि वह महाप्रबन्धक जल निगम को बुला लें और यह सत्यापित करा लें कि मिलते रहे हैं कि नहीं। केवल पिछली बार एक शासनादेश हो गया था जिसमें यह कहा गया था रिवाल्विंग फंड से लोकल बाडीज से पैसा लेकर विधायक को दे दें। उससे समस्या पैदा हो गयी थी। उसी के ऊपर यह विभाग पड़ा हुआ है। इसमें यह कभी नहीं हुआ है कि न मिला हो। यह हमसे कहते हैं कि शासनादेश को दे दें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय टण्डन जी मैं आपके सुझाव को मानता हूं और आज या कल में महाप्रबन्धक, जल निगम को बुला लूंगा टण्डन जी को भी बुला लूंगा और सदस्य आना चाहें तो आ सकते हैं। इससे हमारा भी मार्ग दर्शन हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने सतीश महाना जी, टण्डन जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, ग्रामीण अंचल के जो गांव नये-नये नगर निगम में शामिल हुए हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

गौरी शंकर जी आप भी उस बैठक में चले जाइयेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इन्हें भी बुला लें वहीं इनकी भी समस्या का समाधान हो जायेगा।

सूचना विभाग द्वारा 1857 के शहीदों के विषय में प्रकाशित पुस्तक में गोण्डा के अमर शहीद राजा देवी बख्श सिंह तथा सिपाही फजल अली का नाम सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी जी की है, यह नियम 300 के अन्तर्गत तो आती नहीं है। हाशमी जी आप केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं। हमारे गोण्डा जनपद के दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जो सूचना विभाग की एक पुस्तक छपी है "1857 के शहीद" इसमें इनका नाम छोड़ दिया गया है। यह बड़ा ही गम्भीर विषय है। यह सूचना विभाग से किताब प्रकाशित हुई है। जिनकी वजह से देश आजाद हुआ उनका नाम छोड़ दिया गया। इसमें एक महाराजा देवी बख्श सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिये थे एवं बूढा सायर सियासत के राजा असरफ बक्श खां ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिये थे और राजादेवी बक्श सिंह के सिपाही फजल अली जिन्होंने अंग्रेज कलेक्टर का गला

काट दिया था, उनका नाम इस पुस्तक में नहीं छपा है जो बड़े खेद का विषय है। जब देश 1857 का एक सौ पचासवां साल मना रहा है और पूरे देश में जंगे आजादी के 1857 के शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान की जा रही है, उन्हें खिराज-ए-अकीदत पेश की जा रही है तो हमारे जिले के दो महान देशभक्तों का नाम छोड़ दिया गया है। हम आपका इसमें संरक्षण चाहते हैं आप सरकार को निर्देश दें कि इनका नाम जोड़ा जाय और यह दिखवा लें कि यह भूल है या जानबूझकर छोड़ा गया है। अध्यक्ष जी, आपने मुझे सुना मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने हाशमी साहब को सुना। मंत्री जी इन दो शहीदों का नाम प्रकाशित होने से रह गया है इसको दिखवा लें, अगर यह छूट गया है तो प्रकाशित करवा दें। मैं इस सूचना को अग्रास्य करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत कृपा आपकी, गोण्डा के सिलसिले में आपने यह निर्देश दिये। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको व्यापक कर लें, अगर सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश चले जायं कि इस प्रकार के अगर और भी व्यक्ति हो जिनके नाम छूट गये हों तो उन्हें भी शामिल कर लिया जाय। तो इसकी पूरी व्यापक जांच हो जाय, पूरे प्रदेश में, सारे जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दें।

श्री जगदीश नारायण राय-

ठीक है मान्यवर।

जनपद कुशीनगर में सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ गरीबों व श्रमिकों तक न पहुंच पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

हां बताइये सोलंकी साहब, आपने लिखा है कि जनपद-कुशीनगर में प्रदेश सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ वहां की गरीब जनता एवं श्रमिकों तक न पहुंच पाने के सम्बन्ध में। अब इन योजनाओं के बारे में कितनी देर तक चर्चा चलेगी, आप लोग कुछ तो नियम-300 की सूचनाओं का महत्व बनाये रखिये।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

हमारा संरक्षण तो है ही, लेकिन हमारा भी तो संरक्षण करिये।

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी यह बहुत गम्भीर एवं महत्वपूर्ण मसला है जिस पर मैं बोलना चाहता हूं। आज तमाम तरह की बातें सरकार कर रही है लेकिन बिना भोजन के बिना खाने के भुखमरी से भी आज लोग इस प्रदेश में मर रहे हैं, इस विषय पर मैं अपनी दो मिनट में बात रखना चाह रहा हूं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद-कुशीनगर की यह घटना है, वहां की सूचना है, जनपद कुशीनगर में दुई ब्लाक में मुसहर जाति के काफी लोग निवास करते हैं। करीब सात हजार के उनकी आबादी है, जो खेतिहर मजदूर हैं, खेती से ही पालन-पोषण का काम करते हैं। खेती के अलावा दूसरा उनके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई साधन नहीं है, चूंकि वह खेतिहर मजदूर हैं, खेती पर ही आधारित हैं तो आज उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा है, भूख से मौतें हो रही हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार का, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर प्रदेश में बगैर खाने से मौतें हो रही हैं, लोग भूखों मर रहे हैं तो सरकार को उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भूख से इस प्रदेश में कोई भी नहीं मरने पायेगा, इसके लिये समुचित निर्देश जिलाधिकारियों को दिये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंने श्री सत्येन्द्र सोलंकी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

जौनपुर की तहसील केराकत के ग्राम पूरब पट्टी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 छोटई यादव के आश्रितों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला बहुत गम्भीर है। श्री छोटई यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुत्र श्री अंगनूं, जिला जौनपुर के निवासी हैं, तीन साल हो गये इनके स्वर्गवास को और इनकी जमीन को इनके वारिसों के नाम अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष इसमें एक बहुत खास बात यह है कि ग्राम सरैनी जो है, राजस्व ग्राम है और वहां पर जब चकबन्दी हुई इसके बाद तो बिना महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन के इस एक राजस्व ग्राम को चार राजस्व ग्राम में बांट दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

विषय यह नहीं है कि चार में बांटा गया या सौ में बांटा गया, आप जो मूल बिन्दु है उस पर आइये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री छोटई यादव जी हैं इनका कहना यह है कि उनको मरे तीन साल हो गया है अब तक उनके वारिसों की विरासत भी नहीं हो पाई है। यह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मसला है, इसको भी आप दिखवा लीजिए।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

ठीक है, मान्यवर, इसको भी दिखवा लिया जायेगा, नियमों के अनुसार जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंने माननीय सदस्य श्री उस्मानी साहब को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, मैं इसे निरस्त करता हूं।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

श्री जगन प्रसाद गर्ग जी, आप तो और आगे बढ़ गये, आपकी सूचना तो बिल्कुल ही नियम-300 में नहीं आती है, इसलिए आपकी सूचना को भी निरस्त किया जाता है।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी जी, आपकी भी सूचना नियम-300 में नहीं आती है, इसलिए मैं इसको भी निरस्त कर रहा हूं। इस तरह से यह दोनों सूचनाएं निरस्त की जाती हैं। अब मैं मद संख्या-3 ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) (संशोधन) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) (संशोधन) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा

---

† छापी नहीं गयी।

जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा

---

† छापी नहीं गयी।

जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (अनर्हता का हटाया जाना और अनर्हता और सदस्यता से सम्बन्धित विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (अनर्हता का हटाया जाना और अनर्हता और सदस्यता से सम्बन्धित विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत

---

† छापी नहीं गयी।

तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत (अध्यक्ष या प्रमुख आदि के पद की शपथ) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत (अध्यक्ष या प्रमुख आदि के पद की शपथ) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (सदस्यता से सम्बन्धित विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994†

संसदीय कार्य कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (सदस्यता से सम्बन्धित विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994, को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-20, 21 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 05 नवम्बर, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

नवम्बर, 2007

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :--

06 मंगलवार 1-(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007

(2) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007

(3) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

---

† छापी नहीं गयी।

(4) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

(5) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

(6) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

(7) उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007

(8) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों) के लिये आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2007

(9) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

(10) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007

(11) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007

(12) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

(13) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

(14) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007

निम्नलिखित विधेयकों पर पुनः विचार एवं उनका पारण :--

(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ संशोधन सहित पारित हुआ)

(2) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधन सहित पारित हुआ)

2-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किया जाये।"

3-"उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में" श्री प्रदीप जैन आदित्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

23 में कुछ नहीं है।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो-दो सदस्यों के निर्वाचन के स्थान पर नाम-निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर एवं नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो-दो सदस्यों का निर्वाचन, कराये जाने के प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं उक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये, यथास्थिति, दो-दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर एवं नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं उक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये, यथास्थिति, दो-दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

---

† दिनांक 29-11-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

फैजाबाद में एक छात्रा की हत्या में प्रदेश के एक राज्य मंत्री तथा उनके ड्राइवर की संलिप्तता विषयक नियम-311 की सूचना को सुने जाने की मांग

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, नियम-311 में हमने एक सूचना दी थी। फैजाबाद जनपद में एक लड़की गायब हुई, एक राज्य मंत्री के ड्राइवर पर आरोप लगा और कल उस लड़की के पिताजी ने राज्य मंत्री पर आरोप लगा दिया और वह कल फैजाबाद के सब अखबारों में छपा है। इसकी एफ0आई0आर0 भी है, इसी पर नियम-311 की हमारी सूचना है। यह बड़ा गम्भीर मामला है और लड़की का अभी तक पता नहीं चला है। इस नाते मेरा अनुरोध है कि इसको भी ले लें और उस पर सुनवाई करा लें और उस पर सरकार का जवाब भी आ जाय जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब, कल नियम-56 की जितनी सूचनाएं थीं कार्य-सूची में कार्य ज्यादा होने के नाते यह निर्णय हुआ था कि जो कल की सूचनाएं हैं, वही आज ले ली जायेंगी जिसमें माननीय अम्बिका चौधरी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सब लोगों की सूचना थी पुलिस आरक्षियों की भर्ती के सम्बन्ध में। प्रथम मैंने उसको चयनित किया, शेष सभी 5 सूचनाएं शलाका के आधार पर निकाली गयी थीं, जिन पर ध्यानाकर्षण किया जा सकता था और उसमें एक-आध सूचनाओं पर हमको सुनना था। अब इन सूचनाओं के बाद कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ नई सूचनाएं ले लें। तो सामूहिक रूप से लोकदल की एक सूचना आयी है जिसको मैंने लिया है और शेष सूचनाएं मैंने ध्यानाकर्षण के लिये कर दिया है। आपकी जो सूचना नियम-311 की है उसे नियम-56 में अग्राह्य कर दिया है केवल इन्हीं सूचनाओं को हमें सुनना है जो सूचना हमने ली थी। अभी एक और सूचना वर्ष 2004 से 2006 के बीच पुलिस आरक्षियों की हुई भर्तियों से निर्दोष बर्खास्त किये गये आरक्षियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आ गई है, यह सूचना (1) मा0 अम्बिका चौधरी जी, श्री अनिल कुमार सिंह यादव जी, श्री विशवम्भर प्रसाद निषाद जी (2) श्री सनातन पाण्डेय जी, श्री जोखूलाल यादव जी, (3) श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री प्रदीप माथुर जी, श्रीमती अमीता सिंह जी, श्री प्रदीप जैन आदित्य जी, श्री आर0पी0एन0 सिंह जी, श्री संजीव दरियाबादी जी, श्री विनोद चतुर्वेदी जी, श्री माधव पासवान जी तथा श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला जी की है।

इसके बाद दूसरी सूचना श्री मदन चौहान जी की प्रदेश की गन्ना मिलों से गन्ना पेराई का सत्र समय से शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में है, जिसे हमने सुनने के लिये स्वीकार किया है। बस एक निर्णय यही हुआ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, क्रम आप जो चाहें कर लें लेकिन नियम-311 में महत्वपूर्ण सूचना दी गयी है, उसे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

पहले कल का क्रम निकलने दें जो व्यवस्था हमने दिया है उसके बाद जैसा होगा देखा जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसके बाद इसे ले लें।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को नियम 56 में चयनित एवं नियम 311 की परिवर्तित 40 सूचनाएं हैं।

पहली सूचना पुलिस आरक्षियों की भर्ती से निर्दोष बर्खास्त किये गये आरक्षियों में असंतोष से उत्पन्न स्थिति की तथा दूसरी सूचना गन्ना पेराई से सम्बन्धित है। तीसरी सूचना श्री राम किशुन की प्रदेश के पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में बढ़ रही नक्सल गतिविधियों एवं उनके विरोध में शस्त्रधारी संगठनों द्वारा की जा रही कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना (1) श्री उदयभान करवरिया (2) श्री सतीश महाना (3) श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती अमिता सिंह, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री आर0 पी0 एन0 सिंह, श्री संजीव दरियाबाद, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री पंकज मलिक, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला तथा श्री माधव पासवान की प्रदेश में भीषण विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना (1) श्री राम विशुन आजाद जी (2) श्री कौकब हमीद जी, श्री अनिल चौधरी जी, चौ0 सतपाल सिंह जी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी जी, श्री अब्दुल वारिस खां जी, (3) डा0 धर्मपाल सिंह, (4) श्री विश्वम्भर सिंह यादव, श्री अशोक सिंह चन्देल, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री दीप नारायण सिंह यादव जी की प्रदेश के किसानों को खाद, बीज एवं पानी समय से न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

छटी सूचना श्री मुख्तार अंसारी की व्यक्तिगत है जो श्री मुख्तार अंसारी, सदस्य, विधान सभा की आत्म सुरक्षा के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की बदायूं निवासी मुकुल गुप्ता की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की जनपद-सीतापुर की तहसील-मिश्रिख के ग्राम-बीहटगौड़ में स्थित वन विभाग की सैकड़ों बीघे जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की अन्तर्राष्ट्रीय स्थल के पर्यटक स्थल मथुरा एवं वृन्दावन स्थित यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं, अतः अस्वीकृत हुईं :--

1-डा0 आर0 ए0 उस्मानी, 2-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, 3-डा0 धर्मपाल सिंह, 4-श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री अम्बिका चौधरी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, 5-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, 6-डा0 अजय तोमर, श्री अनिल चौधरी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, 7-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, 8-श्री अरविन्द गिरि 9-श्री श्यामदेव राय चौधरी, 10-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल एवं श्री यशपाल सिंह चौहान, 11-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, 12-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, 13-श्री इमरान महमूद, 14-डा0 राजेन्द्र सिंह, 15-श्री कौशलेन्द्र नाथ योगी, 16-श्री आरिफ अनवर हाशमी, 17-डा0 आर0 ए0 उस्मानी, 18-श्री पंकज मलिक, 19-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, 20-श्री मोहम्मद आजम खां, 21-श्री मिथिलेश कुमार, 22-श्री माता प्रसाद पाण्डेय, 23-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल तथा 24-श्री मदन चौहान।

फैजाबाद में एक छात्रा की हत्या में प्रदेश के एक राज्य मंत्री तथा उनके ड्राइवर की संलिप्तता विषयक नियम-311 की सूचना को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

ऐसा है मान्यवर, गम्भीरता को भी देखा जाता है आपने जो किया है उसे हम स्वीकार करते हैं लेकिन एक लड़की एल0एल0बी0 की फाइनल क्लास की थी, फैजाबाद जनपद के गांव की है, मैं अभी देख नहीं पाया हूं। उनके पिता योगेश उन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि उनकी बेटी वहां यूनिवर्सिटी की जो बैंक थी वहां वह लड़की अपना पैसा निकालने आयी थी, वहीं विजय यादव, जो ड्राइवर है और आज भी है। पहले स्वयं मंत्री के साथ था और बाद में शायद मंत्री के परिवार के साथ है। वहीं से लड़की को उठा लिया और लड़की को उठा करके ले गये, यह 22 या 23 तारीख की बात है और वह लड़की नहीं मिली। जब यह जाहिर हो गया कि स्थिति गम्भीर है और विजय यादव स्वयं इनका ड्राइवर है और उन्हीं के परिवार का एक इन्हीं के कालेज में क्लर्क है। पूरे सम्बन्ध हैं और लड़की उठा ली गयी और उसका पता नहीं चला। अब जब उसने ज्यादा इधर-उधर जाना शुरू किया तो कल शायद लड़की की डेडबॉडी मिली। यह मंत्री के ड्राइवर से सम्बन्धित मामला है, मंत्री के परिवार से सम्बन्धित मामला है और उसका जो अलग से कहना है वह बहुत गम्भीर है, अगर अध्यक्ष महोदय आप कहेंगे तो हम अलग से बता देंगे क्योंकि वह कई लोगों से मिला है और उसने कहा है कि किस तरह से लड़की को गायब किया गया और यहां तक पता चला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चल जाएगा कि वह लड़की प्रिगनेन्ट हो गयी थी और इसी वजह से उसको बाद में मार दिया गया, हत्या कर दी गयी। यह गम्भीर मामला है। विजय सेन यादव पहले मंत्री का ड्राइवर था और आज भी उनके परिवार में उनकी पत्नी या किसी अन्य सदस्य का ड्राइवर है और उसी के परिवार का कोई सगा व्यक्ति है वह उनके कालेज में क्लर्क है और लड़की की हत्या से भी सम्बन्धित है। लड़की के परिवारवालों ने रिपोर्ट लिखाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं लिखी गयी। एक चतुराई की उसने पुराने केस में अपनी जमानत कटवाकर जेल चला गया, पूछताछ होगी तो उसमें किस-किस के नाम आयेंगे, यह गम्भीर मामला है। जब मंत्री जी से सम्बन्धित हो तो और गम्भीर हो जाता है, इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा आप हमको तो सुन लेते हैं लेकिन इससे ज्यादा गम्भीर सवाल क्या हो सकता है ? जो मंत्री से सम्बन्धित है अगर मंत्री से सम्बन्धित न होता तो लिखा-पढ़ी करके, पत्रकारों

से बातचीत करके बात आगे बढ़ जाती। चूंकि सदन चल रहा है और छात्रा की हत्या हो जाए तो पूरे प्रदेश के अन्दर छात्राओं पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। सरकार में बैठे हुए लोगों के परिवार से सम्बन्धित आदमी है, हत्या का मामला है, इसलिए यह गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, इस सूचना को मैंने नियम-311 में अग्राह्य किया था, हो सकता है कि सरकार के पास सूचना न हो। आगे इसकी सूचना देख लेते हैं, छात्रा का मामला है। जब आपका आग्रह है तो हम इसको सुन लेंगे लेकिन इस सूचना को हमने अग्राह्य किया था, सरकार के पास भेजा नहीं था। लेकिन चूंकि नेता प्रतिपक्ष ने व्यक्तिगत आग्रह किया है तो और सूचनाएं सुनने के बाद इसको सुन लिया जायेगा।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत जो सूचना मैंने दी है और इस प्रदेश व्यापी मामले पर आपने हमको अपनी बात रखने की अनुमति दी है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वर्ष 2004 से लेकर 2006 तक कुल 22,000 पुलिस कान्स्टेबिल की भर्ती की गयी। 62 भर्ती बोर्ड बनाये गये और उन 62 भर्ती बोर्डों के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस, पी0ए0सी0 और रेडियो पुलिस में 22,000 युवक युवतियों की भर्ती की गयी। 13-06-2007 को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने एक आदेश दिया कि इन भर्तियों की जांच की जाए और उनकी जांच करके, मान्यवर, पहले दिन ही यह मंशा जाहिर करते हुए बात सरकार की ओर से स्पष्ट कर दी गयी कि यह जांच इसलिये करानी है कि पिछली सरकार, माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जिनने फैसले लिये हैं उन सभी फैसलों को ही निरस्त करना है एक ओर जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाकर उत्पीड़ित किये जाने का काम करना है, उस सरकार ने जितने भी जनहित में जनोपयोगी फैसले किये हैं उन सबको उलट देना है। एक सीधी बात सरकार की उस मंशा में तय हुई, उसी के क्रम में 13-06-07 को पुलिस महानिदेशक ने एक जांच का आदेश किया और जांच के फलस्वरूप 18,000 आरक्षियों की सेवायें समाप्त कर दी गयीं, 25 आई0पी0एस0 अफसरों को निलम्बित किया गया, उनके विरुद्ध मुकदमें कायम किये गये और 150 पी0पी0एस0 अफसरों के खिलाफ मुकदमें दर्ज कराये गये और इन सबके आगे चलकर जो अनर्थ की बात हुई मैं उस पर आ रहा हूं कि अनेक प्रकार के अनर्गल आरोप लगाये गये।

(इस समय 2 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता श्री प्रदीप माथुर पीठासीन हुए)

उन अनर्गल आरोपों को लगाते चले जाने की इसमें इतना घृणित तरीका जो अपनाया जा रहा है जांच अधिकारी व जांच समिति के अध्यक्ष ने आरोप लगा दिया कि जिन लड़कियों की नियुक्ति हुई है उन लड़कियों का यौन शोषण हुआ है और जो लड़कियां यौन शोषण के लिये तैयार नहीं हुईं उनकी नियुक्ति नहीं हुई। गरीब आदमी के लिये इज्जत से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती है उस पर हमला करने का काम हुआ है। मैं इस पर अपनी बात रखूं उसके पहले श्रीमन्, यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूरी तरह से पहले ही सरकार की मंशा बनी हुई थी इसलिये वह कमेटी बनाई गई जांच समिति कैसे

बनी समिति के अध्यक्ष शैलजा कान्त मिश्र जो बनाये गये यह शैलजा कान्त मिश्र कौन हैं ? अधिष्ठाता महोदय, जांच समिति के अध्यक्ष शैलजा कान्त मिश्र बनाये गये। जांच समिति गठन के समय से ही बिल्कुल अवैधानिक थी, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं थी। दुनियां में किसी भी स्थापित विधि के अनुरूप समिति का गठन नहीं हुआ। जो आरोपी हो जिसके आरोप में शामिल होने की सम्भावना हो वह खुद उसकी जांच करे ऐसा कभी नहीं हो सकता है। शैलजा कान्त मिश्र जो पुलिस की भर्तियां हुईं उसमें 10वीं पी0ए0सी0 बोर्ड के पर्यवेक्षक थे। आई0जी0 पी0ए0सी0 पूर्वी जोन थे इस नाते वे 10 भर्ती बोर्ड के पर्यवेक्षक बनाये गये। इसके लिये बाकायदा आदेश दिया गया। इस आदेश के अनुरूप उनको पर्यवेक्षण करना था उन्होंने पर्यवेक्षण किया इसके लिये बाकायदा लिखित आदेश है मुख्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 उत्तर प्रदेश का यह 2 जुलाई, 2006 का पत्र है इस आदेश में साफ-साफ लिखा है अध्यक्ष महादेय मैं इसकी कापी भी बाद में आपको दे दूंगा इसमें लिखा है कि सम्बन्धित जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0 चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी के सम्बन्धित अभिलखों की जांच करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की ही शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई है, मूल्यांकित परीक्षा पुस्तिकाओं की अंक-तालिकाएं व अंक-तालिकाओं के आधार पर ब्राड शीट में उतारे गये प्राप्तांकों में कोई त्रुटि नहीं है, अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार एवं समय-समय पर निर्गत आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप किया गया है व स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि की कार्यवाही नियमानुसार सही तरीके से की गयी है। यह भी देखेंगे कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को जो कान्स्टेबिल पद हेतु अयोग्य है, को योग्य तथा जो योग्य है, उसे अयोग्य तो नहीं घोषित कर दिया गया है। ऐसे स्पष्ट आदेश शैलजा कान्त मिश्र को दिये गये थे उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में स्वीकार किया बयान हलफी द्वारा अपनी एफेडेविट माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के सामने दाखिल करते हुए स्वीकार किया इस सब में पत्रावलियां उनके सामने आईं भर्ती बोर्डों की चयन बोर्ड में उनके सामने पत्रावली भेज दी उन्होंने यह स्वीकार किया कि 18 दिन पत्रावली उनके सामने लम्बित रही और इसके बाद भी उनको पर्यवेक्षण के लिये समय नहीं मिला 18 दिन लम्बित रहने के बावजूद भी और श्रीमन् ! एक ऐसा व्यक्ति अगर पुलिस की भर्तियां गलत हुई हैं तो सबसे पहले किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही जरूर होनी चाहिए तो शैलजा कान्त मिश्र के खिलाफ होनी चाहिए और उसी को भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। इतनी बात नहीं है यह जो पूरी भर्ती बोर्ड की जांच की जो समिति बनाई गई वह पूरी की पूरी कमेटी अजीब बनाई गई है एक दूसरी डी0आई0जी0 साहब, श्री जावेद अख्तर साहब हैं उन्होंने सीतापुर में भर्ती की भर्ती बोर्ड के चेयरमैन रहे उनको भी मान्यवर, जांच अधिकारी बना दिया गया एक एडीशनल एस0पी0 हैं डी0के0 राय यह तो उससे भी महान मामला है भर्ती बोर्ड में शामिल रहे फिर उसके बाद जांच समिति में शामिल रहे और उसके बाद जांच करने के बाद एफ0आई0आर0 दर्ज कराई और उस एफ0आई0आर0 की तफ्तीश जो संस्था कर रही है वहां एडीशनल एस0पी0 पोस्ट कर दिये गये हैं वही अधिकारी भर्ती करे वही जांच करे और वही उन आरोपों की तफ्तीश भी करे यह इस सरकार में हो रहा है। यह अनर्थ है यह इसकी सीमा है। यह तो है, इसके अलावा भी लोग लगाये गये हैं और ऐसे लोग लगाये गये हैं कि 2004, 31 दिसम्बर तक की भर्तियों को छोड़ दिया गया और उसके दो डी0आई0जी0 महोदय को इसमें लगा दिया गया और इस धमकी के साथ कि जांच रिपोर्ट में पूरी तरह से आपको इस भर्ती को अनियमित और अवैध घोषित करना है अन्यथा आपकी भी जांच करा ली जायेगी। ऐसी जांच कमेटी बनाई गई और उस जांच कमेटी

ने मान्यवर, क्या किया ? जांच कमेटी ने सरकार की मंशा और निर्देशों के अनुसार जल्दी-जल्दी ऐसे तथ्य जुटाये और उन तथ्यों को जुटाकर जांच में कहा कि यहां कटिंग हो गई है। नाम लिखते समय कटिंग हो गयी है और कटिंग है इसलिये गड़बड़ है। अगर किसी परीक्षार्थी ने अपनी रिटेन कापी में जय बजरंग बली लिख दिया है इसलिये वह तुरन्त बड़ा संदेहास्पद है और उसकी कापी क्यों जांची गई ? इसको निरस्त किया जाना चाहिए यह तो बड़ा भारी इशारा है। जबरदस्ती आरोप लगाया गया, मैं नाम लेना चाहता हूं कि यादवों की भर्ती ज्यादा की गई है यह उल्लेख किया गया है लड़कियों की बात मैंने की है मान्यवर। हालांकि जब लड़कियां सड़कों पर आईं और उन्होंने अपनी पूरी बात प्रदेश के सामने रखी तो मुंह छिपाने की भी जगह नहीं थी और मैं इसलिये आज उल्लेख करना चाहता हूं कि मुख्य सचिव की जांच हुई कि जो आरोप शैलजा कान्त जी ने लगाया गया है कि लड़कियों का यौन शोषण हुआ है उसकी जांच मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दूसरी समिति ने किया और उस समिति ने कह दिया कि यह आरोप बिल्कुल फर्जी है, आधारहीन है। यौन शोषण की बात की पुष्टि नहीं होती। इतने अनर्गल आरोप इतने गम्भीर तरीके से लगाने वालों के खिलाफ मान्यवर, क्या कार्यवाही होनी चाहिए ? अगर यह पीठ आज तय कर देगी तो हम समझेंगे कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत ने न्याय करने का काम किया है। मान्यवर, मैं अपने इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं। जो पूरी जांच प्रक्रिया ही अवैधानिक और असंवैधानिक थी वह इसलिये थी कि मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आखिरकार इस बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कानून नहीं माना जायेगा, संविधान नहीं माना जायेगा, न्यायालय के आदेश नहीं माने जायेंगे। परम्पराओं का लोप तो पूरी तरह से हो ही चुका है, शर्मो हया है नहीं तो कौन सी चीज मानी जायेगी ? मान्यवर, मैं माननीय उच्च न्यायालय का फैसला दिखा रहा हूं और इसकी भी कापी आपको प्रेषित कर दूंगा। श्रीमन् रिट पिटीशन संख्या 3408 एस0एस0 2005, रिट पिटीशन नं0-3409 एस0 एस0 2005 सौरभ शुक्ला वर्सेज स्टेट आफ यू0पी0 एण्ड रिट पिटीशन नं0-3720 एस0 एस0 2005 अनन्त कुमार दुबे वर्सेज यू0पी0 एण्ड अदर्स। इसमें मान्यवर, मेरठ, मुरादाबाद, बदायूं, एटा, मैनपुरी, फतेहगढ़, इटावा, झांसी, इलाहाबाद, सोनभद्र, आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर, गोण्डा और सीतापुर कुल इन 15 भर्ती बोर्डों की भर्तियां निरस्त करने के लिये फर्जी आरोप लगा करके कि यह भर्तियां फर्जी हुई नाप जोख ठीक नहीं हुई। आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है भाई भतीजावाद हुआ है और एक जाति के लोगों की भर्ती ज्यादा हुई है। मान्यवर, यह आरोप लगाते हुए रिट फाइल हुई। उच्च न्यायालय ने इस रिट को सुना और श्रीमन्, मैं उसके अंशों को सिर्फ उद्धरित कर रहा हूं उसका हिन्दी अनुवाद भी मान्यवर, मैं प्रेषित करूंगा :-

"इन आर्डर टू एस्सर्टेन एज टू व्हेदर द सेम प्रोसीजर हैव बीन फालोड इन दिस इन्टायर सेलेक्शन आफ आल द फिफ्टीन डिस्ट्रिक्ट्स आर नाट द रिकार्ड आफ आल द फिफ्टीन डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन सम्मन्ड।"

सारे रिकार्ड माननीय उच्च न्यायालय ने मंगवाये।

"एण्ड आई हैव फाउण्ड दैट द रिजल्ट आफ द सलेक्शन हैज बीन प्रिपेयर्ड इन एकार्डेन्स विद द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर।"

जो नियमावली में प्राविधान है उन नियमों के मुताबिक पूरी तरह से चयन हुआ है यह माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है मान्यवर, इन 15 जिलों के बारे में। और

द रूल्स आफ रिजर्वेशन हैव बीन फालोड इन एकार्डेन्स विथ द सेटिल्ड ला।

आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन हुआ है मान्यवर।

"द नम्बर आफ रिजर्व्ड कटेगरी कन्डीडेट्स हैव इन्क्रीज्ड विकाज मोस्ट आफ द रिजर्व्ड कटेगरी कन्डीडेट्स हैव आक्युपाइड मेरिट सीट्स आफ्टर सिक्योरिंग कट आफ मार्क्स रिक्वायर्ड फार क्वालिफाइंग इन द मेरिट लिस्ट।"

कि आरक्षण की श्रेणी में आने वाले लोगों का चयन आरक्षण की संख्या से अधिक इसलिये हुआ है कि जो मेरिट की कट आफ लिस्ट है उस मेरिट के हिसाब से मेरिट सीट पर उसका सेलेक्शन हुआ है। यह माननीय उच्च न्यायालय की फाइंडिंग्स है मान्यवर, मैं पुनः इसको कन्क्लूड कर रहा हूं। माननीय उच्च न्यायालय की फाइंडिंग्स है मान्यवर।

"आई डू नाट फाइन्ड एनि अरबिट्रारीनेस निपोटिज्म आर फेवरिटिज्म आर एनि माल प्रेक्टिस।"

कोई मनमानी नहीं हुई है। कोई भाई-भतीजावाद नहीं हुआ कोई पक्षपात नहीं हुआ। जो कहा गया कि अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करके रिश्वत लेकर भर्तियां की गईं उसे खारिज किया जाए। माल प्रैक्टिस पर उच्च न्यायालय ने विचार करते हुए कहा कि-

"आई डू नाट फाइन्ड एनि अरबिट्रेरीनेस निपोटिज्म आर फेवर्टिज्म आर एनि माल प्रेक्टिस इन कन्डक्टिंग द सेलेक्शन आफ द पुलिस कान्सटेबिल्स इन एनि आफ द डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच द वेकैन्सीज वेअर नोटीफाइड. और अन्त में मान्यवर, आपरेटिव पोरशन है सिन्स द अरबिट्रेरीनेस फेवर्टिज्म एण्ड रिपोर्टिज्म हैव नाट बीन प्रोव्ड द रिट पिटीशन फार क्वेसिंग द सेलेक्शन प्रोसेस आर फार गिविंग अपाइन्टमेन्ट एज प्रेड बाइ द पिटीशनर्स आर फार कन्डक्टिंग सी0बी0आई इन्कवायरी कैन नाट बी इन्टरटेन्ड।"

माननीय उच्च न्यायालय ने 15 जिलों की भर्तियों का रिकार्ड मंगाया। पूरी तरह से स्क्रूटनाइज किया। सारे नियमों की कसौटी और तथ्यों के धरातल पर इसका परीक्षण किया और अपना फाइन्डिंग दिया उस पर श्री शैलजा कान्त जी की कमेटी ने जांच कर लिया और उसको नाजायज ठहराया। अंग्रेजी मान्यवर, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं मैं अंग्रेजी में कोई बात उद्धृत नहीं करूंगा। लेकिन मान्यवर, यह अनर्थ की पराकाष्ठा है, यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है। यह संविधान, न्याय, कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाने की पराकाष्ठा है और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं अगर इस सरकार को बहुत बड़ी पीड़ा थी, दस हजार लोगों के ऊपर मुकदमें कायम किये गये, कुछ दूसरा कर लेते गिरफ्तारी कर लेते, उत्पीड़ित करते, प्रताड़ित करते लेकिन उन बेरोजगार गरीब परिवारों के 18 हजार नौजवान और नवयुवतियों को नौकरी से बर्खास्त करके उनके जीवन को अंधकारमय बनाने का काम और प्रदेश को कानून व्यवस्था की विषम स्थिति में ढकेलने का जो कुत्सित कार्य हुआ है। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए, आलोचना क्या मान्यवर, यह अनर्थ है इससे गम्भीर कोई बात नहीं हो सकती है मैं अपनी बात कह रहा हूं।

मान्यवर, लेकिन इससे बेशर्मी नहीं खत्म होती है जांच की रिपोर्ट आ गई मान्यवर, उसके बाद साबित करने का क्रम चला, किस तरह साबित किया जाए कैसे गड़बड़ी हुई तो बरेली की घटना है मीरगंज थाना सहजनवा निवासी सुखनंदन गंगवार जो बर्खास्त था पकड़कर थाने ले आये उससे कहा पैसे देंगे इस कागज पर अंगूठा लगाओ बयान हल्फी दे दो कि तुमसे पैसे लिये गये। उसने कहा कि मैं यह काम नहीं करूंगा। उसके बाद उसको और उसके भाई को मुल्जिम बनाया गया समाजवादी पार्टी के

नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जब घेराव किया तो हिम्मत बिगड़ गई सरकार तो जहां दबाव पड़ा तो अपने पैर पीछे खींचती है मान्यवर, समाजवादी पार्टी के आन्दोलन को देखते हुए उनको छोड़ा गया हमारे पास खाली सुखनन्दन गंगवार का उदाहरण नहीं है और भी बहुत से उदाहरण हैं हमारे पास तमाम उदाहरण हैं लेकिन कार्य-स्थगन है इसलिये विस्तार में मैं इसको नहीं दूंगा। लेकिन मान्यवर, पूरे प्रदेश में ऐसा कुत्सित प्रयास हुआ कि अपने कृत्यों को, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिये इस तरह की स्थिति पैदा की जाए। मान्यवर, कुछ लड़कियों को दूरदर्शन पर चेहरा ढककर लाने का प्रयास हुआ और यह आरोप लगाया जाए। ऐसी-ऐसी साजिशें की गईं लेकिन इन साजिशों के बाद भी कोई आरोप साबित नहीं कर पाये। जबर्दस्ती की बात है बिना किसी आधार के गड़बड़ी, अगर कहीं किसी के सीने के नापजोख में कमी हो, अगर किसी का सर्टिफिकेट गलत हो तो आप इसकी जांच कर लेते, तमाम इस तरह की जांचें होती रही हैं इसकी जांच कर लेते लेकिन इन 18 हजार नौजवानों की नौकरी को एक साथ बर्खास्त करने की यह मंशा हो सकती है कि जिन पर आरोप आप लगा रहे हैं वह 18 हजार की नियुक्तियां खाली मिल जाएं और उनको बेचने का काम यह सरकार कर सके। एक मंशा यह हो सकती है कि उनकी नीलामी का काम हो जाए पिछली बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से नौकरियां दी गईं मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं यह मंशा हो सकती है और उसके अलावा अगर यह साबित करने की इच्छा हो कि जो भी कदम मुलायम सिंह यादव जी ने या उनकी सरकार ने उठाये थे सबको पलट देना है तो बहुत सारी चीजों को आपने पलट दिया मैं उस विषय पर अपने को विषयान्तर नहीं करना चाहता हूं लेकिन आपने तमाम फैसलों को पलट दिया एक तो यह टाइम नहीं रह पायेगा हम अदालतों में जायेंगे, जो लोग अदालतों में गये हैं आदलतें उसमें फैसला करेंगी। लोकतंत्र में बदलाव की बात है तो मा0 मुलायम सिंह जी ने बात कही है उसको हम दोहराना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जिस दिन आयेगी फिर इस कुकृत्य को करने वाले लोग दण्डित होंगे और फिर इन 18 हजार सिपाहियों को बदस्तूर पूरी तनख्वाह के साथ बहाल किया जायेगा। समाजवादी पार्टी यह काम करेगी। मान्यवर, इनकी जो स्थिति है, दूसरी बात मान्यवर, कुछ भर्तियों की जांच की गयी, हम सबकी भर्ती जायज हुई, सबकी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माननीया मुख्य मंत्री जी, हरौड़ा से जहां से चुनाव लड़ती थीं, इस बार तो नहीं हैं, वहां के हरौड़ा विधान सभा क्षेत्र के 40 लोग जिस भर्ती में थे, मान्यवर, जितनी जांच रिपोर्ट आयी हैं, वह सभी मेरे पास हैं, लेकिन यदि मैं सहारनपुर से शुरू करूं तो जितनी गड़बड़ी सहारनपुर में पाई गयी है, उससे कम गड़बड़ी सबमें पाई गयी है। 61 बोर्ड में उससे कम पाई गयी हैं लेकिन वहां के बोर्ड में और अधिकारियों को चिन्हित करके, किस अधिकारी को करना है, किस अधिकारी को नहीं करना है, मान्यवर, अगर कोई अधिकारी इस सरकार में किसी मंत्री का रिश्तेदार है, तो वहां की भर्ती में रहे उस अधिकारी को भी छोड़ने का काम किया जाए। लेकिन उन अधिकारियों को जिन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में मजबूती से काम किया, जो निष्ठावान हैं और ऐसे अधिकारी जिनकी ख्याति उत्तर प्रदेश में और आई0पी0एस0 संवर्ग में पूरे देश में है, ख्यातिलब्ध जो आई0पी0एस0 अधिकारी हैं, उनका मनोबल तोड़ने के लिये ऐसे अधिकारियों को उसमें फंसाने का काम किया गया है।

मान्यवर, मैं उल्लेख करना चाहूंगा, छोटे-छोटे कारणों को दिखा करके भर्तियां निरस्त की गयी हैं और उनसे बड़े कारणों की अनदेखी की गयी है और यह अनदेखी क्यों की गयी, वह भी मैं आपके सम्मुख रिकार्ड के साथ रखना चाहता हूं। रिपोर्ट आई और उनकी भर्तियों पर भी सवाल उठे, लेकिन

एक पत्र गया यहां से, जांच की रिपोर्ट आ गयी कि उनके द्वारा की गयी भर्ती में अनियमितता है, लेकिन चिन्हित किया गया कि इनको अनियमित नहीं करना है। 2 अक्टूबर, गांधी जयन्ती के दिन, दिन भी कोई दूसरा नहीं चुना, मान्यवर, 2 अक्टूबर, गांधी जयन्ती के दिन शासन ने आदेश भेजा, मैं इसका उल्लेख करता हूं और 2 अक्टूबर को मान्यवर, यहां से आदेश गया, पुलिस महानिदेशक का आदेश गया, तत्पश्चात् सरकार का आदेश गया, जबानी, पुलिस महानिदेशक का लिखित, पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0 प्र0. लखनऊ के पत्र संख्या-डी0जी0-4-110-151-2007, दिनांक 02-10-2007 का पत्र गया कि आप पुनरीक्षण करें, 5 भर्ती बोर्डों का और कमाल हो गया मान्यवर, जिस शैलजा कान्त समिति को एक भर्ती बोर्ड की फाइल 18 दिन देखने की फुर्सत नहीं थी, उसने श्री सुलखान सिंह, पुलिस महानिरीक्षक और श्री शैलजा कान्त, ए0डी0जी0 के दस्तखत हैं। 2 अक्टूबर को छुट्टी का दिन, उसी दिन जारी हुआ, गांधी जयन्ती मनाने की भी फुर्सत नहीं, 2 अक्टूबर की तिथि डाली गयी और 3 अक्टूबर को रिपोर्ट आ गयी। इसमें जी0एन0 सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, देवरिया का बोर्ड है, उसके बाद आजमगढ़ परिक्षेत्र के डी0के0 मौर्य, श्रीमती अंजु गुप्ता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ, विजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूं, रघुवीर लाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र।

मान्यवर, इनके बारे में 3 तारीख को ही रिपोर्ट आ गयी कि यह गलत नहीं है और मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं कि यह गलत नहीं है। यह गलत नहीं है लेकिन इनसे अति न्यून, आधे चौथाई, 1/10 कोई गलती जांच में आयी है, तो उसे गलत कहते हैं। हम इनको सजा देने की बात नहीं कहते हैं, हम उन भर्तियों की बात नहीं कर रहे हैं कि भर्तियों में गलती हुई, गलती तो हुई ही नहीं। अगर गलती हुई ती सबसे पहले अगर सजा दी जानी चाहिए तो सबसे ज्यादा भर्ती बोर्डों का पर्यवेक्षण जिसने किया और जो ड्यूटी बाउन्ड था और जिसनें माननीय उच्च न्यायालय में इस बात को स्वीकार किया, एफीडेविट से कि हमारी ड्यूटी थी और हमने इसको किया तो उनको कोई सजा देने की आवश्यकता होती तो दी जाती। मान्यवर, मैं इसका उल्लेख इसलिये करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है जो जबानी संदर्भों में की जा रही हो और मान्यवर, इतने अनर्थ के बाद इसका जो दुष्परिणाम पूरे प्रदेश में निकलने जा रहा है, उन सिपाहियों की बर्खास्तगी के बाद, उन्होंने बड़े भले ढंग से अपनी बात कहने का प्रयास किया है मान्यवर, अभी तक इतनी विस्फोटक स्थिति के बाद भी यह विस्फोट हुआ नहीं है। किन्तु जिन नौजवानों को आपने ट्रेनिंग दी और मान्यवर, एक भी भर्ती बोर्ड की ट्रेनिंग ऐसी नहीं है, जो कम्पलीट न हो गयी हो, सब की ट्रेनिंग कम्पलीट, आखिरी बैच ने भी ज्वाइन कर लिया और उसके पहले के लोग डेढ़-डेढ़, एक-एक वर्ष तक सरकारी सेवा में रहे तनख्वाह पाये ड्यूटी किया। उनके द्वारा सी0आर0पी0सी0 के तहत जिन सम्मन का तामीला किया गया जो गवाहियां दर्ज करायी गयीं। जो वह पुलिस की कैपिसिटी में कर सकते थे वह सारे कार्य किये। तो मान्यवर, क्या वह सारे कार्य अवैधानिक होंगे। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण सवाल है। मान्यवर, ऐसे लोगों को जिन्हें आपने अत्याधुनिक असलहे चलाने की ट्रेनिंग दी, जिन्हें प्रशिक्षित किया गया हो और फिर आप उन 18 हजार की फौज को सड़कों पर छोड़ दें। इस बात के लिए कि आप बेरोजगार हैं, सामाजिक, आर्थिक तौर पर उनकी स्थिति बिगड़ रही है।

मान्यवर, यह 18 हजार जवान कानून व्यवस्था के लिए चुनौती होंगे और मान्यवर, 25 आई0पी0एस0, 150 पी0पी0एस0 के मामलों में जो फैसला लिया गया है और इस फैसले से प्रदेश में जो संदेश देने का काम किया गया है, यह विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इसलिए मैंने कार्य-स्थगन की सूचना दी है। इसकी तात्कालिकता यह है कि इस घटना के बाद यह इस सदन का पहला उपवेशन हो रहा है। इसकी तात्कालिकता है। इसका लोक हित इतना बड़ा है कि मुझे उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इसको उत्तर प्रदेश की 17 करोड़ की जनता का एक-एक व्यक्ति, राजनैतिक कारणों से अगर 1, 2 को छोड़ दें और अगर वह चुप भी बैठा है तो भी वह मन से यह स्वीकार करता है कि यह इतना बड़ा अनर्थ हुआ है। पुलिस का इस तरह से मनोबल गिरेगा और अगर पुलिस को इस तरह से राजनैतिक कारणों से उन्हें चिन्हित करने का काम किया जाएगा तो कानून व्यवस्था का काम नहीं चल सकता। अगर आपको किसी आई0पी0एस0 को इस्तेमाल करना है तो आप उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लें। आपके यहां तो रिवाज है कि आप किसी ब्यूरोक्रेट को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देंगे। किसी अफसर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का काम पहली वार हुआ है। आप दूसरे अफसर को भी कैबिनेट मंत्री बना दीजिए। आप उसे भी अपनी कैबिनेट में बैठाइये, हमें आपत्ति नहीं है और वह यहां आकर के राजनीतिक काम करें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पुलिस विभाग में इस तरह की स्थिति पैदा करके पुलिस को गुटों में बांटकर, उनके मनोबल को तोड़कर इस प्रदेश को बरबाद करने का अधिकार इस सरकार को नहीं हैं और मान्यवर, इसमें कार्य-स्थगन का औचित्य इन कारणों से भी है कि मान्यवर इन्होंने ऐसा करके संविधान और कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ायी हैं। इसलिए यह मामला कार्य-स्थगन में आता है।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय अम्बिका चौधरी जी ने पुलिस भर्ती के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य रखा है। अपनी बात कही है। हम तीन बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। इतनी निष्पक्ष और इतने गरीबों की कभी भी भर्ती नहीं की गयी है। क्योंकि सरकार की नीतियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है और जो कमजोर है, गरीब है, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। उसी के अनुसार भर्ती हुयी है। किसी भी व्यक्ति ने कोई सिफारिश कभी भी नहीं की है। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता तो भर्ती में पहले हमारे सैफई के लड़के इतनी बढ़िया ट्रेनिंग ले रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे लड़के हैं, लेकिन एक भी भर्ती नहीं हुआ है। एक भी नहीं लिया गया है। अगर पक्षपात होता तो ऐसा कैसे होता कि हमारे गांव सैफई के लड़के भर्ती में नहीं लिये जायं। लेकिन हमें विश्वास था कि यह निष्पक्ष अवसर है और यह निष्पक्ष अवसर माना गया, कभी भी मुझसे किसी ने कोई शिकायत नही की, कि सैफई के लड़के क्यों नहीं हुए। लेकिन इसका गलत असर भी पड़ा। हवाई पट्टी बनने वाली थी दूसरी जगह तो हमने वायदा किया था कि आपकी जमीन जाएगी तो हम आपके लड़कों को नौकरी दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि जब आप सैफई के लड़कों को नौकरी नहीं दे पाये तो हमारी कहां से दे देंगे। इस वजह से हवाई पट्टी नहीं बन पायी।

इसकी वजह से उनका भरोसा नहीं रहा। जहां तक भर्ती का सवाल है सात-आठ सेन्टर्स में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी, इसमें अच्छा काम किया है, निरस्त नहीं की जा सकती तो और में भर्ती कैसे गलत हुई है। चाहे कानपुर जिला हो, सहारनपुर जिला हो, मेरठ जिला हो भर्ती ठीक हुई है,

वहां भर्ती ठीक हुई है इसलिए निरस्त नहीं की जा सकती, हम यह मानते है। अधिष्ठाता महोदय, आप महसूस करें कि जो सात-आठ जिले हैं वह निष्पक्ष रहे तो औरों में कैसे गलत हो सकता है। सबमें सामूहिक होनी चाहिए थी। जब 18 हजार लोगों को गलत पाया गया या तो 22 हजार लोगों को गलत पाना था। अगर सर्टिफिकेट गलत है तो कोई कह दें। दो चार केसेज में हुआ है जब हमें जानकारी हुई तो उसकी जांच हुई और फर्जी सर्टिफिकेट पाया गया तो उसे बर्खास्त किया गया, कुछ को माफ भी किया गया। आठ साल की नौकरी के बाद भी उसको बर्खास्त किया गया और जेल भेजे गये, सहारनपुर जिले की भर्ती थी। अगर सर्टिफिकेट गलत है तो आपके डी0आई0जी0, आई0जी0, डी0जी0 हैं, कोई आई0पी0एस0 है, डिप्टी एस0पी0 हैं आखिर कहां से जिम्मेदार हुए। यह तो सी0एम0ओ0 जिम्मेदार हुआ। जब चयन हो जाता है तो सी0एम0ओ0 टेस्ट कराता है, नाप तौल सब करता है। अगर कोई गलती हुई है फिजकल में तो उसके लिए तो सी0एम0ओ0 की जिम्मेदारी है। इसके बाद ट्रेनिंग सेन्टर पहंचा तो फिर जांच होती है, चार जगह जांच होती है, तो चार जगह जांच पायी गयी तो अकेला शैलजाकान्त मिश्र ने सब पा लिया। दूसरी बात यह इन्होंने लिखकर नहीं दिया, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें यह है कि सम्बन्धित केस में कोई है या भर्ती है उससे सम्बन्धित कोई अधिकारी जांच अधिकारी नहीं हो सकता है और शैलजा कन्त मिश्र ने रिपोर्ट दे दी और यह वही है जो पूर्वांचल की पी0ए0सी0 की भर्ती के इंचार्ज हैं और निर्देश यह है कि अगर त्रुटियां पायी गयी हों तो उन त्रुटियों को देखते हुए 16 सितम्बर तक मुख्यालय को भिजवायें। उन्होंने भेज दिया है। तब त्रुटियां नहीं देखी गयीं। तब त्रुटियां नहीं थीं यहीं शैलजा कान्त मिश्र हैं और दूसरी बात आप एक भी बता दें, मैं आज से नहीं सत्तर से चैलेन्ज देकर कह रहा हूं कि दो चार लड़कों द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट नहीं लगाये गये हों, सबको जानकारी है और वह बर्खास्त होते हैं, कार्यवाही भी हुई है लेकिन पूरी भर्ती खत्म करेंगे तो इसके पीछे क्या है ? जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने कहा कि 25 फीसदी तो अनुसूचित जाति के लोग हैं। हैं तो लेकिन एक जाति के कहां से ज्यादा हैं, अनुसूचित जाति के और छोटी-छोटी जाति के लोग भी हुए हैं। पहली बार भर्ती में हुए हैं इसलिए निष्पक्ष हुई है भर्ती। पिछड़े वर्ग में कहा गया कि यादव आ गये, क्या नाई नहीं हैं क्या कश्यप नहीं हैं क्या विश्वकर्मा नहीं हैं, क्या तेली नहीं है, बढ़ई नहीं हैं। यह छोटी-छोटी जातियों की उपेक्षा हमेशा होती रही है। यह हमारी नीति लागू हुई कि निष्पक्ष हो भर्ती और सब वर्गों को दिया जाय। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसका न लिया गया हो। अनुसूचित जाति में चाहें धोबी हो, बाल्मीकि हो, खटिक हो, सोनकर हो, धानुक हो हर जाति के लोगों को लिया गया है, यह परेशानी है सबकी। यह मेरा आरोप है और इसका सबूत मैं समय आने पर बता दूंगा।

(इस समय 2 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अभी अदालत है, सुप्रीमकोर्ट तक जायेगा मामला, लड़के तो बहाल होंगे ही और नहीं होंगे तो हमने बता दिया है कि इस तरह की सरकारें बहुत दिनों तक चलती नहीं है। प्रमोद तिवारी भी कह रहे थे तो कोई भी एक सरकार पांच साल नहीं चल सकी, बड़े-बड़े बहुमत वाली, हमारा ही बहुमत स्पष्ट था। 1989 में हमारा बहुमत था, अकेले दल का, अकेले दल जीत कर आया था, वह भी सरकार चली गयी। जनता पार्टी की सरकार 352 एम0एल0ए0 हमारी पार्टी के और सरकार चली गयी। 352 एम0एल0ए0 थे, जब मैं पहली बार चीफ मिनिस्टर बना था तो वह भी सरकार चली गयी थी, आपने

देखा तो सरकार आती है जाती है, लोकतंत्र है चाहे कितनी ही तानाशाही कर लीजिए, चाहे कितने ही गलत कानून बना लीजिए। महाराष्ट्र की तर्ज पर बना लीजिए जरा आंकड़े उठाकर देख लेना कि महाराष्ट्र में जो आंकड़े देते हैं, दिल्ली के बाद मुम्बई की कानून व्यवस्था खराब है हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा जहां यह कानून बना। कानून कहीं नहीं रोक पाता है, यह कानून से दबाव के जनता के मनोबल को तोड़ने की कोशिश है, लेकिन जब जनता निकलती है तो कोई कानून काम नहीं आता है। यही हम अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे या भर्ती न सिर्फ रोकी गई है, पूरी तरह से गलत है, अन्याय है उन नौजवानों के साथ और वह अन्याय ऐसा है कि हम जैसे लोग अगर समझाने में न लगे हों तो बहुत कुछ विस्फोटक स्थिति वास्तव में हो सकती थी और हो सकती है। अभी जितने गुस्से में थे, उनका गुस्सा कैसे निकाला गया, मीटिंग की समझाया गया कि नहीं धीरज से काम लीजिए, तब कोर्ट का सहारा लिया है। नहीं तो वह कोर्ट का सहारा भी नहीं लेना चाहते थे। हजारों की तादात में आकर घेरते थे, नारा लगाते थे और उनकी पिटाई भी की गई। सारे अखबारों में भी यह आ ही गया है वह शान्तपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए इस सरकार ने जो इस भर्ती को निरस्त किया है यह अच्छी परम्परा नहीं है और जो अधिकारियों को दण्डित करना मुअत्तल करना, उनके खिलाफ रपट लिखा देना, इन अधिकारियों का पक्ष भी हम लेंगे हर तरह से लेंगे। इनमें इतने ईमानदार अधिकारी हैं जिन पर कभी जीवन में कोई उंगली नहीं उठाई गई है। पूरे जीवन में ऐसे-ऐसे चयन बोर्ड में थे और ईमानदार लोगों को छांट-छांट कर ही किया गया था और अगर मान लीजिए गलत था जो तीन विधायकों ने पिछली तीरीखें डाल कर के, पिछली तारीख में दी है तो उनके यहां जब भर्ती उनके जिले में जब भर्ती हो रही थी तो उस वक्त वह कहां गये थे, उस वक्त शिकायत क्यों नहीं की गई और आज क्या हो रहा है, यह सिद्ध करने के लिए अभी जो रैली 09 अक्टूबर को थी, और 08 अक्टूबर, को दो लड़कियों को सरकारी गाड़ी में स्वयं शैलजाकान्त मिश्रा ले करके आये, कालीदास मार्ग, चार बजे, सवा चार बजे, मैं समय भी बता रहा हूं आपको और छः साढ़े छः बजे के बाद फिर सरकारी गाड़ी में वापस किया था। इसी तरह से हर डी0जी0पी0 ने हर जिले में एस0पी0 को टेलीफोन किया है कि आप हलफनामा लगाई पिछली तारीख में और ड्राफ्ट बन कर गया है, मेरे खिलाफ ड्राफ्ट एक ही गया था, यह सन् 49 के सरीखे गये थे, एक ही घण्टे के अन्दर अध्यक्ष महोदय आप भी मंत्री थे, एक घण्टे के अन्दर, पूरे प्रदेश में रिपोर्ट लिखी गई हो तो एक ही ड्राफ्ट था, पूरे प्रदेश का, तभी तो कोर्ट ने राहत दी थी। तभी तो ऐसा कभी कोर्ट का फैसला नहीं हुआ और उन जज को हम केवल नाम से जानते थे, कभी जीवन में नहीं देखा, वह मुम्बई में रहे, और जाने कहां-कहां रहे ? दो एक ऐसा जजमेन्ट कभी नहीं कि न गिरफ्तारी होगी, न चार्जशीट लगेगी और न कोई नई रपट लिखी जायेगी। वरना स्टे से क्या होता, चार्ज शीट लगा देते, इसलिए अध्यक्ष महोदय पिछली तारीखों में डी0जी0पी0 महोदय ने हर एस0पी0 को टेलीफोन किया और वह ड्राफ्ट गया, गलती तो की हमारे साथी बैठे हुए हैं, ड्राफ्ट को देख लीजिए आप उस पर दस्तखत करवा रहे हैं और बैक डेट में दस्तखत कराये गये और लगातार जारी है और कुछ आई0ए0एस0 जो बोर्ड के लोग हैं उनको बुलाकर उनसे कहा गया कि तुम इसके अप्रूवल बनो। उन्होंने राय मशविरा जब लिया तो वकीलों ने कहा कोर्ट में तो फंस ही जाओगे। बच नहीं सकते हो।

आप स्वीकार करते हो, तो वापस हो गये कुछ अधिकारी। कुछ अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है कि कहो कि हम से कहा गया था, शिवपाल ने कहा था सूची दी थी। शिवपाल की सूची की जो बात है जरा बता देना कि कौन सी सूची थी उनकी। उन्होंने जिन्दगी में कभी कोई सूची नहीं दी। किसी तरह से नहीं दी। एक नाम भी बता दो। कहीं से एक नाम भी बता दें। हमने एक उदाहरण भी बता दिया है जिससे आंखें खुलें।

मान्यवर, आज सैफई खेल में, कुश्ती में, दौड़ में काफी आगे बढ़ता जा रहा है। यह सही है कि वहां से बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था, वह क्वालीफाईड हो गये रिटेन टेस्ट में क्वालीफाइड हो गये। लेकिन वह सूची बहुत बड़ी थी। एक का भी नहीं हुआ (व्यवधान) आप क्या कह रहे हैं, हो अगर इशारा कर देते तो बहुत से हो जाते, वह बहुत बड़ी भर्ती हुई थी। लेकिन एक भी लड़का वहां का पहली बार भर्ती नहीं हुआ। वह इधर-उधर भाग कर चले गये, छोड़कर चले गये, मैंने कहा कि आप चाहे जहां जायें मुझसे कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह जो काम हुआ है इससे ज्यादा नाइंसाफी और क्या हो सकती है। यह बहुत ही क्षुब्ध मानसिकता की सरकार है। घटिया मानसिकता है जो आपको उन्हें रोजगार देना चाहिये वह रोजगार उनसे छीना जा रहा है। यह पहला उदाहरण है जबकि प्रदेश में रोजगार है नहीं और लड़कियों के साथ क्या कहा गया और आज हम फिर कहना चाहते हैं। लड़कियों के लिये किस आधार पर कहा गया है। कौन सबूत था ? लड़कियों पर इतने गम्भीर आरोप लगा दिये वह हमारे लोगों के बीच से ही किसी की बेटियां थीं। पचास फीसदी से ज्यादा वह बेटियां सरकारी अधिकारियों की हैं, छोटे पदों पर कार्यरत जो अधिकारी हैं उनकी बेटियां है। कुछ शिक्षकों की बेटियां हैं कुछ वकीलों के परिवारों से सम्बन्धित बेटियां हैं। उन बेटियों पर यह आरोप लगा है यह कितना गम्भीर है। वे एम0एस0सी0 पास हैं। एक कन्नौज का उदाहरण है। लड़का बी0काम0 पास था पढ़ाई में अच्छा था, स्कालर था, नौकरी नहीं मिल रही थी। मुझसे मिला था नाम भूल रहा हूं। उसका बाप लकड़ी काटता है तो मजदूरी करके उसने उसे पढ़ाया है। उसने उस भर्ती में टाप किया, रिटेन टेस्ट में, फिजिकल टेस्ट में टाप किया था। सबके सामने हम उसके कागज दिखाये थे। उसकी क्या गलती थी वह यह थी कि वह मुस्लिम है या इसी तरह से बहुत से लड़के हैं उनकी क्या गलती थी कि या तो वह यादव है। कोर्ट ने अपने जजमेन्ट में लिखा है जज ने कहा है कि 50 फीसदी से ज्यादा लोग इस कास्ट के अप्लाई किये थे तो जब अप्लाई ज्यादा किये होंगे तो भर्ती फिर ज्यादा उन्हीं की होगी। मैंने वह जजमेन्ट पढ़ा है हाईकोर्ट का। तो वह हाई कोर्ट ने निरस्त किया। इससे हम लोग जाने कि कितनी घटिया मानसिकता है। आप जाति पाति का भेद रखने वाले लोग हैं। हम लोग भेद नहीं रखते थे। अगर जाति पाति पर हम भेद रखने वाले होते तो बहुत कुछ करते, हम भेद नहीं करते हैं। (व्यवधान) आप बहुत मत बोलिये। आप लोग क्या करते हैं, किन लोगों की रिपोर्ट लिखी गयी है। समाजवादी पार्टी के लोगों और व्यापारियों को छोड़कर किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। आप बता दें, किसके खिलाफ रिपोर्ट है। बस यही आप कहते रहें कि बहुमत है। ऐसे बहुमत बहुत देख लिये हैं और देख लेंगे। (व्यवधान/शोर) जो आप कह रहे हैं कि हमें नकार दिया है तो अब पता चल जायेगा। आपको शोर मचा रहे हैं आप, शोर मचाने में हम लोग बहुत आगे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्हें कहें। बहुत आगे हैं शोर मचाने में, कहीं तक जा सकते हैं शोर मचाने में।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें। दोनों तरफ से शांत रहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कन्नौज का उदाहरण दिया है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप सुन लीजिये, उन्होंने यह नहीं कहा कि और जातियों में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। आपने माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट यह है और उसमें यह लिखा हुआ है कि अप्लाई करने वालों में 52 प्रतिशत अकेले यादव हैं, अप्लाई करने वालो में। दूसरी जाति के लोगों ने भी ज्यादा अप्लाई किया होता तो बात दूसरी होती।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक जाति के लोगों ने ज्यादा किया है और निश्चित रूप से पढ़े लिखे होंगे इसमें कहीं कोई सन्देह नहीं है। लेकिन पीसीएस जे और पीसीएस के अन्य इक्जाम को उठाकर देख लिया जाय उसमें यादवों से ज्यादा बैकवर्ड के अन्य जातियों के लोग भर्ती हुए हैं। इसलिए यह साबित करता है कि यादवों से ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे और यादवों से ज्यादा अच्छे लड़के अन्य पिछड़ी जातियों में आज भी मौजूद हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा चर्चा तो नियमों के अनुसार हो ही नहीं सकती थी लेकिन फिर भी मान्यवर, अगर आपने इजाजत दी है तो इतना लम्बा हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आपको क्या तकलीफ है, उन्होंने कह लिया ठीक है, कह लेने दो। जहां तक एप्लाई की बात है, अध्यक्ष महोदय, यह मत कीजिए अगर ऐसा ही है बताना नहीं चाहता हूं 70 प्रतिशत एक दूसरी जाति के लोग भर्ती हुए एक बात मुझे पता है। नाम लेने का अवसर नहीं है। 70 फीसदी आप ऐसे अन्दाजा में बोलते हो, 70 फीसदी। अगर ऐसा है अध्यक्ष महोदय, मौका दीजिए जातपात को मैं मानता नहीं हूं जात के आधार पर पेश करना चाहते हैं तो पता चल जायेगा कि कितने अधिकारी किस जाति के हैं। ध्यान दीजिए आप ऐसे बता रहे हैं 70 फीसदी का आंकड़ा बता दूंगा कि भर्ती हुई है। भर्ती हुई तो हुई जब उन्होंने वहां एप्लाई किया ज्यादा संख्या उनकी थी तो हुई और हुई है। यही नहीं आप बरखास्त कर देना। वह पुरानी बात है 90 की। एक आफिसर ने कुछ ज्यादा भर्ती कर दी। यादवों की, 40 प्रतिशत से कुछ ज्यादा थी। मैंने बुलाकर कहा कि ऐसा क्यों किया ? उन्होंने कहा, सच्चाई है आँसू आ गये थे उन्होंने कहा अगर हम ईमानदारी से भर्ती करते तो कम से कम 72 फीसदी हो रहे थे। 72 फीसदी मैंने भर्ती करी नहीं, मैंने उनको काटा है तो मैंने कहा जाओं कर दो भर्ती, करो जाकर।

(कुछ सदस्यों द्वारा भाषण के मध्य टोका-टाकी करने पर)

अध्यक्ष महोदय, आप सदन को करिये ठीक।

श्री अध्यक्ष-

अरे नहीं। ठीक है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

नहीं ठीक है ता आखिरी दम ठीक हो जायेगा दोनों तरफ सब अपने आप हो जायेगा (शोर) [x x x]

(सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह नहीं चलेगा धमकी देना नहीं चलेगा। धमकी दे रहे हैं, मान्यवर, धमकी देना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें, माननीय सदस्यगण बैठें, धमकी वमकी नहीं होनी चाहिए।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, देखें, यह संसदीय परम्परा नहीं है। आप भी यहां रहे हैं उधर बैठते रहे हैं आज आप इस पीठ पर बैठे हैं। यह परम्परा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जी ने यह बात कही है उनको खेद व्यक्त करना चाहिए, यह बहुत गलत बात है। मान्यवर, यहां हम लोग कुश्ती लड़ने नहीं आते हैं हम यू0पी0 का आवाम को क्या दिखाना चाहते हैं ? नेता प्रतिपक्ष यू0पी को क्या दिखाना चाहते हैं, पूरे भारत को क्या दिखाना चाहते हैं। यह बहुत ही खेदजनक आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया है नेता प्रतिपक्ष जी ने यह बहुत ही खेदजनक है मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें। आप लोग बैठे। कोई धमकी नहीं देगा किसी को, सदन में कोई धमकी नहीं। आप लोग बैठें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, इस बात को क्लीयर कर दीजिए हमारे माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे। हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं यह बहुत ही आपत्तिजनक है। हम तो बहुत सम्मान करते हैं इतने सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं कुछ सीखेंगे इनसे मान्यवर, क्या सीखकर जायेंगे इनसे। मान्यवर, बार-बार धौंस देना, बार-बार धौंस देना, धौंस सुनने हम यहां नहीं आये हैं। हम सही आचरण करने आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

सदन में कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए कोई ऐसा धमकी भरा शब्द बोलने की किसी को कोई छूट नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। (व्यवधान) और जब ऐसे ही बोलने की कोशिश की तो मैंने कहा, माननीय अध्यक्ष से कि खेद अपना वापस लेते हैं तो उधर के लोगों को डांटा गया था लोक

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सभा में। आप मुझे मत सिखाइये। मैं कभी खेद व्यक्त नहीं कर सकता हूं। यदि मैंने गलती की होती तो मैं हाथ जोड़ लेता, मैं इस बात का हूं। अध्यक्ष महोदय, भर्ती में एक उदाहरण मैंने कन्नौज का दिया एक और बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, कार्यवाही से वह शब्द निकलवा दें, वह आपत्तिजनक है। मेरी आपसे विनती है, उस शब्द को कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सिद्दीकी साहब, कोई धमकी भरा शब्द सदन में कोई किसी को नहीं कहेगा। अगर धमकी भरा शब्द होता तो मैं उसे कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण और दे सकता हूं। पेश कर सकता हूं आपके चेम्बर में। एक लड़का इतना गरीब है पूर्वांचल के गांव का है। उसकी मां बूढ़ी, बाप पेरालेसिस और अंधी। मां मर गयी, वही लड़का देखभाल कर रहा था। वह गरीब लड़का किसी तरह से भर्ती हो गया और उसके बाद जब ट्रेनिंग पर जा रहा था तो उस गांव के लोगों ने 6 हजार रुपया बक्शा खरीदने के लिये, सामान खरीदने के लिये दिया है, ऐसे लोग भर्ती हुये हैं। आप कहें तो मैं पेश कर सकता हूं आपके चेम्बर में। यह दोनों लड़के जो एक कन्नौज का है और एक जो पूर्वांचल के गांव का है। ऐसे लड़के भर्ती हुये हैं। यह वंचित रहते थे हमेशा। निष्पक्ष, गरीब जो कभी भर्ती नहीं हो सकते थे, उनकी भर्ती हुयी और सब कुछ निष्पक्ष हुआ। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह घटिया मानसिकता है यह अन्याय है और रोजगार देने के बजाय नौजवानों को बेरोजगार किया गया है। इसलिये मैं इस सदन से अपील करता हूं कि इस तरह के जो आदेश किये गये हैं, उस आदेश को वापस लिया जाय।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। इस संदर्भ में, मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं। मेरा आशय बहुत स्पष्ट है, मैं यह नहीं कहता कि मैं मेरिट पर बोल रहा हूं, कोई सबजुडिस मैटर पर बोल रहा हूं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज कहना चाहता हूं। मान्यवर, इतने लोग एक साथ निकाले गये हैं, इनको आप यह नहीं कह सकते कि जितने लोग निकाले गये हैं, सबके सब दोषी हैं। उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो क्षमतावान थे, मान्यवर, बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो दोषी हो सकते हैं। एक जांच चल रही है, उसके मेरिट पर मैं नहीं जाना चाहता। मेरा एक सुझाव है कि एक रास्ता निकालना पड़ेगा और उस रास्ते को निकालने के लिये मैं सुझाव के रूप में यह कहना चाहता हूं कि एक कमेटी बनाई जाय, अधिकारियों की बनाइये। जिन अधिकारियों की आप चाहें, बनायें। मान्यवर, जिनको फिजिकली आप कहते हैं कि वह किसी तरह से योग्य नहीं हैं, आप उनको निकालकर बाहर कर दीजिये कोई उनके बारे में यह नहीं कहेगा कि जो फिजिकली इस योग्य नहीं हैं जो सिपाही में रह सकते हैं, आप उनको निकाल दीजिये। लेकिन एक कमेटी बना दीजिये। दूसरा मान्यवर, जो आरोप आये हैं, जो मैंने समाचार-पत्रों से पढ़े है जो आरोप इलेक्ट्रानिक चैनल पर आये है, वह तीन तरह के हैं। एक तो जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो जो शारीरिक रूप से अक्षम आज है वह उस दिन भी रहा होगा और यदि उस दिन था तो आज भी जरूर होगा।

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इसमें कौन सी दिक्कत है कि एक हाई पावर कमेटी बन जाय और उसे आज की सरकार अपने हिसाब से बना लें। जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम हों उन्हें सेवा में न लिया जाय। लेकिन जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं उन्हें सेवा से पृथक भी न किया जाय। दूसरा मान्यवर, यह भी आरोप लगा है कि कुछ लोगों ने फर्जी प्रमाण-पत्र हाई स्कूल, इण्टर के दाखिल किये हैं, मान्यवर, सारे कागजात सरकार के समाने हैं, उनके प्रमाण-पत्र चेक करा लीजिये। जो भी एजेन्सी चाहें, उससे चेक करा लीजिये, अगर फर्जी प्रमाण-पत्र है तो उनके खिलाफ यदि एक मुकदमा दाखिल है तो दो कर दीजिये, तीन कर दीजिये, चार कर दीजिये। उनके खिलाफ 420 का मुकदमा दायर कर दीजिए बिल्कुल मैं सहमत हूं लेकिन मान्यवर, जिनका फर्जी प्रमाण-पत्र नहीं है, उनका क्या दोष है ? तीसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि यह भी कहा गया है कि कुछ जो आरक्षण थे पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति के, उनके गलत प्रमाण-पत्र लगाये गये।

मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उन प्रमाण-पत्रों की भी चेकिंग हो सकती है। मान्यवर, न्याय का एक नैसर्गिक सिद्धान्त है कि सौ दोषी छूट जाएं तो छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को कभी दण्ड नहीं मिलना चाहिए, यह भारत का नहीं बल्कि विश्व की न्यायपालिका का नैसर्गिक और फण्डामेंटल राइट है। उन बेचारों का क्या दोष है जो उसमें बेगुनाह थे, जो बेगुनाह हैं उनको न सिर्फ नौकरी से पृथक कीजिए बल्कि यदि किसी ने गलत प्रमाण-पत्र दिया है तो उसके खिलाफ एक मुकदमा और कायम कर दीजिए, अगर शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसके खिलाफ एक और मुकदमा कायम कर दीजिए और जिस अधिकारी ने किया है उसे भी सेवा से पृथक कर दीजिए तथा उसके खिलाफ और मुकदमा कायम कीजिए। लेकिन मान्यवर, जो बेगुनाह हैं, उनको यह सजा क्यों ? उन्हें तो अलग करना ही पड़ेगा। मान्यवर इस द्वंद में उन मां-बाप को, जिनके पुत्र या पुत्री को नौकरी मिलने से किसी तरह से जीवन की आशा की डोर बंधी थी, उनकी जीवन की आशा की डोर नहीं टूटनी चाहिए। मान्यवर, प्रमाण-पत्र की चेकिंग हो जाए सरकार के पास संसाधन हैं, सरकार कह दे कि इसने गलत किया है। अपने डी0एम0 से अपने उप जिलाधिकारी से चेकिंग करा लें, एक महीने के अन्दर रिपोर्ट आ जाए। मेरा कहना है दो कैटेगरी पृथक कर दीजिए, जो दोषी हैं, उनको सेवा से पृथक कर दीजिए, मुकदमा कायम कर दीजिए लेकिन जो हर दृष्टि से योग्य हैं उनके मां-बाप के दीपक को मत बुझाइये, यह मैं कहना चाहता हूं इस माध्यम से, इसके साथ ही साथ मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बल देता हूं और फिर कहता हूं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कई मुकदमें दर्ज किये जाएं और जो दोषी नहीं हैं उन्हें निर्दोष सिद्ध किया जाए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पक्षपातपूर्ण जो कार्यवाहियां हुई थीं और जो शिकायतें मिली थीं उसकी जांच के लिए इस सरकार ने एक कमेटी बनायी थी। मान्यवर, हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी सरकार किसी भी जाति, वर्ग या धर्म की विरोधी नहीं है और न किसी वर्ग या जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव रखना चाहती है और न इसके आधार पर किसी तरह से कोई कार्रवाई करना चाहती है बल्कि सभी वर्गों, धर्मों के लोगों को समान अवसर देने की और पारदर्शी ढंग से भर्ती करने की प्रक्रिया करना चाहती है। मान्यवर, तमाम शिकायतें मिली और उन शिकायतों के आधार पर जांच करायी गयी। जांच के लिए श्री शैलजाकान्त मिश्र, अपर पुलिस

महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई। जांच समिति द्वारा 51 भर्ती बोर्डों के सम्बन्ध में जांच पूरी की गई, जिसमें से 49 आख्याओं के सम्बन्ध में विचारोपरान्त शासन द्वारा 42 भर्ती बोर्डों के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये :- भर्ती की समस्त कार्यवाही प्रारम्भ से ही अनियमित, कूटरचित, दूषित एवं विधिशून्य होने के कारण निरस्त की जाए तथा इस भर्ती के फलस्वरूप जिन अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है, उनका चयन भी अवैधानिक होने के कारण निरस्त किया जाए। भर्ती बोर्ड के कृत्य और आचरण आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आने के कारण दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विधिवत् अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम कार्यवाही की जाए, इसकी विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन से करायी जाए। जांच में दोषी पाये गये भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यगणों के विरुद्ध अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही सम्पन्न की जाए तथा सम्बन्धित भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य संलिप्त अधिकारियों को नामित किया जाए। मान्यवर, जो जांच में अनियममितता प्रकाश में आई है, उसमें कई चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं को किसी अन्य के द्वारा लिखा पाया गया, कई चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर-पुस्तिकों में पहचान-चित्र अंकित किये गये तथा यह कृत्य नियम विरुद्ध होने के पश्चात् भी उनका मूल्यांकन किया गया, लिखित परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पूर्व अभ्यर्थियों की पहचान छिपाने के लिए कोडिंग की व्यवस्था की गई थी परन्तु कोडिंग इस प्रकार की गई जिससे अभ्यर्थियों की पहचान आसानी से हो सके। कई प्रकरणों में अभ्यर्थियों को पूर्णांक से अधिक अंक दिये गये तथा प्राप्तांकों का योग गलत किया गया। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों को देने में गड़बड़ी की गयी, एक भर्ती की विभिन्न परीक्षाओं की अंक तालिकाओं में कटिंग, ओवर राइटिंग, इरेजिंग पायी गयी, समूह में साक्षात्कार लेना पाया गया। रेडियो मुख्यालय के भर्तियों की परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ परीक्षा की आर0एम0आर0 सीट पर गलत उत्तर पर सफेदा लगाकर अलग स्याही से उत्तर भरे गये। ये तमाम अनियमितता पायी गयी। इन 42 भर्ती बोर्डों में उसके आधार पर कार्यवाही की गयी।

मान्यवर, अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि सैफई में तमाम बच्चे पास हुये और उसके बाद भी भर्ती नहीं हुई, इसका मतलब उनके कथन से यह संकेत मिलता है कि उसमें धांधली की गयी अन्यथा अगर वह योग्य थे, शारीरिक दक्षता भी रखते थे, अंकतालिका में अच्छे अंक भी पाये, उसके बाद भी उनकी भर्ती न किया जाना यह पक्षपातपूर्ण निर्णय हुआ है। इसी तरह से कई जगहों पर जो इस तरह की शिकायतें पायी गयी थीं उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया, किसी भी जाति-बिरादरी के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। हमारी सरकार की चाहत है कि निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी ढंग से, बिना किसी भेदभाव के भर्ती की प्रक्रिया अपनायी जाये और इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें डी0जी0पी0 को सदस्य और विजय शंकर पाण्डेय, आयुक्त, लखनऊ मण्डल को सह-सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी कि किस तरह की प्रक्रिया अपनायी जाए जिसमें बिना किसी पक्षपात के, सही ढंग से, निष्पक्ष ढंग से भर्ती का कार्य किया जा सके। मान्यवर, घटिया मानसिकता से लोगों ने भर्ती करने का काम किया था। हमारी सरकार की मानसिकता घटिया नहीं है बल्कि हम पक्षपातविहीन भर्ती करना चाहते हैं, निष्पक्ष भर्ती करना चाहते हैं और प्रदेश के नौजवानों को समान अवसर देना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। यह इस सरकार की मंशा हैं मान्यवर, मेरा एक निवेदन और है आपके माध्यम से यह सदन वाद-विवाद के लिए है, यह सदन अखाड़ा नहीं है, यह सदन कुश्ती लड़ने के लिए नहीं है।

* श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, एक ऐसे व्यक्ति के लिए टिप्पणी करना जो इस सदन में तीन बार मुख्य मंत्री रहे हों, संसदीय कार्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पर आक्षेप नहीं किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कुश्ती शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए। यह कटाक्ष किया जा रहा है। ऐसा कटाक्ष किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे ख्याल से यह माननीय मंत्री जी को शोभा नहीं देता। यह कटाक्ष मुनासिब नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कोई भी शब्द मेरा असंसदीय होगा या कोई कटाक्षपूर्ण बात होगी, आप उस पर निर्णय ले लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा निवेदन है, नेता प्रतिपक्ष जी से भी निवेदन है, वह 1967 से लगातार इस सदन में या किसी न किसी सदन में रहे हैं। मान्यवर, निश्चित तौर पर यह संसदीय लोकतंत्र है, हमारी पार्टी लोकतंत्र में पूरी आस्था रखती है और पूरी आस्था के साथ हम लोकतंत्र के हर मापदण्ड पर खरा उतरना चाहते हैं, हमारी नेता मा0 मुख्य मंत्री जी हर बिन्दु पर खरा उतरना चाहती है और हमारी बिल्कुल स्पष्ट मत है कि विधान सभा में बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से अपनी बात को रखें, हर सदस्य को अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपनी बात को रखने का काम करे। अब बार-बार अगर एक ही बात कही जाए कि हम लोग हर दृष्टि से सक्षम हैं, हो सकते हैं, हम इस पर कोई आक्षेप नहीं करेंगे। कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाएंगे लेकिन हम लोग इस सदन में आए हैं यहां पर विचार रखने के लिए व विचार सुनने के लिए आए हैं। यहां पर आपस में भिड़ने के लिए नहीं आए हैं आपस में लड़ने के बजाय वाद विवाद से लड़ने के लिए आए हैं। मैं निवेदन करूंगा व सभी से अपील करूंगा कि इस तरह का प्रयास यहां पर नहीं होना चाहिए। बल्कि हम सब लोग लोक तांत्रिक ढंग से अपनी बात को चाहे जिस तरह से जो संसदीय परम्पराओं के अनुसार संसदीय शब्दों के अनुसार हम कड़ी से कड़ी आलोचना करें। हम सब इस बात को सहने की ताकत और सुनने की ताकत रखते हैं। निश्चित तौर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पुलिस भर्ती हुई थी इसमें केवल हमारी सरकार ने ही नहीं बल्कि मीडिया ने और कुछ मामलों में माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात को इंगित किया था कि किन-किन लोगों को कैसे पास कराने का काम किया गया था। यह केवल हमारा ही नहीं कहना है बल्कि प्रदेश का बुद्धिजीवी वर्ग भी जानता था कि किस तरह से भर्तियों को करने का काम किया था। आज इसका स्वागत होना चाहिए था। हमारी नेता बहन कु0 मायावती जी ने जो जनता से वायदा किया था कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है उसके अनुसार इसकी जांच कराकर एक संदेश भी दिया है, अधिकारियों को आने वाले समय के लिए भी संदेश दिया है कि अगर आपने सत्ता के दबाव में कोई गलत काम किया जो आने वाले समय में भी कोई सरकार जो मजबूत सरकार होगी वह आपको उसका परिणाम भी दिखाएगी। इसलिए इस निर्णय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से निश्चत तौर पर इस बात का संकेत गया है कि अगर हम सत्ता के दबाव में गलत कार्य करेंगे तो हमें माफ नहीं किया जायेगा। इस बात को साबित करने का काम हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने किया है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन भी है इसलिए यह कार्य स्थगन का विषय बनता ही नहीं है इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने माननीय न्यायालयों का उल्लेख कई बार कर दिया और बार-बार अपने तर्कों में माननीय उच्च न्यायालय में मामला लम्बित होने के स्थगन भी नहीं चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय ने भी कहा कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि वह एक भी न्यायालय के निर्णय का उदाहरण दे दें जिसमें यह कहा गया हो कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है तो मैं अपना पूरा प्रस्ताव वापस लेने के लिए तैयार हूं। न्यायालय ने जो कहा है मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब इस पर नेता प्रतिपक्ष ने सारी बात रख दी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं कहना चाहता हूं कि अदालतों का नाम लेकर आप अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालना चाहते हैं किसी अदालत ने इस सम्बन्ध में कोई फाइंडिंग नहीं की। मैं कुछ लाइनें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इट इज आलसो मेन्शन्ड दैट आउट आफ 6,727 ओ0बी0सी0 कटेगरी कन्डीडट्स 3773 कन्डीडेट्स वेअर फाउन्ड फिजिकली फिट आउट आफ दीज कन्डीडेट्स 197 ओ0बी0सी0 कटेगरी कन्डीडेट्स बेअर सेलेक्टेड एण्ड इन दिस फीगर 142 यादव कन्डीडेट्स हैबबीन फाइनली सेलेक्टेड दिस रिजल्ट इस विकाज आफ द रीजन दैट मोर देन 50% यादव कन्डीडेट्स आर द एप्लीकैन्ट्स इज द ओ0बी0सी0 कटेगरी।

श्री अध्यक्ष-

इसका हिन्दी में भी अनुवाद करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो एप्लाई करेगा वही आयेगा।

श्री अध्यक्ष-

वह बहुत स्पष्ट नेता प्रतिपक्ष जी बता चुके हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बात आ चुकी है। बार-बार उसी बात को दोहराना।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं फैसले की कापी आपके माध्यम से भेजता हूं। और मैं इसलिये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी संयोगवश आप नहीं थे, कुछ मंत्रीगण को आपत्ति थी, उनके संज्ञान में डालना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं चलिये किसी के संज्ञान में नहीं। बहुत चर्चा हो गयी इस पर।

श्री अम्बिका चौधरी-

मंत्रियों की योग्यता पर मैं कोई आक्षेप नहीं करूंगा लेकिन उनकी मानसिकता यह है और माननीय अध्यक्ष जी, कार्य-स्थगन का इससे बड़ा और कोई प्रश्न नहीं हो सकता है इसलिये आप इसको स्वीकार करें। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय प्रमोद तिवारी को सुना, माननीय अम्बिका चौधरी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री मदन चौहान की प्रदेश की गन्ना मिलों से गन्ना पेराई का सत्र समय से शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

काहे चौधरी साहब भेज क्यों रहे हैं ? सब बहस हो गई है। मदन चौहान जी आपको कुछ कहना है। सदस्य द्वारा कुछ न कहने पर यह भी नियम-56 में नहीं आती है इसलिये निरस्त की जाती है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

इस तानाशाही के बल पर कोई सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

वह सूचना अग्राह्य हो गयी आज़म खां साहब। सबको सुन लिया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो लोग स्वयं तानाशाह रहे हों और जिन्होंने असेम्बलियों में, विधान सभा में धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया हो। जिन लोगों ने जन-प्रतिनिधियों की आवाज को हमेशा दबाने का काम किया हो वह लोकतंत्र के हिमायती हो सकते हैं ? नहीं। जिन्होने हमेशा विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम किया हो, जन-प्रतिनिधियों की आवाज को कुचलने का काम किया हो वह लोग लोकतंत्र के आज हिमायती बन सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने सुन लिया है नियम-56 में अग्राह्य कर दिया है। माननीय श्री मदन चौहान जी नहीं बोल रहे हैं मैं इनकी सूचना को नियम-56 में निरस्त करता हूं। अगली सूचना राम किशुन जी की प्रदेश के पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में बढ़ रही नक्सल गतिविधियों एवं उनके विरोध में शस्त्रधारी संगठनों द्वारा की जा रही कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। राम किशुन जी आपको कुछ कहना है ? राम किशुन जी कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं राम किशुन जी की नियम-56 में सूचना निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री उदयभान करवरिया जी की जनपद इलाहाबाद में विद्युत व्यवस्था ठीक न होने व नहरों का संचालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। करवरिया जी, आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, व्यवस्थित तो करायें।

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आपकी सूचना नियम-56 में निरस्त कर रहा हूं। अगली सूचना श्री राम बिशुन आजाद की प्रदेश के किसानों को खाद, बीज एवं पानी समय से न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। राम बिशुन आजाद जी कुछ कहना चाहते हैं ? अब तो कह दिया निरस्त हो गयी सूचना अब आगे कार्यवाही करते हैं। माननीय आज़म खां साहब मैंने नियम-56 में सुना। आपकी बात आ गई।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

यह सरकार जाति का भेदभाव कर रही है, [x x x]

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में मैंने सुना और उसके बाद अग्राह्य कर दी। आगे मदन चौहान जी ने कुछ नहीं कहा, राम किशुन जी ने कुछ नहीं कहा, उदयभान करवरिया जी ने कुछ नहीं कहा। राम बिशुन आजाद जी ने भी कुछ नहीं कहा। इसलिये सब सूचनाएं निरस्त करता हूं। शेष सूचना माननीय श्री.....

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आप तो कुछ लाज रखिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, भारत माँ को डायन कहने वाले लोग आज आपको लाज का पाठ पढ़ा रहे हैं। मान्यवर, यह प्रदेश की जनता जानती है कि कौन लोग जातिवादी हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम बिशुन आजाद जी आप कुछ कहना चाहते हैं ? आप प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते हैं इसलिये आपकी सूचना निरस्त की जाती है। माननीय कौकब साहब, माननीय अनिल चौधरी, सत्येन्द्र सोलंकी, श्री अब्दुल वारिस खाँ की प्रदेश के किसानों को खाद, बीज और पानी समय से न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आप कुछ कहना चाहते हैं। आपने नहीं कहा कुछ सोलंकी साहब। आपने कुछ नहीं कहा आपकी सूचना निरस्त करता हूं। डा0 धर्मपाल सिंह, श्री विश्वम्भर सिंह यादव, श्री अशोक सिंह चन्देल, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री दीप नारायण सिंह यादव यह सभी की सूचनाएं निरस्त करता हूं। मुख्तार अंसारी जी आपको कुछ कहना है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मद संख्या-28 ले लें।

(सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मद संख्या-28 ले लें।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ नहीं कह रहे हैं आपकी सूचना निरस्त करता हूं। मुख्तार अंसारी जी आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं सूचना निरस्त कर रहा हूं। सुरेश कुमार खन्ना जी नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं मैं निरस्त कर रहा हूं। श्री अनूप गुप्ता जी, श्री प्रदीप कुमार माथुर जी मैं आपकी सूचना भी निरस्त करता हूं। सभी सूचनायें निरस्त करता हूं ?

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें निरस्त हुई हैं वह हैं डा0 आर0 ए0 उस्मानी, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री इमरान महमूद, श्री कौशलेन्द्र नाथ योगी, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री मिथिलेश कुमार, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गौरीशंकर एडवोकेट, श्री अम्बिका चौधरी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, डा0 अजय तोमर, श्री अनिल चौधरी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री अरविन्द गिरी, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री पंकज मलिक, श्री मोहम्मद आज़म खां, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री मदन चौहान यह सभी सूचनायें निरस्त की जाती हैं।

मद संख्या-23 में कुछ नहीं है। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की सूचना पर ध्यानाकर्षण किया जाता है।

(समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगा रहे थे बर्खास्त सिपाहियों को बहाल करो, बहाल करो)

(घोर व्यवधान)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 6 नवम्बर, 2007 की बैठक में यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो संसदीय कार्य-मंत्री जी द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री हुकुम सिंह-

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

(घोर व्यवधान)

हम प्रस्ताव करते हैं मान्यवर।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जाएंगे। विचार इस पर करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन), 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए :--

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायगा।

(2) यह दिनांक 13 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 51 सन् 1976 की धारा-4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 किजसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-4 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(कक) जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किन्हीं दो गैर-सरकारी सदस्यों को, जिनकी सिक्त क्षेत्र के विकास में रुचि और अनुभव हो, राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।"

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-25 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर पृवत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007

श्री अध्यक्ष-

श्री हुकुम सिंह।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-19 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007

किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 नवम्बर, 1999 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2-(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस अधिनियम में :-

(क) "व्यापार" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :-

(एक) कोई व्यापार, वाणिज्य या निर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण के स्वरूप का कोई प्रोद्यम या संस्थान, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जाये या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान से कोई लाभ प्रोद्भूत हो या नहीं;

(दो) किसी प्रयोजन के लिए किसी संकर्म संविदा का निष्पादन या किसी माल का प्रयोग करने के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं); और

(तीन) कोई संव्यवहार जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान या संकर्म संविदा या पट्टे से आनुषंगी हो या उससे सम्बद्ध हो या उससे आनुषंगिक या उसके परिणामस्वरूप हो ;

(ख) "व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो व्यापार के दौरान, चाहे अपने वास्ते या किसी स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते, किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिदान प्राप्त करता है या परिदान प्राप्त करने का हकदार है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं,–

(एक) कोई स्थानीय प्राधिकारी, निगमित निकाय, कम्पनी, कोई सहकारी समिति या अन्य सोसायटी, क्लब, फर्म, अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब या व्यक्तियों का अन्य संघ (एसोसियेशन) जो ऐसा व्यापार करता है;

(दो) कोई मध्यवणिक (फैक्टर), दलाल, आढ़ती, कमीशन एजेन्ट, परिशोधी अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेन्ट) या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाये, जो ऊपर वर्णित प्रकार का हो या न हो और जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का व्यापार करता है;

(तीन) कोई नीलामकर्ता, जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का विक्रय या उसे नीलाम करने का व्यापार करता है और चाहे इच्छुक क्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा या मालिक द्वारा या मालिक के नामांकिती (नामिनी) द्वारा स्वीकार किया गया हो;

(चार) कोई सरकार जो व्यापार के दौरान या अन्यथा, नकद या बाद में किये जाने वाले भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अन्य प्रकार से माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करती है;

(पाँच) प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यापारी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करता है या ऐसे व्यापारी की ओर से निम्नलिखित रूप में कार्य करता है,–

(क) माल विक्रय अधिनियम, 1930 में यथा परिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता ; या

(ख) माल या माल से सम्बन्धित हक के दस्तावेजों का प्रबन्ध करने के लिए अभिकर्ता; या

(ग) माल के विक्रय मूल्य का संग्रह या भुगतान करने के लिए अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या भुगतान के लिए प्रतिभू ;

(छः) किसी फर्म या कम्पनी या अन्य निगमित निकाय का मुख्य कार्यालय या मुख्यालय राज्य के बाहर हो और कोई शाखा या कार्यालय राज्य में हो, तो ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से माल का क्रय या विक्रय, सम्भरण या वितरण करने के सम्बन्ध में ऐसी फर्म या कम्पनी या अन्य नियमित निकाय ;

(सात) प्रत्येक व्यक्ति जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति के अन्तरण का व्यापार करता है;

(आठ) प्रत्येक व्यक्ति जो नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण का व्यापार करता है;

(नौ) कोई व्यक्ति जो, व्यापार की प्रकृति के यदा-कदा संव्यवहार के दौरान, चाहे अपने वास्ते या किसी मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते, किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिदान प्राप्त करता है या परिदान प्राप्त करने के लिए हकदार है ;

स्पष्टीकरण :–इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पद "व्यापार के दौरान" के अन्तर्गत "व्यापार स्थापित होने या उसके प्रारम्भ होने के दौरान" भी है।

(ग) "माल के प्रवेश" का तात्पर्य, अपने सभी व्याकरणिक रूप-भेदों तथा सजातीय-पद प्रयोगों सहित, माल का;

(एक) स्थानीय क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से ;

(दो) स्थानीय क्षेत्र में राज्य के बाहर किसी स्थान से ;

(तीन) स्थानीय क्षेत्र में भारत के प्रादेशिक क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए प्रवेश से है।

(घ) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य ;

(एक) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन किसी नगर निगम;

(दो) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन किसी नगरपालिका;

(तीन) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत;

(चार) संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन किसी ग्राम पंचायत;

(पाँच) छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन किसी छावनी;

(छः) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र ;

(सात) औद्योगिक नगरी जो किसी भी नाम से जानी जाय;

(आठ) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये,

के अधीन आने वाले क्षेत्र से है ;

(ङ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;

(च) "अनुसूचित माल" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित माल से है;

(छ) "कर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से है;

(ज) "माल के मूल्य" का तात्पर्य मूल क्रय बीजक या बिल से यथा अभिनिश्चित किसी माल के मूल्य से है और उसके अन्तर्गत पैकिंग सामग्री का मूल्य, पैकिंग और प्रेषण प्रभार, बीमा प्रभार, उत्पाद-शुल्क, प्रतिशुल्क, सीमा शुल्क और तत्समान अन्य शुल्क के रूप में धनराशियाँ, प्रभारित की गयी किसी फीस या कर की धनराशि, परिवहन प्रभार, माल भाड़ा प्रभार और किसी अन्य प्रभार की धनराशियाँ भी है, जो ऐसे माल के ऐसे स्थानीय क्षेत्र में क्रय या परिवहन से सम्बन्धित हों, जिसमें माल को उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए लाया या प्राप्त किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई माल;

(एक) क्रय किया गया हो और किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने या प्रस्तुत न किये जाने के कारण उसका मूल्य अभिनिश्चय न हो; या

(दो) क्रय किया गया हो और किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने या प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा घोषित मूल्य सत्यापनीय न हो; या

(तीन) क्रय किया गया हो और क्रय-मूल्य या परिवहन प्रभारों और अन्य प्रभारों के समर्थन में प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज विश्वास-योग्य न हो; या

(चार) क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित या प्राप्त किया गया हो;

वहाँ 'माल के मूल्य' का तात्पर्य ऐसे मूल्य या कीमत से होगा जिस पर उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें माल उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए या प्राप्त किये जा रहे हों, खुले बाजार में थोक मूल्य पर विक्रय किये जाते हों या विक्रय किये जाने योग्य हों।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के अधीन किसी माल के थोक मूल्य को अभिनिश्चित किये जाने के प्रयोजन के लिए थोक मूल्य के अन्तर्गत क्रेता द्वारा उत्पाद-शुल्क या किसी अन्य शुल्क के रूप में भुगतान की गयी या देय कोई धनराशि भी होगी, किन्तु उसके अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के पश्चात माल के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य के निमित्त ली गयी कोई धनराशि या उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल के विक्रय के सम्बन्ध में देय फीस या कर की, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन देय कर भी हैं, कोई धनराशि नहीं होगी।

(झ) "निधि" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में उनके लिये समनुदेशित है।

अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण

3–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए :–

(क) व्यापार कर विभाग के कमिश्नर, विशेष कमिश्नर व्यापार कर, एडीशनल कमिश्नर व्यापार कर और ज्वाइन्ट कमिश्नर व्यापार कर, क्रमशः कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर और ज्वाइन्ट कमिश्नर होंगे तथा वे क्रमशः कमिश्नर प्रवेश कर, स्पेशल कमिश्नर प्रवेश कर, एडीशनल कमिश्नर प्रवेश कर और ज्वाइन्ट कमिश्नर प्रवेश कर के रूप में पदाभिहित किये जायेंगे।

(ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त "अपीलीय प्राधिकारी" और अध्यक्ष तथा सदस्य, अधिकरण क्रमशः "अपीलीय प्राधिकारी" और अध्यक्ष तथा सदस्य, अधिकरण के रूप में कार्य करेंगे।

(ग) व्यापार कर विभाग में तैनात सभी डिप्टी कमिश्नर एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर प्रवेश कर एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर प्रवेश कर होंगे और उसी प्रकार व्यापार कर विभाग में तैनात सभी व्यापार कर अधिकारी प्रवेश कर अधिकारी होंगे।

(घ) राज्य सरकार या कमिश्नर व्यापार कर द्वारा व्यापार कर सर्किल में तैनात व्यापार कर अधिकारी से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी, उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 13 एवं धारा 13-क के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार अथवा कमिश्नर व्यापार कर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी और उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 28 के अधीन स्थापित किसी जाँच चौकी पर तैनात व्यापार कर अधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(ङ) अध्यक्ष और सदस्य, अधिकरण के सिवाय इस अधिनियम के अधीन समस्त अधिकारी या प्राधिकारी कमिश्नर के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे और कमिश्नर अपीलीय अधिकारी के सिवाय अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी भी अधिकारी में निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों की क्षेत्रीय अधिकारिता वही होगी जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से राज्य सरकार अथवा कमिश्नर व्यापार कर द्वारा नियत या अवधारित की जाय।

कर उद्ग्रहण

4–(1) राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विकास के प्रयोजनार्थ किसी स्थानीय क्षेत्र में उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी माल के उसी क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के लिये प्रवेश पर माल के मूल्य के 5 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और भिन्न-भिन्न माल या माल की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के संबंध में भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर अनुसूची को उपधारा (10) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर का उद्ग्रहण किया जाना तब तक जारी रखा जायेगा जब तक राज्य में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग हेतु बेहतर व्यवसायिक स्थिति की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य में आधारभूत संरचना यथा बिजली, सड़क एवं बाजार की स्थिति आदि के सुधार हेतु अपेक्षित हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर ऐसे व्यापारी द्वारा, जो ऐसे माल को चाहे अपने वास्ते या अपने मालिक के वास्ते स्थानीय क्षेत्र में लाता है या मंगवाता है या स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर ऐसे माल का परिदान प्राप्त करे या परिदान प्राप्त करने का हकदार हो, देय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगी हुई किसी ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसका कुल पूँजी निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर जिसका उपयोग या उपभोग उक्त इकाई द्वारा किया जाये, किसी व्यापारी द्वारा संदेय कर के दायित्व के दायी होने की अनुमति, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, दे सकती है।

स्पष्टीकरण–जहाँ व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर माल का परिदान प्राप्त किया जाता है या माल किसी स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि व्यापारी, जिसने ऐसे व्यक्ति से माल का परिदान प्राप्त किया है, द्वारा ही माल स्थानीय क्षेत्र में लाया गया है या मंगवाया गया है।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में अधिसूचित की जायें, कर के धनराशि को ऐसी सीमा तक माफ कर सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई में उपभोग या उपयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उक्त स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर की प्रभावी दरें राज्य ऊर्जा नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक को लागू सम्बन्धित दरों से अधिक न हों।

(5) कोई व्यापारी, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है, कर का देनदार न होगा, यदि कर निर्धारण वर्ष के दौरान ऐसे माल का कुल मूल्य निर्माता की दशा में 2 लाख रुपये और अन्य व्यापारी की दशा में 3 लाख रुपये या ऐसी अधिक धनराशि, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा या तो उसी माल के सभी व्यापारियों के सम्बन्ध में या किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, से कम हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध उत्तर प्रदेश के बाहर से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाये गये माल के मूल्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यापारी से, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई ऐसा माल लाता है या मंगवाता है जो उस क्षेत्र से बाहर ले जाने के उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र में ही उसके द्वारा बेच दिया जाता है और वास्तव में माल बाहर चला जाता है, कोई कर उदग्रहीत और संग्रहीत नहीं किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय, उस माल का मूल्य या मात्रा अभिनिश्चेय न हो जिसे उपभोग, उपयोग या बिक्री किये बिना माल को उस स्थानीय क्षेत्र से बाहर ले जाने के उद्देश्य से लाया गया हो, व्यापारी माल की कुल मात्रा के मूल्य पर कर की धनराशि का भुगतान करेगा और स्थानीय क्षेत्र में माल को स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से बेचा गया हो और माल वास्तव में बाहर चला गया हो, तो इस अधिनियम की धारा 5 में उपबंधित रीति से व्यापारी ऐसे माल के संबंध में कर के रूप में संदत्त धनराशि की वापसी का दावा कर सकता है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व माल को बेचने वाले व्यापारी पर होगा कोई माल किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के बाद उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिये उस क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से बेचे गये थे और वास्तव में उक्त माल उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाये गये थे।

(7) जहां माल का पारेषण आंशिक रूप से किसी स्थानीय क्षेत्र में ही उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए और आंशिक रूप से उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान पर अन्तरित करने के लिए, किसी व्यापारी द्वारा ऐसे स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है अथवा प्राप्त किया जाता है और जहाँ उपभोग, उपयोग या बिक्री किये जाने के लिए माल का मूल्य अभिनिश्चय न हो, वहां व्यापारी परेषण के सभी माल के मूल्य पर कर का भुगतान करेगा और यथापूर्वोक्त किसी माल को बाहर अन्तरित कर दिये जाने के बाद इस प्रकार अन्तरित किये गये माल के सम्बन्ध में कर के रूप में संदत्त धनराशि की वापसी का दावा इस अधिनियम की धारा 5 में उपबंधित रीति से कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व कर वापसी का दावा करने वाले व्यापारी पर होगा कि किसी माल के स्थानीय क्षेत्र में लाने या प्राप्त किये जाने के बाद उसे उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर उपभोग, उपयोग या बिक्री के बिना अन्तरित कर दिया गया है।

(8) जहाँ किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर संदेय है और किसी अभिकर्ता द्वारा इसका भुगतान कर दिया गया है, वहां मालिक कर संदेय का दायी नहीं होगा और इसी प्रकार जहां किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर संदेय है और मालिक के द्वारा इस प्रकार भुगतान कर दिया गया है वहां अभिकर्ता कर संदेय का दायी नही होगा।

(9) जहाँ

(एक) क्रय किये गये किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में–

(क) ऐसे माल का मूल्य अभिनिश्चय न हो या यथास्थिति व्यापारी अथवा माल के प्रभारी व्यक्ति के द्वारा यथा घोषित ऐसे माल का मूल्य, किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने के कारण अथवा प्रस्तुत न करने के कारण, सत्यापन योग्य न हो ; या

(ख) क्रय मूल्य के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज या परिवहन प्रभार और अन्य प्रभार विश्वसनीय न हों ; या

(दो) क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित अथवा प्राप्त किये गये अनुसूचित माल का मूल्य, जो यथास्थिति, माल के प्रभारी व्यक्ति या व्यापारी द्वारा घोषित किया गया हो, युक्तियुक्त पूर्वक प्रतीत या विश्वसनीय न हो,

तब जिस स्थानीय क्षेत्र में माल लाया जा रहा है उस स्थानीय क्षेत्र में खुले बाजार का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त पूर्वक अवधारित थोक मूल्य, यथास्थिति माल के प्रभारी व्यक्ति अथवा व्यापारी, को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात माल का मूल्य समझा जायेगा और इस प्रयोजन के लिए खण्ड (1) के संदर्भ में कर निर्धारण अधिकारी यह अवधारित करेगा कि माल क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित अथवा प्राप्त किया गया है।

(10) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हों, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में से जो कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि तक चले, रखी जायेगी और जब तक कि कोई बाद की तिथि निर्धारित न की जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे उपान्तरणों या अधिशून्यनों के अधीन रहते हुए जिन्हें विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, प्रभावी होगी, तथापि इस प्रकार का कोई उपान्तरण परिष्कार या अधिशून्यन से सम्बद्ध इसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर इसके सिवाय प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा; कि कर या शास्ति का किसी प्रकार का अधिरोपण, निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण उक्त उपान्तरण या अधिशून्यन के अध्यधीन होगा।

कर उद्ग्रहण की वापसी

5–(1) जहां किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए कोई व्यापारी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल लाया हो या मंगवाया हो या परिदान प्राप्त किया हो और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया गया हो वहाँ ऐसा कर उद्ग्रहण वापस हुआ माना जाएगा और उपधारा (3) के अधीन रहते हुए कर के रूप में व्यापारी द्वारा संदत्त धनराशि ऐसे व्यापारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में वापस कर दिया जायेगा :–

(क) जहाँ क्रय किये गये माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये बिना क्रय की तिथि से छः माह की अवधि के अन्दर विक्रेता व्यापारी को वापस कर दिये गये हों;

(ख) जहाँ माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये बिना राज्य के बाहर किसी स्थान पर परेषित किये गये हों;

(ग) जहाँ माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये बिना किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र के किसी स्थान पर उपभोग, उपयोग एवं बिक्री के लिए परेषित किये गये हों;

(घ) जहाँ माल का पुनर्विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के प्रक्रम में किया गया हो;

(ङ) जहाँ कोई अनुसूचित माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिये बेचे गये हों और वास्तव में बाहर ले जाये गये हों।

स्पष्टीकरणः—केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 3 एवं 5 यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ लागू होंगे कि अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान व्यापारी द्वारा कोई माल बेचा गया है अथवा नहीं और भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान माल की बिक्री की गयी है अथवा नहीं।

(2) जहाँ किसी व्यापारी ने किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने के सम्बन्ध में कर का भुगतान कर दिया हो किन्तु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व माल नष्ट हो गया हो, तो वहां कर के रूप में भुगतान की गई ऐसी धनराशि, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, व्यापारी को वापस कर दी जायेगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसार व्यापारी को वापसी योग्य पायी गयी धनराशि पहले व्यापारी के विरुद्ध बकाया धनराशि से समायोजित की जायेगी और अवशेष धनराशि, यदि कोई हो, व्यापारी को वापस की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह कि जहाँ माल के किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या बिक्री के बिना किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्वयं को प्राप्त करने के लिए भेजा गया हो, वापसी योग्य पायी गयी धनराशि ऐसे माल के ऐसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के सम्बन्ध में देय कर की धनराशि के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

छूट

6—जहाँ धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विज्ञापित अनुसूचित माल के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अन्तर्गत ऐसे माल की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा खरीद या बिक्री के सम्बन्ध में उस ऐक्ट के अन्तर्गत कर देय हो, और किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश करने के पूर्व कर के भुगतान का दायित्व हो, राज्य सरकार, विज्ञप्ति के द्वारा और ऐसी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर की सम्पूर्ण धनराशि की सीमा तक छूट अनुमन्य कर सकती है।

कर मुक्ति

7—जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी माल या माल के वर्ग पर कर के उद्ग्रहण से या व्यापारियों के वर्ग को कर के भुगतान से छूट प्रदान कर सकती है।

रजिस्ट्रीकरण

8—(1) उपधारा (2) के प्राविधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यापारी जो कर के लिए दायी है, इस अधिनियम के अन्तर्गत जब से कर का दायी हो जाता है उस तिथि से तीस दिन के अन्दर रजिस्ट्रीकरण शुल्क के जमा किये जाने के साक्ष्य के साथ निर्धारित रीति से रजिस्ट्रीकरण पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यापारी जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का धारक है, यदि उपरोक्त समय के अन्दर प्रार्थना-पत्र के निर्धारित प्रारूप में वांछित सूचना प्रस्तुत कर देता है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत अलग से पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यापारी पंजीकृत व्यापारी समझा जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी सरकार को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि ऐसा सरकारी विभाग नियमित व्यापार में संलिप्त नहीं है।

(2) जहाँ किसी व्यापारी का उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर व्यापार का निश्चित स्थान नहीं है, उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र जारी करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 8—क की उपधारा (1—क), (1—ख), (1—ग), (1—घ), 2, 3 एवं 4 के प्राविधान यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे जैसे उस ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र जारी करने के लिए लागू हैं।

विवरण पत्रों को प्रस्तुत करना और कर निर्धारण

9—(1) प्रत्येक व्यापारी, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता हो, अपने कर निर्धारण प्राधिकारी को विवरण पत्रों में दिखायी गयी देय कर की धनराशि के जमा होने के साक्ष्य के साथ अनुसूचित माल के मूल्य का विवरण पत्र ऐसी रीति से, ऐसे कर अवधि और ऐसे समय के अन्दर प्रस्तुत करेगा जैसा विहित किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी के प्रार्थना—पत्र पर कर निर्धारण प्राधिकारी, पर्याप्त कारण के होने पर, निर्धारित समय के बाद विवरण—पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(2) धारा 8 की उपधारा (2) में अभिदिष्ट व्यापारी के अलावा कर का देनदार प्रत्येक व्यापारी स्वतः निर्धारित कर का वार्षिक विवरण पत्र प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए अपने कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष ऐसे रीति एवं ऐसे समय के अन्दर प्रस्तुत करेगा जैसा विहित किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी के प्रार्थना–पत्र पर कर निर्धारण अधिकारी, पर्याप्त कारण के होने पर, नब्बे दिन की अवधि तक विवरण प्रस्तुत करने का समय बढ़ा सकेगा।

(3) जहाँ–

(क) किसी व्यापारी ने उपधारा (1) में अभिदिष्ट सभी कर अवधियों के विवरण पत्र और उपधारा (2) में अभिदिष्ट स्वतः निर्धारित कर का विवरण–पत्र प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) प्रथमदृष्टया विश्वास करने का कोई कारण न हो कि व्यापारी ने अनुसूचित माल के मूल्य को छिपाया है या अन्यथा कर के भुगतान से अपवंचन किया है; और

(ग) व्यापारी ने न तो किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में जमा की गयी किसी धनराशि की वापसी का दावा किया हो, न ही धारा 5 के अन्तर्गत कर की धनराशि के प्रतिफल का दावा किया हो, कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यापारी की उपस्थिति की अपेक्षा किये बिना, स्वतः निर्धारित कर के विवरण–पत्र को स्वीकार कर लेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी का विचार हो कि,–

(एक) देय कर की दर पर विवरण पत्रों में दिये दिखाये गये कर की गणना नहीं की गयी है; या

(दो) कर संगणना में गणितीय त्रुटि है; या

(तीन) किसी प्रमाण–पत्र या किसी विहित प्रमाण–पत्र या घोषणा–पत्र के आधार पर किसी प्रकार की छूट अथवा रियायत का दावा किया गया है किन्तु ऐसा प्रमाण–पत्र या घोषणा–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है,

वहाँ वह व्यापारी को स्वतः कर निर्धारण का संशोधित वार्षिक विवरण पत्र नोटिस की तामीली के पन्द्रह दिन के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करेगा और यदि कर निर्धारण प्राधिकारी स्वतः कर निर्धारण के संशोधित विवरण पत्र से संतुष्ट है तो वह स्वतः कर निर्धारण का संशोधित विवरण पत्र स्वीकार करेगा।

(4) जिस व्यापारी के सम्बन्ध में उपधारा (3) के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वतः कर निर्धारण स्वीकार किया जाना है, उससे भिन्न व्यापारी के मामले में कर निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात, जैसा वह उचित समझे, और व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, उपभोग एवं बिक्री के लिए लाये गये अथवा मंगवाये गये अनुसूचित माल के मूल्य को निर्धारित करेगा और व्यापारी द्वारा देय कर की धनराशि निर्धारित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण प्राधिकारी को अनुसूचित माल के मूल्य और व्यापारी के द्वारा देय कर के निर्धारण को अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से अवधारित करने से वहाँ कोई रोक नहीं होगी जहाँ–

(क) अनुसूचित माल के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा लेखा बही नहीं रखी गयी हैं;

या

(ख) अनुसूचित माल के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा रखे गये लेखे एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं; या

(ग) व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखे एवं दस्तावेज कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विश्वसनीय नहीं पाये जाते हैं; या

(घ) व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखे एवं दस्तावेजों से स्थानीय क्षेत्र में लाये गये अथवा मंगवाये गये अनुसूचित माल का मूल्य सत्यापित नहीं पाये जाते हैं।

अनन्तिम कर निर्धारण

10–(1) जहाँ कोई व्यापारी, जिस पर धारा 9 की उपधारा (1) लागू होता है, किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर देय कर और अनुसूचित माल के मूल्य का विवरण पत्र उस धारा में निर्धारित या बढ़ाई गयी समयावधि के अन्दर प्रस्तुत करने में असफल रहता है या विवरण–पत्र में दिखाई गयी देय कर के जमा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, या दाखिल विवरण–पत्र, कर निर्धारण प्राधिकारी के विचार से, त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हो या उसमें गलत विवरण दिये गये हों, तो कर निर्धारण प्राधिकारी, धारा 9 के प्राविधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, अनुसूचित माल के मूल्य और उस पर देय कर का अनन्तिम कर निर्धारण कर सकेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनन्तिम कर निर्धारण किया जा चुका है, इस कर निर्धारण के कारण पूरे वर्ष के लिए अनुसूचित माल के मूल्य का अवधारण करने और कर का निर्धारण करने से रोक नहीं होगी।

कर का प्रशमन

11–जहाँ किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान का देनदार है किन्तु उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत, यथा परिभाषित व्यापारी की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है, वहां वह इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने या प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर कर के भुगतान का विकल्प अपना सकता है।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर व्यापार का निश्चित स्थान न रखने वाला प्रत्येक व्यापारी, इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने, प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर अनुसूचित माल के सम्बन्ध में कर का भुगतान करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति या व्यापारी, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत नहीं आता है, और जो इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का दायी है, किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने या प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर कर के भुगतान का विकल्प अपना सकता है।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) में अभिदिष्ट कोई व्यापारी या व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, एक बार इस धारा के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर के भुगतान का विकल्प अपना लेता है तो उसे उस कर निर्धारण वर्ष के किसी अवधि के लिए किसी अन्य रीति से कर के भुगतान के विकल्प को बदलने का अधिकार नहीं होगा।

(5) कोई व्यापारी, जो इस धारा के उपबन्धों के अन्तर्गत कर भुगतान करता है, धारा 9 में अभिदिष्ट विवरण पत्र प्रस्तुत करने का दायी नहीं होगा।

(6) इस धारा के अन्तर्गत जहाँ किसी माल के सम्बन्ध में कर भुगतान कर दिया गया है, धारा 9 के अन्लर्गत ऐसे माल के सम्बन्ध में कर निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(7) धारा 4 की उपधारा (9) के उपबन्ध उन सभी माल पर लागू होंगे जिनके स्थानीय क्षेत्र के प्रवेश के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत कर का भुगतान किया जाना है।

विनिर्माता के माध्यम से कर की वसूली

12--(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी अन्य बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा। क्रेता द्वारा इस प्रकार के कर का भुगतान किये बिना विनिर्माता ऐसा माल क्रेता को नहीं देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर प्राप्त करने वाला विनिर्माता कर निर्धारण प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्रदाय किये गये माल और प्राप्त किये गये कर के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्राप्त किये गये कर को यथा विहित रीति और समय के भीतर जमा करेगा।

(3) जहाँ कोई भी विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को जमा करने में असफल रहता है, वहाँ वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा, जिसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(4) जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में अभिदिष्ट कोई माल विनिर्माता द्वारा प्रदाय के पश्चात और स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश के पूर्व खो गया है या नष्ट हो गया है वहाँ वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में भुगतान किया गया कर उस व्यक्ति को जिसने उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान किया है, वापस कर दिया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि माल के खो जाने या नष्ट हो जाने की तिथि से छः माह की समाप्ति के पश्चात् ऐसी वापसी के लिए किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

(5) उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 8-घ के अन्तर्गत कर की धनराशि की कटौती के सम्बन्ध में अर्थदण्ड आरोपित किये जाने विषयक उपबन्ध और उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ब्याज की अदायगी से सम्बन्धित उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अन्तर्गत विनिर्माता द्वारा क्रेता से कर की धनराशि की वसूली पर लागू होंगे।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

13–उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के निम्नलिखित उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम के व्यापारियों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे :–

(एक) धारा 3–ग–विघटित फर्म आदि पर कर का दायित्व;

(दो) धारा 4–ग–तैयार माल का भारत के बाहर निर्यात करने वाले निर्माताओं को विशेष राहत;

(तीन) धारा 6 अधिकारिता के प्रति आपत्ति;

(चार) धारा 7–ख–कर निर्धारण वर्ष के दौरान कर की दर परिवर्तित हो जाने पर कर निर्धारण;

(पांच) धारा 7–ग–मृत व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना;

(छः) धारा 7–ङ–विक्रय धन, कर आदि को पूर्णांकित करना;

(सात) धारा 7–च–अल्प धनराशि की वसूली या वापसी को छोड़ दिया जाना;

(आठ) धारा 8–कर का भुगतान और उसकी वसूली;

(नौ) धारा 8–ख–कतिपय मामलों में अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण;

(दस) धारा 8–खख–व्यापार के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना;

(ग्यारह) धारा 8–ग–राजस्व की हित में प्रतिभूति;

(बारह) धारा 9–अपील;

(तेरह) धारा 10–अधिकरण;

(चौदह) धारा 10क–आज्ञा जिसके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा;

(पन्द्रह) धारा 10ख–कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण;

(सोलह) धारा 11–विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण;

(सत्रह) धारा 12–व्यापारियों द्वारा लेखा का रखा जाना;

(अठ्ठारह) धारा 12क–तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व;

(उन्नीस) धारा 12ख–अपील में अतिरिक्त साक्ष्य;

(बीस) धारा 13–लेखों को प्रस्तुत करने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार;

(इक्कीस) धारा 13क–अभिग्रहण करने का अधिकार;

(बाइस) धारा 13ख–पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्ति

(तेइस) धारा 14–अपराध और दण्ड;

(चौबीस) धारा 14क–कम्पनियों द्वारा अपराध;

(पच्चीस) धारा 15 अपराधों का प्रशमन;

(छब्बीस) धारा 15-क कतिपय दशाओं में अर्थदण्ड;

(सत्ताइस) धारा 16 हानि रक्षा;

(अठ्ठाइस) धारा 17 कतिपय कार्यवाहियों पर रोक;

(उन्तीस) धारा 18 पुनर्गठित अथवा नई फर्मों पर कर निर्धारण तथा साझा का बदला जाना;

(तीस) धारा 19 अल्पव्यस्कों तथा असमर्थ व्यक्तियों पर कर निर्धारण;

(इकत्तीस) धारा 20 प्रतिपालक न्यायालय आदि का कर निर्धारण;

(बत्तीस) धारा 21 उस विक्रय धन पर कर निर्धारित करना जिस पर वर्ष के भीतर कर निर्धारित न किया गया हो;

(तैंतीस) धारा 22 भूल का सुधार;

(चौंतीस) धारा 23 कुछ सूचनायें जो गोपनीय होंगी;

(पैंतीस) धारा 25 भूतलक्षी प्रभाव से विज्ञप्तियां जारी करने का अधिकार;

(छत्तीस) धारा 28 जॉच चौकियां और नाका की स्थापना;

(सैंतीस) धारा 28-क घोषणा-पत्र द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करना;

(अड़तीस) धारा 28-ख राज्य से होकर सड़क से माल के प्रेषण और माल के पारगमन के लिए प्राधिकार का जारी किया जाना;

(उन्तालीस) धारा 29 धनराशि की वापसी;

(चालीस) धारा 29-क किसी व्यापारी द्वारा भूल से कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि के वितरण की प्रक्रिया;

(इकतालीस) धारा 30 कर निर्धारण के किसी आदेश या अपील में किसी आदेश को रद्द करने की शक्ति;

(बयालीस) धारा 32 कतिपय मामलों में शुल्क;

(तैंतालीस) धारा 34 राजस्व को कपटवंचित करने के लिए किये गये अन्तरण का शून्य होना;

(चवालीस) धारा 35 विवाद ग्रस्त प्रश्नों का अवधारण;

(पैंतालीस) धारा 36 किश्त मंजूर करने का अधिकार;

(छियालीस) धारा 38 रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के लिये सुविधा;

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत खरीद या बिक्री का व्यापारावर्त, या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के संदर्भ इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित माल के मूल के संदर्भ समझे जायेंगे।

इस अधिनियम के अधीन अधिरोपण के आगम का उपयोग

14–(1) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपण का आगम कोष में विनियोजित किया जायेगा एवं यह आगम उत्तर प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास हेतु अनन्न रूप से प्रयुक्त होगा, जिसमें निम्न सम्मिलित हैं:–

(क) बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ें जाने हेतु सडकों एवं पुलों का निर्माण, विकास एवं रख-रखाव;

(ख) वित्तीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयों को वित्त, सहायता, अनुदान तथा सहायिकी हेतु व्यवस्था;

(ग) उद्योग एवं विपणन तथा अन्य वाणिज्यिक काम्पलेक्सेज को बिजली एवं जल आपूर्ति के लिये अवस्थापना का सृजन;

(घ) सामान्य रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव;

(ङ) सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त वातावरण के सृजन, विकास एवं रख-रखाव के लिए वित्त, सहायता अनुदान तथा राज सहायता उपलब्ध कराना;

(च) व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के विकास से जुडे या उनकी सुविधा के लिए ऐसे अन्य कार्य, जिसे राज्य, सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(छ) खण्ड (क),(ग),(घ),(ङ) और (च) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थानीय निकायों एवं सरकारी संस्थानों को वित्त, सहायता अनुदान तथा राज सहायता उपलब्ध कराना;

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत उदगृहीत एवं संग्रहीत प्रवेश कर उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि में जमा किया जायेगा और व्यापार, वाणिज्य, उद्योग की सुविधा के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लाया जायेगा। प्रवेश कर के रूप में उदग्रहीत धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लायी जायेगी।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, समुचित लेखा शीर्षों में कर जमा करने की रीति एवं उदग्रहण की प्राप्तियों का एकमात्र उपयोग उत्तर प्रदेश राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास हेतु रीति विहित करेगी।

कठिनाइयों को दूर करने शक्ति

15–(1) यदि इस अधिनियम के प्राविधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश के द्वारा ऐसा प्राविधान, जो इस अधिनियम के प्राविधानों से असंगत न हो, बना सकती है जैसा कठिनाईयों को दूर करने लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के अधिसूचित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं जारी किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा किये गये किसी उपबन्ध का वही प्रभाव होगा मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो और ऐसा कोई आदेश किसी ऐसे भूतलक्षी दिनांक से किया जा सकेगा जो इस अधिनियम के लागू होने पूर्व का न हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथा शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

नियम बनाने की शक्ति

16–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकती है।

विधिमान्यकरण

17–(1) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, सभी कृत कार्य, कृत कार्यवाही, बनाये गये नियम, जारी अधिसूचना या करने, होने, बनाने, या जारी करने के लिए तात्पर्यित तथा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2000, के अधीन उद्गृहीत, निर्धारित, संगृहीत, वसूला गया, प्राप्त या प्रोद्भूत दायित्व इस अधिनियम के अधीन विधिमान्यतः कृत, हुआ बनाया हुआ, जारी, उद्गृहीत, वसूला गया, प्राप्त या प्रोद्भूत समझा जायेगा, मानो यदि यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था और किसी न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष प्रवेश कर की वापसी के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां अनुरक्षित या जारी नही होगी।

(2) शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा उद्घोषित किया जाता है कि अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा देय धनराशि से अधिक भुगतान किये गये प्रवेश कर की वापसी के दावे को उपधारा (1) के अन्तर्गत रोके जाने का अर्थ नही लगाया जायेगा यदि कर का भार संक्रान्त न किया गया हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000 का निरसन और अपवाद

18–(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 2000) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 35 सन् 2007 का निरसन और अपवाद

19–(1) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची

1–केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित कच्चा तेल

2–मशीन और मशीन के पुर्जे जिनकी कीमत दस लाख रूपये या उससे अधिक हो

3–प्राकृतिक गैस

4–बिना लेवी की चीनी

5–सिगरेट के रूप में तम्बाकू

6–सभी प्रकार के कागज

7–तम्बाकूयुक्त पान मसाला (गुटका)

8–सीमेंट

9–कोयला

10–तेन्दू पत्ता

11–मोम

12–तैयार चमड़ा

13–भारत के बाहर से आयातित सभी प्रकार के और सभी वृक्षों, के चाहे वो किसी भी प्रजाति के हों, काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिसके अन्तर्गत बल्लियों और बांस भी, चाहे वह उगाई जा रही हो या काट दी गयी हो या चीरी गई हों;

14–हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर कैरोसिन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पैट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जन वितरण प्रणाली का कैरोसिन आयल सम्मिलित नहीं है।

15–क्लिंकर

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-19 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य लगातार नारे लगाते रहे)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(श्री अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर श्री हुकुम सिंह द्वारा संकल्प प्रस्तुत न करने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने संकल्प नहीं रखा है, आप मद संख्या-34 ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य संशोधन रखें।

(किसी सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत न करने पर)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 सदस्य संकल्प नहीं रख रहे हैं।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत न करने पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-25 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए :--

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायगा।

(2) यह 20 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय-दो

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम, संख्या-26 1947 का संशोधन

2-संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "उप प्रधान" जहां कहीं भी आये हों, जिसके अन्तर्गत पार्श्व शीर्षक भी है, को निकाल दिया जायेगा।

धारा-11-क का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-11-क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा।"

धारा-11-ग का निकाला जाना

4-मूल अधिनियम की धारा-11-ग को निकाल दिया जायेगा ।

धारा-12-ञ का प्रतिस्थापन

5-मूल अधिनियम की धारा-12-ञ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"12-ञ-जब प्रधान का पद मृत्यु, हटाये जाने, त्याग-पत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो या जब प्रधान अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो विहित प्राधिकारी प्रधान के कर्तव्यों का निर्वहन करने और उसकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्राम पंचायत के किसी संदस्य को तब तक के लिए नाम-निर्दिष्ट कर सकता है जब तक कि प्रधान के पद पर ऐसी रिक्ति भरी नहीं जाती है या जब तक कि प्रधान की ऐसी असमर्थता समाप्त नहीं हो जाती है।"

6-मूल अधिनियम की धारा 14-ख को निकाल दिया जायेगा। धारा 14-ख का निकाला जाना

7-मूल अधिनियम की धारा 28-क में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-- धारा 28-क का संशोधन

"(2) प्रधान भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष होगा और ग्राम पंचायत की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र का लेखपाल उसका सचिव होगा।"

8-मूल अधिनियम की धारा 114 में, शब्द "प्रधान और उपप्रधान दोनों के पदों में रिक्तियां" के स्थान पर शब्द "प्रधान के पद में रिक्ति" रख दिये जायेंगे। धारा 114 का संशोधन

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का संशोधन

9-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "उप प्रमुख", "ज्येष्ठ उप प्रमुख", "कनिष्ठ उप प्रमुख" और "उपाध्यक्ष", जहां कहीं भी आये हों जिसके अन्तर्गत पार्श्वांकित शीर्षक और अनुसूची भी है, निकाल दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 का सामान्य संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-- धारा-7 का सशोधन

"(3) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2007 के प्रारम्भ होने के पूर्व उप प्रमुख के पद पर निर्वाचित हुये व्यक्ति अपने कार्यकाल की समाप्ति तक इस रूप में पद को धारण किये रहेंगे मानों उक्त अधिनियम न बनाया गया हो।

11-मूल अधिनियम की धारा-9 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :- धारा-9 का संशोधन

"(2) जब प्रमुख का पद रिक्त हो तब प्रमुख का निर्वाचन होने तक जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।"

12-मूल अधिनियम की धारा-9-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :- धारा-9-क का संशोधन

"9-क-कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था-जब प्रमुख अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब जिस दिनांक तक प्रमुख अपना पदभार फिर से न ग्रहण कर ले, उस दिनांक तक जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे व्यवस्था कर सकता है, जिसे वह ठीक समझे।"

धारा-15 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा-15 में,-

(क) उपधारा (11) में, शब्द "कम से कम दो-तिहाई" के स्थान पर शब्द "आधे से अधिक" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (12) और उपधारा (13) में, शब्द "दो-वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा-21-क का प्रतिस्थापन

14-मूल अधिनियम की धारा-21-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"21-क कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था-जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब जिस दिनांक तक अध्यक्ष अपना पदभार फिर से न ग्रहण कर लें, उस दिनांक तक राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह ठीक समझे।"

धारा-27-क का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा-27-क में, शब्द "प्रमुख, उप-प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" जहां कहीं आये हों, के संज्ञान पर शब्द "प्रमुख या अध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा-28 का संशोधन

16-मूल अधिनियम की धारा-28 में,-

"(क) उपधारा (11) में, शब्द "कम से कम दो-तिहाई के स्थान पर शब्द "आधे से अधिक" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (12) और उपधारा (13) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा-60 का निकाला जाना

17-मूल अधिनियम की धारा-60 को निकाल दिया जाएगा।

धारा 61 का संशोधन

18-मूल अधिनियम की धारा 61 में, उपधारा (2) में शब्द "अथवा जिले से उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 64 का संशोधन

19-मूल अधिनियम की धारा 64 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) निकाल दिया जायेगा।

धारा 66 का संशोधन

20-मूल अधिनियम की धारा 66 में,--

(क) उपधारा (1) में खण्ड (ख) निकाल दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:--

(2) अध्यक्ष कार्य समिति का सभापति होगा।

21-मूल अधिनियम की धारा 82 और 83 को निकाल दिया जाएगा। धारा 82 और धारा 83 का निकाला जाना

22-मूल अधिनियम की धारा 84 में, उपधारा (2) में, शब्द "अथवा खण्ड से उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ उप प्रमुख अथवा यदि खण्ड से ज्येष्ठ उप प्रमुख भी अनुपस्थित हो तो कनिष्ठ उप प्रमुख" निकाल दिये जायेंगे। धारा 84 का संशोधन

23-मूल अधिनियम की धारा 88 में,-- धारा 88 का संशोधन

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात :--

"(2) प्रमुख, कार्यसमिति का पदेन सदस्य होगा और कार्यसमिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति का सभापति होगा।"

(ख) उपधारा (3), उपधारा (3-क) और उपधारा (4) निकाल दी जायगी।

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :--

"(5) अपने गठन के पश्चात् यथाशीघ्र धारा 87 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य समिति से भिन्न प्रत्येक समिति अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक को उप सभापति निर्वाचित करेगी।"

24-मूल अधिनियम की धारा 89 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 89 का संशोधन

"(1) धारा 87 में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति के सदस्यों और अन्य पद धारकों का निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय।"

निरसन और अपवाद

25-(1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-25 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुंज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक-2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अटावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम छत्रपति शाहूजी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2002 में सामान्य संशोधन

2- छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8 में खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे अर्थात् :-

"(ट) राज्य सरकार द्वारा नामित चिकित्सा संकाय के चार आचार्य या सह आचार्य या प्राध्यापक (जहां भी उपलब्ध हों), जिनमें से दो अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों में से होंगे दो नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों में से होगे;

(ड) राज्य सरकार द्वारा नामित दन्त संकाय के दो आचार्य या सह-आचार्य या प्राध्यापक (जहां भी उपलब्ध हों), जिनमें से एक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों में से होगा और दूसरा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों में से होगा;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नामित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में दो आचार्य या सह-आचार्य या सहायक आचार्य, जिनमें से एक अनुसूचित जाति से और एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से होगा।

धारा-23 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 23 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी; अर्थात् :-

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों में ऐसे स्थानों में जहां एक से अधिक व्यक्तियों के चयन अथवा निर्वाचन का उपबन्ध हो, उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके लिये उपबन्धित आरक्षण के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा। इसी प्रकार पदोन्नति के लिये गठित की जाने वाली चयन समितियों और अन्य किसी भी समिति में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व आवश्यक होगा।"

धारा-25 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 25 में उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी; अर्थात् :-

"(9) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्ध और राज्य सरकार द्वारा आरक्षण के समय-समय पर जारी आदेश और अनुदेश, विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यमान शैक्षणिक या गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये लागू होंगे।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-14 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 कहा जायेगा।

अध्याय-2

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 का सामान्य संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "उपाध्यक्ष", जहां-जहां आये हों, को निकाल दिया जायेगा।

धारा 9-क का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 9-क में उपधारा (5) में खण्ड (2) निकाल दिया जायेगा।

धारा 53 और 54 का लोप

4-मूल अधिनियम की धारा 53 और 54 निकाल दी जायेगी।

धारा 54-क का प्रतिस्थापन

5-मूल अधिनियम की धारा 54-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी :--

"54-क-जहां कोई व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने पर कार्य कतिपय मामलों में करने में असफल रहता है या उससे इंकार करता अस्थायी व्यवस्था है या कार्य करने में अन्यथा असमर्थ रहता है या धारा 44-क के अन्तर्गत अध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है वहां अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्यों का, जब तक कि अध्यक्ष कृत्य करने योग्य हो जाय, प्रयोग और निर्वहन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जायेगा और ऐसे अधिकारी को प्रशासक कहा जायेगा और उसमें अध्यक्ष की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य निहित होंगे और उसके द्वारा, उसका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा।"

धारा 55 का लोप

6-मूल अधिनियम की धारा 55 निकाल दी जायेगी।

धारा 89 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 89 में शब्द "न तो अध्यक्ष उपस्थित हो और न ही उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष उपस्थित न हो" रख दिये जायेंगे।

अध्याय-3

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 में सामान्य संशोधन

8-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "उपमहापौर" जहां-जहां आये हों, को निकाल दिया जायेगा।

धारा 7 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (5) में खण्ड (2) निकाल दिया जायेगा।

धारा 10 का लोप

10-मूल अधिनियम की धारा 10 निकाल दी जायेगी।

धारा 11 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 11 में उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

धारा 12 का लोप

12-मूल अधिनियम की धारा 12 निकाल दी जायेगी।

नई धारा 14-क का बढ़ाया जाना

13-मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात् :--

"14-क-जब महापौर का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार जब तक महापौर अपना पद ग्रहण न कर लें उसी शक्तियों, का प्रयोग, कृत्यों का

कतिपय मामलों में अस्थाई व्यवस्था

सम्पादन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकती है जैसी वह उचित समझे।"

धारा 15 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में खण्ड (ख) निकाल दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 14 तक खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(किसी भी प्रस्तावक द्वारा संकल्प प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कृपया मद संख्या-44 ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(किसी प्रस्तावक द्वारा संशोधन प्रस्ताव न प्रस्तुत किये जाने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं रख रहा है। कृपया आगे ले लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2

2-इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित प्रबन्धन परिषद् से है;

(ख) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 8 के अधीन प्रबन्धन परिषद् द्वारा नियुक्त अधिकारी से है ;

(ग) "विकास" में वैयाकरणिक विभेद के साथ स्थल की भूमि में, पर, के ऊपर अथवा के नीचे, भवन निर्माण, अभियंत्रण, खनन अथवा अन्य प्रक्रियायें, करना अथवा स्थल के किसी भवन अथवा भूमि में किसी प्रकार का सारभूत परिवर्तन करना है ;

(घ) "अनुरक्षण" में वैयाकरणिक विभेद और समान अभिव्यंजना के साथ स्थल की चहारदीवारी बनाना, आच्छादन करना, मरम्मत करना, पुनरुद्धार करना और स्वच्छता रखना और स्थल को संरक्षित करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक कोई भी अन्य कार्य करना सम्मिलित है ;

(ङ) "संरक्षण" में वैयाकरणिक विभेद और समान अभिव्यंजना के साथ स्थल की रक्षा, संरक्षण, सुरक्षा, अनुरक्षण तथा उच्चीकरण करने से है ;

(च) "सुरक्षा" का तात्पर्य स्थल और कलाकृतियों को भावी पतन, विरूपता, उपेक्षा या क्षति से रक्षा करने से है ;

(छ) "स्थल" का तात्पर्य डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से है, जिसमें डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, समतामूलक समाज-व्यवस्था स्थल और इनसे सम्बन्धित अन्य संरचनायें सम्मिलित हैं, जिसकी चार मार्ग युक्त सीमा अर्थात् स्थल की दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित 15 एकड़ भूमि को छोड़कर, उत्तर में होटल ताज और स्थल के मध्य का मार्ग, पूर्व में गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड और स्थल के मध्य का मार्ग, दक्षिण में सहारा सिटी और स्थल के मध्य का मार्ग तथा पश्चिम में गोमती नदी बंधा तथा स्थल के मध्य का मार्ग है।

(व्यवधान के कारण सम्बन्धित सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत न किये जाने पर।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-3 से खण्ड-18 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश में लखनऊ में गोमतीनगर के विपिन खण्ड स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के संरक्षण, विकास, सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिये एक प्रबन्ध परिषद् की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 16 अगस्त, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

स्थल का निगमन

3-(1) धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उल्लिखित परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य समस्त सदस्यों को समावेशित करते हुए डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के नाम से एक निगमित संस्था होगी।

(2) धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट समस्त सम्पत्तियां, परिसम्पत्तियों और देयता सहित, स्थल में निहित होंगी।

परिषद् का गठन

4-(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा स्थल के कार्यों के प्रबन्धन हेतु एक परिषद् की स्थापना करेगी।

(2) परिषद् में निम्नलिखित होंगे :-

(क) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, पदेन-	अध्यक्ष
(ख) मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश सरकार, पदेन-	उपाध्यक्ष
(ग) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई प्रमुख सचिव, पदेन-	सदस्य
(घ) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन-	सदस्य
(च) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन-	सदस्य
(छ) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन-	सदस्य
(ज) प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन-	सदस्य
(झ) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन-	सदस्य
(ट) प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन-	सदस्य
(ठ) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन-	सदस्य
(ड) आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ, पदेन-	सदस्य
(ढ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य-सचिव

स्थल के उद्देश्य

5-"स्थल" के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(क) समाज के शोषित, दलित, निर्बल वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के जनमानस में सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक जागरूकता पैदा करने और समतामूलक-आधारित समाज व्यवस्था के प्रर्तीक के रूप में सहायक होना ;

(ख) भारत के गैरबराबरी-आधारित समाज व्यवस्था में आवश्यक सामाजिक परिवर्तन करके समतामूलक-समाज व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपना जीवन समपर्ण करने वाले महानायकों-महात्मा गौतम बुद्ध, संत कबीरदास, संत रविदास, गुरू घासीदास, महात्मा बिरसा मुण्डा, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, पैरियार रामास्वामी, नारायण गुरू, डा0 भीमराव अम्बेडकर, मा0 कांशीराम जी इत्यादि के कार्यों, उनकी चेतना व जीवन संघर्ष से सम्बन्धित सामग्री, शोध पत्र इत्यादि का संकलन एवं संग्रह करना ;

(ग) सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य असमानताओं के निवारण पर उपयोगी संवाद के लिए मंच के रूप में कार्य करना और समतामूलक-आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को उन्नत करना।

परिषद् के अधिकार और कृत्य

6-इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे,-

(क) निर्वहनीय आधार पर स्थल का संरक्षण, विकास, सुरक्षा एवं अनुरक्षण करना तथा कार्यों का प्रबन्धन इस रीति से करना जिससे स्थल के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके ;

(ख) स्थल निधियों का प्रबन्धन करना ;

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों का निष्पादन ;

(घ) कोई अन्य कृत्य जो विहित किये जायें।

अधिकारी का प्रतिनिधायन

7-परिषद् इस अधिनियम के प्राविधानों और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, सामान्य अथवा विशेष आदेश से, इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों एवं कृत्यों का प्रतिनिधायन जैसा कि उचित समझे, परिषद् के किसी अन्य सदस्य को कर सकती है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

8-(1) परिषद् द्वारा एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया जायेगा जो स्थल का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होगा और स्थल के उद्देश्य को आगे बढ़ाने, परिषद् के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए और इस अधिनियम के अन्तर्गत कृत्यों के संपादन के लिए उत्तरदायी होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अन्य शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे नियत किये जायें।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सेवा सम्बन्धी शर्तें वही होंगी, जैसी नियत की जायें।

स्थल के अन्य अधिकारी और कर्मचारी

9-(1) स्थल के प्रभावी प्रबन्धन तथा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में व्यवस्थित अन्य कृत्य और कर्तव्य के निर्वहन हेतु परिषद्, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) स्थल के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

(3) स्थल के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का संपादन और दायित्वों का निर्वहन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किया जाएगा।

स्थल की निधि

10-(1) अनुरक्षण निधि :-

स्थल की एक "अनुरक्षण निधि" होगी। राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात अनुदान के रूप में 'अनुरक्षण निधि' में ऐसी धनराशि प्रदान करेगी जैसी राज्य सरकार उचित समझे। ऐसी धनराशि 'अनुरक्षण निधि' होगी और उसे किसी अनुसूचित बैंक में पृथक खाते में जमा किया जायेगा। 'अनुरक्षण निधि' का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा और उससे प्रोद्भूत आय मात्र का ही उपयोग स्थल के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिये किया जायेगा।

(2) विकास निधि :-

स्थल की एक 'विकास निधि' भी होगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी :-

(क) भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अनुदान ;

(ख) स्थल द्वारा प्राप्त किये गये स्वैच्छिक अंशदान ;

(ग) स्थल द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किये गये समस्त चल एवं अचल दान, उपहार और अन्य धनराशि ;

ऐसी धनराशि, "विकास निधि" कहलायेगी और अनुसूचित बैंक में एक अलग खाते में जमा की जाएगी तथा इस धारा के अधीन प्राप्त किसी अंशदान का उपयोग उस प्रयोजन, जिसके लिए धनराशि का अंशदान किया गया था, से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

कतिपय भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

11-ऐसे किसी भवन का निर्माण स्थल की सीमा से 50 मीटर की दूरी के भीतर नहीं किया जायेगा जिसकी ऊंचाई डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक के गुम्बद की ऊंचाई की आधी से अधिक हो।

शास्ति

12-(क) (1) जो भी व्यक्ति-

स्थल को नष्ट करे, उसे हटाए, क्षतिग्रस्त करे, परिवर्तित करे, विरूपित करे, जोखिम में डाले, प्रदूषित करे, अतिचार करे या दुरुपयोग करे ; या

(ख) स्थल से किसी शिल्प, नक्कासी, मूर्ति, उच्चित्र, शिलालेख, पाण्डुलिपि या समनुरूप चीजों को हटाये ; या

(ग) धारा 11 के उल्लंघन में कोई कार्य करे ;

वह कारावास, जो छः मास तक हो सकता है या ऐसे अर्थदण्ड जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

नियम बनाने की शक्ति

13-(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध हो सकते हैं :-

(क) स्थल का संरक्षण, विकास, सुरक्षा, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन;

(ख) स्थल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और कर्तव्य एवं शक्तियां;

(ग) स्थल के परिसर में व्यक्तियों के प्रवेश का विनियमन;

(घ) स्थल में जनता के पहुंच का अधिकार और तद्निमित्त प्रभारित किया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो;

(ङ) विकास निधि और अनुरक्षण निधि से प्रोद्भूत धनराशि के उपयोग का विनियमन;

(च) परिषद् की बैठकों के समय एवं स्थान, परिषद् की बैठकों के कार्य संचालन की रीति और बैठक का कोरम;

(छ) परिषद् की अन्य शक्तियां एवं कृत्य;

(ज) ऐसे अन्य मामले, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असम्बद्ध न हो तथा जो विहित किये जाने हेतु आवश्यक समझे जायें।

स्थल के प्रयोग का निषेध

14-परिषद् के पूर्व अनुमोदन के सिवाय स्थल का प्रयोग ऐसे प्रयोजन जिसके लिए उसका निर्माण किया गया था, से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

15-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

लेखा एवं लेखा परीक्षा

16-(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी समुचित लेखा और अन्य संगत अभिलेख रखेगा और तुलन पत्र सहित वार्षिक बजट ऐसे प्रपत्रों में तैयार करेगा जैसे विहित किये जायं।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी वार्षिक विवरण पत्र तैयार करेगा और उसे परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(3) परिषद् के लेखा की वार्षिक लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी जैसा विहित किया जाय।

(4) लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् के लेखे को लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजा जायेगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

17-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई के निवारण के प्रयोजनार्थ निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध, यथाविहित अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, द्वारा ऐसे अंगीकरण के अध्यधीन प्रभावी होंगे जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशयत शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर इस आधार पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी कि उस उपधारा में यथा निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसके निवारण की आवश्यकता नहीं थी।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 2007

18-(1) उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) मे निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 से खण्ड-18 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदन के फलोर पर खड़े सदस्य नारे लगाते रहे)

(मद संख्या-46 पुकारे जाने पर प्रस्तावक ने अपना प्रस्ताव नहीं रखा)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाण्डेय जी आप अपना संशोधन रख रहे हैं।

(व्यवधान के कारण सम्बन्धित सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 25 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 3 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 3 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

"(3) जहां, या तो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी भर्ती में, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों वहां ऐसी भर्ती में उसके लिये आरक्षित रिक्ति, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थियों में से भरी जा सकती है और जैसे ही यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये उपधारा (5) में, निर्दिष्ट रोस्टर में, निश्चित की गयी कोई रिक्ति होती है, तो यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित ऐसे व्यक्ति को उसकी अपनी श्रेणी की ऐसी रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 सन् 2007

3-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 13 मई, 2007 से प्रभावी होगा समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 में नई धारा 26-क का बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

मृत सदस्यों के आश्रितों को वित्तीय सहायता

"26-क-यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की मृत्यु हो जाए, तो राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की एक मुश्त धनराशि एक बार वित्तीय सहायता के रूप में उसके आश्रित को स्वीकृत की जाएगी।

स्पष्टीकरण-सदस्य के सम्बन्ध में "आश्रित" का तात्पर्य ऐसे सदस्य के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित, अधिमान क्रम में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता या माता से है।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन की वेल में रिपोर्टर्स टेबिल के पास खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति बनी रही)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 22 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 22 में शब्द "5,000 रुपये" के स्थान पर शब्द "50,000 रुपये" और शब्द "1,000 रुपये" के स्थान पर शब्द "5,000 रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द "प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट" रख दिये जायेंगे और शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 1982 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(छ) 'सदस्य' का तात्पर्य बोर्ड के किसी सदस्य से है।"

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में खण्ड (ग) में उपखण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(चार) शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हों और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हों।"

धारा 5 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रखते हुए अध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा और प्रत्येक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।"

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में पद धारण नहीं करेगा यदि उसने अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा यदि उसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-21 सन् 1997 की धारा 10 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 10 में अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट के आधार पर दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से संचालित मोटर टैक्सियों के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन कर एवं अतिरिक्त कर संदेय नहीं होगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-16 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2-मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (5) में शब्द "बासठ वर्ष" के स्थान पर शब्द "पैंसठ वर्ष" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(6) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथा संशोधित उपधारा 5 के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करने वाले प्रत्येक सदस्य पर भी प्रवृत्त होंगे।"

धारा 12 का संशोधन

3-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 12 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में, शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-16 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :-

"(ञ-1) "परिसंघीय संरचना" का तात्पर्य ऐसी शीर्ष, केन्द्रीय एवं प्रारम्भिक सहकारी समितियों के समूह से है जो समान प्रकृति का हो और समान व्यवसाय या कार्य करता हो;

(ञ-2) "परिसंघीय श्रेणी" का तात्पर्य किसी विशिष्ट परिसंघीय संरचना की त्रिस्तरीय में से किसी एक श्रेणी अर्थात् शीर्ष या केन्द्रीय या प्रारम्भिक सहकारी समितियों से है।"

(ख) खण्ड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात :-

"(ढ-1) 'राष्ट्रीय बैंक' का तात्पर्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है।"

(ग) खण्ड (थ-1) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :-

"(थ-2) "रिजर्व बैंक" का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक से है।"

धारा 12 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) में,

(क) खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

"(2) अधिनियम या नियमावली के अन्य उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है तो वह ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर संशोधन निबन्धित करेगा। यदि निबन्धक एक माह के भीतर संशोधन को निबन्धित नहीं करता है तो यह मान लिया जायेगा कि उसने संशोधन को निबन्धित करने से मना कर दिया है और ऐसी दशा में निबन्धक के लिये यह बाध्यकारी होगा कि वह संशोधन निबन्धित न करने के कारणों से अगले एक माह के अन्दर समिति को संसूचित करे।"

(ख) खण्ड (3) को निकाल दिया जायेगा।

धारा 20 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 20 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (कक) में उपखण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :–

"(iii) उसने अनन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिये नियत दिनांक से पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि के लिये अपने जमा खाते में कम से कम एक हजार रुपये जमा धनराशि को अनुरक्षित न० किया हो।"

धारा 29 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 29 में उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

"(8) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी रिजर्व बैंक द्वारा यथानियत लेखा, विधि, बैंकिंग, प्रबंधन, कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की कमेटी में पूर्ण मतदान के अधिकारों सहित कम से कम तीन वृत्तिक व्यक्ति होंगे। यदि ऐसे वृत्तिक व्यक्ति निर्वाचित नहीं होते तो ऊपर उल्लिखित के अनुसार उन्हें बैंक की प्रबन्ध कमेटी में सहयोजित किया जायेगा।"

नयी धारा 29-क का बढाया जाना

6–मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी,अर्थात :–

"**29–क प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं शीर्ष बैंक के लिये विशेष उपबन्ध**–इस अधिनियम, नियमावली एवं समिति की उपविधियों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा किसी शीर्ष बैंक की प्रबन्ध कमेटी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कार्यकलापों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ

आवश्यक और समीचीन हो जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(क) निम्नलिखित के लिये शक्तियाँ :–

(एक) सदस्य बनाने और अंशों से सम्बन्धित आवेदनों का निस्तारण करने के लिये।

(दो) संगठनात्मक उद्देश्यों की व्याख्या करने एवं उन उद्देश्यों को प्राप्त किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिये।

(तीन) वार्षिक एवं अनुपूरक बजट तैयार करने एवं उनका सामान्य निकाय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिये।

(चार) उपविधियों के अनुसार निधियों की वृद्धि करना एवं उनका विनिधान करने के लिये।

(पांच) निर्धारित स्तर से अधिक समस्त व्ययों और आगामी वर्ष/वर्षों के लिये पूँजी विकास योजना को मंजूर करने के लिये।

(छः) समिति की किसी ऋण या मांग को प्रवर्तित करने और समिति के पक्ष या विपक्ष में विधिक कार्यवाही को संस्थित करने, प्रतिवाद करने या समझौता करने के लिये।

(सात) ऐसे परिवर्तनों, जो अपेक्षित संशोधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये किये गये हों, के संदर्भ में विद्यमान जनशक्ति संसाधनों और भावी अपेक्षाओं का अनुमान करने और प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ पर कम से कम एक बार जनशक्ति योजना की प्रक्रिया या उसकी प्रगति में कठिनाइयों पर विचार करने एवं उनका निराकरण करने के लिये।

(आठ) इस अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के उपबंधों के अध्यधीन समिति का कार्य संचालन करने हेतु अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने एवं अन्य बातों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों, सेवा शर्तों, अवकाश सुविधाओं एवं अनुशासनिक मामलों को परिभाषित करने के लिये।

(नौ) सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और उससे सम्बन्धित कार्यक्रमों और प्रगति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में कम से कम एक बार करने के लिये।

(दस) ऋण के आवेदनों का निस्तारण करने, रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के निर्देशों के अधीन रहते हुये ब्याज दर निर्धारित करने एवं ऐसे ऋणों के लिये प्रतिभूति अवधारित करने के लिये।

(ग्यारह) ऐसी उप कमेटियों, जिन्हे आवश्यक समझा जाय, की नियुक्ति करने के लिये।

(बारह) उसके कार्य संचालन का सामयिक मूल्यांकन करने के लिये।

(तेरह) विहित रीति से सम्पत्तियों का अर्जन करने, धारित करने एवं निस्तारित करने के लिये।

(चौदह) रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा किसी अन्य पुनर्वित्त पोषित करने वाले अभिकरण से सीधे अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्था के माध्यम से न कि आवश्यक रूप से केवल उस परिसंघीय श्रेणी से जिससे कि वह सम्बद्ध हो पुनर्वित्त पोषित करने के लिये और उसी प्रकार से किसी विनियमित वित्तीय संस्था में न कि आवश्यक रूप से केवल उस परिसंघीय श्रेणी में जिससे वह सम्बद्ध हो, उसके निक्षेपों को रखने या विनिधान करने के लिये।

(पन्द्रह) किसी परसंघीय संरचना की संबद्धता और असम्बद्धता से सम्बन्धित मुद्दों जिसमें किसी भी स्तर पर प्रवेश और निकास सम्मिलित है, का विनिश्चिय करने के लिये।

(सोलह) व्यवसाय की अपेक्षा के अनुसार अपने कार्य संचालन क्षेत्र का विनिश्चिय करने के लिये।

(सत्रह) ऐसे अन्य उपाय करने या ऐसे अन्य कार्य करने के लिये जो इस अधिनियम या नियमावली या उपविधियों के अधीन विहित किये जायं या अपेक्षित हों, और–

(ख) निम्नलिखित कर्तव्य होंगे–

(एक) इस अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के अधीन समस्त मामलों में संप्रेक्षण करने;

(दो) निम्नलिखित कार्य करने–

(क) समिति के धन की समुचित रसीद व वितरण और समिति के लेखों, आस्तियों एवं दायित्वों का रख-रखाव;

(ख) समिति की प्रत्येक वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना;

(ग) निबन्धक द्वारा विहित सभी वार्षिक विवरणी को तैयार करना;

(घ) लेखा परीक्षा के लिये अपेक्षित लेखा के विवरण तैयार करना और उसे लेखा परीक्षकों के समक्ष रखा जाना;

(ङ) अन्य सभी विवरण एवं विवरणियों को तैयार करना और उन्हे निबन्धक को प्रस्तुत करना;

(च) नियमित रूप से समिति के लेखों का समुचित लेखा पुस्तिकाओं में अनुरक्षण;

(छ) सदस्यों की पंजी का अद्यावधिक अनुरक्षण;

(तीन) इस अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अधीन वितरण योग्य घोषित शुद्ध लाभों के विनियोग हेतु राष्ट्रीय बैंक के दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार संस्तुति करने और उसे सामान्य निकाय के समक्ष प्रस्तुत करने;

(चार) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण, जांच और लेखा परीक्षा की सुविधा प्रदान करने और सम्बन्धित प्राधिकारी से प्राप्त लेखा-परीक्षा, निरीक्षण और जांच रिपोर्ट पर विचार करने और इस अधिनियम और नियमावली के उपबन्धों के अनुसार तत्सम्बन्ध में अनुपालन प्रस्तुत करने;

(पांच) सामान्य निकाय की बैठकें और विशेष बैठकें समय से आयोजित करने;

(छः) यह देखने कि ऋण और अग्रिम उन प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं जिनके लिये वे तात्पर्यित हैं और यह भी कि उनका प्रतिसंदाय नियमित रूप से किया जा रहा है;

(सात) ऋणों एवं अग्रिमों के प्रतिसंदाय में समस्त बकायों और व्यतिक्रमों के मामलों में परीक्षण करने एवं तुरन्त कार्यवाही करने;

(आठ) समिति के सभी मामलों में सदस्यों से सम्पर्क बनाये रखने एवं सहकारी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने;

(नौ) समय से निर्वाचन कराने की व्यवस्था करने, और–

(दस) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो उसे सामान्य निकाय द्वारा प्रस्तुत किये जायं या इस अधिनियम, नियमावली और उपविधियों द्वारा या तद्धीन अपेक्षित हों;

(ग)–

(एक) प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य कमेटी में बने रहने के लिये अनर्ह हो जायगा यदि वह किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या शीर्ष बैंक के बोर्ड में किसी गैर-ऋण समिति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो और ऐसी समिति ने 90 दिन से अधिक की अवधि तक व्यतिक्रम किया हो।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-16 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समाजवादी पार्टी के वेल में आये हुये सदस्य नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007

(विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसमें खण्डों में संशोधन का प्रस्ताव है जिसे दयाराम जी प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2

श्री अध्यक्ष-

श्री दयाराम जी, आप खण्ड-2 पर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री दयाराम-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड-2 के उपखण्ड (1) की मद (क) में शब्द "प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार पदेन अध्यक्ष के रूप में" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये इस संशोधन से यह सदन सहमत है ?

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964 की धारा 26-ख का संशोधन

(2) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 26-ख में,--

(1) उपधारा (1) में,--

(क) शब्द "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष" तथा (के स्थान पर) शब्द "प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग कृषि उत्पादन आयोग/प्रमुख सचिव, वित्त एवं प्रमुख सचिव, वित्त एवं प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, सदस्य होंगे। (उत्तर प्रदेश सरकार पदेन अध्यक्ष के रूप में और तीन उपाध्यक्ष जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी सदस्य होंगे" एवं दिये जायेंगे।)

(ख) खण्ड (क) में शब्द "यदि वह अध्यक्ष न हो" के स्थान पर शब्द "या सचिव की श्रेणी से अन्यून उसका नाम निदेशिती" रख दिये जायेंगे।

(ग) खण्ड (ख) में शब्द "सचिव" के स्थान पर शब्द "प्रमुख सचिव/सचिव" रख दिये जायेंगे।

(घ) खण्ड (ग) में शब्द "सचिव" के स्थान पर शब्द "प्रमुख सचिव/सचिव" रख दिये जायेंगे।

(ङ) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् "(घ) कृषि विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव।"

(2) उपधारा (2) में (शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।) शब्द "अध्यक्ष" ही रहने दिया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 के उपखण्ड-(1) की मद (क) में शब्द "प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार पदेन अध्यक्ष के रूप में" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये इस संशोधन से यह सदन सहमत है ?

धारा 26-ग, 26-घ और 26-ङ का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 26-ग, 26-घ और 26-ङ में (शब्द "अध्यक्ष" जहां-जहां आये हों, के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।) शब्द "अध्यक्ष" ही रहने दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(खण्ड-3 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा मूल रूप में पारित किया गया था, विधेयक का अंग बना रहा)

खण्ड-4

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये इस संशोधन से यह सदन सहमत है ?

धारा 26 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 26-ज में (शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।) शब्द "अध्यक्ष" ही रहने दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(खण्ड-4 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा मूल रूप में पारित किया गया था, विधेयक का अंग बना रहा)

खण्ड-5

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये इस संशोधन से यह सदन सहमत है ?

धारा 26-त का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 26-त में उपधारा (2) में, खण्ड (2) में शब्द "सदस्यों के स्थान पर" शब्द ("उपाध्यक्ष") "अध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(खण्ड-5 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा मूल रूप में पारित किया गया था, विधेयक का अंग बना रहा)

खण्ड-6

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये इस संशोधन से यह सदन सहमत है ?

6-मूल अधिनियम की धारा 26-ब में शब्द ''अध्यक्ष'' के स्थान पर'' शब्द ''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष'' रख दिये जायेंगे।) शब्द ''अध्यक्ष'' ही रहने दिया जाये। — धारा 26-ब का संशोधन

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(खण्ड-6 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा मूल रूप में पारित किया गया था, विधेयक का अंग बना रहा)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री दयाराम जी, अब आप कृपया संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री दयाराम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि--

खण्ड-6 के पश्चात् नया खण्ड 7 बढ़ा दिया जाये--

निरसन और अपवाद — ''7. (1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-24 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश की धारा 9, 10, 11, 12, 13 और 14 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड-7 बढ़ा दिया जाये अर्थात् :-

निरसन और अपवाद — ''7-(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-24 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश की धारा 9, 10, 11, 12, 13 और 14 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि नया खण्ड-7 इस विधेयक का अंग माना जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-1

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री दयाराम जी अब आप कृपया संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री दयाराम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — खण्ड-1 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय अर्थात् :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 10 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-1 इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रस्तावना व शीर्षक

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ और उत्तर प्रदेश

विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ, को विधान सभा द्वारा पुनः यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ, को विधान सभा द्वारा पुनः यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये इस संशोधन से यह सदन सहमत है ?

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 की उपधारा (1) में शब्द (''अधिक से अधिक चार अन्य सदस्य'' के स्थान पर शब्द ''अधिक से अधिक छह अन्य सदस्य'' रख दिये जायेंगे।) (''अधिक से अधिक छह अन्य सदस्य'' के स्थान पर शब्द ''अधिक से अधिक चार अन्य सदस्य'' रख दिया जाय।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(खण्ड-2 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा मूल रूप से पारित किया गया था विधेयक का अंग बना रहा।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये इस संशोधन से यह सदन सहमत है ?

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में,

(क) उपधारा (1) में शब्द (''पांच वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे।) ''दो वर्ष'' के स्थान पर ''पांच वर्ष'' रख दिया जाय।

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी :

('' (6) उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदधारण करने वाले प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे।'') ''(6) 'उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदधारण करने वाले प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(खण्ड-3 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा मूल रूप में पारित किया गया था विधेयक का अंग बना रहा।)

खण्ड-4

श्री अध्यक्ष-

प्रस्ताव रखें।

श्री दीनानाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैं खण्ड-4 में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड-4 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाय,

निरसन और अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2007 तथा उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-19 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय अर्थात् :-

4-(1) उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-4 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसाकि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ, को विधान सभा द्वारा पुनः यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ, को विधान सभा द्वारा पुनः यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2005 का निरसन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम

2-उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास अधिनियम, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2005 का निरसन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास निरसन विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सामान्य नीति बनाये जाने तथा बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

माननीय सोलंकी साहब प्रस्तुत करें।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाई जाए तथा उसे बिना किसी भेद-भाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किया जाये।"

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने..

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 56 सूचनायें प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जो मा0 सदस्य सदन के वेल में हैं कम से कम उनकी सूचनायें न स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना श्रीमती कृष्णा राज की जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के ग्राम मोहम्मदपुर में निर्धनों को आवंटित की गई भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की जनपद मिर्जापुर स्थित राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुसफ्फरगंज के कनिष्ठ लिपिक श्री राम कृष्ण मिश्र के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर के अगौता विधान सभा क्षेत्र के शुगर प्रबन्धकों द्वारा किसानों से कराई गई एफ0डी0 का समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

पांचवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के पूर्वी यमुना नहर पर करनाल मेरठ राजमार्ग के क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

छठी सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य स्थित लिफ्ट कैनाल को चालू किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री कालीचरण राजभर की जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री कुं0 आर0पी0एन0 सिंह की जनपद कुशीनगर के मुख्यालय पड़रौना में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को श्रेणी-सी के मानक के अनुसार मकान किराया भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

नवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1996 से 2002 तक के लिए स्वीकृत पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत अवशेष धनराशि को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्री अंगद यादव की आजमगढ़ के शेखपुरा स्थित कुंवर नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

ग्यारहवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर नगर निगम द्वारा निम्न स्तरीय निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

बारहवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बूंटा के इरफान व जाबिर की हत्या करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

तेरहवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में नहरों का पानी टेल तक न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

चौदहवीं सूचना श्री सत्य नारायण जैसल की जनपद सोनभद्र स्थित सीमेन्ट फैक्ट्री के योग्य कर्मियों को सरकार एवं जे0पी0 समूह द्वारा सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

पन्द्रहवीं सूचना डा0 राजकुमार सिंह की जनपद गाजीपुर स्थित जमानियां में गंगा नदी पर निर्माणाधीन सेतु का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :-श्री पूरन प्रकाश, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री मिथिलेश कुमार, श्री लालजी यादव, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सुरेन्द्र ,प्रसाद मिश्रा, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सतीश महाना, श्री जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री लल्लू सिंह, डा0 राजेन्द्र सिंह, डा0 पी0के0 राय, श्री शिव शंकर चौहान, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री पंकज मलिक, श्री माधो पासवान, श्री शम्भू चौधरी, श्री उदयराज यादव, श्री राम प्रकाश कुशवाहा, श्री राम किशुन, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री सनातन पाण्डेय, श्री अशोक सिंह चौहान, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्रीमती राजेश्वरी, श्री कादिर राणा, श्री सत्येन्द्र सोलंकी, श्री सुन्दर सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री कौशलेन्द्र नाथ योगी, श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद एवं श्री उदयभान करवरिया।

जो माननीय सदस्य वेल में है, कृपया अपने स्थान पर चले जाएं। अन्यथा उनकी नियम-51 की सूचनायें अग्राह्य हो जायेंगी।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगाते रहे।)

झांसी में बेसिक प्राइमरी पाठशाला गुरुद्वारा, प्रेमनगर की दीवारें एवं छत क्षतिग्रस्त होने व मूलभूत सुविधायें न होने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य विधान सभा, श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

मा0 सदस्य, विधान सभा श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में [उल्लेख किया गया है कि बुन्देलखण्ड का झांसी जनपद भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यन्त पिछड़ा हुआ जनपद है जहां पर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का जहां अभाव है वहीं शिक्षा के भी पर्याप्त साधन न होने के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित होती है। झांसी शहर क्षेत्र के नगर निगम के वार्ड 25 के गुरुद्वारा प्रेमनगर में स्थित बेसिक प्राइमरी पाठशाला किराये के भवन में चल रहा है जिसकी दीवारें एवं छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं और जिस भवन में विद्यालय चल रहा है पांच दशक से अधिक समय से संचालित इस विद्यालय में जहां प्रवेश द्वार का अभाव है वहीं भवन के जिस हिस्से में विद्यालय चलाया जाता है उसकी दीवारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं जो कभी भी गिर सकती हैं और बच्चों की जान जा सकती है। इसके साथ ही साथ विद्यालय में पेयजल शौचालय एवं अन्य आवश्यक आवश्यकताओं की सुविधाओं का भी अभाव है। विद्यालय में प्रवेश द्वार में दरवाजा न होने के कारण अराजक तत्वों का जहां खतरा बना रहता है वहीं पशु परिसर में आ जाते हैं और कार्य बाधित करते हैं। कभी-कभी मिड डे मील के भोजन को भी खा जाते हैं। कई प्रशासनिक एवं शिक्षा के अधिकारी इस विद्यालय की दुर्दशा को देख चुके हैं। इसके बावजूद भी विद्यालय में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है और पेयजल, शौचालय तथा सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि विद्यालय में पेयजल, सुरक्षित भवन तथा शौचालय एवं स्वच्छ भोजन आदि की व्यवस्था हो फिर भी शासन की मंशा की अनदेखी करके बच्चों के भविष्य स्वास्थ्य एवं जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी तरह से जनपद में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर इन सुविधाओं का अभाव है।

2-उक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत विद्यालय किराये के भवन में है जिस कारण भवन की मरम्मत नियमानुसार कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त विद्यालय में एक अस्थायी शौचालय तथा पास ही हैण्डपम्प स्थापित है। सम्प्रति छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त विद्यालय के छात्रों को अध्ययन हेतु कन्या प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर में स्थानान्तरित कर दिया गया है।]

कानपुर स्थित एयरपोर्ट स्टेशन चकेरी के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें स्थगन की सिफारिश आयी है, इसलिए इसे स्थगित किया जाता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शाहजहांपुर नगर में विसरात घाट पर निर्माणाधीन अधूरे पुल का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[शाहजहांपुर नगर में विसरात घाट पर पिछले 4 वर्षों से एक पुल का निर्माण राजकीय निर्माण निगम के द्वारा किया जा रहा है। इस पुल का पूरा धन उक्त निगम को दिया जा चुका है। वर्षों से दो खम्भे (कुएं) तैयार हैं उन पर स्लैब पड़ने के लिए वर्षों से प्रतीक्षा हो रही है। जनहित में उक्त पुल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। दोनों खम्भों पर स्लैब पड़कर एप्रोच रोड निर्माण होना अभी बाकी है। इस अधूरे पुल का निर्माण पूर्ण कराकर जनता को समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हनुमत धाम विसरात घाट शाहजहांपुर में लगभग 30 मीटर स्पान के पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु पर्यटन विभाग के शासनादेश सं0-100/41-2003-330/2003, दिनांक 20-2-2003 के द्वारा रु0 15.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसके अतिरिक्त इस कार्य पर रु0 11.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति और प्रदान की गयी। इस प्रकार इस कार्य पर कुल रु0 26.00 लाख की धनराशि स्वीकृति की गयी।

उक्त धनराशि के सापेक्ष रु0 17.53 लाख का कार्य माह 3/2007 तक किया जा चुका है। कार्यस्थल पर वर्टिकल आर0सी0सी0 बाल तथा पीयर्स/कालम का कार्य पूर्ण है। पुल के डैक स्लैब का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। मानसून सत्र समाप्त हो जाने के पश्चात् इस कार्य को पुनः प्रारम्भ कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।]

जनपद कुशीनगर के सेवरही विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006-07 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ट्रांसफार्मर बदलने हेतु जारी विधायक निधि के बाद भी कार्य संपादित न कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[सेवरही विधान सभा क्षेत्र, जनपद कुशीनगर में विद्युत विस्तारीकरण एवं ट्रांसफार्मर बदलने हेतु विधायक निधि से लगभग रु0 7.00 लाख 21 कार्यों हेतु अधिशासी अभियन्ता, कुशीनगर को हस्तान्तरित किए गए हैं। 13 कार्यों का पैकेज स्वीकृत हो गया है एवं सभी 21 कार्य दिनांक 31-01-2008 तक पूर्ण करा दिये जायेंगे।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत लालगंज, सांगीपुर एवं संग्रामगढ़ में शासन की घोषणा के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[प्रदेश में अन्य जनपदों की भांति जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घण्टे, तहसील स्तरीय नगरों में प्रतिदिन 15 घण्टे तथा जनपद मुख्यालय प्रतापगढ़ नगर में प्रतिदिन 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति के घण्टे आदेशित है। निर्धारित घण्टों के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं परन्तु प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण प्रणाली की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत की आपात कटौती कराना अपरिहार्य हो जाता है। प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाये जाने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं जिससे शासन द्वारा निर्धारित घण्टों के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा सके। जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत विगत माहों में औसतन प्रतिदिन उपलब्ध करायी गयी विद्युत आपूर्ति का विवरण निम्नवत् है :-

माह	ग्रामीण क्षेत्र	तहसील स्तरीय नगर	जनपद मुख्यालय
सितम्बर, 07	11.55	11.56	15.15
अक्टूबर, 07	10.15	10.16	14.59
नवम्बर, 07 (03-11-07 तक)	10.00	10.00	15.30]

प्रदेश में चकबन्दी विभाग द्वारा मानक के अनुरूप जनपदों में फील्ड स्टाफ की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री धनन्जय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें स्थगन की सिफारिश आयी है, इसलिए इसे स्थगित किया जाता है।

जनपद आजमगढ़ स्थित मोहम्मदपुर खरिहा होते हुए निजामाबाद की गड्ढायुक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अंगद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें भी स्थगन की सिफारिश आयी है, इसलिए इसे स्थगित किया जाता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मुजफ्फरनगर आदि जिलों में डेंगू की रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाए जाने विषयक दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद आदि जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। ...

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी, यह चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 की सूचना की स्वीकृति की जानकारी

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री अनूप कुमार गुप्ता की नियम-51 की सूचना स्वीकार की जाती है।

सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने सम्बन्धी प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 35 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 6 नवम्बर, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 130 उत्तर पीछे पृष्ठ 79-80 पर।)

जनपद बहराइच के निम्नलिखित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अधिकरियों/कर्मचारियों के भुगतान निम्न विवरणानुसार लम्बित है :-

(क) राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बहराइच	अवधि	कर्मचारी/अधिकारी का विवरण
1-सी0टी0 से एल0टी0 ग्रेड में संविलियन	02/91 से 4/2004 तक	04 शिक्षिकायें
2-महंगाई भत्ता 21 प्रतिशत	7/2005 सें 2/2006 तक	44 कर्मचारी
3-मातृत्व अवकाश	7/2005 से 13-7-2005 तक	श्रीमती सुनीता आर्या
4-वेतन निर्धारण एरियर	7/96 से 5/2004 तक	गया देवी परिचारिका
5-चयन वेतनमान	2/94 से 7/2005 तक	01 शिक्षिका
6-सी0टी0 से एल0टी0 संविलियन	2/94 से 7/2005 तक	02 शिक्षिका
7-चिकित्सीय अवकाश	11-7-2006 से 1-10-2006 तक	श्री राममूर्ति प्रवक्ता
8-महंगाई भत्ता 29 प्रतिशत	7/2006 से 11/2006	45 शिक्षक/कर्मचारी
9-अवशेष एरियर स्टाफ	2/2001 से 10/2006	06 शिक्षिकायें
(ख) राजकीय क0उ0मा0 विद्यालय, कैसरगंज, बहराइच		
1-महंगाई भत्ता 24 प्रतिशत	7/2006 से 11/2006	17 कर्मचारी
2-मातृत्व अवकाश	1-10-2005 से 10-2-2006 तक	श्रीमती संध्या राज
3-महंगाई एरियर 21 प्रतिशत	7/2005 से 3/2006 तक	17 कर्मचारी
4-उपार्जित अवकाश चतुर्थ श्रेणी	11/2006	श्री हरी राम

5-उपार्जित अवकाश एरियर	12-9-2004 से 30-9-2004 तक	श्री परिमात सिंह

(ग) राजकीय उ0मा0वि0 भद्दड़वा, बहराइच

1-महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत मर्जर	10/2004 से 3/2005	10 सहायक अध्यापक/कर्मचारी
2-महंगाई भत्ता 29 प्रतिशत	7/2006 से 11/2006	सहायक अध्यापक/कर्मचारी
3-महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत मर्जर	1/2007 से 5/2007	11 कर्मचारी
4-महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत मर्जर	10/2004 से 3/2005	श्री मुरलीधर सहायक अध्यापक
5-महंगाई भत्ता 21 प्रतिशत	7/2005 से 3/2006	13 शिक्षक/कर्मचारी
6-चयन वेतनमान एरियर	10/2005 से 2/2007 तक	श्री सुरेन्द्र बहादुर स0 अ0
7-चिकित्सीय अवकाश	1-3-2007 से 26-3-2007 तक	श्री सुरेन्द्र बहादुर स0 अ0
8-अवशेष एरियर स्टाफ	7/2001 से 1/2007 तक	श्री राकेश कुमार
9-एरियर	6/2007	श्री सत्य कुमार, अनुचर
10-अवशेष एरियर	4/2004 से 9/2004 तक	11 सहायक अध्यापक/कर्मचारी
11-50 प्रतिशत वेतन महंगाई मर्जर	4/2004 से 9/2004 तक	श्री मुरलीधर, स0 अ0

(घ) मामराज रा0क0उ0मा0 वि0, प्रयागपुर, बहराइच

1-महंगाई भत्ता 21 प्रतिशत	7/2005 से 2/2006	06 शिक्षक/कर्मचारी
2-अवशेष एरियर	9/2004 से 10/2004 तक	श्री अमरनाथ व कमल दिवाकर
3-महंगाई भत्ता 29 प्रतिशत	7/2006 से 11/06 तक	06 शिक्षक/कर्मचारी
4-50 प्रतिशत वेतन महंगाई मर्जर	10/2004 से 3/2005 तक	05 शिक्षक/कर्मचारी

5-महंगाई भत्ता 35 प्रतिशत	1/2007 से 5/2007 तक	05 शिक्षक/कर्मचारी
6-50 प्रतिशत वेतन महंगाई मर्जर	4/2004 से 9/2004 तक	02 शिक्षक/कर्मचारी
7-महंगाई भत्ता 24 प्रतिशत	7/2006 से 11/2006	06 शिक्षक/कर्मचारी

(ङ) रा0क0उ0मा0 वि0, हुजूरपुर, बहराइच

1-महंगाई भत्ता 21 प्रतिशत	7/2005 से 2/2006	03 शिक्षक/कर्मचारी

(छ) रा0क0उ0मा0 वि0, नवाबगंज, बहराइच

1-महंगाई भत्ता 29 प्रतिशत	7/2006 से 11/2006	06 शिक्षक/कर्मचारी
2-महंगाई भत्ता 21 प्रतिशत	7/2005 से 2/2006	06 शिक्षक/कर्मचारी

(ज) रा0उ0मा0 वि0, रमपुरवा, बहराइच

1-50 प्रतिशत वेतन महंगाई मर्जर	7/2005 से 12/2005	11 शिक्षक/कर्मचारी

(झ) राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच

1-अवशेष एरियर	7/2001 से 4/2007	20 सहायक अध्यापक/कर्मचारी
2-चिकित्सीय अवकाश	29-5-2005 से 30-6-2006	01 शिक्षक
3-50 प्रतिशत वेतन महंगाई मर्जर	7/2005 से 2/2006	20 कर्मचारी/शिक्षक
4-चिकित्सा अवकाश	14-3-2007 से 27-3-2007	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव
5-अवशेष वेतन एरियर	1-11-2005 से 15-11-2005	01 शिक्षक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 500 विधान सभा (968)-18-3-08-813 (कम्प्यूटर)।